खण्ड-151, अंक-1
सोमवार, 23 फाल्गुन, शक संवत् 1876
(14 मार्च, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 151 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार १४ मार्च, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३१४)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवर कृष्ण, वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
केलाशप्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशी राम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोवर्द्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रहास, श्री

चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह, बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेह सिंह, राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दु शाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री

भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवातस्व, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राज किशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास, रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूत भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री

बसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजवासी लाल, श्री
ब्रजविहारी मिश्र, श्री
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी, शास्त्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्री देवी, श्री
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १४ मार्च, १९५५

तारांकित प्रश्न

पर्वतीय जिलों के खायकर तथा सिरतान

*१—श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि टेहरी-गढ़वाल, अल्मोड़ा तथा नैनी ताल के पर्वतीय जिलों में कुल कितने खायकर तथा सिरतान हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)—

जिला		खायकरों की संख्या	सिरतानों की संख्या
अल्मोड़ा	..	५१,०७४	२२,०८६
नैनीताल	..	६,४१२	३,५८७
टेहरी-गढ़वाल	..	६,०७२	१२,४१६

*२—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या यह सही है कि कुमाऊं तथा टेहरी-गढ़वाल में सिरतानों का इन्दराज बहुत समय से नहीं हुआ है ? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हरगोविंद सिंह—जी हां। कुमाऊं डिवीजन के सब पहाड़ी जिलों में बन्दोबस्त का काम आरम्भ करने के निमित्त आगामी वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में १५ लाख रुपये की व्यवस्था की जाने का प्रस्ताव है, तथा कार्य आरम्भ करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति का भी प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी गढ़वाल में खायकरों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ? यह कुमाऊं डिवीजन में आने से रह गया है।

श्री अध्यक्ष—आपने टेहरी-गढ़वाल के बारे में पूछा था।

श्री नारायण दत्त तिवारी—गढ़वाल भी तो कुमायूं डिवीजन में है।

श्री अध्यक्ष—शामिल यह कुमायूं डिवीजन में है, लेकिन जो प्रश्न नहीं पूछा गया है तो उसके सम्बन्ध में आप कैसे पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—नैनीताल आ गया, लेकिन यह रह गया है।

श्री अध्यक्ष—जो रह गया, वह रह गया। आपने जो प्रश्न पूछा है, वह स्पष्ट है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि यह जो खायकरों की संख्या इस सूची में दी गयी है, यह पुराने बन्दोबस्त के अनुसार बनायी गयी सूची है, या कोई नये सर्वे से बनायी गयी सूची है ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—पुराने के अनुसार, जैसा कि आपको भलीभांति मालम है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या जो कुमायूं डिवीजन में लागू किये जाने के लिए कानून बनाया जा रहा है, वह इस बन्दोबस्त के पहले बना दिया जायगा या बाद में ?

श्री चरणसिंह—रेकार्ड आपरेशन्स वहां बहुत जल्दी जारी करने का विचार है। इधर एक्ट बनेगा उधर आपरेशन्स होते रहेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतला सकेंगे कि यह जो बन्दोबस्त किये जाने का कार्य है यह कब से शुरू हो जायगा ?

श्री चरणसिंह—इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गयी है, और जैसे ही बजट में रुपया मंजूर हुआ, वैसे ही और ज्यादा जल्दी काम हो जायगा।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि कुमायूं भूमि व्यवस्था कानून बनने से पूर्व बन्दोबस्त करना जल्दी ही क्यों आवश्यक समझा है ?

श्री चरण सिंह—कागजात को मौके के मुताबिक करने के लिए।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय माल मन्त्री जी बतायेंगे कि इन खायकरों में कितने कच्चे हैं और कितने पक्के हैं ?

श्री चरण सिंह—सभी खायकर हैं अब कितने कच्चे हैं और कितने पक्के हैं, इसके लिए नोटिस की जरूरत होगी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि सेटिलमेंट पूरा हो जाने के बाद ही कानून बनेगा या पहले ही बन जायगा ?

श्री चरण सिंह—मैं पहले जवाब दे चुका हूं कि यह सेटिलमेंट नहीं है। यह रिकार्ड आपरेशन है। उधर रेकार्ड दुरुस्त होंगे, और इधर कानून हमारा विधान मण्डल बनायेगा तो उसके इम्पिलीमेन्टेशन के पहले रिकार्ड आपरेशन ठीक हो जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माल मन्त्री जी बतायेंगे कि यह बन्दोबस्त का काम कब तक खत्म हो जायगा और कुल कितना रुपया लगेगा ?

श्री चरण सिंह—१५ लाख रुपया इसके लिए रखा है, और मुमकिन है कि १५ लाख, ३ हजार ५५६ रुपया लग जाय।

नैनीताल तराई क्षेत्र में भूमि का वितरण

*३—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नैनीताल तराई क्षेत्र में कुल कितने लोगों को जमीन मिली है, उनमें कितने हरिजन हैं ?

श्री चरण सिंह—नैनीताल तराई क्षेत्र में कुल ५५०४ परिवारों को भूमि दी गयी, जिनमें १३४ हरिजन परिवार हैं।

*४—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नैनीताल तराई क्षेत्र में ट्रैक्टर द्वारा तोड़ी हुई जमीन कितनी खाली पड़ी है ?

श्री चरण सिंह—इस क्षेत्र में ट्रैक्टर द्वारा तोड़ी गयी भूमि में से लगभग २३८३ एकड़ भूमि खाली पड़ी है।

*५—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार इस जमीन को भूमिहीन मजदूरों और भूमिहीन कृषकों को देने का प्रबन्ध करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं, यह भूमि तराई उपनिवेश क्षेत्र में पाकिस्तान के निर्वासित परिवारों को बसाने के लिए तोड़ी गयी है, और उन्हीं को प्रदान की जायेगी।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह २३८३ एकड़ भूमि खाली पड़ी हुई है, यह कब टूटी थी, और कब से खाली पड़ी हुई है ?

श्री चरण सिंह—अभी हाल में तोड़ी गयी होगी, तारीख तो मुझे मालूम नहीं है । हमने ५ हजार एकड़ जमीन रिफ्यूजी डिपार्टमेंट को देने के लिए तय किया था, शायद पूरी न तोड़ी जा सकी हो, और वहां से फेहरिस्त नहीं आयी होगी, इसलिए नहीं दी जा सकी । यह नहीं हो सकता है कि दो चार साल से पड़ी हो ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह भूमि पाकिस्तान से निर्वासित परिवारों के लिए कब तक खाली पड़ी रहेगी ?

श्री चरण सिंह—जब तक गवर्नमेंट आफ इन्डिया चाहेगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार भविष्य में भूमिहीन हरिजनों को बसाने के लिए तराई में कोई योजना बना रही है ?

श्री चरण सिंह—एक योजना बनी हुई है, अभी वहां ही भूमिहीन नहीं आये हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या उन १३४ हरिजन परिवारों की संख्या में बुक्सा परिवार भी शामिल हैं ?

श्री चरण सिंह—मैं समझता हूं कि वह शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें लफ्ज हरिजन का है, और इनमें बुक्सा शायद शामिल नहीं हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी हां, बुक्सा आते हैं ।

श्री चरण सिंह—अगर ऐसा है, तो मैं ठीक नहीं कह सकता कि वह इसमें शामिल हैं या नहीं ।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान के किन प्रान्तों के विस्थापितों को नैनीताल जिले में जमीन मिल सकती है ?

श्री चरण सिंह—जो रजिस्टर्ड रिफ्यूजी हों और जो उस फेहरिस्त में शामिल हों, जो गवर्नमेंट आफ इन्डिया रिफ्यूजी रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट के पास भेजती है ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इन परिवारों को जो जमीन दी गयी है, वह अधिक से अधिक कितनी है और कम से कम कितनी दी गयी है ?

श्री चरण सिंह—सन् १९५१ में गवर्नमेंट ने यह नियम बनाया था कि भूमिहीनों को साढ़े सात एकड़ दी जाय । लेकिन उससे पहले भी कुछ लोग ले चुके थे । तब कितनी किसको मिली, मैं नहीं कह सकता ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि २३८३ एकड़ जमीन जो खाली है, उसमें वह जमीन भी शामिल है, जो किन्हीं के नाम एलाट हो गयी है, लेकिन वे वहां पर खेती नहीं करते हैं, इसलिए वह खाली पड़ी है ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन १३४ हरिजन परिवारों को जो जमीन दी गयी है, वह कालोनाइजेशन क्षेत्र में दी गयी है या खास इस्टेट के द्वारा दी गयी है ?

श्री चरण सिंह—सवाल है नैनीताल और तराई का, इसमें दोनों क्षेत्र आते हैं।

*६-७—श्री गंगाधर मैठाणी—[२१ मार्च, १९५५ के लिए स्थगित किये गये ।]

तहसील मड़ियाहूं, जिला जौनपुर के अनावृष्टि क्षेत्र की मालगुजारी में कमी के लिए मांग

* ८—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार धान के उन खेतों की मालगुजारी में भी छूट देती है जिन में वर्षा के अभाव में धान की काश्त हो ही नहीं पाती है ?

श्री चरण सिंह—वर्षा के अभाव के कारण अगर मालगुजारी में छूट देना जरूरी होता है तो उस क्षेत्रफल को भी हिसाब में लिया जाता है जो आमतौर से उस फसल में बोया जाता हो, मगर उस साल बारिश की कमी की वजह से न बोया जा सका हो चाहे उस क्षेत्रफल में धान बोया जाता हो या कोई और फसल ।

*९—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार को मालूम है कि जौनपुर की मड़ियाहूं तहसील में सन् १९५४ ई० में वर्षा के अभाव में एक बहुत बड़े क्षेत्र में धान की काश्त नहीं हो सकी ?

श्री चरण सिंह—जी हां । सरकार को यह मालूम है कि १९५४ ई० में बारिश की कमी की वजह से तहसील मड़ियाहूं, जिला जौनपुर में १५,००० एकड़ से ज्यादा रकबा ऐसा रह गया है जिसमें धान न बोया जा सका ।

*१०—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी बाबत मालगुजारी में छूट दी है ?

श्री चरण सिंह—जिन जिन गांवों में सूखा से ।।) या इससे अधिक की हानि पहुंची है जिलाधीश के अंतिम प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार छूट देने की कार्यवाही की जायगी ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार को यह मालूम है कि मड़ियाहूं तहसील के बहुत बड़े रकबे में कई वर्षों से लगातार सूखा पड़ता गया है और उससे बराबर फसल को नुकसान होता रहा है ?

श्री चरण सिंह—जी हां, मुझको मालूम है कि जौनपुर के एक इलाके में कई साल से बराबर सूखा पड़ता रहा है । आया यही मड़ियाहूं का इलाका है या कोई और इसके बारे में ठीक नहीं कह सकता , माननीय मित्र को ज्यादा मालूम होगा ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि विशेष परिस्थिति में लगातार क्षतिग्रस्त होने के कारण जो ६ आने से अधिक नुकसान पर छूट देने का नियम है वह नियम वहां पर लागू किया जायगा ?

श्री चरण सिंह—जी, मैं इस पर विचार करूंगा, बात माकूल मालूम होती है ।

*११-१२—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—[२१ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१३-१४--श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--[२१ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

ग्राम पिंडारी, जिला मिर्जापुर के किसानों पर लगान वसूली में सख्ती

*१५--श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि हाल ही में जिला मिर्जापुर में दुद्धी तहसील के परगना सिंगरौली के ग्राम पिंडारी के किसानों को वसूली के सिलसिले में बुरी तरह पीटा गया, जिसमें स्त्रियां भी थीं ?

श्री चरण सिंह--यह असत्य है कि किसी किसान को वसूली के सम्बन्ध में पीटा गया हो। पिंडारी ग्राम के निवासियों ने आज तक कभी मालगुजारी या लगान नहीं दिया था, इसलिये उनके दो सरगनों को वारन्ट द्वारा गिरफ्तार किया गया, अतः उन्होंने झूठी अफवाह उड़ाई है।

*१६--श्री व्रजभूषण मिश्र (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई शिकायत आयी है ? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गयी और अपराधी कर्मचारी को क्या दंड दिया गया ?

श्री चरण सिंह--इस घटना की जानकारी सरकार को दिनांक २५-१०-१९५४ "ग्रामवासी" पत्र द्वारा हुयी। जांच से घटना का ब्योरा जो प्रकाशित हुआ है असत्य सिद्ध हुआ। किसी कर्मचारी को दंड देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपा करके वहां पर पब्लिक-मेन से भी जांच करायेगी ?

श्री चरण सिंह--ऐसा तो विचार नहीं है लेकिन आपकी इजाजत से जरा सा कुछ और अर्ज कर दूं। यह राजा सिंगरौली की जमींदारी का गांव था। गोंड लोग यहां रहते हैं। एक साहब थे जिन्होंने इस गांव को बसाया था। बलियारी उनका नाम था। वह कहते थे कि हम इसके मालिक हैं, हम लगान नहीं देंगे। राजा सिंगरौली को कभी भी लगान नहीं दिया। सन् ३२ में मुकदमा चला, डिग्री हुयी मगर लगान नहीं दिया। उसके बाद फिर वसूल करने की कोशिश की गयी, अमीन गया उसको पीटा गया और लगान वसूल नहीं हुआ। अभी गवर्नमेंट ने जो मालगुजारी वसूल करने की कोशिश की तो एक बार एक अमीन गया वह धमकाया गया। वह डर के मारे वापस आ गया। फिर दूसरा अमीन भेजा गया। उसके साथ भी यही नौबत आयी। फिर तीसरी बार एक अमीन, दो कांस्टेबिल्स और दो पिअन्स वहां भेजे गये और नायब तहसीलदार वहां पहले से मौजूद थे। तब इन दो आदमियों को गिरफ्तार किया गया, नैपालीराम और दूसरे का नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, और उन्होंने गिरफ्तार होते ही फौरन मालगुजारी दे दी। किसी आदमी को पीटने का सवाल नहीं था। यह कहा गया कि ५०-६० आदमी गये थे तो वहां कुल ५५ आदमी ही हैं और इन सबको लेकर हमारे अफसरान वहां चढ़े हों, ऐसा नहीं है।

श्री राम स्वरूप (जिला मिर्जापुर)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि जिस शिकायत पर एस० डी० ओ० जांच करने गये थे तो नायब-तहसीलदार को ही हाथी पर चढ़ा कर भेजा था कि जाकर उनको पकड़ लाओ ?

श्री चरण सिंह--मेरे पास कलेक्टर की रिपोर्ट यह है कि एस० डी० ओ० खुद गये और वहां यह मालूम हुआ कि कोई आदमी पीटा नहीं गया।

श्री राम स्वरूप--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जिनको पीटा गया था उनके घाव छः-छः महीने के बाद ठीक हुये हैं ?

नोट--तारांकित प्रश्न १५ व १६ श्री शिवनारायण ने पूछे।

श्री अध्यक्ष---वह मानते ही नहीं हैं कि पीटा गया इसलिये यह सवाल उठता नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वारंट होने के पहले गांव वालों को मालगुजारी वसूल करने की नोटिस दी गयी थी ?

श्री चरण सिंह---नोटिस दी तो नहीं गयी, दिया गया था नोटिस दो अमीनों के जरिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माल मंत्री को पता है कि यह प्रश्नकर्ता श्री व्रजभूषण मिश्र जी से जांच करने वाले अफसर ने कोई बयान लिया था ?

श्री चरण सिंह---मैं समझता हूं नहीं लिया और शायद इसलिये नहीं लिया कि श्री व्रज भूषण मिश्र को जाती इल्म कोई नहीं था । अखबार के लिये सैकड़ों तरह की खबरें आती हैं और उन्होंने इसको केवल प्रकाशित कर दिया ।

दीवानी अदालतों में ग्राम पंचायत सम्बन्धी मुकदमे

*१७---श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या राजस्व मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि क्या सरकार ने ऐसा आदेश निकाला है कि जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा २१२ के द्वितीय संशोधन के अनुसार, जितने मामले जिलाधीश या ग्राम पंचायतों द्वारा दिवानी अदालत में चल रहे हैं, वे वापस ले लिये जायं और अब जिलाधीश प्राप्त अधिकारों के अनुसार उसकी स्वयं जांच करें ?

श्री चरण सिंह---जिलाधीशों को नयी धारा २१२-क के अनुसार कार्यवाही करने के आदेश अवश्य दिये गये हैं पर धारा २१२ के अन्तर्गत दायर किये हुये वादों को वापस लेने के आदेश नहीं दिये गये हैं ।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये जो कि अब धारा २१२ (क) के अधीन जिला मैजिस्ट्रेटों को अख्तियार मिल गये हैं तो जो मुकदमे जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा दीवानी अदालत में चल रहे हैं या जो ग्राम पंचायतों द्वारा सरकार के खर्चे से दीवानी अदालत में मुकदमे चल रहे हैं उनको वापस ले करके जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा सरसरी तौर पर फैसला करने का आदेश जारी करेंगे ?

श्री चरण सिंह---गवर्नमेंट का ऐसा करने का विचार नहीं है । यह जो मुकदमे दायर हो चुके हैं उनको अगर वापस ले लें तो शायद फिर उसी के दायर करने के लिये कोई दूसरी कार्यवाही न की जा सके । यह ला के इन्टरप्रिटेशन का सवाल है, अगर ऐसा हो सकता है तो कलेक्टर को अख्तियार है । लेकिन हम अपनी तरफ से आम आदेश सारे सूबे के लिये जारी करना मुनासिब नहीं समझते ।

आजमगढ़ जिले में बाढ़ और सूखे के कारण मालगुजारी में छूट

*१८---श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि आजमगढ़ जिले में बाढ़ और सूखे के कारण किसानों को खरीफ १९५४ के लगान में कितनी छूट दी गयी है ?

श्री चरण सिंह---जिलाधीश आजमगढ़ की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार खरीफ १३६२ फसली में सूखा तथा बाढ़ के कारण कुल ४,३४,५०६ रु० ७ आ० की मालगुजारी में छूट दी जायगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ और सूखा पीड़ित क्षेत्रों में अलग-अलग कितनी मालगुजारी की छूट दी गयी ?

नोट---तारांकित प्रश्न १८ श्री राम सुन्दर पांडेय ने पूछा ।

श्री चरण सिंह---बाढ़ से सगड़ी में २२९ गांवों में १ लाख ३ हजार ३ सौ ७३ रु० और धोसी में ४३ गांवों में ४७७८९ रु०, यानी कुल मिलाकर बाढ़ से प्रभावित २७२ गांवों में १ लाख ५१ हजार १६३ रु० की छूट दी गयी। बाकी रुपया आप सूखे का समझ लीजिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि बाढ़-पीड़ित और सूखा पीड़ित क्षेत्रों में मालगुजारी की छूट के पर्चे नहीं बांटे गये हैं और नवम्बर और दिसम्बर से मालगुजारी वसूल की गयी है ?

श्री चरण सिंह---मेरे इल्म में तो ऐसा नहीं है। अगर गलती से कहीं वसूल हो गयी हो तो वह अगली फसल में मुजरा हो जायगी।

*१९---श्री गेंदा सिंह---[४ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*२०--२१---श्री विश्राम राय---[२१ मार्च १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

राजघाट राजापुर बांध जिला गोंडा के टूट जाने से गांवों को क्षति

*२२---श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)---क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलरामपुर तहसील, जिला गोंडा में राप्ती के किनारे स्थित राजघाट-राजापुर जंगल वाले बांध के टूट जाने से कितने गांव जलमग्न हो गये और उससे कितनी क्षति हुयी ?

श्री चरण सिंह---जिला गोंडा में राप्ती नदी के किनारे स्थित राजघाट राजापुर बांध के टूट जाने से केवल तीन ग्रामों की आबादी तक पानी आया था जिससे ४ मकानों को क्षति पहुंची। यह हानि अनुमानतः १००० रु० की थी। अधिकतर खेतों के खाली पड़े रहने के कारण फसल को बहुत हानि पहुंची। केवल भदई धान के कुछ खेतों की कुल मिलाकर लगभग १२०० रु० की हानि हुयी।

टनकपुर-पिठौरागढ़ रोड पर यातायात में असुविधायें

*२३---श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---क्या सरकार को विदित है कि टनकपुर पिठौरागढ़ मोटर सड़क में जो K. M. O. U. का Transport का इन्तजाम है उससे जनता को बड़ा असन्तोष है ?

श्री चरण सिंह---जी नहीं, कोई ऐसी बात खास शिकायत की नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---क्या सरकार को मालूम है कि यात्रियों को कभी-कभी दो-दो, तीन-तीन दिन तक टिकट न मिलने से टनकपुर और पिथौरागढ़ में ठहरे रहना पड़ता है ?

श्री चरण सिंह---ऐसी अगर कोई शिकायत हो तो उसकी फौरन तहकीकात की जा सकती है।

*२४-२५---श्री रामनारायण त्रिपाठी---[२२ मार्च, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ५१-५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मिर्जापुर जिले में वाजिबुलअर्ज के अन्तर्गत चमारों पर सख्ती

*२६---श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बृटिश शासन काल का बाजिबुलअर्ज अब भी उत्तर प्रदेश में लागू है ?

श्री चरण सिंह--वाजिबुल अर्ज बन्दोबस्त के समय बनता है और इसमें गांव में प्रचलित प्रथायें उल्लिखित होती हैं। वाजिबुल अर्ज किसी प्रथा का केवल एक प्रकार का सबूत होता है, इसका प्रभाव मूल विधान का सा नहीं होता। अतः वाजिबुल अर्ज के लागू होने के कोई माने नहीं हैं।

*२७--श्री रामकृष्ण जैसवार--क्या सरकार वाजिबुल अर्ज के नियमों में परिवर्तन करने का विचार रखती है ?

श्री चरण सिंह--यह प्रश्न नहीं उठता।

*२८--श्री रामकृष्ण जैसवार--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस वाजिबुल अर्ज के अनुसार जिला मिर्जापुर में चमारों को मृतक पशु उठाना तथा मृतक पशु के चमड़े के एवज में मालिक मवेशी को जूता अथवा उसका मूल्य देना अनिवार्य है ?

श्री चरण सिंह--इस प्रकार की प्रथा जिला मिर्जापुर के कुछ गांवों के वाजिबुल अर्ज में दर्ज है परन्तु इस प्रथा का सम्बन्ध निजी वैयक्तिक अधिकारों से है और इसका साबित होना तथा मान्य होना अदालत के फैसले पर निर्भर है।

श्री रामकृष्ण जैसवार--क्या सरकार के पास जिला मिर्जापुर से ऐसी शिकायतें आयी हैं कि पंचायती अदालतों द्वारा चमारों के ऊपर मनमाने तरीके पर काफी डिग्री इस तरीके की, की जा रही हैं ?

श्री चरण सिंह--जी, कुछ शिकायतें आयी हैं, लेकिन उनमें गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती। हरिजनों के लिये उस प्रथा के अनुसार यह लाजिमी नहीं है कि वह मृत पशु को उठायें और कोई उनको मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन अगर वह उठाते हैं तो वाजिबुल अर्ज में लिखे अनुसार उनको चरसा वगैरह देना पड़ेगा।

श्री रामकृष्ण जैसवार--क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि यदि वह चमारों के द्वारा वहां पर उठाया ही जा रहा है तो किसी कानून के द्वारा ऐसा शोषण खत्म करने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह--जी, जितने वाकयात गवर्नमेंट की नोटिस में आये हैं उनकी बिना पर तो कोई कानून बनाने का सवाल नहीं उठता है। कुछ लोग चाहते यह हैं कि उस लाश को उठायें भी और कुछ दें भी नहीं। लेकिन अगर लाश का मालिक यह कहता है कि इसके एवज में मुझे यह दो तो हम उसको यह कहें कि तुम यह न लो, यह मुनासिब बात नहीं मालूम होती है।

बांदा जिले के हरदोली तथा व्योहरा ग्रामों में आग लग जाने से हानि

*२९--श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बांदा जिला की करवी तहसील के हरदोली तथा व्योहरा ग्रामों में हाल में आग लगी थी ? यदि हां, तो उसमें नष्ट हुये मकानों की तादाद क्या है और नुकसान का अनुमान क्या है ?

श्री चरण सिंह--बांदा जिले के हरदोली तथा व्योहरा ग्रामों में पिछली ग्रीष्म ऋतु में आग लगी थी तथा इन ग्रामों के क्रमशः ३० तथा १ घर नष्ट हुये थे। हानि अनुमान से क्रमशः ६४,१६५ रु० तथा ६८३ रु० की हुयी।

*३०--श्री जगपति सिंह--सरकार की ओर से क्षतिग्रस्त लोगों को किस प्रकार सहायता दी गयी या दी जाने वाली है ?

श्री चरण सिंह--ग्राम हरदोली के क्षतिग्रस्त लोगों को १००० रु० की अहेतुक सहायता तथा ४६५० रु० की तकावी दी गयी। दूसरे ग्राम में केवल एक व्यक्ति को क्षति पहुंची।

जिसने तकावी के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था परन्तु बाद में बुलाये जाने पर जिला कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ।

इसके अतिरिक्त जिलाधिकारियों द्वारा जंगल विभाग से पीड़ितों को मकान बनाने के लिये मुफ्त लकड़ी देने का प्रबन्ध किया गया।

*३१—श्री जगपति सिंह---क्या जिलाधीश ने उनके रबी के लगान को माफ करने के लिये सिफारिश की है ?

श्री चरण सिंह---जी नहीं।

श्री जगपति सिंह---क्या सरकार उन लोगों को जो सरकारी हुक्म के देर से पहुंचने की वजह से और बरसात शुरू हो जाने से लकड़ी नहीं ला सके और उनके मकान नहीं बन सके, उनको पुनः लकड़ी लाने के लिये हुक्म देने की सोचती है ?

श्री चरण सिंह---जी हां, अगर ऐसा है तो बिल्कुल ठीक है। उनको दुबारा हुक्म दिया जायगा।

श्री जगपति सिंह---क्या सरकार कृपा कर उन गरीब किसानों का लगान माफ करेगी जिनके घरों में आग लग गयी ?

श्री चरण सिंह---जी नहीं। घरों में आग लगने से लगान माफ होने का कोई ताल्लुक नहीं है। वह तो जब फसल नष्ट हो जाती है उस समय सवाल उठता है।

श्री जगपति सिंह---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि किसानों की लाखों की क्षति हुयी है और लगान बहुत थोड़ा है ?

श्री अध्यक्ष---मैं सूचना देने की इजाजत नहीं देता। आप प्रश्न कर सकते हैं।

तारांकित प्रश्न १५-१६ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---मुझे एक बात प्रश्नों के सम्बन्ध में...

श्री अध्यक्ष---कहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी---अभी माननीय माल मंत्री जी ने माननीय रामसुन्दर पाण्डेय के प्रश्न के उत्तर में कहा कि मैजिस्ट्रेट ने शायद इसलिये बयान नहीं लिया चूंकि व्रज-भूषण मिश्र जी ने अखबार की बिना पर जिसमें उड़ती हुई खबरें छपती रहती हैं, शायद उसकी बिना पर यह फरमया, शायद माननीय माल मंत्री जी पार्लियामेंटेरियन हैं। मैं समझता हूं कि किसी मेम्बर के पब्लिक कंडक्ट पर इस तरह से रिफ्लेक्शन हो जाता है और विशेषाधिकारी की अवहेलना भी हो जाती है। जरा माननीय माल मंत्री जी इसकी सफाई कर दें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि जिन सदस्य के बारे में आपने प्रश्न उठाया वह तो मौजूद हैं नहीं। ऐसा न हो कि वह यह समझें कि उनके कंडक्ट के ऊपर कोई रिफ-लेक्शन नहीं है और इस मामले में मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाली मसल सही न हो जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी---वह तो है नहीं।

श्री अध्यक्ष---वह बाद में प्रश्न उठा सकते हैं। यह जो जवाब दिया गया है इसको पढ़ कर अगर वह अपना अपमान समझते हैं तो यह प्रश्न उठा सकते हैं और उनकी शिकायत हो सकती है। लेकिन मैं इसको इतना महत्व का नहीं समझता कि किसी दूसरे सदस्य को उनकी तौहीन का प्रश्न उठाने की इजाजत दूं।

देवरिया जिले के टेस्ट वर्कों को बन्द करने के विषय में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष––मेरे पास तीन काम रोको प्रस्ताव आये हैं । मैं एक एक करके आप को सुना देता हूं और उन पर निर्णय भी साथ-साथ ।

पहला श्री गेंदा सिंह जी का इस प्रकार है– "देवरिया जिले में बाढ़ तथा अन्य प्रकार से पीड़ित लोगों की सहायता के लिये चलते हुये टेस्ट वर्कों का सरकार द्वारा बन्द कर दिये जाने के फलस्वरूप लगभग बाईस हजार व्यक्तियों को पांच आने से ७ आने प्रतिदिन की अल्पतम मजदूरी का भी काम मिलना असम्भव हो गया है । उसका कुप्रभाव यह है कि इन बाईस हजार व्यक्तियों के आश्रित लगभग पचास हजार व्यक्तियों के बीच भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है । इस विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन अपना कार्य स्थगित करता है ।

इस सिलसिले में उन्होंने मेरे पास वहां से आये हुये तार भी भेजे हैं जिनमें इसी तरह के शब्द दिये हुये हैं कि भुखमरी से बहुत से लोग वहां पर मर रहे हैं । इसलिये टेस्टवर्क के कार्य को जारी रखना चाहिये । मैं इसकी अरजेन्सी के सम्बन्ध में इतना कहना चाहता हूं कि चूंकि आज बजट का जो अनुदान कार्यक्रम में है उसमें यह विषय आ जाता है, तो अगर वह इसकी अरजेन्सी की इतनी बात करते हैं तो बजट के वक्त इसके ऊपर विचार किया जा सकता है , इसलिये अलग से इसके लिये समय देने की अरजेन्सी मैं नहीं समझता हूं कि पृथक रीति से इसके लिये समय दिया जाय । इसलिये मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं । आज जो माल विभाग का अनुदान आ रहा है उसमें वह बहस कर सकते हैं ।

आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील में ओलों से क्षति के विषय में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष––दूसरा प्रस्ताव श्री झारखंडे राय का है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आजमगढ़ की घोसी तहसील में ३० गांवों पर ओले की वर्षा होने से भारी क्षति हुई है, उसके लिये कोई सहायता नहीं दी गयी, वह प्रश्न भी इस प्रकार का है जिसके बारे में विवाद इसी अनुदान के ऊपर उठाया जा सकता है । इसलिये इसके लिये भी पृथक से विचार करने के लिये मैं अनुमति नहीं देता हूं ।

रायबरेली जिले के शिवरतनपुर थाने में सोशलिस्ट कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विषय में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष––तीसरा प्रस्ताव श्री मदन मोहन उपाध्याय का है जिसमें उन्होंने लिखा है कि रायबरेली में शिवरतनपुर थाने की पुलिस द्वारा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के १६ कार्यकर्ताओं को अनुचित तरीके से गिरफ्तार करने से वहां की जनता में अत्यन्त क्षोभ है और शांति व्यवस्था के लिये खतरा पैदा हो गया है । इससे जिले में जो व्यापक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है उस पर विचार करने के लिये आज सदन अपना कार्य स्थगित करता है ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय ने इसके साथ कोई भी स्पष्ट बात वाक़ये के बारे में नहीं कही कि उनको यह मालूमात कहां से मिली और कोई भी सबूत उन्होंने इस विषय में नहीं दिया है । इसलिये मैं इसके ऊपर अभी फैसला नहीं देता हूं और उनको कल के लिये मौका देता हूं । चूंकि इस विषय को तत्काल उठाना चाहिये तो यह मैं स्वीकार कर लेता हूं इस नोटिस द्वारा । इस सवाल का नोटिस उन्होंने शीघ्र दे दिया है किन्तु बगैर सबूत पेश किये हुये उन्होंने इसको पेश कर दिया है । उनको यह भी बताना होगा कि वे १६ व्यक्ति अब भी गिरफ्तार हैं या नहीं । इसलिये मैं इसके ऊपर कल फैसला दूंगा ।

कतिपय विधेयकों को पारित करने के हेतु सायंकाल ५ बजे के बाद भी सदन की बैठक करने का संकल्प

श्री अध्यक्ष—अभी थोड़ा सा समय है इसलिये मैं समझता हूं कि यह अन्त वाला संकल्प अगर पहले ले लिया जाय तो अच्छा होगा।

मन्त्री (श्री चरण सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह निम्नलिखित संकल्प पेश करना चाहता हूं :—

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ प्रोसीजर आफ़ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम ११ के उपनियम (१) के अनुसार सदन की बैठक ५ बजे के पश्चात् नहीं होती है तथापि उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा (विकास) विधेयक, १९५५, उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कंन्टीन्युएन्स आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५५ तथा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५५ को कुछ विधिक कठिनाइयों के कारण शीघ्रातिशीघ्र पारित करना आवश्यक है। अतएव इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह संकल्प किया जाता है कि सदन की बैठक आज शाम को ५ बजे के पश्चात् उक्त विधेयकों को पारित करने के लिये होगी।"

श्रीमन्, जिस हालात में मैंने यह संकल्प पेश किया है.....

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन् मैं इसी के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। वह इसकी अनुमति के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी अनुमति दे चुका हूं।

श्री चरण सिंह—श्रीमन्, मैं केवल यह अर्ज कर रहा था कि जिन हालात में मैंने यह संकल्प पेश किया है उनसे इस सदन के माननीय सदस्य प्रायः सभी वाकिफ हैं। यह तीनों विधेयक यहां अध्यादेश के आधार पर बनाये गये हैं और लेजिस्लेचर की पहली मीटिंग १० फरवरी से आरम्भ हुई इसलिये उससे ६ हफ्ते के अन्दर इनका अधिनियम बन जाना आवश्यक है। इसमें जो पहला विधेयक रोडवेज के सिलसिले में है वह तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये भी जायगा और अभी उसको कौंसिल में भी जाना है और २३ मार्च तक प्रेसीडेंट की उस पर असेन्ट हो जाना चाहिये। तो समय बिलकुल रह ही नहीं गया। जब कोई बिलकुल असाधारण बात होती है तब ऐसी दरख्वास्त सदन से की जाती है। मैं समझता हूं कि मेरे मित्र इससे सहमत होंगे।

वन उप मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता सदन द्वारा प्रस्तुत संकल्प में निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया जाय:—

संकल्प की अन्तिम से पहले वाली पंक्ति में शब्द "आज" के पश्चात् "कल, परसों" और अन्तिम पंक्ति में शब्द पश्चात् के बाद "उक्त विधेयकों को पारित करने के लिये होगी" शब्द के स्थान पर शब्द "८ बजे तक या उस समय तक जब तक कि उक्त विधेयक पारित हो जायं।

इससे अभिप्राय यह है कि आपने अर्जेन्सी बतायी और कहा कि आज जिस समय तक यह पास हों उस समय तक हाउस को चलाया जाय, उसके बजाय मैं रख रहा हूं कि कल और परसों भी हाउस चलाया जाय और ८ बजे तक चलाया जाय। अगर परसों आठ बजे तक समाप्त न हो तो उसके बाद भी यह सदन बैठा रहे और इस काम को पूरा कर दिया जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि आर्डिनेन्सेज की वजह से इन बिल्स को जल्दी ही पास हो जाना चाहिये, लेकिन बजाय इसके कि इन तीनों बिलों को एक ही दिन ले लिया जाय आज केवल परिवहन विधेयक ले लिया जाय और उसके बाद कल और परसों बाक़ी बिलों को ले लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष---(श्री जगमोहन सिंह नेगी से) क्या आपको यह स्वीकार है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जी हां, स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ प्रोसीजर आफ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम ११ के उपनियम (१) के अनुसार सदन की बैठक ५ बजे के पश्चात् नहीं होती है तथापि उत्तर प्रदेश पथ परिवहन सेवा (विकास) विधेयक, १९५५, उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५५ तथा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५५ को कुछ विधिक कठिनाइयों के कारण शीघ्रातिशीघ्र पारित करना आवश्यक है। अतएव इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह संकल्प किया जाता है कि सदन की बैठक आज, कल, परसों शाम को ५ बजे के पश्चात् ८ बजे तक या उस समय तक जब होगी तक कि उक्त विधेयक पारित हो जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९५५-५६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-विभिन्न अनुदानों पर विचारार्थ समय विभाजन

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के जो यह अनुदान हैं उनके लिये समय निर्धारण होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि आज केवल अनुदान संख्या २ मालगुजारी (भू-राजस्व) पर ही समस्त दिन व्यतीत किया जाय और वाद-विवाद में कटमोशंस के लिये २० मिनट देने की व्यवस्था करें। कल और परसों मोटर गाड़ियां, परिवहन विभाग और दुर्भिक्ष सहायता ले लिये जायं। परसों ही बाद में अनुदान संख्या ३० जो पी० डब्ल्यू० डी० के बारे में है उसको पेश कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आज केवल अनुदान संख्या २ ली जायगी। कट मोशन्स के लिये २० मिनट दिये जायंगे और दूसरे लोगों को १० मिनट।

अनुदान संख्या २ ---लेखा शीर्षक ७---मालगुजारी

मन्त्री (श्री चरण सिंह)---श्रीमन्, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २---लेखा शीषक ७---मालगुजारी के अन्तर्गत ४,९०,००,५०० रुपये की मांग स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, इस लैंड रेवेन्यू अनुदान के अन्तर्गत भूमि हस्तगत करने के सिलसिले में जो खर्चा होता है वह शामिल है और गवर्नमेंट के जो इस्टेट्स हैं उनके प्रबन्ध पर जो खर्चा होता है वह शामिल है और मालगुजारी, तकावी और आबपाशी वसूल करने का खर्चा, सर्वे, सेटलमेंट और रेकर्ड्स आपरेशन का खर्चा, कागजात

मुताल्लिक जिसको कहते हैं लैंड रिकार्ड्स उनको तैयार कराने और उनको मेंटेन करने का खर्चा और उसके लिये जो स्टाफ है वह भी इसके अन्तर्गत आता है। चकबन्दी और पुराने मध्यवर्तियों को मुआविजा और रिहैबिलिटेशन ग्रांट्स आदि देने के लिये जो रुपया रखा जाय और जो खर्चा हो वह भी इसके अन्दर है। इसके अलावा जो इमारतें हैं कलेक्टरेट में और कमिश्नरी आदि में और जिलों के अन्दर जो कलेक्टरेट सम्बन्धी कंटिन्जेन्सी आदि खर्च है वह भी शामिल है। यह मैंने बड़ी बड़ी मदें गिनायी हैं। छोटी छोटी और भी बहुत सी मदें हैं जो इसके अन्दर शामिल हैं। अब की बार ४,९०,००,५०० रु० स्वीकार करने के लिये सदन से दरख्वास्त कर रहा हूं। गत वर्ष ४,२२,४८,००० रु० की मांग थी, इस वर्ष उससे ६७ लाख रुपया ज्यादा मांगा जा रहा है। तीन बड़ी-बड़ी मदें हैं जिनमें खर्चा गत साल की अपेक्षा अधिक होगा। एक तो ४६,५१,००० रु० चकबन्दी की योजना पर अधिक खर्चा होगा। दूसरी बड़ी मद है १६,४७,००० रु० की, जो कि कुमायूं डिवीजन, रामपुर, बहराइच के जिले में रेकार्ड्स आपरेशन पर व्यय होगा, वहां पर हर साल जो खर्चा होता है उससे ज्यादा ही खर्चा होगा। इसमें ज्यादरा रुपया यानी १६ लाख १५ हजार रुपया केवल कुमायूं के लिये है। तीसरी बड़ी मद है गुलयमाजा वसूल करने की जिसके खर्चे में इजाफा है और उस के लिये ७ लाख ११ हजार रुपया ज्यादा मांगा जा रहा है। जो इजाफा है उसके मुकाबले में एक घटोत्तरी भी है और वह ६ लाख ८८ हजार रु० की एक बड़ी रक़म है जो लैन्ड रेकर्ड्स के मद में है। पिछले वर्ष तक या मौजूदा वर्ष तक लेखपालों को तहसीलों में खसरा खतौनी आदि कागजात तैयार करने के लिये बुलाया जा रहा है। आयन्दा साल से इस तरह की कोई जरूरत हमारी निगाह में नहीं है इसलिये उन लोगों को भत्ता नहीं देना होगा। इस प्रकार से ६ लाख ८८ हजार रुपये की बचत होगी। यह मैंने केवल बड़ी बड़ी मदों के खर्चे में बढ़ोत्तरी तथा कमी को गिनाया है।

जहां तक लैंड एक्वीजिशन प्रोसीडिंग्स का सम्बन्ध है, श्रीमन्, माननीय दोस्तों को मालूम होगा कि गत वर्ष हमने एक कानून में संशोधन किया। उसका मंशा यह था कि लैंड एक्वीजीशन की कार्यवाही में बहुत अर्सा लगता था, साल-साल, दो-दो साल और बाज-बाज बार तो तीन-तीन साल भी लगते थे। तो इस तरह से जिस गरज के लिये जमीन हस्तगत होती थी उसको पूरा करने में बड़ी कठिनाई होती थी। ज्यादा पैसा खर्चा होता था और मामूली मामूली बातों के लिये लोगों को हेड क्वार्टर पर आना होता था। अब वह कार्यवाही लगभग ६ महीने के अन्दर मुकम्मल हो जाया करेगी। इस तरह का संशोधन हो चुका है और लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट की धारा ४ के अन्तर्गत प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन बजाय गवर्नमेंट के करने के कलेक्टर द्वारा हुआ करेगा। श्रीमन्, उस सिलसिले में एक बात जो कि किसानों के लिये बहुत अहमियत रखती है वह यह है कि अब तक जो एक्चुअल टिलर होता था या जो वाकई खेती करने वाला होता था, उसकी जमीन जब एक्वायर की जाती थी तो उसको मुआवजे की बहुत थोड़ी रक़म मिल पाती थी और करीब उसकी ८० फीसदी तो जमीदार को ही मिल जाती थी। लेकिन अब जो नियम बनाये गये हैं उनकी मन्शा यह है कि भूमिधर को अपनी मालगुजारी का ८० गुना या पुराने लगान का ४० गुना दिया जायगा और सीरदार को २० गुने तक मुआवजा मिलेगा। इससे किसानों को जो ख्याल रहता था और जो ख्याल उनका सही भी था कि जब उनकी जमीन एक्वायर होती है तो उनको उसका नाममात्र का ही मुआवजा मिलता है, अब उनका वह ख्याल दूर हो जायगा और उनके साथ इंसाफ होगा।

जहां तक गवर्नमेंट इस्टेट्स का सम्बन्ध है उनकी तादाद ५५१ है, कहीं २०० एकड़ हैं, कहीं ५०० एकड़ हैं। लेकिन इनमें से ३ इस्टेट्स बड़ी हैं, एक तो नैनीताल जिले की तराई भाबर इस्टेट, दूसरे भाबर इस्टेट जिला गढ़वाल में, और तीसरी दुधी इस्टेट मिर्जापुर में। इन सबके इन्तजाम के लिये मौजूदा वर्ष में एक तब्दीली की गयी है और वह

[श्री चरण सिंह]

यह है कि अब तक वहां का जो सुपरिन्टेन्डेन्ट होता था वह खाम साहब कहलाता था और वह अब तक इंजीनियरिंग सर्विस का आदमी होता था लेकिन जैसे जैसे जमाना बदलता जाता है और देश विकास की तरफ अग्रसर होता जाता है, कोई भी इंजीनियरिंग सर्विस का आदमी लोगों की वैसी सेवा नहीं कर सकता जैसी सुपरिंटेंडेंट खाम को करनी चाहिये। अब पी० सी० एस० सर्विस का आदमी वहां सुपरिन्टेन्डेंट रखा जायगा क्योंकि उसको रेवेन्यू विभाग का ज्ञान होता है और वह माल विभाग के सब मामलों से अवगत रहता है, इसीलिये अब इंजीनियरिंग सर्विस के आदमी को हटाकर प्राविन्शियल सर्विस के आदमी को सुपरिंटेन्डेन्ट रखा जायगा।

इसके अलावा गवर्नमेंट स्टेट्स के आफिसर्स के जो हेडक्वार्टर्स अभी तक नैनीताल थे वह अब वहां से हटा कर हल्द्वानी कर दिये गये हैं ताकि वहां के लोगों का अफसरों से अधिक सम्पर्क हो सके। एन्टी-मलेरिया का काम भी इन गवर्नमेंट स्टेट में बहुत सफल हुआ है और मलेरिया का प्रकोप बहुत कम हो गया है। दुधी की गवर्नमेंट एस्टेट्स में लाख बहुत पैदा होती है। हमारे सूबे में वही एक जगह है जहां लाख पैदा होती है और उसके एक्सपोर्ट से काफी लाभ होता था लेकिन बीच में दो तीन साल से वहां का इलाका अभाव-ग्रस्त हुआ तो वहां के किसानों को सरकार ने इजाजत दे दी थी कि वे अपनी लाख को जैसे चाहें बेचें या उसका कुछ भी करें और उसकी आमदनी उनके पास ही रहेगी। लेकिन उसका नतीजा अच्छा नहीं हुआ, किया गया था उनके भले को लेकिन उससे उनको लाभ नहीं पहुंचा और वहां के पेड़ों को भी उससे नुकसान की आशंका हो गई। इसलिये डिप्टी मिनिस्टर प्लानिंग के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बिठा दी है जो तहकीकात करके लाख इंडस्ट्री के बारे में सुझाव देगी और तब गौर होगा कि किस तरह से इस उद्योग को बेहतर बनाया जा सकता है।

तीसरी बड़ी मद जिसके लिये मैं रुपये की दरख्वास्त कर रहा हूं वह है रेकार्ड आपरेशन्स की। कुमायूं में भूमि सुधार का कानून लागू करने के लिये जरूरी है कि पहले वहां के रिकार्ड्स को अपटुडेट कर दिया जाय और ठीक से कागजात तैयार हों। जब १८६४ और १८७२ में सेटिलमेंट हुआ था, उस वक्त वहां कागजात तैयार किये गये थे, उसके बाद जो नयाबाद सेटिलमेंट हुआ उस वक्त कुछ काम हुआ लेकिन पुरानी जमीनों के जो इन्दराजात हैं वे ६४ और ७२ में हुये थे और उसको करीब अस्सी नब्बे साल हो गये। उस जमाने को बहुत अरसा हो गया इसलिये पूरे गांव में पड़ताल करने के लिये १५ लाख रुपये हमने रखे। रामपुर में ऐसे इलाके हैं जहां ६० वर्ष से कोई आपरेशंस नहीं हुये। तो वहां भी जरूरत हुयी। बहराइच में भी ऐसी जमीन बहुत है जो पुराने कागजात पटवारी में गैरमजरुवा दिखायी गयी है और जो दरअसल मजरुवा थी। इसलिये मालगुजारी उस पर तशखीस नहीं हुयी थी। इसके लिये भी १६ लाख ७० हजार रुपये रखे गये थे। श्रीमन्, इस वक्त मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता और न मेरे पास इस वक्त तफसील है लेकिन काफी जमीन बहुत से जिलों के अन्दर हमको ऐसी मिली जो कागजात पटवारी में मजरुवा नहीं गैरमजरुवा दर्ज थी और जमींदार खुद उसकी मालगुजारी लेते रहे हैं या उनके मैनेजर। लेकिन कागजात पटवारी की रू से वह लगान नहीं दे रहे हैं। तो उन सब पर रेकर्ड आपरेशंस कराये गये और अगर मैं गलती नहीं करता तो उससे गवर्नमेंट की मालगुजारी में १ करोड़ से ज्यादा का इजाफा हो गया।

अब जहां तक लैन्ड रिकर्ड्स का सम्बन्ध है उसको बहुत सरल बनाने की कोशिश की गयी है। अब न खेवट है न स्याहा और और भी कुछ कागजात तैयार हुआ करते थे, अब उनकी जरूरत नहीं रही। अब सिर्फ खतौनी है, खसरा है और शजरा है जिसको लेखपाल मेन्टेन करता है। नियम भी ऐसे बदले गये हैं जिससे लेखपाल गलती न कर पाये। इसके लिये बहुत एहतियात बरती गयी। लेकिन श्रीमन्, यह मौका नहीं है कि उन सब नियमों

का जिक्र करूं परंतु मीटिंगें जो देहातों में हुयी हैं जिनमें जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनमें तफसील से समझाने की कोशिश की लेकिन उन सब नियमों में संशोधन करने से (यों तो हमेशा जिस आदमी को हम अख्तियार देते हैं उसको सही गलत करने का मौका रहता है) डिस्क्रीशन को जितना सरकमस्क्राइब किया जा सकता है, जितना सीमित किया जा सकता है उतना हमने करने की कोशिश की। जब से सन् १९३९–४० से द्वितीय महायुद्ध शुरू हुआ तब से लैन्ड रिकर्ड्स की तरफ इस गवर्नमेंट का ध्यान गया। इससे पहले गवर्नमेंट की भी गफलत रही है और रेगुलर परताल नहीं हुयी थी। तरह-तरह के ड्राइव्ज में पटवारी और कानूनगो लगे रहे और ऊपर के अफसरान को भी निगरानी करने का मौका नहीं हुआ। उस वक्त अंग्रेजों के जमाने में भी और उसके बाद भी हमारी तरफ से कभी अन्न संग्रह योजना, कभी एलेक्शन और कभी जेड० ए०एफ० और कभी कुछ, इस तरह से जो परताल होनी चाहिये थी वह न हो पायी। पिछले अगस्त में गवर्नमेंट ने एक स्पेशल परताल ड्राइव कराया और उसके नतीजे के तौर पर २९ लाख २४ हजार ४३ गलतियां नोटिस में आयीं जिसमें से ८ लाख २३ हजार ३६७ उसी वक्त अगस्त और सितम्बर में ठीक कर दी गयीं और बाकी २१ लाख ६ सौ ७६ गलतियां जो हैं उनके लिये हुक्म जारी किया गया कि जब अफसरान के दौरे बरसात में होते हैं उसके बीच में उनको दुरुस्त किया जाय। जिन जिलों में ज्यादा गलतियां निकलीं उनको हमने स्पेशल स्टाफ दिया इसलिये कि नार्मल स्टाफ के लिये बिलकुल नामुमकिन है कि इतनी गलतियां दुरुस्त कर सके। श्रीमन्, इन गलतियों में से करीब ८० फीसदी के ऐसी हैं जो अनडिस्प्यूटेड हैं जिनमें कोई नजा नहीं है। ज्यादातर शिकायतें ऐसी हैं जो सक्सेशन से वास्ता रखती हैं।

श्री अध्यक्ष—ऊपर से कुछ गिर रहा है।

श्री चरण सिंह—जी हां, कुछ गिरा है।

श्री अध्यक्ष—आपकी टोपी पर भी कुछ गिरा है।

श्री चरण सिंह—ऐसा लगता है कि होली में कुछ तेल ज्यादा लगा दिया है। शायद पंखे में से तेल गिर रहा है। गुस्ताखी माफ हो, आपकी तरफ से होली जबरदस्ती मनायी जा रही है।

मैं अर्ज कर रहा था कि ८० फीसदी शिकायतें गैर नजायी हैं। या तो वारिशान का नाम दर्ज नहीं है, कब्जा उनका है लेकिन दर्ज नहीं हुआ है। नयी तोड़ जमीन हुयी, नये कब्जे में आयी, कब्जा किसका है कोई उस पर डिस्प्यूट नहीं कर रहा है लेकिन नाम दर्ज नहीं है। लेखपाल १८,१०० सारी स्टेट में हैं। १३,००० नये नौजवान हैं। उनको तजुर्बा नहीं है लेकिन बावजूद उनकी नातजुर्बेकारी के जो स्थिति १८,००० पटवारियों के इस्तीफे से पैदा हुयी उसमें जरूर थोड़ा सा डिसलोकेशन हुआ, लेकिन उससे जनहित को कोई नुकसान नहीं हुआ। इन नौजवानों ने काम को संभाला। ये डेढ़ साल से मौके पर काम कर रहे थे और उन पर इतना काम लदा हुआ था कि बावजूद इरादे के उनको फुर्सत नहीं मिली ट्रेनिंग कराने की, लेकिन जो मौसम बीता है सर्दी का उसमें उनको प्रेक्टिकल ट्रेनिंग कर दी। उनका इम्तिहान हो गया। जो फेल हुये हैं उनको एक बार अगले साल बैठने का मौका मिलेगा।

जहां तक चकबंदी का रास्ता है मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर के जिलों में एक एक तहसील के ७५, ८० फीसदी रकबे में चकबंदी का काम चल रहा है। जो रकबा छोड़ा है वह खादर या कछार का है जहां चकबंदी करना मुश्किल होता है। इस इलाके को छोड़ कर बाकी ७५, ८० फीसदी रकबा जेर चकबन्दी है। गतवर्ष इरादा यह था—गत वर्ष क्यों इसी वर्ष कि १६ जिलों में चकबंदी का काम शुरू कर दिया जाय, लेकिन वह इरादा पूरा नहीं हो सका। कारण यह है कि

[श्री चरण सिंह]

उसके लिये जितने स्टाफ की जरूरत थी वह स्टाफ हमारे पास नहीं था। मसलन तहसीलदार उसके लिये चाहिये। जो कंसोलिडेशन आफिसर हो वह तहसीलदार की हैसियत का हो और तजुर्बेकार होना चाहिये। एक दम किसी आदमी को तहसीलदार का तजुर्बा हासिल कराना नामुमकिन है। ए०सी०ओ० के लिये भी ट्रेनिंग की जरूरत है। इतने ट्रेंड आदमी नहीं थे इससे वह इरादा अमल में परिणत नहीं हो सका। साढ़े ३०० से ले कर ७०० कर्मचारी एक एक तहसील में चाहिये। उन्नाव में ३५० राज्य कर्मचारियों की जरूरत है और डुमरियागंज में ७०० की जरूरत है। ट्रेंड स्टाफ की कमी के कारण तीन जगहों पर ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किये कंसालिडेटर्स की ट्रेनिंग के लिये फैजाबाद, रामपुर और मेरठ में। जहां चकबंदी का काम चल रहा है वहां असिस्टेन्ट्स कंसोलिडेशन आफिसर्स की ट्रेनिंग कराई गयी सुलतानपुर और मुजफ्फरनगर में। २४ में से १४ जिलों में चकबंदी का काम अब शुरू होने वाला है। इरादा यह है कि १० जिलों में अगले वर्ष यह काम शुरु किया जाय। ५ जिले तै हो चुके हैं। सितम्बर के शुरू से इन ५ जिलों में काम शुरू हो जायगा। १४ जिलों के नाम तो दोस्तों को मालूम ही हैं और अगस्त से जिन ५ जिलों में काम शुरू होने वाला है वे हैं इलाहाबाद, बिजनौर, बदायूं, हरदोई और आगरा। उनके लिये स्टाफ मुकर्रर हो गया है और ५ जिलों में अगले वर्ष काम शुरू करने का इरादा है। श्रीमन्, यह ट्रेनिंग का काम बड़ा मुश्किल काम है, मामूली काम नहीं है। जो काम मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर में हो चुका है, जितना हो चुका है वह मैं समझता हूं कि आप और मेरे चन्द मित्र यहां पर जो मौजूद हैं जानने को उत्सुक होंगे।

आप की इजाजत से मैं कुछ आंकड़े उस सम्बन्ध में बताना चाहता हूं। मुजफ्फरनगर के कुल २०९ गांवों में काम चालू है और सुल्तानपुर के ३० गांवों में मुजफ्फरनगर में कुल २ लाख ९२ हजार ७ सौ २१ खेत हैं जिनकी चकबंदी की जा रही है और सुल्तानपुर में ३,९२,३६२ खेत हैं। यह पड़ताल मुकम्मिल हो चुकी है दिसम्बर, १९५४ तक। ३१ दिसम्बर १९५४ तक जो पड़ताल कंसालिडेटर करता है वह मुकम्मिल हो चुकी और बहुत सा काम हो चुका है। जो गलतियां पायी गयी हैं मुजफ्फरनगर में उनकी तादाद है ९७,२२२ लेकिन इनमें ८९,७७६ गल्तियां अनडिस्प्यूटेड हैं। बाकी बची ७,४४६ गल्तियां ही डिस्प्यूटेड हैं। यह गल्तियां बहुत कम हैं कुल ८ फीसदी और सुल्तानपुर में कुल गल्तियों की तादाद है २,९६,५०२। कुल ३,९२,३६२ खेत हैं और २ लाख ९६ हजार गल्तियां हैं लेकिन इनमें १ लाख के करीब शजरे की गल्तियां हैं, मौके पर शकल कुछ है और कागज में खेत की शकल कुछ है। तो इस तरह की गलितयां हैं। इन गल्तियों में २ लाख ९६ हजार में डिस्प्यूटेड का रेश्यो काफी ऊंचा है। १ लाख ४० हजार गल्तियां डिस्प्यूटेड हैं कुल १,४०,६००, और १ लाख ५६ हजार अनडिस्प्यूटेड हैं। तो यहां सुल्तानपुर में निजाई गल्तियों की बहुत बड़ी तादाद है शायद ४५ फीसदी बैठती है। तो इनके लिये मैं आपके जरिये अर्ज करना चाहता हूं कि स्टाफ को हिदायत यह थी कि रजामंदी से इन गलतियों को ठीक किया जाय। दोनों फरीकैन को बुलाया जाय और समझा बुझा कर गल्तियां ठीक की जायं। ऐसा ही हुआ और इसका नतीजा यह हुआ कि जो डिस्प्यूटेड गल्तियां थीं मुजफ्फरनगर में उनमें (कुछ ठहर कर) इस समय मेरे पास वहां के पूरे आंकड़े नहीं हैं, लेकिन सुल्तानपुर में १ लाख ४० हजार में से ८३ हजार गल्तियां जो डिस्प्यूटेड थीं एमीकेबली सेटिल हो गयीं। यह ३१, दिसम्बर १९५४ तक के आंकड़े हैं। जो अनडिस्प्यूटेड गल्तियां थीं उनमें तो खैर डिस्प्यूट का कोई सवाल नहीं था। वह सारी दुरुस्त हो गयीं, श्रीमन्, इस समय मेरे पास गलतियों के पूरे आंकड़े नहीं हैं, मैं जवाब देते समय इसकी बाबत और अर्ज करूंगा कि कितनी गल्तियां बाकी रह गयीं दुरुस्त करने से वे, एक और जगह मेरे पास दर्ज हैं और मेरे पास इस छोटे नोट में नहीं हैं। तो आप देखें कि इन दो जिलों में चकबंदी के स्टाफ ने निहायत ईमानदारी से काम किया है और निहायत मेहनत से काम किया है और इतनी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है कि सुल्तानपुर जिले में तो जहां शुरू में कुछ लोगों ने आशंका प्रगट की थी और ईमानदारी से आशंका प्रकट की थी, वह उनकी सब आशंकायें निर्मूल साबित हुयी और उन्होंने हमारे स्टाफ को कांग्रेचुलेट किया। श्रीमन्, इस सिलसिले में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ

उनकी नुक्तचीनी सुनने के बाद जवाब में ज्यादा अर्ज करूंगा । इस वक्त तो इतना कह सकता हूं कि चकबंदी स्टाफ ने जिस ईमानदारी से काम किया है मुझे जाती तौर पर उस पर वास्तविक गर्व है । मुझे घमंड है कि जिस ईमानदारी से उन्होंने काम किया है ।

श्रीमन्, अब जहां तक कंपेंसेशन का सम्बन्ध है प्रतिकर और मुआवजा वगैरह देने का, तो उसमें जो अब तक काम हुआ है, ३१ दिसम्बर, १९५४ तक, उसके जब मैं आंकड़े आपकी इजाजत से सदन के सामने रखूंगा तो उससे काम की मेग्नीट्यूड मालूम होगी । कुल मुहाल जिनमें कि मुआवजा तैयार करना था उनकी तादाद थी २ लाख ७७ हजार ७१७ और मध्यवर्तीयों की तादाद ६६ लाख ५८हजार ४६४ । तो श्रीमन्, जहां तक इस बड़ी तादाद ६६ लाख ५८ हजार ४६४ के सिलसिले में काम करने का वास्ता है तो काम तो इन सब का अलग करना पड़ा। लेकिन इससे राजा साहब जगम्मनपुर और और कोई उनके साथी, हमख्याल, यह नतीजा निकालना चाहें कि ६६ लाख ५८ हजार ४६४ वाकई जमींदार थे, ऐसा नहीं है । क्योंकि श्रीमन्, मुझे यह पढ़ने को मिलता है कि कुल आबादी की चौथाई आबादी जमींदार थे, वह सब बर्बाद कर दिये गये । इन आंकड़ों से निकला हिसाब १० फीसदी बताता है । यह ६६ लाख नाम हैं, एक आदमी का हिस्सा कई–कई मुहालों में है । तो इससे मालूम होता है कि कितना काम उन्होंने किया है, वह इस तादाद से सही प्रगट होता है । आदमी नहीं हैं ६६ लाख ।

ड्राफ्ट रोल्स इन २,७७,७१७ मुहालों में से २,७७,७१७ के तैयार हो चुके हैं यानी ९९.१ परसेंट मुहाल जो हैं उनके रोल्स पब्लिश हो चुके हैं और ६७,४०,९८७ मध्यवर्तियों को मुआवजे के जो स्टेट्समेंट हैं, तैयार हो चुके हैं । यह जो रूल्स पब्लिश हुये हैं श्रीमन्, इनमें से १६.४ रोल्स ऐसे हैं कि जिनमें मुआवजा शून्य है और १९.३ ऐसे हैं जिनमें ५० रुपये से ज्यादा मुआवजा निकलता है । यह ५० रुपये से ज्यादा मुआवजा जिनका निकलता है उसकी कुल रकम ६३ करोड़ ७२ लाख रुपया है और बाकी जो ६४.३ आदमी बचे मध्यवर्ती उनका मुआवजा ५० रुपये से हर एक का कम आता है और उनका कुल मुआवजा ४ करोड़ ८५ लाख है । तो अब तक यानी ३१ दिसम्बर, १९५४ तक जो टोटल प्राविजनल कम्पेन्सेशन आता है वह ६८,५७,३७,५०८ बैठता है।

श्रीमन्, इंटर ऐनुइटीज जो कि वक्फ और ट्रस्ट वगैरह को दी गयी उनकी दरख्वास्त पड़ी थी ८,५६९ जिनमें से ८,३४६ की दरख्वास्त मंजूर हो कर रुपया दे दिया गया । श्रीमन्, आपकी इजाजत से दरख्वास्त करूंगा कि जरा इन आंकड़ों पर इस तरह से गौर करें ८,५६९ दरख्वास्तें पड़ी और ८,३४६ को ऐनुइटी दी गयी । कभी कभी सुनने में आता है, गरचे कम लेकिन फिर भी कि साहब बड़ी देर होती है मुआवजा मिलने में । वह इससे जाहिर होता है कि कितनी देर होती है। इस बीच में जो मौजूदा साल चल रहा है ऐनुइटीज के सिलसिले में एक संशोधन किया गया ताकि इन संस्थाओं को कठिनाई अधिक न हो । वह यह है कि पहले जो नियम था उसमें नेट असेट्स का दो तिहाई मिलता था । अब इनको तीन चौथाई ऐनुइटी मिलेगी जब तक कि बांड्स वगैरह और जारी न हों । यह तो ऐन्युइटी हुयी संस्थाओं वगैरह के लिये । लेकिन जो इंटरमिडियरीज हैं, मध्यवर्ती हैं, एक्स जमींदार हैं उनको जो अंतरिम मुआवजा दिया गया, उन लोगों ने जो दरख्वास्तें दीं उनकी तादाद ३१ दिसम्बर तक ३,११,६९८ थीं जिनमें से ३,०४,१६६ को मुआवजा दे दिया गया था यानी ९८ फीसदी को और वह मुआवजा जो अंतरिम दिया गया वह ४ करोड़ ९३ लाख ३९ हजार बैठता है । श्रीमन्, पब्लिक डेब्ट आफिस की कोई ब्रांच लखनऊ में नहीं थीं लेकिन इंटरमीडियरीज को सहूलियत हो जाय, इसके लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया से बातें की गयीं और पब्लिक डेब्ट आफिस की एक ब्रांच लखनऊ में खोली गयी । उस पब्लिक डेब्ट आफिस की तरफ से १ लाख ९३ हजार ५२३ बांड्स, कम्पेंसेशन के दस्तावेजात जारी हो चुके हैं जिनमें ९ करोड़ ३ लाख रुपया बैठता है । लेकिन उनकी तकसीम जो हुयी है बांड्स की वह इतनी नहीं हो पायी । वह केवल ४ करोड़ ३३ लाख रुपये के बांड्स तकसीम हो पाये हैं । इसका कारण हो सकता है या तो लोग लेने के लिये नहीं आये या हो सकता है कि हमारे अफसरान को इस बीच

[श्री चरण सिंह]

में विंटर टूर की वजह से फुर्सत न मिली हो। मैं तहकीकात कराने की कोशिश करूंगा कि इसके वजूहात क्या हैं लेकिन इतना मैं जरूर समझता हूं कि एक वजह यह जरूर है कि लोग लेने भी नहीं आते हैं। श्रीमन्, जो कम्पेंसेशन अब तक किया गया (कुल उस कम्पेंसेशन की एक शक्ल देने की यह है कि जमींदारी खात्मे से पहले जो गवर्नमेंट को देय धन था, गवर्नमेंट के जो ड्यूज थे जमींदारों पर, वह उसे मुजरा करा सकते थे) अतः अंतरिम कम्पेंसेशन और नकद कम्पेंसेशन ५० रुपये से कम वाला जो फाइनल हो गया था वह और जो इस तरह से मुजरा हुआ वह सब मिलाकर ११ करोड़ ४६ लाख ४० हजार रुपये के करीब हुआ। श्रीमन्, जहां तक रिहैबिलिटेशन ग्रांट का सम्बन्ध है, उसके सिलसिले में अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से अहकाम जारी नहीं हुये हैं। एक कारण तो यह है कि जब तक कम्पेंसेशन डिटरमिन न हो जाय तब तक रिहैबिलिटेशन ग्रांट की दरख्वास्त कोई दे नहीं सकता। दूसरा कारण यह है कि कुछ उसके नियम में संशोधन करना है, वह अभी नहीं हो पाया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस सिलसिले में भी जल्दी अहकाम जारी हो जायेंगे।

श्रीमन्, जिन अफसरों के जरिये प्रशासन या इन्तजाम चलता है, उनकी एफीशियेंसी, उनकी क्षमता और उनकी ईमानदारी पर जनता का सुख और दुख बहुत निर्भर है। इसलिये कोशिश यह की गयी कि वह लोग एफिशियेंटली काम करें और जो उनमें गलती करें, जिनकी ईमानदारी में शक साबित हो जाय, वह लोग अलाहिदा किये जायं। इस नीति के मातहत तीन तहसीलदार और दो नायब तहसीलदार इस साल कम्पल्सरिली रिटायर किये गये। दो तहसीलदारों से जब पूंछा गया तो उन्होंने वालेंटरिली अपने आपको रिटायर कर लिया।

श्री बैद्य सिंह (जिला देवरिया)---बुरी तरह फंसे होंगे।

श्री चरण सिंह---जी, यह भी हो सकता है। मैंने लफ्ज सुना नहीं है लेकिन मंशा आपकी सही मालूम होती है।

डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के तरीके पर एक तहसीलदार और एक नायब तहसीलदार का इन्क्रीमेंट दो साल के लिये रोका गया। ४ एवज तहसीलदार और ४ एवज नायब तहसीलदार रिवर्ट किये गये। दो तहसीलदारों और दो नायब तहसीलदारों की पेंशन घटायी गयी और एक तहसीलदार की पेंशन घटाने का प्रश्न विचाराधीन है। इसी प्रकार दस तहसीलदार और एक नायब तहसीलदार के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। श्रीमन्, इसके अलावा २५ कानूनगो और ३० कलेक्टरेट के और राज्यकर्मचारी जो कलेक्टरेट में क्लर्की वगैरह का काम करते हैं, वह लोग भी कम्पल्सरली इस बीच में रिटायर किये गये। आपकी इजाजत से...

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अभी बतलाया कि कानूनगो और नायब तहसीलदारों के खिलाफ यह ऐक्शन लिया गया लेकिन डिप्टी कलक्टर्स के बारे में कुछ नहीं बतलाया कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी।

श्री चरण सिंह---श्रीमन्, डिप्टी कलेक्टर्स का कोई ताल्लुक माल महकमे से नहीं है। जब माननीय मुख्य मंत्री जी अपना बजट पेश करें उस समय आप सवाल करें। श्रीमन्, मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि २५ कानूनगो रिटायर किये गये हैं। लेकिन उनके काम के सिलसिले में मुझे तसल्ली नहीं है क्योंकि बनिस्बत इस महकमे के और कर्मचारियों के इनकी शिकायतें ज्यादा हैं। इसका एक कारण भी है और वह यह है कि जमींदारों को मुआवजा देने के लिये कागजात तैयार करना था तथा और भी बहुत से काम हैं जैसे कम्पेंसेशन की तकसीम के लिये, स्पेशल पड़ताल के लिये या अधिवासियों के क्षेत्रपतियों को मुआवजा तैयार करने के लिये और यह देखना कि लगान सर्किल रेट से ज्यादा है या नहीं, इन सब कार्योंके लिये तजुर्बेकार आफिसरान की कमी महसूस हो रही है। तहसीलदारों की जगह पर नायब तहसीलदारों को लगाया गया और उनकी

जगह कानूनगो को लगाया गया और उनकी जगहों पर लेखपालों को रखा गया और यह सब पुराने लेखपाल थे। बाज बाज जिलों में तो ऐसा है कि ६ कानूनगो हैं तो ५ आफिशियेटिंग लेखपाल हैं।

श्रीमन्, इसीलिये उनकी शिकायतें ज्यादा आती हैं इस सिलसिले में उधर के बैठने वाले मेरे मित्र और इधर भी कुछ मित्रों के मन में यह सवाल पैदा हो कि क्यों न और भर्ती कर लिये जायं, यह बात ठीक है। लेकिन मुश्किल यह है कि यह आर्जी काम है और जब वह वापस आयेंगे तो नये भर्ती किये हुये लोग कहां जायेंगे। केडर तो नहीं बढ़ेगा। इस लिये नये आदमियों को भर्ती करके फिलहाल काम पूरा कर लिया जाय तो इसमें दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है और २८ नायब तहसीलदारों को इस साल लेने की कोशिश की। पिछले साल हमने ८५ ट्रेंड किये थे और इस साल हम १०० ट्रेन्ड करने जा रहे हैं और पी०एस०सी० से हमारी बात चीत चल रही है। उनकी कुछ दिक्कतें हैं, कुछ आपत्तियां हैं, उनका हम समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्रीमन्, जहां तक रेवेन्यू कलेक्शन का सवाल है वह साढ़े छब्बीस करोड़ रुपया है जिसमें से २० करोड़ मालगुजारी का है, ६ करोड़ आबपाशी के चार्जेज और ५० लाख रुपया करीब तकाबी का है। यह हमारे कलेक्शन स्टाफ ने वसूल किया है। इस पर खर्च करीब एक करोड़ ३० लाख रुपया हुआ है जो करीब ४ के आता है यानी ५ प्रतिशत से भी कम है। मेरे मित्र मुझसे इस बात में सहमत होंगे कि यह बहुत सस्ता काम हुआ है। साथ ही जहां तक लैन्ड रेवेन्यू का सवाल है तो हंन्ड्रेड परसेंट कलेक्शन हुआ है। जहां तक कैनाल ड्यूज का सवाल है वह ९९ प्रतिशत वसूल हुआ है और तकावी केवल ५० प्रतिशत वसूल हुयी है। गोरखपुर में बहुत बकाया है। इसके अलावा और भी जिले हैं जिनको हम पूर्वी जिले कह सकते हैं और वहां आर्थिक कठिनाई की वजह से यह तकावी का रुपया वसूल नहीं हुआ है और मुल्तवी करना पड़ा। इसीलिये तकावी की रकम कम है यानी कुल ५० प्रतिशत ही है।

श्रीमन्, जहां तक आबपाशी का ताल्लुक है हमारे स्टाफ को राजनैतिक विरोध का भी सामना करना पड़ा है और बावजूद इस विरोध के उन्होंने बड़ी शिष्टता और काबिलियत से काम किया जिसका नतीजा यह हुआ ९९ प्रतिशत कैनाल ड्यूज वसूल हुये। श्रीमन्, हजारों अमीनों, सैकड़ों नायब तहसीलदार, हजारों चपरासी, इतना ह्यूज स्टाफ, इतनी बड़ी तादाद को देखते हुये जो शिकायतें कलेक्शन स्टाफ की मेरे पास आयीं वे बहुत कम, बहुत कम। कुछ आयीं और उन पर सख्त कार्यवाही की गयी। लेकिन जब जमींदारी खात्मे की बातें चल रही थीं और माननीय राजा साहब मनकापुर और उन के हमख्याल दोस्त यह भविष्यवाणी किया करते थे कि गवर्नमेंट जब सीधे मालगुजारी वसूल करायेगी किसानों से तो प्रलय हो जायगा, किसान बड़ा दुखी होगा, बड़ा अन्याय होगा, बड़ा अत्याचार होगा, बड़ी रिश्वत चलेगी। श्रीमन्, दोज प्रोफेट्स हैव बीन फ़ाल्सीफ़ाइड। इस सूबे की खुशकिस्मती से उन भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी असत्य हुई। तो जिस तरह से चकबन्दी के कर्मचारियों का जब मैं नाम कुछ घमंड और कुछ खुशी के साथ लेता हूं तो उसी तरह से कलेक्शन स्टाफ के सिलसिले में भी अगर मैं वह भावना रखता हूं मैं वह हकबजानिब हूं। इस बजट साल में कोई ३१ करोड़ रुपया वसूल करना होगा। मालगुजारी कुछ बढ़ेगी और तकावी कुछ ज्यादा होगी। इसीलिये हमने ७,११,००० रुपये ज्यादा का मतालबा सदन से किया है। अगले साल करीब १ करोड़ ३७ लाख के खर्च होगा। अधिवासी सीरदार हो जायं और सीरदार भूमिधर बना दिये जायं ऐसी भूमि-व्यवस्था की जो हमारे दिमाग में तस्वीर थी उस को फाइनल टचेज दे दिये गये। जो, श्रीमन्, ब्रश लगाना, रंग भरना था वह रंग भरा जा चुका। पहली जुलाई, सन् ५२ को वे बेड़ियां जिनके जरिये जमींदारों ने काश्तकार को बांधा हुआ था टूट गयीं और जिनसे जमींदार और काश्तकार ने उस गरीब आदमी को बांधा हुआ था जो रिआया कहलाता था वे टूट गयीं।

[श्री चरण सिंह]

लेकिन शिकमी जो कि काश्तकार का काश्तकार था या छोटे जमींदारों की सीर का गैर दखीलकार काश्तकार था और शिकमी कहलाता था उस का भविष्य अनिश्चित था, वह नहीं जानता था कि उसका क्या होगा, जमीन उसके पास रहेगी या वह बेदखल होगा, तो ३० अक्तूबर, सन् १९५४ को उसको भी मुक्ति मिल गयी और ऐसे सब शिकमी सीरदार हो गये । आज हमारे गांवों में सूबे के एक कोने से दूसरे कोने तक न कोई काश्तकार है, न कोई जमींदार है और न कोई किसी की रिआया है और श्रीमन्, जब मैं यह कहता हूं तो इससे समझदार लोग नतीजा निकाल सकते हैं कि कितनी जबरदस्त क्रान्ति हमारे देहात में हुई है। कुछ लोगों का खयाल यह है कि जब तक कीमत कुछ उनको दिखायी न पड़े अपनी आंखों तब तक कुछ काम ही नहीं हुआ और कीमत समझते हैं यह कि लोग तहे तेग किये जायं। उनका ख्याल है कि खून के रूप में लोगों को कीमत देनी होगी। लेकिन हमने कलम के जरिये, कानून के जरिये और अपने राष्ट्रपिता के बताये हुए अहिंसात्मक तरीके से जो प्रापर्टी रिलेशन्स थे उनमें कम्प्लीट चेन्ज कर दिया और फिर मैं आप की इजाजत से दोहराता हूं कि आज हमारे सूबे के अन्दर देहात में कोई जमींदार नहीं बसता है, कोई किसी का काश्तकार नहीं है, कोई किसी की रियाआ नहीं है। बेशक मजदूर हैं लेकिन वे रिआया नहीं हैं, किसी के मातहत नहीं हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं और अपने वक्त के मालिक हैं। उन्हें कोई मजबूरी नहीं है कि किसी के खेत पर काम करें। मरजी है कि राजा साहब के यहां एक रुपये रोजाना पर काम करने से इन्कार कर दें और गेंदासिंह जी अगर मीठा बोलें तो उनके यहां १४ आने पर काम करें। यह नहीं कि तुम्हारा मकान लिखा हुआ है हमारे कुर्रा जायदाद में। मजबूरियां सब खत्म हो गयीं। श्रीमन्, जो यह आखिरी कदम इस गवर्नमेंट और विधान मंडल ने उठाया है ३० अक्तूबर, १९५४ को और उससे देश भर में जो भूमि के सिलसिले में क्रांति हुई है, उसका वैगार्ड और स्टैंडर्ड बियरर होने का दावा जो हमारा था वह सार्थक सिद्ध होता है और जो माननीय मित्र यहां बैठे हुये हैं वह मुझसे सहमत होंगे और मुझको और उनको इस पर गर्व करने का अधिकार है।

इन शब्दों के साथ मैं यह ग्रान्ट पेश करता हूं।

*श्री गेंदा सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने इतनी बातें कही हैं कि उनका उत्तर देना इस समय सम्भव नहीं है। केवल इतना मैं उनसे निवेदन करुंगा कि उन्होंने एक बात कहकर अपने बारे में बड़ी गलतफहमी पैदा की है और मैं चाहूंगा कि उस गलत-फहमी को वह जितनी जल्दी दूर कर सकें अच्छा है। उन्होंने यह कहा कि जो कुछ भी उन्हें करना था, जो कुछ भी उनका लक्ष्य था भूमि सम्बन्धी कानूनों को बनाने में, इन अधिवासियों को सीरदारी का हक़ देने के बाद पूरा हो चुका है। मैं उन्हें सिर्फ इतना ही याद दिलाना चाहूंगा कि जमींदारी नाश करने के समय कभी यह लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य सम्पूर्ण बटवारे का था, विषमता को दूर करने का था। वह विषमता केवल नाम बदल लेने से दूर नहीं होती है। उसमें सबसे आवश्यक चीज यह है। आज भी ६० प्रतिशत लोगों के पास तीन प्रतिशत भूमि है अपने सूबे में और तीस प्रतिशत लोगों के पास ६० प्रतिशत भूमि है। सैकड़ों, हजारों परिवार ऐसे हैं जो उसी जगह रह कर भूख से तड़पते हैं जहां पर सैकड़ों बीघे जमीन ऐसे लोगों के पास पड़ी हुई है जिनको कतई आवश्यकता उस भूमि की नहीं है। फिर मैं उन्हीं पर यह छोड़ दूंगा कि जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट, प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट, और अपने देश के सारे बुजुर्गों के मत को नीचे कर के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब यह बात कहते हैं कि अब सारा काम पूरा हो चुका तो फिर उस पर विचार करें और अगर वह विचार नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि जिस चीज को वह इन्कार करते हैं, जो चीज सारे संसार में हुई है, उस को हम नहीं करना चाहते हैं, अगर उनका यही विचार रहा तो सम्भव है कि उसका भी सामना हमारे मुल्क को करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं उनके विभाग के सम्बन्ध में उनसे कुछ निवेदन करूंगा। माल-गुजारी विभाग हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। हमारे सूबे में, सारे गांवों में इसका जाल बिछा हुआ है। वैसा किसी भी मुकहमे का नहीं है। इतना महत्वपूर्ण और प्रभावशाली शासन का हथियार प्रान्त में कोई दूसरा मुहकमा नहीं है और न रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही दूसरे सूबों में ऐसा बना हुआ है। इसकी महत्ता के सिलसिले में मैं यह कहूं कि जितनी भी हमारी योजनायें बनती हैं उन सभी योजनाओं की बुनियाद यही मालगुजारी विभाग है। इसलिये बुनियाद है कि जितने में कागज तैयार होते हैं सारे कागजात लेख-पाल तैयार करता है, कानूनगो निगरानी करता है और तहसीलदार देखता है और फिर सही मान लिया जाता है। उसी बुनियाद पर सारी योजनायें हम बनाते हैं। कहा गया था कि देश में अन्न की कमी थी और आज कहा गया कि अन्न की वह कमी दूर हो गयी है तो वह इसी विभाग की तैयार की हुई रिपोर्ट थी। इसलिये मैं समझता हूं कि इसकी बड़ी महत्ता है। मैं सबसे पहले उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि रुपया जितना चाहे उतना खर्च हो, लेकिन कागजात दुरुस्ती के सिलसिले में मैं इतना कह सकता हूं और सभी माननीय सदस्यों के मत को जानने का अवसर आपको होगा कि इस सिलसिले में बहुत गलतियां हैं। आज उन्होंने स्वयं इस बात को कहा है कि पिछले साल जब ड्राइव कागजात दुरुस्ती का चला तो उसमें २९ लाख गलतियां सारे सूबे में मिलीं। हमारे यहां ५१ जिलों में कुछ जिले ऐसे थे कि जहां पर बहुत अधिक गलतियां थीं। सुल्तानपुर जिले में ३ लाख ५२ हजार गलतियां मिलीं उस वक्त जिस वक्त कि चकबन्दी का काम वहां पर शुरू हुआ। अब मैं समझता हूं कि एक तहसील में मुसाफिरखाने तहसील में ३ लाख ५२ हजार गलतियों में २ लाख ९६ हजार गलतियां मिलीं हों तो अब इसका हिसाब लगायें कि जब उनका ड्राइव चला तो सारे सूबे में उनको २९ लाख गलतियां मिली। एक चक-बन्दी का काम मुसाफिरखाने तहसील में हुआ था तो वहां पर २ लाख ९६ हजार गलतियां मिलीं तो इसमें कितना अन्तर पड़ता है। तो अब आप इसका हिसाब देखें कि कागजात की दुरुस्ती का जो ड्राइव चला वह कितना सही है। मैं इतना कह सकता हूं कि वह ड्राइव बिलकुल नाकामयाब रहा है। इनके आंकड़ों की जो मुझे जानकारी है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। उनका आदेश था कि १४ दिन कानूनगो हेडक्वार्टर पर रहेंगे और बाकी वक्त में बराबर गांवों में रहा करेंगे और वहां पर पड़ताल करेंगे और सब कामों को वहां पर देखेंगे, लेकिन मैं उनसे जानना चाहूंगा कि एक फीसदी भी कानूनगो लोगों ने उनके आदेश का पालन किया है? अगर माननीय राजस्व मंत्री जी को इस बात की गलतफहमी हो कि हां, उनके आदेश का पालन हुआ है तो मैं इस बात को भूल जाऊंगा कि राजस्व मंत्री जी वहीं हैं जो कि वह पहले थे। मैं कुछ दूसरा ही उनको समझने लगूंगा। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि मा० शिवनारायण जी ही अगर जानते हों तो वे बतला दें कि १४ दिन में एक दिन के लिये भी उनके आदेश का पालन हुआ है या नहीं? बस्ती में अगर ऐसा हुआ हो तो शिवनारायण जी बतला दें। कागजात दुरुस्ती का जो काम हुआ है उस सिलसिले में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कागजात दुरुस्ती का काम ठिकाने से नहीं हो सका है। न यह काम तहसीलदारों से हो सकता है और न कानूनगो से यह काम हो सकता है। बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर राजस्व मंत्री जी को दौरा करना चाहिये और इस काम के लिये इतनी तेजी होनी चाहिये कि दो महीने में ही यह काम सारे सूबे में कर देना चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर यह काम हो गया तो यह बड़ा भारी काम हो जायगा और मैं इसके लिये माननीय राजस्व मंत्री को और सरकार को बधाई दूंगा।

[श्री गेंदा सिंह]

अब मैं मालगुजारी की वृद्धि के बारे में उनसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। चारों तरफ के काश्तकारों के लिये आज यह बात कहीं जा सकती है कि उनके ऊपर बोझ कुछ कम होना चाहिये। पिछले साल भी मालगुजारी की रकम को आपने देखा होगा कि वह रकम २०,५३ लाख थी जो इस वर्ष २२,२८ लाख रुपये अनुमानित करके रखी गयी है। उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि वह अधिवासी पर मालगुजारी बढ़ने से यह रकम बढ़ी है। अब इस पर विवाद किया जाय तो यह उचित नहीं मालूम होता है। क्या यह सही है कि सारे अधिवासियों पर मालगुजारी बढ़ने से इतनी रकम बढ़ी है और अधिवासियों पर ज्यादा बोझ पड़ रहा है? मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि कम से कम मौर्य जी की सलाह को तो उन्हें मानना चाहिये। अब कर्जे का जो प्रस्ताव सन् १९३१ में पेश किया गया था उसमें यह था कि छोटे किसान जिनकी गृहस्थ की अवस्था ऐसी है जो गुजारा नहीं कर सकते हैं उनकी मालगुजारी माफ होनी चाहिये तो वह मालगुजारी माफ होना तो अलग रहा वह ६,८३ लाख रुपया जो जमींदारी अबालिशन से पहले आमदनी के रूप में सरकार के पास आता था वह अब २२,२८ लाख हो गया है और इतनी अब सरकार को आमदनी होती है। सरकार इस बात को सोचने के लिये तैयार नहीं है कि काश्तकारों को कुछ राहत देनी चाहिये। सिर्फ २२ करोड़ २८ लाख का ही सवाल नहीं है, पंचायत कर और कृषि आय कर आदि भी उनसे वसूल होते हैं तथा इनके अलावा और भी टैक्सेज हैं जो उनसे वसूल होते हैं। इन सब से इतना प्रत्यक्ष ही है कि काश्तकारों की इस गिरती हुई हालत में उनके ऊपर टैक्स य.म.लगुजारी की रकम को बकाया जाना उचित नहीं है बल्कि मालगुजारी की रकम घटनी चाहिये।

इसी सिलसिले में मैं वसूली के बारे में भी कहूंगा जिसके लिये उनको फख्र है। उनका कहना है कि बड़ी दयानतदारी और ईमानदारी से काम किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि १०० प्रतिशत वसूली हुई। जब जमींदार थे तो ६० प्रतिशत वसूली होती थी, लेकिन अब ६० प्रतिशत के बजाय १०० प्रतिशत वसूली हुई है। वसूली के बारे में शिकायत करने के मेरे पास कारण हैं। मिर्जापुर से एक लालजी सहाय मेरे पास रात आये हैं। उनको मालगुजारी के सम्बन्ध में २६ फरवरी को गिरफ्तार किया गया। जब राजनारायण जी ने मिर्जापुर के कलेक्टर साहब को दरख्वास्त की तो उनसे कहा गया कि हमको इसकी जानकारी नहीं थी। मालगुजारी ३ तारीख को अदा कर दी गयी लेकिन उनको ११ तारीख को रिहा किया गया। मेरी समझ में नहीं आया कि जब ३ तारीख को मालगुजारी अदा कर दी गयी थी तो ११ तारीख को रिहा करने के क्या मानी थे। इसी प्रकार से एक झगड़ा प्रयागपुर के राजा साहब से बहराइच में एक स्थान बघेलताल है, वहां चल रहा है। उनकी वहां पर १२-१३ हजार एकड़ जमीन है। तहसीलदार साहब बीच में ही आकर कहते हैं कि ४-५ रुपया एकड़ राजा साहब की तरफ से वसूल करेंगे। आखिर राजा साहब के बीच में तहसीलदार साहब कहां आते हैं? अगर असामी नहीं देता है तो उसको अदालत में जाना चाहिये।

दूसरे गांव सभाओं को यह अख्तियार दिये गये हैं कि मालगुजारी वसूल न होने पर गांव सभा एक नोटिस देगी कि फलां-फलां आदमी नादेहिन्द हैं अगर उन्होंने एक माह के अन्दर मालगुजारी नहीं दी तो कुर्की की जायगी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह कार्यवाही हो रही है? मुझे मालूम है कि इस नियम को ताक पर रख दिया गया है और काश्तकारों से बड़ी जोर जबरदस्ती के साथ वसूल किया गया है। मैं यह मानता हूं कि वसूली होना जरूरी है लेकिन बजाय इसके कि आप वसूल कुनिन्दा लोगों को बधाई दें किसानों को आप को बधाई देना चाहिये, क्योंकि किसान यह चाहते हैं कि उन्हें मालगुजारी अवश्य देना है। वह इस चीज को अपनी ड्यूटी समझते हैं और इसलिये देते हैं, इसलिये आप वसूल करने वालों को बधाई भले ही दें लेकिन वसूल करने वाले जो कुछ करते

हैं उस पर जरा गौर करें। वसूली की मशीनरी के सिलसिले में यह भी कहा गया कि जितनी भी वसूली हो उसकी एक ही मशीनरी हो। मामूली से मामूली किसान कहता है जो भी आता है अलहदा से वसूल करने के लिये आता है। इसलिये हमारी प्रार्थना यह है कि टैक्स कलेक्टिंग मशीनरी जो भी हो उसी के जरिये से सब वसूली करायी जाय।

पिछले वर्ष जो बाढ़ के कागजात तैयार किये गये उनके बारे में भी कुछ कहना है यह नेचुरल केलेमिटीज जो आती है उनका संबंध मालगुजारी की माफी से है। इन नेचुरल केलेमिटिज से जो नुकसान किसानों को पहुंचता है वह सरकार के सामने ठीक तौर से नहीं पहुंच पाता है। मैं राजस्व मंत्री जी से कहता हूं कि अभी माल विभाग की ओर से जो आंकड़े आये हैं उनमें बतलाया गया है कि ६ करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन बिहार में उसके मुकाबले में १९ करोड़ का नुकसान हुआ, मैं यह नहीं कहता कि १९ करोड़ का नुकसान हमारे यहां भी हो लेकिन इतना जरूर है कि हजारों की तादाद में मकान गिरे। जब केन्द्रीय सरकार की तरफ से इस बात की व्यवस्था की जाती है कि वह मकानों के गिरने और दूसरी चीजों के लिये लोगों की मदद करे, तो हमारी भी सही तस्वीर अगर आवे तो दूसरी तरफ से भी हमें सहायता मिल सकती है और माननीय राजस्व मंत्री जी के पास अधिक कोष होगा तो वह भी उनके पास पहुंच सकता है। जहां तक बाढ़ व नेचुरल केलेमिटीज का सम्बन्ध है, मैं बहुत नम्रतापूर्वक उन से कहना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट्स उनके पास आती हैं उन रिपोर्ट्स पर चाहे विश्वास न करें, लेकिन जो इस विधान सभा के माननीय सदस्य है उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है और उनकी बात तो सुन लिया करें। हम तो विरोधी दल वाले थोड़े से ही हैं और अगर वे हमारी न सुनें तो कम से कम जो उनकी तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य हैं उनकी तो सुन लिया करें। मैं समझता हूं कि उनको भी शिकायत है। मैं लखनऊ की बात ही कहता हूं और चार पांच गांवों के सम्बन्ध में उनसे कहूंगा कि पहले वहां मालगुजारी में छूट देने की बात कही गयी, लेकिन अब उनके ऊपर सख्ती की जाती है जो जुल्म किया जाता है और उनसे मालगुगजारी वसूल की जाती है। किस्तों के सम्बन्ध में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार ने यह फैसला कर दिया कि आठ आना रबी और आठ आना खरीफ की किस्त होगी। पहले जमाने में यह होता था कि जहां रबी ज्यादा होती थी वहां रबी की किस्त ज्यादा होती थी और जहां खरीफ ज्यादा होती थी वहां खरीफ की किस्त ज्यादा होती थी। इसलिये मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि गवर्नमेंट फिर से इसके ऊपर विचार करे और जहां रबी ज्यादा होती हो वहां रबी की किस्त ज्यादा कर दे और जहां खरीफ ज्यादा होती हो वहां खरीफ की किस्त ज्यादा कर दे।

मुआविजे की अदायगी के सिलसिले में, अध्यक्ष महोदय, मैं अदब के साथ कहता हूं कि इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्री जी की जो राय है उससे मेरी बिलकुल उल्टी राय है जब वे कहते हैं कि जो परिश्रम वे करते हैं उनसे लोग प्रेरणा लें। लेकिन मैं कहता हूं कि उनके लेखपाल, नायब तहसीलदार व तहसीलदार जो हैं उनको बजाय उनसे प्रेरणा मिलने के रुपये से प्रेरणा मिलती है, पैसे से उनको प्रेरणा मिलती है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह दावे के साथ कहने के लिये तैयार हूं कि जो ५० परसेंट ईमानदार लोग हैं वे ईमानदार होने की वजह से खुशामद-बरामद करने के लिये अपने कलेक्टर व डिप्टी कलेक्टर के पास नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिये उनकी तरक्की नहीं हो पाती, यह उनके लिये एक बड़ी दिक्कत है। लेकिन ५० परसेंट ऐसे हैं जो करप्ट हैं और जो बिना पैसा लिये हुये किसी का कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। जहां तक ८ हजार इंटरिम कम्पेनसेशन देने की बात है क्या आप बतला सकते हैं कि ८ हजार में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना रिश्वत दिये ही अपना पैसा लिया? उनके लिये बहुत मुश्किल है और मैं कह सकता हूं कि ९५ परसेंट लोग ऐसे हैं जो जब तक कुछ पैसा नहीं दे देते उनके लिये कम्पेनसेशन मिलना असम्भव है। मैं कहता हूं कि आखिर सरकार के खजाने से तो पैसा निकलता ही है।

[श्री गेंदा सिंह]

दूसरी बात उनसे मैं यह कहता हूं कि ३८ करोड़ ५७ लाख रुपया इकट्ठा हुआ दस गुना से। ३८ करोड़ रुपया ४२ लाख आदमियों ने जमा किया, लेकिन ४२ लाख आदमियों में ५ लाख आदमी ऐसे हैं जिनको रुपया देने पर भी न तो सनद मिली, न उनका लगान माफ हुआ और न उनका रुपया ही वापस हुआ। मेरा अपना अनुभव है कि जब मैं एक तहसील में वहां के तहसीलार को समझा रहा था तो तहसीलदार मेरे ऊपर नाराज हुआ और अध्यक्ष महोदय, मेरी बदनामी की गयी कि मैंने उस तहसीलदार को डांटा। इस तरह की और भी बहुत सी मिसालें हैं कि जब रुपया लेने वाला आता है तो जब तक उससे कुछ पैसा नहीं ले लिया जाता तब तक उसे रुपया नहीं दिया जाता है। सरकारी खजाने से तो रुपया जरूर निकल जाता है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जब तक वहां वाले अपने लिये नहीं ले लेते तब तक उनका काम नहीं बन पाता। तकावी के सिलसिले में भी यही बात है कि उसमें से भी १० प्रति शत या ५ प्रतिशत वहां के कारिन्दे उस में से ले लेते हैं। रिश्वत लेने के लिये उनको नीचे से और ऊपर से भी प्रेरणा मिलती है और रिश्वत देने के बाद ही लोगों को तकावी भी मिल पाती है। अब इसके लिये माननीय राजस्व मंत्री जी कहें कि कोई डेफिनिट केस लाओ, तो मैं डेफिनिट केस कहां से लाऊं? क्या माननीय राजस्व मंत्री जी को इसकी जानकारी नहीं है? अगर माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी नहीं है तो फिर मैं कहता हूं कि गेंदा सिंह इस बात के लिये राजी नहीं हो सकते कि माननीय राजस्व मंत्री जी की और गेंदा सिंह की दोस्ती भी बनी रहे। जानकारी हो सकती है, हां, यह बात दूसरी है कि कार्य ही इस तरह का किया जाय कि जानकारी न हो सके, तब तो मजबूरी है।

अध्यक्ष महोदय, कानून की पेचीदगियों के सिलसिले में मैं जरूर कहना चाहता हूं कि माल विभाग के कुछ कानून ऐसे हैं जिनको अध्यक्ष महोदय, या तो वे समझते हैं और नहीं तो कुछ उन के खास-खास लोग जो उनके पास बैठने वाले हैं, वे समझते हैं। साधारण जनता उसको नहीं समझती, जनता की बात तो छोड़ दी जाय लेकिन कानून पेशा लोग भी उस को नहीं समझ पाते और उसका नतीजा यह होता है कि उस की वजह से आज लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, मैंने पिछले साल भी विनम्र निवेदन किया था और मंत्री जी से दरख्वास्त की थी कि वह नियम इस तरीके से बनावें कि जिससे लोग इतना तो कर सकें कि कानून को समझ कर लोग अपनी जमीन के सम्बन्ध में कानून कायदे से मुकदमें चला सकें। मैं कहूंगा कि कुछ सरल, जैसे गांव समाज मैनुअल बनाया गया है वैसे ही वह दूसरे कानून भी बनावें।

उपनिवेशन के सिलसिले में भी मैं कहूंगा। मैं तो समझता था कि यह विभाग आप के कृषि मंत्री न रहने पर कहीं और चला जायगा। इसलिये अब चूंकि वह फिर उन्हीं के पास रह गया है तो मैं उनसे कहूंगा कि उनकी प्रतिभा सब जगह काम करती है तो पता नहीं वह इस विभाग के सम्बन्ध में कहीं चली जाती है। गंगा खादर में, तराई भावर में या देवरिया, गोरखपुर में कहीं जा कर देखें तो मालूम होगा कि सब जगह ट्यूब वेल बने हैं लेकिन उनमें कोई भी पानी देने वाला नहीं है, मकान बने हैं उनकी हालत यह है कि वह एक तरफ बनते जाते हैं और दूसरी तरफ से गिरते जाते हैं और रुपये का दुरुपयोग हो रहा है। मैंने माना कि वहां की सड़कें अच्छी हैं, फार्म अच्छे हैं, पोल्ट्री अच्छी है। मैं आशा करता हूं कि वह अपनी प्रतिभा से इस प्रकार के धन के दुरुपयोग को न होने देंगे। अब तक उनकी प्रतिभा से लेखपालों को, तहसीलदारों को कानूनगोओं को और अमीनों को ही लाभ पहुंचा है और किसानों को कम लाभ हुआ है, अगर माननीय मंत्री जी अपने इन अहलकारों पर जरा लगाम कसें और जरा हमारी भी सुन लिया करें तो अच्छा है, लेकिन वह तो बस कलेक्टर की रिपोर्ट देखते हैं और उन्हीं की बात सुनते हैं, वह समझ लेते हैं कि सब मामला ठीक है, अंग्रेजी सरकार सब मामला ठीक होने में चली गई, लेकिन यह अच्छा होगा कि आप कुछ कर के जायं। मैं समझता हूं कि मालगुजारी विभाग जब तक चौधरी

साहब के पास हैं तब तक तो वह सिद्ध करें कि पहले यहां लाल फीता काम कर रहा था लेकिन अब करोड़ों किसान का लाभ हो रहा है। एक बात दुर्भिक्ष के विषय में और कहूंगा, मेरा एडजर्नमेंट मोशन तो एलाऊ नहीं हुआ, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर आज २२ हजार आदमियों के भूख से मरने तक की नौबत आ गयी है। देवरिया में ही पिछले साल.....

श्री अध्यक्ष--उस पर आप अब कल कहें।

*राजा बीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव अभी माननीय गेंदा सिंह जी ने रखा है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने मेरा नाम अपने भाषण में दो बार लेने की कृपा की और यह चेष्टा की कि पुरानी बातों को फिर सदन में बताया जाय और एक तरह से चुनौती दी कि बताया जाय कि किस तरह से पुराने जमाने में वसूली होती थी और किस तरह से अब जो सरकार नयी जमींदार हुई है उस के इन्तजाम के बारे में बताया जाय मुझे प्रसन्नता है कि हमारे मित्र गेंदा सिंह जी ने थोड़ी सी बातें बतलायीं कि किस तरह से तहसीलदार या दूसरे कर्मचारी बीच में गड़बड़ करते हैं और वसूली करते हैं। आप खुद ही नतीजा निकाल सकते हैं कि अब किसान के ऊपर प्रेशर ज्यादा है या पहले ज्यादा था। अब सरकार की वसूली सेन्ट परसेन्ट होती है और कोई गरीब बाकी नहीं रहता, अब जरा तुलना करें कि जब जमींदारी थी तो उनकी वसूली ६०-६५ फीसदी से ज्यादा नहीं हो पाती थी। इसके माने यह हैं कि सरकार जमींदारों से ३५ फीसदी अधिक वसूल करती है, इसके मानी यह हैं कि जमींदार जो रियायत किसान के साथ करते थे वह सरकार नहीं करती और सेन्ट परसेन्ट वसूल करती है।

मंत्री जी ने मुआवजे के बारे में जो व्याख्यान दिया उसके सम्बन्ध में जितना कम कहा जाय वही ठीक है। अच्छा तो यही होता कि हमारे सोशलिस्ट भाइयों की जो मुआवजा न देने की स्कीम थी उसी को सरकार मान लेती और वह कह देती कि मुआवजा और रिहैबिलिटेशन न दिया जायगा। लोग अपना इन्तजाम स्वयं करते लेकिन आप के, इस सरकार के इत्मीनान के बदौलत वह कुछ नहीं कर पाये। आप ने यह कहा था कि २२ लाख में से १७ लाख जमींदार तो किसान हैं, रिपोर्ट में भी यह लिखा है लेकिन उन १७ लाख की दशा आप देखिये। इन २२ लाख जमींदारों में से गौर तो करिये कि ६७ लाख ५६ हजार ऐसे खाते थे जिनको आप को फिर से बनाना पड़ा। तो इतना तो मानना ही पड़ेगा कि इनके साथ ज्यादती हुई। छोटे छोटे जमींदारों को बड़ी-बड़ी दुहाई दी जाती थी लेकिन इन छोटे छोटे जमींदारों के बारे में क्या कहूं! बड़े बड़े जमींदार तक, श्रीमन्, कहने में लज्जा आती है कर्ज ले ले कर, औरतों के जेवर रखकर, विधवाओं ने अपने जेवर रख कर, बिल्डिंगें बेचकर अपना काम चलाया सिर्फ इसलिये कि बांड्स मिलेंगे, उन पर सूद मिलेगा। इस इत्मीनान में वे बरबाद हो गये और आप की बदौलत वे बरबाद हो गये और यह नहीं कि वे बरबाद हो गये तो किसानों को कोई लाभ हुआ हो। उनको कोई फायदा नहीं हुआ। अगर लाभ हुआ होता उनको, तो वे भी समझते कि उनकी कुरबानी ठीक ही हुई लेकिन इस सरकारी लापरवाही, इस सरकार के गलत वादे ने यह बरबादी उनके ऊपर ला दी। फिर इसी प्रान्त में क्या बात थी? श्रीमन्, पड़ोसी प्रान्त बिहार है। उन्होंने वहां जमींदारों को खत्म करने के स्टेजेज रखें और अब तक वे ५० हजार के नीचे जमींदारियां कायम किये हुये हैं। तो अगर कोई कांग्रेस गवर्नमेंटों का उसूल होता या दिल्ली से कोई हुक्म आया होता तब तो वहां भी होना चाहिये था लेकिन वहां मौजूद है। तो इसी प्रान्त में इतनी क्या जल्दी पड़ी थी, और इस प्रान्त के अन्दर ही आप शहरों के अन्दर जमींदारियां

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[राजा वीरेन्द्रशाह]

नहीं खत्म कर सके हैं गो कि हमारे सोशलिस्ट भाई रोज इसके लिये कहते हैं । तो मैं कहता हूं कि जिस काम को आप समय के अन्दर पूरा नहीं कर सकते उसे क्यों उठा लेते हैं ?

अब जहां तक छोटे छोटे जमींदारों के इंटरीम कम्पेंसेशन का सवाल है तो छोटी छोटी रकमें लेने के लिये उनको चार-चार और छः-छः बार तहसीलों में दौड़ना पड़ता है । हमारे एस० डी० ओज, तहसीलदार और कम्पेंसेशन आफिसर्स छः-छः तारीखें डाल देते थे, उनको वापस जाना पड़ता था और फिर आना पड़ता था और कम्पेंसेशन का आधा रुपया क्लर्कों और दूकानदारों को खिलाने में दे देना पड़ा, और उसके बाद अगर इन्टरिम कम्पेंसेशन मिला भी तो वह क्या रह जायगा ?

अब जहां तक बांड देने का सवाल है आपने यह कहा था मुझे याद नहीं कब, लेकिन पारसाल आपने कहा था कि बांड्स हमारे तैयार हैं लेकिन लोग लेने नहीं आते । श्रीमन्, बांड का तरीका यह हो गया है कि लोग बांड लेने जाते हैं लेकिन उनको तरह तरह की तकलीफें उठानी पड़ती हैं । अभी तक जो बड़े जमींदार थे उनके मुख्तार जाकर उनके सारे अदालती कार्य करते थे लेकिन अब श्रीमन्, इसके लिये कहा जाता है कि 'नहीं' स्पेशल मुख्तारनामा लिखवा लाओ । अब श्रीमन्, इस पर ४० रुपया और खर्च होगा और मुख्तार और वकील को दिया जाय । अगर सरकार को देना है तो उसके लिये सुविधा होनी चाहिये और जल्द से जल्द उनको मिल जाना चाहिये । इसके अलावा अभी कम्पेंसेशन बांड्स एक या दो फीसदी तैयार हैं जिनको आप देने की फिक्र कर रहे हैं ।

माननीय मंत्री जी ने यहीं पर यह भी कहा था कि अब प्रिंटिंग मशीन आयी है जिनमें वे बांड्स छापे जायेंगे । यह चीज, श्रीमन्, पहले से होनी चाहिये थी । तब इतना बड़ा क़दम सरकार को उठाना चाहिये था । मेरा कहना यह है कि सरकार ने जो कुछ कार्यवाही की उस में सरकार एडमिट करे कि गलती हुई । कम्पेन्सेशन भी जो दिया जा रहा है वह नहीं के बराबर दिया जा रहा है । जिस तरह से लोगों को तकलीफ है वह तकलीफ इतनी है कि कम्पेन्सेशन न मिलता तो अच्छा था ।

श्रीमन्, पहले के और नये इन्तजाम के बारे में कहा गया । मैं कहता हूं कि देहात में चल कर देखिये कि देहातों की आज क्या हालत है ? अमीन साहब ने लगान वसूल किया और तहसील के लिये रफूचक्कर हुये । गरीबों के ऊपर गुंडाशाही की जा रही है । जमींदार और वहां के लोग उनकी कुछ रक्षा भी करते थे, उसे अब कौन करेगा ? लोग नाना प्रकार से परेशान हैं, बच्चा-बच्चा इस बात को कहता है मेरे कहने से कोई यह बात नहीं हो जाती । मैं मानता हूं कि जमींदारों में कुछ खराबियां थीं लेकिन साथ ही कुछ अच्छाइयां भी थीं जिससे गरीबों का हित होता था और सरकार उनको जान सकती है । लेखपालों की बड़ी तारीफ की गयी । मैं जानता हूं कि जिस तरह से इन्तजाम किया गया उस में खराबियां कम हैं, लेकिन नेशनल सेविंग्स बांड सरकार लेखपालों के जरिये से बिकवा रही है । उनसे कहा गया है कि हर लेख पाल ४००, ४०० रुपये वसूल कर के लावे वर्ना वह अस्थायी रहेगा, स्थायी नहीं किया जायगा । पुराने ब्रिटिश गवर्नमेंट के तौर तरीकों पर पटवारियों के जरिये से किसानों को मजबूर किया जाता है कि वे नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट लें । इस तरह से करप्शन शुरू होने वाला है, उस की बुनियाद पड़ चुकी है । आपके डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार लाइसेन्स पर चन्दा मांगते हैं कि १५ रु० फलां फंड में दो, फलां बांड को खरीदो । क्या यह अंग्रेजी हुकूमत से मिलती-जुलती चीज नहीं है । आज बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन की बात कही जाती है । जरा मंत्री जी देहात में चलकर देखें कि क्या क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ और कितनी देहाती जनता प्रसन्न है । कम्पेनसेशन अगर बांटना है तो उसे शीघ्रातिशीघ्र बांट दिया जाय ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माल विभाग के द्वारा अब तक जो कार्य हुआ है और माननीय माल मंत्री अपने विभाग के कार्य को जिस दिलचस्पी और जिस मेहनत से कर रहे हैं और उनके स्टाफ के लोग जिस परिश्रम से नये नये ढंग पर, नये नये कानूनों में सुधार करने में और और उनके नियमों को बनाने में प्रयत्नशील हैं उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। जिलों में भी जो माल विभाग के कर्मचारी हैं और जिस प्रकार उनके ऊपर काम का बोझ लदा हुआ है और उसको पूरा करने के लिये वे जो परिश्रम करते हैं उस के लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। यह बात दूसरी है कि हमारा चारित्रिक स्तर गिरा हुआ है और उस स्तर के गिरे होने के कारण उसमें कुछ भाग माल विभाग के कर्मचारियों को भी मिला हुआ है, उस के लिये तो हम सब को, हमारी सरकार को, हमारे धर्मोपदेशकों को और खास कर समाज कल्याण विभाग को इस चारित्रिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करना चाहिये तभी सब बुराइयां दूर हो सकती हैं, जो कि हमारे प्रदेश के लिये और हमारे लिये एक कलंक की बात है। दंड काफी दिये गये हैं जैसा कि माननीय माल मंत्री ने अपने भाषण में बतलाया, लेकिन केवल दंड से ही सुधार हो सकता है यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। जब तक मनुष्य का व्यक्तिगत चरित्र और उस की धार्मिक भावनायें इस कदर ऊंची न उठें कि वह स्वयं अपनी आत्मोन्नति के पथ पर आरूढ़ हो, सुधार होना संभव नहीं है। जो कुछ कार्य किया गया उस को बधाई देते हुये भी, मैं माननीय माल मंत्री को सोलहों आने बधाई तब दूंगा जब वह इस बात की ओर भी ध्यान दें और इन बातों को भी पूरा करें जो किसानों की असली माली हालत को उठाने में पूर्ण रूप से सहायक हो सकें और उनके साथ उचित न्याय भी हो सके।

मैं माननीय माल मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और न्याय के नाम पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप से भी मैं इस ओर सहायता की आशा रखता हूं कि उनके साथ न्याय होगा। पहली बात तो यह है कि जो अलाभकारी जोतें हैं उनकी मालगुजारी माफ होनी चाहिये। इसमें सरकार को कुछ घाटा रुपये का पड़ेगा, लेकिन वह घाटा पूरा हो सकता है अगर वह मालगुजारी का पुनर्वीक्षण करा लें। बहुत दिन हुये जब कि रेट तैयार हुये थे, तब से आज तक जमीन की हालत में काफी परिवर्तन हो चुका है गोरखपुर, खीरी, पीलीभीत, और नैनीताल जिलों में बहुत सी जमीनें बहुत ही कम मालगुजारी पर, बड़े-बड़े फार्म जिनमें बड़े ऊंचे दर्जे के गन्ने की खेती होती है लेकिन वह बहुत ही कम मालगुजारी पर, लगे हुए हैं। बहुत से ताल, बहुत सी अच्छी-अच्छी उपजाऊ जमीनें जमींदारी खत्म होने के बाद पट्टे पर उठा दी गयी हैं जिन पर बहुत ही कम मालगुजारी लगी हुई है और वह मालगुजारी की दर इतनी कम है कि जो दूसरे किसानों की आंखों में खटकती है और इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से जमींदारी एबालिशन कमेटी के मालगुजारी की दरों के आंकड़ों को पेश करना चाहता हूं जो उसमें दिये गये हैं। परमानेंट टेन्योर होल्डर्स का असेस्ड रेट फी एकड़ १.९ है, फिक्स्ड रेट ३.९७ है। एक्स प्रोप्राइटरी टेनेन्ट का ४.७६ आगरा में है, ५.१२ अवध में है। आकूपेंसी टेनेन्ट का ४.७८ आगरा में है, ३.६७ अवध में है और हेरीडेटरी का ६.०९ आगरा में है और अवध में ६·३८ है। नान-आकूपेंसी टेनेन्ट का ५·८४ आगरा में है, ७.०१ अवध में है और सीर और खुदकाश्त जो जमींदारों की थी, उस पर जो मालगुजारी लगी हुई है वह तो एक रुपया या २० आना फी एकड़ है और जमींदारी एबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में भी यही अन्दाजा रखा गया। तो ऐसी स्थिति में मालगुजारी का पुनर्निरीक्षण होना आवश्यक है। जिनके पास सीर और खुदकाश्त की जमीनें हैं, जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं वह तो मालगुजारी कम दें और जो गरीब हैं जिनके पास कम जमीन है और जमीन घटिया है वह मालगुजारी का पड़ता ६ रुपया और ७ रुपया दें और यही नहीं, जो मौजूदा शिकमी पट्टेदार, जो सीरदार हैं यह तो हेरीडेटरी रेट के दूने पर रखे गये हैं १२ रुपया या १३ रुपये एकड़ पर, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह कहां का न्याय है? मैं न्याय के नाम पर आशा करता हूं कि इस सदन का प्रत्येक सदस्य मेरी

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

इस आवाज का सहानुभूति के साथ समर्थन करेगा कि न्याय होना चाहिए, यह न हो कि गरीब किसान १३ रुपये और १४ रुपये एकड़ के हिसाब से लगान दें और जो अच्छी और ज्यादा जमीन रखने वाले लोग हैं वह एक रुपये और २० आने फी एकड़ के हिसाब से लगान दें ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की भी अपील आप के जरिये से करना चाहता हूं जैसा कि अभी माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि ६० प्रतिशत किसानों के पास ३० प्रतिशत एकड़ जमीन हैं और ३० प्रतिशत के पास ६० प्रतिशत एकड़ जमीन है, मैं माननीय गेंदा सिंह जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ गलत हिसाब लगाया है । यही नहीं, मैं तो यह कहूंगा कि वे जमींदारी एबालीशन कमेटी की रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि केवल ६७.४ प्रतिशत के पास तो २२.८ प्रतिशत जमीन है और केवल ४.४ प्रतिशत के पास २९.६ प्रतिशत है । जो उन्होंने कहा वही नहीं, वह तो उससे और ज्यादा है । थोड़े किसानों के पास बहुत ज्यादा जमीन है और बहुत ज्यादा किसानों के पास बहुत कम जमीन है । तो इसलिये यह इस बात की दलील है कि बहुत से हमारे यहां खेतिहर मजदर है । अलाभकर जोत वाले किसान हैं उनको और जमीन का पुनर्वितरण होना चाहिये । यह नहीं कि मुफ्त में ली जाय बल्कि कोई ऐसी व्यवस्था हो कि कीमत ले करके उन्हीं किसानों को मिल जाय जिसके पास अलाभकर जोत हैं । या तो फिर लाभकर जोत वालों की जमीन को ले लिया जाय और उन्हें कोई दूसरा उद्योग दिया जाय और नहीं तो जो अलाभकर जोत हैं तो जब तक उन्हें लाभकर बनाया जाय और जब तक ऐसा नहीं हो जाता, तब तक मालगुजारी नहीं लेनी चाहिये । मैं कहना चाहता हूं कि जमीन का मालिक किसान है, सरकार नहीं है । ऐसी दशा में जो टैक्स लिये जाते हैं वह तो आय पर ही होने चाहिये । इन अलाभकर जोत वालों के पास इतनी आय नहीं है कि वे टैक्स दे सकें । जो आमदनी ज्यादा करें उनसे टैक्स लिया जाय, जो बड़े बड़े जमीन वाले हैं, उनसे टैक्स लिया जाय और बढ़ती हुई दर पर लिया जाय । इस तरह जो मालगुजारी में कमी होगी वह पूरी हो सकती है । समय कम है, मैं फिर आप से निवेदन करूंगा कि माननीय माल मंत्री जी ने अपने काम को पूरा कर लिया ऐसा न समझें बल्कि पुनर्वीक्षण के लिये अभी जो लैंड रिकार्ड्स आपरेशन्स में खर्चा रखा गया है, मैं कहूंगा कि और खर्च करें और सारे सूबे की जमीन की मालगुजारी की दर को संशोधित करें । इससे गवर्नमेंट की मालगुजारी भी पूरी हो जायगी और किसानों के साथ न्याय हो जायगा । आज एक खेत उसी जगह एक रुपया फी एकड़ पर होता है और दूसरा खेत १३ या १४ रुपया एकड़ पर होता है । यह चीज खटकती है और किसानों को दुख है । मैं आशा करता हूं कि पूरे तौर पर किसानों के लिये हमदर्दी रखते हुये माल मंत्री इस ओर ध्यान देंगे और किसानों की पूरी सहानुभूति प्राप्त करेंगे ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माल मंत्री जी को उन कार्यों के लिये जो उन्होंने अपने इस मंत्रित्वकाल में ग्रामों के सुधार के लिये और ग्रामीण किसानों की आर्थिक व सामाजिक दशा को सुधारने के लिये किये हैं, बधाई देता हूं । यही नहीं इसके अतिरिक्त उनके संचालन में प्रान्त में जो चकबन्दी की योजना चल रही है उस के लिये भी वह बधाई के पात्र हैं । जिसके द्वारा हमारे किसानों का जीवन स्तर ही ऊंचा नहीं होगा बल्कि देश का उत्पादन भी बढ़ेगा और गांवों में रहने वाले किसानों को एक बड़ी कठिनाई का सामना आपसी झगड़ों का करना पड़ता है, वह भी उससे दूर होगा । परन्तु अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय की इस बात को सुन कर थोड़ा सा अफसोस करता हूं कि उन्होंने ग्रामीण जीवन में जितनी क्रांति लानी चाहिये थी , उतनी वह ले आये हैं और उस पर उनको संतोष हो गया है । मैं उनका ध्यान एक बार नहीं अनेक बार ग्रामों में रहने वाले खेतिहर मजदूरों की ओर दिला चुका हूं और पुनः उनसे

प्रार्थना करना चाहता हूं कि जरा वे गांवों में बसने वाले उन खेतिहर मजदूरों की दशा को देखें कि जो आज जमींदारी के खात्मे, आजादी के सात वर्ष बीतने के बाद भी उसी दुर्दशा में रह रहे है जिस दुर्दशा में १५ अगस्त, सन् १९४७ से पहले रहते थे। मध्यवर्तियों के हटाने के बाद किसानों का सर ऊंचा हुआ। मध्यवर्त्तियों का जो बोझ छोटे बड़े सब किसानों के सर पर था उनके हटने का प्रभाव भी सभी किसानों पर पड़ा। लेकिन खेतिहर मजदूर जिनकी संख्या माननीय मंत्री महोदय, बहुत कम समझा करते हैं, वह १४.३ प्रतिशत हमारे यहां हैं। यह तादाद केन्द्रीय सरकार की सर्वेक्षण समिति की हाल की रिपोर्ट के मुताबिक है।

श्री चरण सिंह--आप की इजाजत से एक बात कहना चाहता हूं। उसमें थोड़ी जमीन वाले भी ऐग्रीकल्चरल लेबरर गिन लिये गये हैं।

श्री महीलाल--वही मैं कह रहा था। उनमें ऐसे लोग भी हैं जो थोड़ी बहुत जमीन भी रखते हैं लेकिन जहां रिपोर्ट में उनको जमीन वाला बताया गया है, शायद माननीय मन्त्री महोदय, ने देखा होगा कि वहीं उनके पास इतनी कम जमीन बताई है कि वे वर्ष के चौथाई समय में उस जमीन का काम करते हैं और तीन चौथाई समय में वे खेतिहर मजदूर रहते हैं। माननीय माल मंत्री महोदय ने अब तक, उन १४.३ प्रतिशत लोगों के लिये क्या किया है, यह वह इस सदन में अभी तक नहीं बता पाये हैं। केवल उनके समय समय पर जो व्याख्यान हुये हैं उनमें यह बात बताई गई है कि ९३ लाख एकड़ भूमि जो बंजर थी, वह गांव समाजों को दी गई है और गांव समाजों को यह भी अधिकार दिया गया कि वे उसमें से अपने यहां के खेतिहर मजदूरों को दे सकते हैं। लेकिन साथ ही अधिनियम में यह भी है कि अगर कुल भूमि के दस प्रतिशत से अधिक बंजर भूमि है तभी वह खेतिहर मजदूरों को मिलेगी। इस हिसाब से ९३ लाख के बजाय २० लाख एकड़ रह जाती है। उस २० लाख एकड़ में से मैं नहीं जानता कि अब तक कितनी भूमि उनको मिल पायी है। मैं तो समझता हूं कि किसी जिले में भी भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को इस २० लाख एकड़ में से कहीं भी नहीं मिली है। हां, मेरे यहां तो ऐसे उदाहरण हैं कि जिनके पास पहले भूमि मौजूद थी, साढ़े बारह एकड़ जो बड़े काश्तकार थे, उन्होंने अपने नाम में बंजर एलाट करा लिया है और अपने जोत को बढ़ा लिया है लेकिन मजदूरों को जोतने के लिये नहीं बल्कि आबादी के लिये भी भूमि नहीं पा सके। उनके एक एक घर में सोलह सोलह आदमियों का परिवार अपनी गाय और दूसरे पशुओं के साथ-साथ रहता है, उनके लिये सरकार की तरफ से क्या क्रांतिकारी कदम उठे? माननीय माल मंत्री महोदय ने उनके जीवन के बदलने के लिये अब तक क्या किया? और यही नहीं मैं तो परेशान हो जाता हूं जब माननीय माल मन्त्री महोदय यह कह दिया करते हैं कि हमारे प्रान्त में भूमि के वितरण को समस्या ही नहीं है जब कि आंकड़े यह बताते हैं जैसा कि मौर्य जी ने कहा कि तादाद में ४.४ होते हुये लोग २९.६ प्रतिशत भूमि पर कब्जा किये हुये हैं और यही नहीं उन्हों के विचारों के मुताबिक, मैं ठीक आंकड़े अभी नहीं ज्ञात कर सका, ३० एकड़ से बड़े काश्तकारों की एक बड़ी तादाद इस प्रान्त में है।

श्री अध्यक्ष--अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखियेगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और कोरम के अभाव के कारण सदन की कार्यवाही १० मिनट विलम्ब से अर्थात २ बजकर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री महीलाल--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि खेतिहर मजदूरों की ओर माननीय माल मन्त्री महोदय का ध्यान अभी नहीं गया है। जब मैंने कहा था कि उनकी आबादी १४.३ प्रांत की कुल जन संख्या की है। यही नहीं बल्कि एक बार मन्त्री महोदय ने भी कहा है कि सिद्धान्ततः भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होना चाहिए।

[श्री महीलाल]

लेकिन आज जो भूमि की दशा है, उसमें बहुत थोड़े से लोग हमारे प्रान्त की भूमि के बड़े हिस्से पर अपना अधिकार किये हुए हैं। अभी माननीय मन्त्री महोदय को भूमि का वितरण करना है। यह ही नहीं, उन्हें आर्थिक विषमताओं को मिटाने के लिए अपने क्षेत्र में अन्य कार्य भी करने हैं।

उदाहरण के तौर पर आज जो मालगुजारी का भेद है, उसे मिटाना है, जिसके कि आंकड़े माननीय मौर्य जी ने दिये थे। एक ओर मौरूसी काश्तकार की मालगुजारी का औसत ६.३८ रु० प्रति एकड़ है और दूसरी ओर जो हमारे पुराने सीरदार हैं, जो पहले जमींदार थे, सीर और खुदकाश्त के मालिक थे, उनकी मालगुजारी पर एक एवायंट कुछ रुपया प्रति एकड़ है। एक ही प्रकार की जमीन है, एक ही देश के निवासी हैं और लगान या मालगुजारी का जो एक टैक्स है, उसमें यह भेद है। हमारे मन्त्री महोदय को और हमारी सरकार को इस क्षेत्र में भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इस विषमता को शीघ्र से शीघ्र मिटाना चाहिए।

आज हमारे छोटे व बड़े किसानों को मालगुजारी का यह भेद बहुत ज्यादा खटकता है और उनके दिमाग पर एक चोट मारता है कि एक अच्छी से अच्छी भूमि रखने वाला भूमिधर एक रुपया प्रति एकड़ लगान दे और दूसरा किसान जो दस गुना देकर भूमिधर बन गया है, वह ६ रुपया प्रति एकड़ दे। इस विषमता को मिटाने के लिए मन्त्री महोदय को कुछ न कुछ करना है।

इतना ही नहीं, मैं तो अगली बात कहूंगा कि आज जो अलाभकर जोत वाले किसान हैं उनके सम्बन्ध में यह तो सिद्धान्ततः माननीय मन्त्री महोदय ने मान लिया है कि उनकी उदर पूर्ति इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, है जितने अच्छे तरीके से होनी चाहिए। फिर उनके ऊपर टैक्स लगाना जब कि सरकार समाजवादी नीति अपना चुकी हो, उसके अन्तर्गत नहीं आता है। मेरी तो यह मांग है कि अलाभकर जोतों की मालगुजारी माफ होनी चाहिए। जब कि मालगुजारी को एक टैक्स मानते हैं, और टैक्स उस पर लगना चाहिए जिनको खर्च निकालने के बाद आमदनी होती हो, लेकिन जो अपना पेट तक नहीं भर पाते हैं, उन से सरकार टैक्स ले, तो यह अच्छी बात नहीं मालूम होती है।

मैं इन शब्दों के साथ साथ माननीय मन्त्री महोदय का मोटी-मोटी तीन बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो वह खेतिहर मजदूरों की दशा सुधारने के लिए अपना कदम उठायें, और यदि ज्यादा न उठा सकें, तो आबादी के विचार से तो उनका कष्ट फौरन् दूर होना चाहिए। आज वह जानवरों से भी बदतर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मालगुजारी की विषमता को शीघ्र से शीघ्र मिटाना चाहिए। अलाभकर जोतों की मालगुजारी माफ होनी चाहिए। मैं एक बात उनसे और कहना चाहता हूं जो मेरी नहीं है, बल्कि इस प्रान्त की ग्रामीण जनता की आवाज है और वह यह है कि उनको ग्रामीण केवल माल मन्त्री के रूप में नहीं, देखते हैं, बल्कि उनको वह कष्ट दूर करने वाले उद्धारक के रूप में मानते हैं, वह उनको अपना प्राण समझते हैं। जब उनके प्रति ग्रामीणों की यह भावना है फिर वह केवल जमींदारी खात्मे के बाद ही यह सन्तोष कर लें कि उन्होंने एक बड़ी क्रान्ति ग्रामीण जीवन में ला दी है, ऐसा नहीं है। मैं इन शब्दों के साथ उनके विभाग के कार्य संचालन के लिए पुनः बधाई देता हूं और मोटी मोटी बातें, जो मैंने पेश की हैं, यह आशा करता हूं कि भविष्य में वह उन पर ध्यान देंगे। एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि उन्हीं के विभाग में एक ओर बड़े-बड़े फार्मों वाले लाखों रुपये की तकावी ले जाते हैं, और दूसरी ओर बाढ़ पीड़ित लोग, ओले से फस्ल मारी जाने वाले लोग और बैलों की जरूरत वाले लोग तरसते रह जाते हैं। यह विषमता उनको अपने विभाग से मिटानी है। यह ठीक है कि बहुत कुछ सुधार उनके द्वारा उनके विभाग में हुआ है, लेकिन अभी उन्हें बहुत कुछ करना है, इन तमाम विषमताओं को मिटाने के लिए करना है। और जिस लग्न से उन्होंने ग्रामीण जनता की सेवा की है, उन से यह आशा की जाती है कि वह उसी से सन्तोष न कर लें, और जो उनकी कठिनाइयां बाकी रह गयी हैं, उनकी ओर भी सचेत रहें।

ज़ोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व इसके कि माननीय मन्त्री जी को इस अनुदान के पेश करने के लिए मैं धन्यवाद दूं आपको धन्यवाद देता हूं कि हफ्तों उठने के बाद आपने मेरा ख्याल किया है। माननीय मन्त्री जी ने जमींदारी उन्मूलन के ऊपर जो अनुभव और गर्व प्रकट किया है, पता नहीं उन्हें कहां तक इस बात से सन्तोष है, लेकिन मैंने एक बार कहा था कि मन्त्री जी का जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट जहानआरा के दुपट्टे की तरह है। और वह इस तरह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि ढाका का एक मलमल का व्यापारी था जिसने बादशाह औरंगजेब की अनुकम्पा प्राप्त करने के लिए एक बहुत बढ़िया मलमल भेंट किया। औरंगजेब को अपनी लड़की जहानआरा बहुत प्रिय थी। जहानआरा उसका दुपट्टा ओढ़ कर बादशाह के सामने गयी। जब उन्होंने देखा, तो बहुत डांटा कि तू यह क्या पहिने हुए है। शाहजादी ने कहा कि मैं तो बहुत बढ़िया मलमल के कपड़े पहने हुए हूं। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ दीखता नहीं कि तू कुछ पहने हुए है, तू तो नंगी नजर आती है। तो उपाध्यक्ष महोदय, ठीक यही हालत जमींदारी उन्मूलन की है। जैसा कि गेंदा सिंह जी ने कहा, कहने के लिए जमींदारों का नाम तो बदल गया लेकिन उस ऐक्ट की जो मंशा थी, और माननीय मन्त्री जी की जो अभिलाषा होगी, मैं समझता हूं वह ९९ परसेंट तो पूरी नहीं हुई। एक नाम जमींदार का अवश्य मिट गया और उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं क्योंकि नाम के मिटने से भी कम से कम जो बपौती का अधिकार लोगों को हुआ करता था कि हम ऐसे घर में पैदा हुए हैं, तो कम से कम अब जमींदारों के नाम से कोई लोगों पर अब अत्याचार नहीं कर सकता। लेकिन जो पहले जमींदार भूमि के अधिकारी थे, वही अब भी हैं। हां, गांव की जो परती जमीन थी, उस पर अब उनका अधिकार नहीं रहा। लेकिन जब से जमींदारी उन्मूलन हो गया है, तब से जमींदार या उनके कारिन्दे या जो लठबाज लोग हैं, आज उन्हीं का बोल बाला है। जो परती जमीन है, कहने के लिए ९३ एकड़ दी गयी है, लेकिन अगर देखा जाय, कि वह किसके कब्जे में है तो पता लगेगा कि सेन्ट पर सेन्ट उन्हीं के कब्जे में है।

अभी माननीय मन्त्री जी ने जो कागजात दुरुस्ती का आन्दोलन सितम्बर में चलाया था वह कितना असफल रहा है, यह बताने के लिए मैं आपको दो, चार उदाहरण अपने जिले के ही देता हूं। मेरे गांव में ५-६ आदमियों ने दूसरे लोगों से जमीन मोल ली। मैं, मेरे भाई और एक दूसरे ने भी मोल ली। करीब-करीब एक साल हो गया। अभी माननीय मन्त्री जी वहां गये हुए थे। वहां के जो भूतपूर्व जमींदार थे, उनके नाम कागजात में काट करके दूसरों के चढ़ा दिये गये। लेकिन हमारे यहां के जो हरिजन हैं, जो कि उनकी पूजा नहीं कर सके, उनकी जमीन वहीं छोड़ दी गयी; मेरा भाई भी गया। उसने कहा कि हमने भी जमीन ली है। जिस जमींदार से ली है, वह जमींदार भी मौजूद है और हम भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आप के भाई तो एम० एल० ए० हैं, वह खुद ही करवा लेंगे। जब मेरे यहां और मेरे साथ यह बर्ताव है, तो यह सदन अन्दाज लगा सकता है कि जो साधारण जनता है, जो अपनी आवाज नहीं उठा सकती है, उसकी क्या परिस्थिति होगी। मेरे पड़ोस में एक बधौरा गांव है। मैंने प्रश्न भी दिया था, लेकिन उसका जवाब गोलमटोल दे दिया गया। वहां ९९९ एकड़ जमीन पहले जमींदारों के अधिकार में थी। वहां पर अब भी वही भूतपूर्व जमींदार काबिज हैं। अगर जमींदारी का खात्मा १९५२ से माना जाय, तो दो तीन साल हो गये। लेकिन वहां पर वही भूतपूर्व जमींदार अधिकारी हैं। वहां दस हजार रुपये की घास होती है। वही उस घास को कटवाते हैं।

अभी हमारे जगम्मनपुर के राजा ने बताया कि देहात के जो जमींदार थे, जमींदारी विनाश कानून के द्वारा उनका अधिकार छीन लिया गया। लेकिन शहरी जमींदार अब भी कायम हैं। जहां तक मुझे मालूम है, जो गवर्नमेंट के सरकारी आस्थान हैं, वहां पर भी जमींदारी मौजूद है, और जो वहां के सरकारी कार्यकर्त्ता हैं, वह किस प्रकार वहां अन्याय और अत्याचार करते

[श्री जोरावर वर्मा]

हैं, यह वहां की परिस्थिति से परिचित लोग जानते हैं। पता नहीं माननीय मन्त्री जी शहरों की जमींदारी एबालिश करने से क्यों डरते हैं? या तो यह हो सकता है कि वहां पर ज्यादातर लोग, सेठ संगठित रहते हैं, इसलिए हिम्मत नहीं कर सकते हैं। जी हां, यही तो कारण है नहीं तो बिल यहां आया भी, लेकिन फिर कमेटियों को रेफ़र हो गया और आज तक वह सामने नहीं आ रहा है। जिस तरह से जमींदारी अबालिशन का बिल का मजाक बनाया, गया ४७ से चला और असल में १९५२ में लागू हुआ। इसी तरह से यह बिल भी कमेटी को रेफ़र कर दिया गया, ताकि जो शहरों के जमींदार हैं, वह मनमाने ढंग से दुरुपयोग या सदुपयोग कर लें और जब देखें कि जनता के पास कुछ नहीं बचा, तो माननीय मन्त्री जी बिल ले आयेंगे ताकि कहने को हो जाय कि शहरों की भी जमींदारी खत्म हो गयी, चाहे उसका मतलब कुछ भी न हो।

बहुत से माननीय मित्रों ने बांड्स की शिकायत की है। वास्तव में भूतपूर्व जमींदारों को बांड्स के सिलसिले में आसानियां नहीं मिलती हैं। उनको जो एप्लीकेशन देनी पड़ती है, उसका फार्म अंग्रेजी में छपा हुआ है। कई एक जमींदार पढ़े लिखे नहीं होते, उनको दूसरे लोगों से फार्म भरवाना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें दो तीन रुपये फीस देनी पड़ती है। जब वह रुपया लेने जाते हैं, तो जो कृषि आयकर है, वह पहले ही काट लिया जाता है। यह आखिर मेरी समझ में नहीं आता, गवर्नमेंट है, उसका विभाग है, उसके यहां रेकार्ड होना चाहिए कि किस आदमी की कितनी आमदनी है और कितनी उसके पास काश्त है, उसको देखकर हमें काटना चाहिए, या नहीं काटना चाहिए। माननीय मन्त्री जी को देखना चाहिए कि सचमुच जो उनको देने का वादा किया गया है, तो पता नहीं उनको क्यों परेशान किया जाता है।

माननीय मौर्य जी ने जो अलाभकर जोतों की बात कही है, मैं भी उसका समर्थन करता हूं। पिछली बार जब जमींदारी अबालिशन संशोधन विधेयक पेश हुआ था, तो मैंने एक संशोधन भी इसी प्रकार का पेश किया था। वही परिस्थिति अब भी है। जो छोटे काश्तकार हैं, उनकी मालगुजारी, उन लोगों से कई गुना अधिक है, जिनके पास अधिक जमीन है। जो भूतपूर्व जमींदार हैं, उनकी बात ही क्या कहनी। चार, चार, छ: छ आने ले कर उनको जमीन दे दी गयी है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए आवश्यक है कि पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से नहर रेट सभी जगह एक कर दिया गया है, और यह नारा लगाया जाता है कि सारे प्रदेश में एक ही रेट कर दिया है उसी प्रकार से माननीय मंत्री जी को मालगुजारी की तरफ भी ध्यान देना चाहिये। पूरे प्रदेश में एक ही रेट हो, चाहे छोटा काश्तकार हो या बड़ा, उसी रेट से उससे मालगुजारी वसूल करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और है। माननीय मन्त्री जी इस बात को जानते होंगे, कि आज जैसी हमारी यह जनता की सरकार है, तो उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार मुझको माननीय मन्त्री जी की बात सुनकर ताज्जुब हुआ था। यहां पर एक प्रश्न उठाया गया था कि वहां पर ओला पड़ा या नहीं पड़ा। सम्भवतः श्री गेंदा सिंह जी ने यह प्रश्न उठाया था, तो उसके लिए माननीय मन्त्री जी ने यह फर्माया था कि हमने अपने यहां लेखपाल से और कलेक्टर से इस बात को सर्टिफाई करा लिया है कि वहां पर ओला नहीं पड़ा। मैं समझता हूं कि यह बात सही नहीं है कि कोई बात गेंदा सिंह जी इस विधान सभा के सदस्य होने के नाते कहें, और माननीय मन्त्री जी उसका यह जवाब दें कि हम जो बात कहते हैं, वह सही है, और जो उनके लेखपाल कहें, वह बात सही है। जनता के प्रतिनिधि जिस बात को कहते हैं, और सरकारी अफसर अगर उसी बात को दूसरी तरह से कहते हैं, और इनमें कुछ भेद पड़ता है तो इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। उसके बाद जो मालूम हो, उसके अनुसार बात होनी चाहिए। अगर माननीय सदस्यों की बात सही नहीं है, तो उनको दुख होना चाहिए और सरकारी अधिकारी अगर गलत कहते हैं, तो उन को सजा होनी चाहिए न कि माननीय मन्त्री जी इस बात को ही मानें कि जो ब्योरोक्रेसी के आदमी कहें, वही सही है। मैं समझता हूं कि इस तरह की बात उनके लिए शोभा नहीं देती है, क्योंकि जिस प्रकार के वह व्यक्ति हैं, उसको

सब जानते हैं। जमींदारी के खात्मे का वह पूरा ज्ञान रखते हैं लेकिन जब वह अपने ही लोगों का विश्वास करते हैं तब यह सुनकर दुख होता है। जो बात जनता के प्रतिनिधि कहें, और कई एम० एल० ए० कहें, तो उस पर भी विश्वास होना चाहिए क्योंकि वास्तव में वही जनता क प्रतिनिधि हैं और उनकी बात को सुनने की माननीय मन्त्री जी को कृपा करनी चाहिए।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो मैंने देहातों में घूमकर देखा है, और जिन त्रुटियों का अध्ययन किया है, हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से मेरे मित्र ने फर्माया कि मालगुजारी का कोई नियम और कायदा किसी प्रकार से लगाने का नहीं है, मैं दो जिलों का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं, मेरठ और मुजफ्फरनगर का। मुजफ्फरनगर में हमने देखा है कि वहां से कम मालगुजारी सारे उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में नहीं है। मालगुजारी लगाने का कोई उसूल नियम नहीं है। मैं देखता हूं कि मुजफ्फरनगर में तहसील बुढ़ाने में सारे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से अधिक मालगुजारी है। परन्तु देखा जाय, तो यह ज्ञात होगा कि जब से हमारी कांग्रेस सरकार हमारे देश में आयी है, तब से वहां पर तहसील बुढ़ाने में कोई भी कार्य नहीं किया गया। हमारा सौभाग्य है कि इस वर्ष के बजट में बुढ़ाने से कान्धले तक एक सड़क निकाले जाने के लिए कुछ रकम रखी गयी है। सम्भव है कि वह सड़क निकाली जाय। लेकिन मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि अभी तक कोई भी कार्य उस तहसील के अन्दर नहीं किया गया है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश में इससे अधिक मालगुजारी, जितनी कि तहसील बुढ़ाने की जिला मुजफ्फरनगर में है, कहीं पर नहीं है। यह परमावश्यक है कि वहां पर मालगुजारी इस हिसाब से लगायी जाय कि जो वहां पर आम जनता को शिकायत है और किसानों को परेशानी है, वह दूर हो जाय। अब यह किस प्रकार से दूर हो इसको भी मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं।

एक यह बड़ी भारी त्रुटि है कि अंग्रेजों के समय में जो मालगुजारी लगायी जाती थी, कि अगर कोई अधिकारी किसी किसान से अप्रसन्न हो गया, तो उसको बढ़ा कर रख दी गयी, और कोई खुश हो गया तो उसकी कुछ कम करके रख दी गयी, इस प्रकार से अनेक प्रकार से जरीब के हिसाब से वहां पर कायम किया गया है। इस अलग-अलग हिसाब से भिन्न-भिन्न प्रकार से मालगुजारी को लगाया गया है। जिले में कहीं पर ४४ गज की जरीब है, तो कहीं पर ४९।। गज की जरीब है, और कहीं पर ५६ गज की जरीब का हिसाब लगाकर मालगुजारी लगायी गयी है, लेकिन उन सब का बीघा बीघा माना जाता है। इस कारण मेरा निवेदन यह है कि वहां पर एक प्रकार से बीघे का हिसाब लगाकर मालगुजारी लगायी जाय, और माननीय मन्त्री जी को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां मुजफ्फरनगर के पास मेरठ जिले में ५५ गज की जरीब का बीघा माना जाता है। लेकिन हमारे जिले में कहीं पर ४९ १/२ गज की जरीब का बीघा माना जाता है। इसका परिणाम यह हुआ कि मुजफ्फरनगर जिले की मालगुजारी सवाई हो गयी। इससे किसानों का बड़ा भारी नुकसान है। अभी सब जगह उत्तर प्रदेश में चकबन्दी हो रही है, तो मेरा सरकार से यह निवेदन है कि सब जगह एक ही माप की जरीब कायम की जाय। कहीं पर कुछ और कहीं पर कुछ है, यह उचित नहीं है, और न यह सरकार के लिए शोभा देता है। इसलिए एक पैमाने का ही सब जगह नाप होना चाहिए जिससे किसानों की यह शिकायत दूर हो जाय।

इसके बाद मैं इस अनुदान के अन्दर देख रहा हूं कि ५ करोड़ रुपये की रकम है। जो अफसरों के दौरे और वेतन के लिए रखी गयी है, वह उस रकम में से पौने दो करोड़ रुपये की है, जिसको यात्रिक भत्ते के रूप में खर्च किया जायगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतनी भारी रकम को इस तरह से बर्बाद किया जाय, और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इस प्रकार से बर्बाद कर दिया जाय, यह हमारी जनता की सरकार को शोभा नहीं देता है। इसके लिए मैं एक सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं। वह यह है कि एक सर्कुलर बड़ी

[श्री श्रीचन्द्र]

पाबन्दी के साथ जारी किया जाय कि कोई भी अफसर हो, एक तरफ से अपना दौरा शुरू करके दूसरी तरफ से अपने स्थान पर लौट आये, इसके अलावा जो उन लोगों के माइलेज वगैरा के रेट्स हैं, वह ऐसे नियत किये जायं कि खर्च अधिक न हो। इससे जो दौरा होगा उसमें काम भी अधिक होगा, और रुपया भी कम खर्च होगा। उदाहरण के तौर पर एक अफसर गोरखपुर जाता है, तो उसको दुबारा बाराबंकी फिर बस्ती और गोंडा अलग अलग न जाना चाहिए। अगर एक तरफ १० स्थानों में जाना है, तो उसको एक ही बार में सबको निबटा देना चाहिए। अगर इस तरह से दौरा किया गया, तो मैं समझता हूं कि इस समय जो पौने दो करोड़ रुपया खर्च होता है, उसके बजाय केवल २५ लाख ही खर्च होगा। इस प्रकार से यह बचत हो सकती है। एक बात और है कि जब मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज तथा एक्जीक्युटिव आफिसरान दौरा करते हैं, तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि सेक्रेटरीज जो दफ्तर में काम करते हैं उनको दौरा करने की क्या आवश्यकता पड़ती है। जब मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज आदि मौके पर जाकर हर चीज को देख आते हैं, तो फिर सेक्रेटरीज को जाने की क्या आवश्यकता पड़ी है।

श्री चरण सिंह---आपकी इजाजत से मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि क्या कभी रेवेन्यू सेक्रेटरी या रेवेन्यू के डिप्टी सेक्रेटरी दौरे पर गये हैं?

श्री श्रीचन्द्र---जी हां, गये हैं। कृषि विभाग इत्यादि के सेक्रेटरीज।

श्री चरण सिंह---रेवेन्यू सेक्रेटरीज कब और कहां गये हैं?

श्री श्रीचन्द्र---हमारे यहां सड़क देखने गये थे। हो सकता है कि वह पी० डब्ल्यू डी० के सेक्रेटरी रहे हों। जब एक विभाग का सेक्रेटरी जा सकता है, तो दूसरे विभागों के सेक्रेटरीज भी जाते होंगे।

इसके बाद चकबन्दी का मसला आता है। मैंने चकबन्दी की एक योजना रक्खी थी। उसी प्रकार से वह दफ्तर के अन्दर है। धीरे-धीरे वह वैसी ही हो जायगी। अब उसके बारे में जो शिकायत है, वह यह है कि पहले जो बन्दोबस्त हुआ था, वह सन् १८६१ ई० में हुआ था। उस समय या बाद में लोगों के जो कुएं रहट अथवा कोठरा थे उनको और कहीं न दिखा कर बंजर में दिखा दिया गया था। अब उन किसानों की बंजर गांव सभाओं में चले जाने से बड़ी कठिनाई हो रही है। उनका मुआविजा भी नहीं है, इसलिए उन लोगों की कठिनाई को देखकर माननीय मन्त्री जी को इसे दूर करने की कृपा करनी चाहिए।

आजकल हम देखते हैं कि किसानों को आठ प्रकार से अधिक टैक्सेज देने पड़ते हैं। उनके ऊपर मालगुजारी का ही टैक्स कुछ कम नहीं है, इसके अतिरिक्त महसूल आबपाशी बड़े भयंकर रूप में उनके ऊपर लगा हुआ है। यही नहीं, उन लोगों के ऊपर मोटे-मोटे ८ टैक्सेज से अधिक लगे हुए हैं। आज जब कि हमारे देश में ७५ प्रतिशत किसान हैं, जिनके आधार पर हम जीवित हैं, जो हमारे देश की रीढ़ हैं, अगर हम उन्हीं की परवाह न करें तो यह हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। हमें चाहिए कि उनकी उन्नति के लिए और योग्य अवसर पर उनके लिए रुपया खर्च करें न कि इस प्रकार से भत्तों में रुपये को बर्बाद किया जाय। किसानों की दशा जानने के बारे में सहारनपुर में एक मीटिंग हुई थी। उसमें एक प्रस्ताव था कि किसानों का वह खर्चा जोड़ा जाय, जो वह पानी, खाद आदि पर करता है, मैंने उसमें कहा था कि उसके साथ ही साथ वह खर्चा भी जोड़ दिया जाय, जो उसको अन्य चीजों पर खर्चा करना पड़ता है। इन सब बातों का हिसाब लगाकर उन लोगों पर टैक्स लगाया जाय तो बेहतर होगा। मैं इससे इन्कार नहीं करता कि आप किसानों पर एक रुपये में चाहे जितना टैक्स लगायें, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि उनके परिश्रम का फल उनको मिले और उनके बच्चों के भरण-पोषण और पढ़ने

आदि का प्रबन्ध हो सके। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक कमेटी ऐसी कायम की जाय, जिसमें अधिक संख्या में किसानों से पूरी जानकारी रखने वाले हों, और खेती से आय और खर्चा और दूसरे अखराजात को देख कर उसका हिसाब लगायें कि काश्तकारों की दशा क्या है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो भार किसानों पर है, उसको ध्यान में रखते हुए और जो त्रुटियां हैं, वे माननीय मन्त्री जी को अच्छी तरह से ज्ञात हैं, क्योंकि वे भी किसान हैं, और उनको जानते हैं, उनको दूर किया जाय। मुझे आशा है कि जिन परेशानी और दिक्कतों तथा बचत के बारे में मैंने निवेदन किया, उन पर ध्यान देने की कृपा की जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी श्री गेंदा सिंह जी के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने इस प्रदेश के किसानों के लिये बहुत से कायदे कानून बनाये लेकिन मैं देखता हूं कि किसानों के ऊपर उसका उल्टा प्रभाव पड़ा और अगर यह कहा जाय कि इन कानूनों का जिले के और सरकारी कर्मचारियों ने गला घोंटा, कत्ल किया तो कोई अनुपयुक्त नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन ने प्रस्ताव पास किया और ऐक्ट बनाया और ३१ के अनुसार फैसला हुआ कि वे किसान अधिवासी बना दिये जा रहे हैं। और उस अधिवासी के हक के खिलाफ कोई दीवानी में मुकदमा दायर करता है तो दीवानी से फिर माल विभाग और माल विभाग से फिर दीवानी में जाकर फैसला होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अधिक तो नहीं, एक गांव के कुछ हरिजनों की कहानी आपको सुना देना चाहता हूं जहां पर कि हरिजनों के ३२ बीघे खेत जो ३१ के अनुसार उनके ही थे, दीवानी में मुकदमा हुआ और मैं समझता हूं कि फिर सेशन कोर्ट में दस बार उसकी तारीख डाली गयी और अन्त में वह ३२ बीघे खेत किसानों को न मिल कर उन भूतपूर्व जमींदारों को ही मिले। इस प्रकार से आजमगढ़ तथा प्रांत के बहुतेरे जिलों में २३२ धारा के अनुसार खेत हैं। ३१ के अनुसार अधिवासी को सीरदार बनाने की बात है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इतनी कठिनाइयों के रहते हुये अधिवासी को यह न्याय मिलने वाला नहीं है, जिसके लिये माननीय मंत्री जी कहा करते हैं और आज भी कहते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन इस प्रदेश के शिकमी किसानों के लिये किया है। मेरा यह दावा है कि आज उन कानूनों का बहुत दुरुपयोग किया जा रहा है। मैंने इस सदन में माननीय मंत्री जी से पूछा और आज भी कहा गया कि २९ लाख इन्दराज दुरुस्त किये गये हैं। माननीय गेंदा सिंह जी ने बतलाया और खुद मेरा अनुभव है और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरे गांव के पास ही फतेहपुर ताल है जहां बहुत अथाह पानी है। उपाध्यक्ष महोदय, अक्तूबर के महीने में बोरो की फसल के लिये कुछ लोगों ने कोशिश की लेकिन हाकिम परगना के यहां कुछ लोगों ने दरख्वास्त दे दी और वहां से मामला कलेक्टर के यहां और फिर गवर्नमेंट के पास पहुंचा। इस पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मौके पर गये और पटवारी को मुअत्तल कर दिया कि उसने गलत पड़ताल की। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के सत्ताधारी दल ने बिलकुल पक्षपात से काम लिया और वे कर्मचारियों तथा अधिकारियों पर दबाव डाल कर सही माने में गरीबों को न्याय दिलाना नहीं चाहते हैं। आप देखेंगे कि स्पेशल पड़ताल में तहसीलदार, नायब तहसीलदार और हाकिम परगना ने क्या किया। हाकिम परगना की तरफ से लेखपालों के पास जांच करने के लिये एक सर्क्युलर गया। उपाध्यक्ष महोदय मैं हाकिम परगना की बात निवेदन कर दूं कि और सब घूमते रहे और वे कैम्प में बैठे रहे। और एक दो नम्बर नहीं बल्कि ९०९ नम्बर की सुनवाई एक दिन, दो दिन और तीन दिन में उनके मुहर्रिर और अहलमद ने की। और एक नम्बर की भी वह स्पेशल पड़ताल हाकिम परगना के सामने नहीं हुई और हमारे सामने हाकिम परगना ने एक साथ ९०० खातों पर दस्तखत बगैर कुछ देखे पूछे कर डाले, मैंने उनसे पूछा कि यह स्पेशल पड़ताल किसने की? आपके अहलमद पेशकार ने की? क्या आप ने किसी की गवाही ली? असलियत यह है कि हाकिम परगना ने कोई पड़ताल या गवाही नहीं सुनी, बल्कि जो कुछ अहलमद और पेशकार वगैरा ने कर

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

दिया उसी पर उन्होंने दस्तखत कर दिये और उसी पर माननीय मंत्री जी को घमंड है कि वहां बहुत बढ़िया काम हुआ है।

हमारे यहां एक मिसरौली गांव है जहां पर बहुत से एक साल से दस साल तक के शिकमी किसान हैं, वह उस पर काबिज हैं लेकिन हाकिम परगना साहब वहां पहुंच कर भी हुक्म करते हैं कि कौन सही मालिक है खेत का, इसका मुकदमे से फैसला कराया जाय, जांच नहीं की जाती है और फिर फैसले के लिये अदालत में बुलाया जाता है। इधर अब चैत का महीना है, कटैया शुरू है और होता है यह कि जो काबिज है और जिसका खेत है उन में मारपीट होती है और जेलखाने तक जाने की नौबत आ जाती है। यह हो रहा है और यह है माननीय मंत्री जी की स्पेशल पड़ताल जिसका मंत्री जी को बड़ा गर्व है। इस तरह के हजारों केस केवल आजमगढ़ में ही नहीं बल्कि सारे सूबे में हैं जहां पर आपकी इस स्पेशल पड़ताल से उल्टे नुकसान हुआ है।

अभी माननीय मंत्री जी मधुबन में गये थे, उन को बड़ी तकलीफ हुई, उनकी सभा के लिये लेखपाल कानूनगो और तहसीलदार तमाम अधिकारी प्रचार करते रहे। हजारों की भीड़ वहां इकट्ठा की गयी, संयोग से वहां हमारे कार्यकर्ता भी पहुंचे तो उनका झंडा जबरदस्ती गिरा दिया गया। अगर मंत्री जी कहते कि हमारे सामने लाल झंडा लगाया जाता है तो हमें तकलीफ होती है तो हम तो हरगिज नहीं चाहते कि उनको लालझंडे से इतनी घबराहट हो लेकिन कहीं ऐसा न हो कि उनकी इस घबराहट से लोग काला झंडा दिखलाने लगें। मैं एक बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का ही आदमी हूं और मैं जानता हूं कि वहां क्या-क्या होता है। मालगुजारी की छूट का एलान एक तरफ होता है कि मालगुजारी में फलां जगह छूट हो गयी, अंग्रेजी राज तक में यह तरीका था कि मालगुजारी के पर्चे बांट दिये जाते थे और फिर जमींदार मालगुजारी वसूल नहीं करते थे, लेकिन माननीय मंत्री जी के राज में मालगुजारी के पर्चे बंट नहीं पाते हैं और उन के बटने के पहले ही अमीन पहुंच जाते हैं और वह मारपीट और कुर्की कर के हर तरीके से मालगुजारी वसूल कर लेते हैं और दो-दो साल की मालगुजारी वसूल कर ली जाती है और बाद में अब मंत्री जी कहते हैं कि दूसरी फसल में उस रकम का भुगतान कर दिया जायगा। मैं नहीं समझता कि सरकार की तरफ से यह कहां तक उचित है कि जहां बाढ़ आये और लोग तबाह हो जायं वहां जबरदस्ती दो-दो फसल की मालगुजारी वसूल कर ली जाय और फिर कहा जाय कि वह रकम बाद में भुगतान कर दी जायगी। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिये और इस तरह के कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाना चाहिये, जो छूट के बाद भी गलत वसूली करते हैं।

इसके अलावा मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि जहां नदियों के कटाव से जमीन कट जाती है और खेती नहीं हो पाती वहां की मालगुजारी सरकार को वसूल न करनी चाहिये। लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि गोरखपुर, देवरिया और आजमगढ़ में ऐसी जमीनें हैं, जो नदियों द्वारा कटती चली जाती है, लेकिन वहां मालगुजारी वसूल हो रही है। इस तरह के खेतों की मालगुजारी वसूल नहीं होनी चाहिये। जहां पर तीन तीन-साल लगातार बाढ़ आये और वहां से मालगुजारी वसूल की जाय और बाद में उस के भुगतान के लिये कहा जाय, यह मुनासिब नहीं है।

एक शब्द और कहना चाहता हूं और वह यह कि श्री द्वारका प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जमीनें कहीं अच्छी हैं और कहीं खराब है, लेकिन जो मालगुजारी भूतपूर्व जमींदार मुकर्रर कर गये हैं, वही मंत्री जी वसूल कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां का मैं रहनेवाला हूं मेरे पास में जो छोटे-छोटे जमींदार थे उनके खेत की मालगुजारी दो रुपया, तीन रुपया एकड़ थी और पास में ही काकोरी के नवाब एक थे उनकी जमींदारी थी। उनके खेतों की मालगुजारी १० और २० रुपया फी एकड़ है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि खेतों की मालियत को देखकर मालगुजारी का संतुलन होना चाहिये। इसके साथ ही गरीब किसानों की जो मौत

हो रही है सीरदारी से, उनसे दुगुनी मालगुजारी वसूल की जा रही है । उनकी मालगुजारी बिलकुल माफ होनी चाहिये क्योंकि कांग्रेस का जो घोषणापत्र है उसमें भी यही है कि जो अलाभकर जोतें हैं उनकी मालगुजारी माफ होनी चाहिये और मेरा विश्वास है कि माननीय राजस्व मंत्री उस तरफ अवश्य ध्यान देंगे ।

श्री राजाराम मिश्र (जिला फैजाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, माल विभाग सरकारी शासन का एक बहुत आवश्यक अंग है । इसके कामों के ऊपर हमारे शासन की ओर से की गयी प्रजा की बहबूदी और बेहतरी बहुत कुछ निर्भर करती है । हमारे प्रदेश के जो काश्तकारान हैं और खासकर छोटे-छोटे काश्तकारान, वे अधिकतर अनभिज्ञ हैं, अशिक्षित हैं और वे अपने अधिकारों को ठीक से जान नहीं पाते । इसलिये इस माल विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के जो काम होते हैं उनसे उन पर बहुत असर पड़ता है । जहां तक इस विभाग के कार्यों को सुधारने के लिये माननीय मंत्री महोदय ने प्रयत्न किये हैं उसके लिये उनको बधाई देना चाहता हूं और विशेषकर उन कामों के लिये और उन आदेशों के लिये जो मंत्री महोदय ने निकाले हैं और काश्तकारान की दिक्कतों को दूर करने के लिये जो प्रयत्न उन्होंने किये हैं । विशेषकर चकबंदी के सिलसिले में और अधिवासियों को सीरदारी के हक दिये जाने के सम्बन्ध में जो कानून माल मंत्री जी ने प्रस्तुत किये और पास कराये उनसे मैं जानता हूं कि हमारे प्रदेश के काश्तकारान और विशेषकर जिनके छोटे-छोटे खाते हैं और जिनका और कोई सहारा नहीं है उनको उनसे विशेष रूप से सुविधा प्राप्त हुई है और वह माल मंत्री जी को बधाई देते हैं और मुझे भी इन तमाम बातों के लिये उनको धन्यवाद देना है । अब दो-एक बातों की ओर अपने मंत्री जी का ध्यान दिलाना है ।

एक तो माल विभाग के कागजात में जो गलतियां हैं वे बहुत ज्यादा हैं । दो जिले मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर में चकबंदी के सम्बन्ध में पड़ताल के सिलसिले में जो गलतियां पाई गयी हैं वही बहुत ज्यादा है और सिर्फ दो तहसीलों में ४ लाख से ऊपर अशुद्धियों का पाया जाना इस विभाग के कामों की अच्छाई को नहीं प्रकट करता । अगर इस हिसाब से देखा जाय तो सारे प्रदेश में एक करोड़ के करीब गलतियां होंगी । इस विभाग का पहला काम अब यह होना चाहिये कि इसके लेखपाल और कानूनगो अशुद्धियों को ठीक करने के लिये व्यापक परिश्रम करें और एक नया आंदोलन १५ दिन के लिये नहीं बल्कि एक महीने या उससे भी अधिक के लिये चलाया जाय । पिछला आंदोलन जो चलाया गया था मेरा ख्याल है वह पूरे तौर से सफल नहीं रहा और उसका कारण यह है कि कानूनगो, लेखपाल, तहसीलदारों और एस०डी०ओज० ने उस कार्य को लगनशीलता के साथ नहीं किया । मेरे जिले में जो काम किया गया वह पूरा नहीं किया गया और नतीजा यह हुआ कि गलतियां जहां की तहां रह गयीं । इन गलतियों का शुद्ध हो जाना बहुत जरूरी है क्योंकि इन गलतियोंके रहने के कारण हर गाँव में फौजदारी का अंदेशा मालूम होता है । कई गांवों में इन्हीं गलतियों के कारण फौजदारियां होते होते बचीं और मैं समझता हूं कि अगर ये गलतियां दुरुस्त न की गयीं तो बहुत से गांवों में लड़ाई झगड़े और फौजदारियां होंगी । तो मेरा कहना यह है कि यह गलतियां जल्दी से जल्दी दुरुस्त करा दी जायें ।

चकबंदी के सिलसिले में हमारा जिला भी चकबंदी में लिया जाने वाला है । इस सम्बन्ध में हमारे गांव में और कस्बे में, वहां के खेतिहरों में और अन्य लोगों में चर्चा है कि चकबंदी में क्या होने वाला है । उनको समझाने की कोशिश की जाती है कि चकबंदी से बड़ा लाभ होगा । लेकिन जो रवैया अहलकारों का है उससे उन लोगों को संतोष नहीं हो पाता कि जो अहलकारान इस मुहकमे के वहां इस सिलसिले में काम करेंगे वे ईमानदार साबित होंगे । लोग तो उसी हिसाब से दूसरों को भी भी देखते हैं जो उनके सामने काम करने जाते हैं । इसलिये यह आवश्यक है कि जिले के माल विभाग के कर्मचारी अधिक कुशल हों, परिश्रमी हों ताकि जो गलतियां या शिकायतें होती हैं वे न हो सकें । मंत्री महोदय ने जो काम किया है या जो सख्ती बरती है वह

[श्री राजाराम मिश्र]

काफी नहीं है । कानूनगो और लेखपालों में जो रिश्वत और भ्रष्टाचार फैला हुआ है वह तो ऐसा है कि पुराने पटवारियों से भी ज्यादा बढ़ गया है लेकिन हमारे एस० डी० ओज० और तहसीलदार उस तरफ ध्यान नहीं देते । मुजरिमों को जेल में पहुंचाना कोई आसान काम नहीं होता, इसलिये उनके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी हो जाता है जिनके खिलाफ शिकायतें आती हों । इसलिये मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में अवश्य कार्यवाही करें और इससे हमारे किसानों का कल्याण होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, मालगुजारी वसूल करने के सिलसिले में भी मुझे दो एक बातें कहनी हैं । वह यह कि यह ठीक है कि मालगुजारी सेंट परसेंट वसूल हो गयी लेकिन देखने में यह आया है कि हमारे अमीन साहबान जो जाते हैं वे १२ महीने भर लगान वसूल करते रहते हैं । पूस और माघ के महीने में जब किसान के पास कुछ नहीं रह जाता तो उस वक्त ये साहबान जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनसे पूरा लगान वसूल किया जाय और पुराने जमींदारों की सख्ती के मुकाबिले में उनकी सख्ती ज्यादा होती है । लोगों के पास खाने को नहीं होता लेकिन उनके मवेशी और बैल कुर्क किये जाते हैं । हमने यह भी देखा है कि ब्लैन्क फार्म रक्खे रहते हैं और दिखा देते हैं कि यह कुर्की के आदेश हैं, और उस तरीके पर भी वे लगान सेंट परसेंट वसूल करने की कोशिश करते हैं । लगान सेंट परसेंट वसूल हो लेकिन सहूलियत के साथ हो और सेंट परसेंट वसूल करने के लिये अधिक दबाव न डाला जाय । आपके आदेश जिलाधिकारियों के पास जाने चाहिये कि वसूली के लिये यह आवश्यक न होना चाहिये कि सख्ती की जाय और फसल कटने के बाद पूस और माघ के महीनों में भी जब कि काश्तकार मरता हो तब भी वसूली जारी रहे ।

इस विभाग के बड़े अधिकारियों ने गांव समाज के कार्यों की ओर उपेक्षा बरती है जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश के अधिवासी और भूमिहीन लोगों को भूमि नहीं मिल रही है । यह बात सही है कि यहां केन्द्र से मंत्री महोदय ने आदेश जारी किये हैं, लेकिन उनका पालन नहीं के बराबर होता है । कई मौकों पर जिलाधिकारियों का और एस०डी०ओज० का ध्यान दिलाया गया, लेकिन भूमिहीनों को जो भूमि मिलनी चाहिये वह भूमि उनको नहीं मिली, उसका बटवारा नहीं हो पाया, इसलिये कि गांव समाज के कार्य की ओर माल विभाग के कर्मचारी ध्यान नहीं देते । नतीजा यह हुआ कि जो भूमि व्यवस्था संशोधन कानून पास हुआ था उसका कोई फायदा वे नहीं उठा पाये ।

भूमिधरी के सिलसिले में जो दसगुना वसूल हुआ उनकी वापसी की बारे में बड़ी दिक्कतें दरपेश आयी । हर जिले में कुछ लोगों ने रुपया जमा किया और वह रुपया वापस होना चाहिये लेकिन वापसी के लिये जिले में बार-बार जाना पड़ता है फिर भी वापसी नहीं होती, दिक्कतें पेश आती हैं और मैं समझता हूं कि इसमें भ्रष्टाचार का माद्दा काफी अंश तक बढ़ गया है, जिसकी वजह से रुपया वापस नहीं होता ।

छोटे जमींदारों को मुआविजे के सम्बन्ध में भी काफी दिक्कतें हैं । जिसका १०, ५ रुपये का मुआविजा होता है उसे २, ३ रोज में भी मुआविजा नहीं मिल पाता, तहसील उसे जाना पड़ता है और वहां उसे जो दिक्कत और कष्ट होता है उसका जिक्र नहीं किया जा सकता । इसीलिये मुआविजा लेने के लिये वे लोग आते भी नहीं । उनको इसमें कुछ देना भी पड़ता है तब भी मुश्किल से उनका मुआविजा मिल पाता है । मैंने इस ओर श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य जो इस विभाग के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी थे और लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर का भी छोटे जमींदारों के मुआविजे की ओर ध्यान दिलाया और कहा कि मनी आर्डर के जरिये से उन्हें मुआविजा दिया जाय ताकि वहां पर जाकर दो-तीन रोज तहसील में ठहरने की और दौड़ने की दिक्कत से बच सकें, लेकिन नहीं मालूम क्यों उसमें कौन सी दिक्कत आ पड़ी या कौन सा कारण हुआ कि मनी आर्डर द्वारा लगान जमा कराने ऐसा तरीका मुआविजे के लिये मंजूर नहीं हुआ । इससे उन लोगों को काफी कष्ट हो रहा है । यह दो तीन बातें हैं लेकिन फिर भी ऐसी बातें हैं कि जिनसे प्रदेश के लाखों

आदमियों को राहत मिल सकती है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और गरीब काश्तकारों, छोटे जमींदारों को राहत देने का प्रयत्न करें।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—श्रीमन्, मैं अपने माल मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस अनुदान के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मुझे इस अनुदान पर साधारण बातचीत में कुछ कहना नहीं है लेकिन अभी रुड़की तहसील में जो घटना हुई है उसके सम्बन्ध में आपका और सदन का कुछ ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि रुड़की तहसील की फसल जो बहुत अच्छी थी और आशा की जाती थी कि पिछले कई सालों में भी इतनी अच्छी फसल उस तहसील में नहीं हुई होगी, एक बारगी वहां तूफान आ जाने और ओला पड़ जाने से काफी बरबाद हो गयी। मेरा अनुमान यह है कि गंगा नहर के दोनों ओर के करीब ५०, ६० गांवों में एक आना भी फसल नहीं रह गयी है और यह अंदाज करना कि दो आना, चार आना, छः आना या आठ आना फसल का कितने गांवों में नुकसान हुआ है मेरे लिये मुश्किल है। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में, जिसको कि रुड़की पूर्व कहते हैं, करीब २५, ३० गांव घूमे हैं उनमें कुछ ऐसे गांव हैं कि जिन में आज फसल का एक दाना भी नहीं मिलता और जमीन ऐसी साफ हो गयी कि ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले साल से इसमें कोई फसल बोई ही नहीं गयी। आशा है कि मंत्री जी इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर रहे होंगे लेकिन मैं अपने दो तीन सुझाव देना चाहता हूं। पहला तो यह है कि मैंने सुना है और अखबारों में पढ़ा भी है कि ५ हजार रुपया छूट दी जा रही है। मेरा कहना यह है कि रुड़की तहसील के जिन गांवों में एक आना भी फसल नहीं रही है उनको पूरी छूट मिलनी चाहिये लेकिन जिन गांवों में गेहूं की बोवाई होती है उनको दोनों फसलों की छूट मिलनी चाहिये। माननीय मंत्री जी जानते हैं कि उस इलाके में जो रबी की फसल बोते हैं वह खरीफ में उस जमीन में कोई बोआई नहीं करते और इसलिये जब उस फसल का उनको नुकसान होगा तो जरूर उनको रबी की फसल का और खरीफ की फसल का, दोनों का नुकसान होगा। बहुत से किसानों को रबी की फसल की छूट दी जायेगी लेकिन जो गेहूं की फसल बोने वाले हैं उनको दोनों फसलों की छूट मिलनी चाहिये। इसी प्रकार वहां पर जो पशुओं का नुकसान हुआ है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये और इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिये कि वहां के ५०,६० गांवों में जिनकी फसल बिल्कुल नहीं रही है उनको शिवालिक पहाड़ से इलाके में और पथरी के जंगलों में चराई करने की सुविधा मिले। आज उनको यह सुविधा नहीं है लेकिन जब उनकी फसल नष्ट हो गयी है तो उनको यह सुविधा मिलनी चाहिये और इसके लिये सरकार को प्रयत्न करना चाहिये। यह बात मैंने रुड़की तहसील की फसल के बारे में कही।

दूसरी बात यह है कि इस रुड़की तहसील में जिससे कि मैं आता हूं वहां बानगंगा द्वारा बहुत सी जमीन काटी जाती है। एक साल हुआ जब वहां विशनपुर और कुंडी गांव वालों की ओर से लिखा गया था कि हमारे गांव की जमीन कट रही है और इसलिये हमें पथरी में या कहीं और बसाया जाना चाहिये। मैं सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि वह इस ओर ध्यान दे और वह इन गांवों के लोगों को कहीं और बसाने का प्रयत्न करे।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि अभी कुछ वक्ताओं ने जमींदारियों का जिक्र किया है। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में भी कुछ सरकारी जमींदारियां हैं और वह हैं गंगा नहर के दोनों ओर या उसकी धारा के बीच में बहुत सी जमीनें ऐसी हैं कि जो ठेके पर दी जाती हैं। उन जमीनों से हर साल २०, २५ और कहीं-कहीं ३० रुपया प्रति बीघा सरकार लगान वसूल करती है। मैं समझता हूं कि सरकार को कुछ प्रयत्न करना चाहिए और जो नहरी जमीन मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में ठेके पर उठायी जाती है, उनका लगान या मालगुजारी उसी तरह की होनी चाहिये जैसा कि पड़ोस की जमीन की होती है और इस तरह से जो बोझ किसानों पर पड़ता है वह कम हो सकता है। अन्त में मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं। इस बजट में यह लिखा हुआ है कि बस्ती जिले में एक तहसील बहुत बड़ी है, और उसकी

[श्री दीनदयालु शास्त्री]

आबादी साढ़े चार लाख है, इसलिए वहां पर एक नौ-गढ़ नाम की एक नयी तहसील बनाने की योजना है। मेरे विचार में रुड़की तहसील की आबादी भी साढ़े चार लाख के करीब है, इस लिए मेरा सुझाव है कि उस तहसील के भी दो हिस्से किये जाने चाहिए। एक तहसील रुड़की रहे, और दूसरी हरद्वार में कायम की जाय, इससे काश्तकारों को बड़ी सुविधा हो सकती है।

अन्त में मैं मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने पिछले वर्षों से जब से यह कार्य सम्भाला किसानों के हित की दृष्टि से बहुत काम किये हैं। लेकिन जैसा मेरे पहले वक्ता ने लेखपालों के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, उसे सही दृष्टि से देखना चाहिए। पिछले पटवारी बहुत लोगों से रकम लेते थे, लेकिन वे शराफत बरतते थे, और यह देखते थे कि कौन कैसा है। लेकिन लेखपाल पहले ही बड़ी रकम लेने की इच्छा रखते हैं और साथ ही साथ उनका वैसा दृष्टिकोण नहीं रहता, जैसा कि पहले पटवारियों का होता था। इन बातों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं, उनको मन्त्री जी कार्यान्वित करने में शीघ्रता करेंगे।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी को अपने प्रान्त में किसानों की दशा सुधारने के लिए जो उन्होंने प्रयत्न किये हैं, उनके लिए बधाई देना चाहता हूं। जमींदारी विनाश कानून को कार्य रूप में परिणित करके, चकबन्दी का कानून लागू करके या इसी प्रकार के कितने कानून बनाये गये हैं, जितने समय से माननीय मन्त्री जी इस पद पर हैं, वे बहुत अच्छे कार्य किये हैं, जिसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाय, वह थोड़ी है, वे किसानों की दशा सुधारने में बहुत हद तक सफल हुए हैं। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि कुछ सुझावों को उनके सामने रखूं, और आशा करता हूं कि मन्त्री जी उन पर ध्यान देने की कृपा करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ा प्रश्न जो हमारे सामने है, जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने इस सदन में कई बार प्रश्न उठाया है, वह लेखपालों का है। पहले जो पटवारी थे, उनकी समस्या एक बड़ी समस्या थी, वह समस्या अवश्य सुलझायी गयी। २८ हजार पटवारी एक तरह से समाप्त कर दिये गये, और लेखपाल नियुक्त किये गये। इनकी शिकायतें भी हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कुछ उनकी कार्यपद्धति में भी दोष आ गया है। एक अधिकार जो लेखपालों को दिया गया है, वह है खाना कैफियत में इन्दराज करने का अधिकार। उनको अधिकार है कि वे इन्दराज कर दें, काबिज का नाम लिख दें। मैं मानता हूं कि यह एक कठिन समस्या है। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को बतलाना चाहता हूं कि इस कठिन समस्या को सुलझाना आवश्यक है, क्योंकि बहुत से इन्दराज दर असल जो काबिज नहीं हैं, उनके नाम में लिख दिये जाते हैं। और इसमें लेखपालों को रिश्वत लेने का मौका मिल जाता है, यद्यपि कि उस इदन्राज का महत्व कुछ नहीं है, परन्तु किसान बेचारा तो कुछ नहीं जानता है कि इन्दराज कर दिया गया और लेख-पालों को रकम लेने की गुंजाइश हो जाती है। लेखपालों के सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं, वह यह कि लेखपालों की जब नियुक्ति की गयी तो ख्याल यह किया गया था कि जितने लेखपाल होंगे उनके पद स्थायी रहेंगे, और यह ख्याल किया गया था कि वह अपने पद पर रहकर के काम करेंगे, इसी सदन में एक प्रश्न के जवाब में माननीय मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया था कि कोई लेखपाल हटाया नहीं जायगा। परन्तु जो ट्रेनिंग हुई है, लेखपालों की उसमें कुछ लेखपालों को ट्रेनिंग भी नहीं दी गयी है और जो ट्रेनिंग में भी आ गये, उनमें बहुतों को इम्त-हान में नहीं बैठने दिया गया। बहुत काफी संख्या ऐसे लेखपालों की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह सुझाव देना चाहता हूं माननीय मन्त्री महोदय को कि कोई लेखपाल, जैसा कि उन्होंने वचन भी दिया है, निकाला नहीं जाना चाहिए। उसको हटाना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे बेकारों की संख्या और बढ़ेगी। यदि कोई लेखपाल किसी के एवज में हो, तो उसको तो आप चाहे हटा दीजिये, लेकिन और जो दूसरे लेखपाल हैं, उन्हें न हटाया जाय। यह हमारा अनुरोध लेखपालों के सम्बन्ध में है।

दूसरी बात मुआविजे के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत बड़ी संख्या छोटे जमींदारों की रही है। बड़े जमींदारों की एक बात तो अलग रख दीजिये, लेकिन जो छोटे जमींदार हैं, उनको मुआविजा लेने में बड़ी कठिनाई पड़ रही है। जैसा हमारे इसी सदन में कई माननीय सदस्यों ने कहा है, तहसील में जाना पड़ता है, दरख्वास्त देनी पड़ती है, और यहां तक होता है कि अहलकारों को अच्छी तरह से रिश्वत भी देनी पड़ती है। कोई ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि जिससे घर बैठे उनको मुआविजे का रुपया मिल जाय। चाहे मनीआर्डर द्वारा हो या और चाहे जिस प्रकार आप कर दें, लेकिन ऐसे जमींदार जो कि छोटे हैं, जिनकी संख्या बहुत काफी है, उनको जो मुआविजे की रकम है, वह जब भी मिलनी हो, वह उनके घर पर मिल जाय। यह व्यवस्था होनी चाहिए। आप इसमें जो भी नियम रखना चाहें, वह रखें, परन्तु मुआविजे की रकम के लिए उनको बार-बार तहसीलों में जाना न पड़े। मैं स्वयं जानता हूं कई-कई मर्तबा उनको तहसील में जाना पड़ता है, और तब भी उनका रुपया उन्हें नहीं मिलता है और आखिर में वह हताश हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा होता यह मुआविजे का वचन ही न दिया गया होता।

दूसरी बात, चकबन्दी के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं और आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूं, जहां चकबन्दी होने जा रही है उस क्षेत्र के सम्बन्ध में, हमारे जिले में भी और हमारे क्षेत्र में भी नहर बनने जा रही है। उसके सम्बन्ध में किसानों में एक गलत प्रचार भी कर दिया जाता है कि उनकी जमीन निकल जायेगी। इसके बारे में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि किसान की जो जमीन निकल जाती है, जिस किसान की आराजी में से होकर वह नहर जाती है, उचित यह होगा कि वह जो जमीन नहर में निकल जाती है, वह उसी किसान की जमीन न निकाली जाय, जिनके कि खेतों में से होकर, वह नहर जाती है, बल्कि उतनी जमीन गांव की मुश्तर्का आराजी समझ करके गांव के रकबे में से घटा दी जाय। उदाहरण स्वरूप मान लें ५०० बीघा अगर गांव का रकबा है और दस बीघे आराजी में से होकर नहर जाती है, तो यह दस बीघा जब चकबन्दी की जाय तो सारे गांव के रकबे में से घटा दी जाय, अर्थात्, ४९० बीघा गांव का रकबा समझकर के चकबन्दी की जावें। इसमें किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि सभी आदमी इससे प्रसन्न होंगे, क्योंकि किसान कहते हैं और सही कहते हैं कि अगर मान लें, थोड़ी देर के लिए कि सारे गांव की तो भलाई होती है, लेकिन एक छोटा किसान है, दो बीघा उसकी आराजी है, उसी में से नहर चली गयी, तो वह बेचारा तो कहीं का नहीं रहा चाहे, मुआविजा कितना भी दे दिया जाय। इसलिए उचित यही होगा कि चकबन्दी करते वक्त नहर जितने रकबे में से जाती है, उसकी तकसीम गांव भर के लोगों के खातों में कर दी जाय।

मैं माननीय मन्त्री जी को एक और सुझाव देना चाहता हूं अपने क्षेत्र के सूखे के सम्बन्ध में और बाढ़ के सम्बन्ध में। हमारे यहां लोहरा एक गांव है, उसके आस-पास करीब २० गांवों में सूखा पड़ा था, खरीफ की कोई फसल नहीं हुई। लेकिन लगान की छूट का जो नकशा बना है, उस नकशे को मैंने देखा तो मालूम हुआ कि वह अजीब तरह से बना है। जिसका लगान है २५ रुपया तो उसको छूट दी जायगी, दो रुपया या ढाई रुपया। इस तरह से यह समझ में नहीं आता है कि हिसाब कैसे बन गया है। जिस आराजी में फसल नहीं हुई, तो जितना लगान उसका हो, वह माफ होना चाहिए। लेकिन, पता नहीं वह कैसे परता लगाते हैं। मुझे लेखपालों के कागजात देखने से बड़ी निराशा हुई। मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सूखे का जो नक्शा बने या बाढ़ का नक्शा बने, तो उसमें लगान की छूट इस तरह से दी जाय, कि जितनी आराजी में सूखा पड़ गया है, तो उसका जो लगान हो, वह सब माफ होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री महोदय, को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वह इन सुझावों पर ध्यान देंगे।

श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं माल मंत्री महोदय को, भूमि व्यवस्था तथा भूमि व्यवस्था कानून के सम्बन्ध में जितनी दिलचस्पी उन्होंने ली है और थोड़े ही काल में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन उन्होंने किये हैं, उसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार का कर्तव्य है कि कांग्रेस के प्रस्तावों को और नीति को कार्य रूप में परिणित करे। कांग्रेस जहां इस बात के लिये वचनबद्ध है कि वह ऐसी व्यवस्था को समाप्त करे जो शोषण को जन्म देती है, वहां वह ऐसी व्यवस्था को भी खत्म करने के लिये वचनबद्ध है जो विषमता को जन्म देती है। जब तक जोतों के आकार में विषमता बनी रहेगी तब तक न तो हम समाजवादी ढांचा ही कायम कर सकते हैं और न विषमता का अन्त ही कर सकते हैं।

आज हम यह देखते हैं कि जोतों के आकार में दस गुने, बीस गुने का ही फर्क नहीं है बल्कि हजारों गुने का फर्क है। कुमायूं की २३ प्रतिशत जोतें ऐसी हैं जिनमें आधे एकड़ से कम जमीन है और औसत जोत वहां पौने दो एकड़ से अधिक नहीं है। लेकिन ऐसी भी जोतें हैं जिनमें ५०० से लेकर ५,००० एकड़ तक भूमि है। जब तक यह विषमता रहेगी तब तक आर्थिक विषमता दूर नहीं हो सकती और न भूमि समस्या ही हल हो सकती है। इसीलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि वह भूमि का एक उच्चतम स्तर निर्धारित करें। कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में बार-बार इस बात को दोहराया है और प्लानिंग कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है, उसने केवल सिफारिश ही नहीं की है बल्कि यह शिकायत भी की है कि अभी तक सरकार उच्चतम स्तर निर्धारित करने में सफल नहीं हुई है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वे ऐसा कार्य करें जिससे भूमि का उच्चतम स्तर निश्चित हो और भूमि की जोतों की विषमता जल्द से जल्द समाप्त हो।

कुमायूं में ऐसे भी बड़े-बड़े फार्म्स हैं जो आबाद नहीं हो रहे हैं और उनके जो मालिक हैं वह उनको आबाद नहीं कर पाते हैं जब कि दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो भूमि के लिये परेशान हैं और जिनकी जीविका का एक मात्र साधन खेती है। एक तरफ गैर आबाद बड़े-बड़े फार्म पड़े हुये हैं और दूसरी तरफ हालत यह है कि लोगों को भूमि नहीं मिल रही है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि बड़े-बड़े फार्मों को समाप्त करके भूमिहीन लोगों को जमीन दिलाने की कृपा करें। जहां तक भूमि के सम्बन्ध में कुमायूं का प्रश्न है मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि कुमायूं का ज्यादा हिस्सा पर्वतीय है और वहां भूमि बहुत कम है। इसलिये तराई भाबर वाले हिस्से में ज्यादा से ज्यादा जमीन पहाड़ के भूमिहीनों को दी जाय। इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करूंगा कि बड़े फार्मों के अतिरिक्त जो भूमि तराई के जंगलात में है उसको डिफारेस्ट करके वहां के लोगों को दी जाय। मैं इतना स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जो भूमि पहाड़ के भूमिहीनों को तथा शिल्पकारों को इस दौरान में दी गयी है वह केवल कागज में दी गयी है, जहां तक उनको बसाने का सवाल है वह नहीं बस सके हैं क्योंकि जब तक उनको बसने के लिये विशेष सुविधायें नहीं दी जायंगी तब तक वे नहीं बस सकते हैं। तराई की जमीन में कांस इतनी तेज होती है कि जब तक सरकार की काफी सहायता नहीं होगी तब तक वे लोग, जो भूमिहीन हैं, जिनके पास पैसा नहीं है उसको आबाद नहीं कर सकते हैं। इसलिये मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि जहां वह कुमायूं के भूमिहीन लोगों को तराई में जमीन देती है, वहां सुविधाएं भी दे जिससे वे वहां आबाद हो सकें।

इसके अलावा सरकार जो बन्दोबस्त करने जा रही है उसके लिये मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि इसके लिये उसने १५ लाख रुपये इस बजट में रखे हैं। इस सिलसिले में दो एक सुझाव मैं रखना चाहता हूं। एक तो यह कि पहाड़ में जो पट्टियां हैं उनमें बहुतों का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है और वहां जो पटवारी होता है

उसको रेवेन्यू के अलावा पुलिस का भी कार्य करना पड़ता है। बड़ी पट्टी होने के कारण वह पट्टी का काम अच्छी तरह से नहीं देख पाता है। इसलिये पट्टियों की सीमा फिर से निर्धारित होनी चाहिये और वे इस प्रकार बनायी जायं जिससे एक पटवारी के क्षेत्र में कम से कम हिस्से पड़ें। अभी हाल ही में, सरकार को मालूम है या नहीं, मैं नहीं कह सकता, वहां जिले के बाहर के कुछ लोगों ने और कुछ जिलों के अन्दर के लोगों ने भी वहां के रहने वालों को काफी आतंकित कर रखा है, काफी चोरियां हो रही हैं और पटवारी का क्षेत्र इतना विस्तृत होता है कि वह उसकी देखरेख अच्छी तरह से नहीं कर पाता है और न उसकी देखरेख के लिये इतना वक्त ही दे पाता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार पट्टियों का क्षेत्र छोटे से छोटा बनाये जिससे पटवारी उसकी अच्छी तरह देखभाल कर सके। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि बहुत सी जमीन जिसकी मालगुजारी लोग अदा करते हैं किन्तु जो बाढ़ से या पैरे (स्लिप) की वजह से खत्म हो गयी है यानी जिसकी मालगुजारी तो ली जाती है, लेकिन जमीन खत्म हो चुकी है, ऐसी दरियाबुर्द जमीन की मालगुजारी माफ हो।

इसके अलावा जो कुमायूं वाटर रूल्स हैं उनके अनुसार पानी पर गांव वालों का ही अधिकार होता है। मेरी दरख्वास्त यह है कि पानी का जहां तक सम्बन्ध है उसमें सारे समाज का अधिकार होना चाहिये। ताकि एक गांव का पानी अगर किसी काम में न आ रहा हो तो दूसरे गांव के लोग उसे इस्तेमाल में ला सकें। इसलिये कुमायूं वाटर रूल्स में भी परिवर्तन किया जाना चाहिये ताकि सभी लोग उससे फायदा उठा सकें।

इसके अलावा कुमायूं काश्तकारी कानून में भी इस तरह की सुविधायें गांव सभाओं को या सार्वजनिक संस्थाओं को दी जाय जिससे वे अस्पतालों, पंचायतघरों, स्कूलों आदि के लिये जमीन के बारे में अगर दरख्वास्त दें तो जिस तरह से आर्डिनरिली उनको जितने का टिकट या स्टाम्प लगाना पड़ता है वह न लगाना पड़े और आसानी से उनको जमीन मिल सके और उनको प्रोत्साहन मिले।

मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं कि पर्वतीय जिलों के पटवारियों की पेंशन का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रश्न को भी जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करे। जिले के हेडक्वार्टर अल्मोड़ा में क्लर्क ऐसे हैं जो १४–१५ साल से अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक स्थायी नहीं हो सके हैं। उनके कार्य के बारे में भी कोई शिकायत नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि उन्हें स्थायी करने की वे कृपा करें।

कुमायूं के जिले पहाड़ी हैं जिसकी वजह से वहां की बहुत सी समस्याओं को वहां के अफसर जल्दी हल नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि वहां सब-डिवीजनल आफिसर के स्तर कुछ अफसर रखे जायं जिनकी टूरिंग डयूटीज हों। वह साल में ९ महीने दौरा करें और जिले के जमीन सम्बन्धी और दूसरे मसलों को मौके पर जाकर तुरन्त ही तय कर दिया करें।

अन्त में, मैं तराई कालोनाइजेशन एरिया के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जो मालगुजारी की दर फिक्स की गयी है वह खाम जमीन की मालगुजारी से ज्यादा है यानी दो रुपया से तीन रुपया फी एकड़ जहां खाम में है वहां तराई कालोनाइजेशन वाले एरिया में पांच रुपये से सात रुपये फी एकड़ मालगुजारी रखी गयी है, जिसके लिये वहां के सेटलर्स कई बार प्रार्थना-पत्र भी सरकार के पास भेज चुके हैं। इस ओर सरकार को गौर करना चाहिये। इसके अलावा जो उनको मकान दिये गये हैं उनके वैलुएशन के बारे में सरकार से उन्होंने कई बार मांग की है। उसकी इनक्वायरी भी हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। वहां पर मकानों का वेलुएशन अधिक है और आप जाकर देखें तो कई एक मकान तो टूट चुके हैं जब कि उन

[श्री गोवर्धन तिवारी]

की उम्र बीस पच्चीस साल आंकी गई है। इसलिये मैं सरकार से चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में भी वह गौर करे। वहां के सेटलर्स अच्छी तरह से बस सकें इसके लिए सिंचाई के साधनों का होना बहुत जरूरी है। यह सही है कि सरकार इसके लिये प्रयत्नशील है, लेकिन जितनी तेजी से वहां घास उगती है उसको देखते हुए वहां जल्द से जल्द सिंचाई का प्रबन्ध होना चाहिये ताकि वहां पर लोग बस सकें।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय राजस्व मंत्री जब अपना व्याख्यान दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस उत्तर प्रदेश में ५५१ गवर्नमेंट एस्टेट्स हैं। मेरा निवेदन है कि तराई नैनीताल, तराई भाबर एस्टेट्स में एक लालेसनेस प्रिवेल करती है। वहां पर कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। मुझे व्यक्तिगत जानकारी काफी है। हमारे यहां कोटद्वारा, भाबर, गढ़वाल की व्यवस्था एक अलग ढंग से की गयी है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि पहले इंजीनियर सर्विस के लोग सुपरिन्टेंडेंट हुआ करते थे अब एजिक्यूटिव आफिसर रख दिये गये हैं। लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं कि जो राजकीय व्यवस्था मालगुजारी के संबंध में अन्य जगहों पर है वह यहां पर क्यों नहीं है। गढ़वाल का तराई भाबर का इलाका लैंसडाउन तहसील में है। वहां पर एक एस० डी० ओ०, तहसीलदार और नायब तहसीलदार रहते हैं, लेकिन यह नहीं समझ में आता कि वहां खाम क्यों अलग रखा है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार के हाथ में क्यों नहीं दिया जाता? यह सही है कि वहां माल विभाग द्वारा कुछ तब्दीलियां हुई है, लेकिन वहां यह देखने की जरूरत है कि गढ़वाल तराई में जो पटवारी, कानूनगो या खाम रहते हैं उन्होंने अपने या अपने रिश्तेदारों के नाम जमीन को अलाट करवा लिया है और बाद को दूसरी जगह बिक्री कर दिया और पहाड़ में जो भूमिहीन लोग हैं जिनमें हरिजन अधिक हैं उनको अलाटमेंट नहीं हो पाता। जैसा कि पृष्ठ नं० १६ में कहा गया है कि बहुत सी भूमि गढ़वाल भाबर की खाली करा कर लोगों को अलाट कर दी जायगी, लेकिन वास्तव में जो भूमिहीन लोग हैं उनको यह भूमि अलाट नहीं की जाती। इसलिये यह देखने की आवश्यकता है कि सचमुच भूमिहीनों को भूमि अलाट की जायगी। और वही व्यवस्था अलग से खाम के लिये न रखकर जो वहां तहसील है उसको ही व्यवस्था दें और वहीं आर्डिनरिली व्यवस्था करें तो अच्छा होगा। इससे यह होगा कि माननीय मंत्री जी के पास जो शिकायत आया करती है वह नहीं आया करेगी।

दूसरी बात जो बहुत मुख्य है और जिसका जिक्र माननीय गोवर्धन तिवारी जी ने किया है वह यह है कि उत्तर प्रदेश में जितने पटवारी थे उनको लेखपाल कर दिया गया है और जो टैम्पोरेरी थे उनको परमानेन्ट कर दिया गया है, लेकिन कुमायूं डिवीजन में जो पटवारी थे उनको लेखपाल नहीं बनाया गया है। अगर परमानेंट होने के लिये लेखपाल होना जरूरी है तो फिर उनको लेखपाल बना दिया जाय तो अच्छा होगा, इससे वह परमानेंट हो जायेंगे। वह अपने माल विभाग के अलावा दूसरे विभागों का भी काम करते हैं। यहां लैंड रिफार्म कमिश्नर से जब उनका डेपुटेशन मिला तो उनसे कहा गया कि तुम्हारे केस पर ध्यान दिया जायगा, लेकिन अभी तक उनके केस पर कुछ नहीं किया गया जब कि वह सारे विभागों का काम करते हैं, पुलिस का, मवेशी का और कृषि का वह सभी विभागों का काम करते हैं। अगर उनको परमानेंट कर दिया जायगा तो मैं यह समझता हूं कि यह बहुत अच्छा होगा। हम समझते थे कि इस बजट में उनके लिये परमानेंट होने का कुछ प्रबन्ध किया जायगा, मगर कुछ नहीं किया गया है। हमें आशा है कि सरकार इस पर अपना ध्यान देने की कृपा करेगी।

एक बात और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कभी-कभी हमको ऐसा महसूस होता है कि शायद हम अपने यहां बिना सरकार के ही रहते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि कोई सरकार ही नहीं है। नैनीताल के लिये ऐसी बात नहीं है, टेहरी के लिये

ऐसी ही बात है। हमारे जिले का एरिया बहुत लम्बा चौड़ा है। सरकार ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। वहां के विषय में मैंने एक प्रश्न उठाया था कि वहां के लोगों पर मुसीबत आयी है तो उनके लिये तकावी का प्रबन्ध किया जाय, लेकिन उनके लिये तकावी का प्रबन्ध नहीं किया गया। मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां एक चमोली तहसील है जहां का मैं रहने वाला हूं। अगर किसी गांव का रहने वाला आदमी उस तहसील में आये तो उसको उस तहसील में आने के लिये, आदमी एक दिन में २० मील से ज्यादा नहीं चल सकता है तो ७५ मील आने और जाने के लिये, उसको ६ दिन लग जायेंगे, क्योंकि वहां पर आने जाने के लिये कोई साधन नहीं है। तो अगर तकावी लेने के लिये वह तहसील में जाता है तो २५,३० रुपये उसके वैसे ही खर्च हो जाते हैं, तो फिर तकावी लेने से उसको क्या लाभ हो सकता है? तो जितना रुपया आप उसको तकावी के लिये देंगे वह तो उसके आने-जाने में ही व्यय हो जायगा। उसको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिये सब से बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि जब आप गढ़वाल की ओर ध्यान दें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि गढ़वाल का एरिया ६ हजार स्क्वायर माइल का है और वहां पर तीन तहसीलें हैं और दूसरी तरफ नैनीताल में ३ हजार स्क्वायर माइल एरिया है और जनसंख्या ३ लाख की है किन्तु वहां पर ६ तहसीलें हैं, गढ़वाल की जनसंख्या ६ लाख ४९ हजार की है वहां पर खाली तीन तहसील है। तो सरकार को उस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है जिससे वहां पर ६ तहसील बन जायं और लोगों को कष्ट कम हो जाय। अगर कोई आदमी दूर के गांव से आता है तो उसको ७० मील चलना पड़ता है जिसमें उसके २५ और ५० रुपये तक खर्च हो जाते हैं। लैंस डाउन तहसील भी काफी बड़ी है और उसके अन्दर खाम भी आ जाता है। तो वहां पर जाने के लिये जब इतना लोगों का व्यय हो जाता है उससे क्या लोगों को लाभ हो सकता है? यह बात किसी प्रकार से भी नहीं होनी चाहिये कि वहां पर एक ही तहसील रहे। गढ़वाल के अन्दर कम से कम लैंस डाउन में भी दो तहसील होनी चाहिये और चमोली में भी २ तहसील होनी चाहिये। कम से कम एक स्थान पर ऐसे आप तहसील रखिये कि जिससे किसी को कोई कठिनाई न हो और आने-जाने में असुविधा न हो, आने-जाने में २५,३० मील से ज्यादा न चलना पड़े। कम से कम इतना तो एक दिन में आदमी जा सकता है। और दूसरे दिन तहसील से लौट आ सकता है। उस प्रकार दो दिन में उसका काम हो सकता है। ऐसे स्थान पर जिसकी दूरी ७० मील तक पड़ती हो और आने जाने का कोई साधन न हो तो इस प्रकार की तहसील उचित नहीं है।

एक बात की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान और दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां चमोली तहसील की बिल्डिंग बनाने के लिये सरकार ने रुपया भी मंजूर किया था, लेकिन वह अभी तक बना नहीं है। मैंने इसके बारे में प्रश्न भी पूछा था तो सरकार ने बतलाया कि हमारे पास रुपया नहीं है और उसमें ६ लाख रुपया लगने की बात है। हमारा बजट तो अरब तक बढ़ गया है, लेकिन हमारे यहां की तहसील की बिल्डिंग गोपेश्वर में बनाने के लिये रुपया नहीं मिलता है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वे उन बातों की ओर ध्यान दें और उन दिक्कतों को दूर करें जिनकी ओर हमने उनका ध्यान आकर्षित किया है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि रिकार्ड आपरेशन्स हो रहे हैं। कहीं उन आपरेशन्स में इतना लंबा टाइम न लग जाय कि वे खाली आपरेशंस ही रह जायं और भूमि-व्यवस्था केवल आपरेशन्स ही हो जाय। इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वे जल्द से जल्द कानून बनाने की व्यवस्था करें और उनके साथ ही साथ आपरेशन्स भी चलते रहें। इसके बाद माननीय मंत्री जी का ध्यान गढ़वाल के उन गांवों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहां पर जाने से ऐसा मालूम होता है कि यहां पर कोई सरकार ही नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि ऐसे छोटे-छोटे इलाकों में कम से कम तहसीलदार तो रख ही दिया जाय ताकि विकास के साथ-साथ हम उनके संपर्क में भी आ सकें। बहुत गांव बह जाते हैं, फूट जाते हैं और महीनों तक उनका पता भी नहीं चलता, इन बातों पर माननीय मंत्री जी ध्यान दें।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला हमीरपुर)—अध्यक्ष महोदय, आज आजादी प्राप्त होने के बाद इस प्रदेश के किसानों का आर्थिक और सामाजिक स्तर ऊंचा हुआ है तो उसका अधिकतर श्रेय माल विभाग को है। हम लोगों ने माल मंत्री जी को और इस विभाग को बधाई दी। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से हम लोगों द्वारा माननीय मंत्री जी को बधाई देना या धन्यवाद देना स्वतंत्रतापूर्वक नहीं हो सकता क्योंकि हम में से अधिकांश एक ही पार्टी के हैं जो सरकार का ही एक अंग है। जो चीज हम पास करते हैं वही सरकार की नीति होती है और मंत्री जी को उसी के अनुसार कार्यक्रम बनाना होता है। वास्तव में उसका सच्चा प्रमाणपत्र तो उनको किसानों द्वारा दिया जा सकता है। हमारे भाई पांडेय जी ने कहा कि सरकार ने अगर कुछ किया है तो वह माननीय मंत्री जी ने अपनी बुद्धि से किया है। लेकिन इस सबका प्रमाण वे बड़ी-बड़ी सार्वजनिक मीटिंग्स हैं जिनमें माननीय माल मंत्री जी जाते हैं और जिनमें २०-२०, २५-२५, ३०-३० हजार आदमी आते हैं वे कहते हैं कि सरकार ने बहुत कुछ किया है, लेकिन सरकार भविष्य में क्या करने जा रही है, वे इस बात को भी जानना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह बड़ी संख्या जिसमें किसान लोग इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं, पक्का प्रमाणपत्र है जिसके द्वारा सरकार को बधाई दी जाती है।

मैं अपने भाई श्रीचन्द्र जी के भाषण को सुन रहा था उस समय ऐसा मालूम पड़ रहा था कि हमारी सरकार मुजफ्फरनगर नगर जिले से बिलकुल बेखबर रही है, उसमें सरकार ने कुछ नहीं किया। यह मालूम पड़ रहा था कि मुजफ्फरनगर जिले में जमींदारी का अन्त ही नहीं हुआ, ऐसा मालूम पड़ता था कि वहां पर शिक्षा की वृद्धि भी नहीं हुई है, यह भी मालूम पड़ता था कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने भी वहां पर कुछ कार्य नहीं किया है; लेकिन जब हम इन बातों का जुडीशियल नोटिस लेते हैं, अधिनियमों को देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वहां पर जमींदारी का अन्त हुआ है, वहां की शिक्षा में वृद्धि हुई है, कितनी ही पाठशालायें वहां पर खुली हैं। उन्होंने कहा कि जो उनका क्षेत्र बुढ़ाना है उसमें किसी पक्की सड़क का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन जो पुस्तक हमारे सामने है उससे मालूम पड़ता है कि सहारनपुर दिल्ली सड़क जो बनी है वह उनके क्षेत्र में से जाती है।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, यह कायदे की बात नहीं है, यह पार्लियामेंटरी रीति के विरुद्ध है। जो बातें मैंने कहीं हैं वह बिलकुल सत्य हैं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—तो जो बात अभी मेरे बड़े भाई श्रीचन्द्र जी ने कही, मैं नहीं समझता कि किस तरह से उन्होंने कह दिया। साथ ही साथ मैं यह भी कह देना चाहता हूं और उस तर्क की पुष्टि करता हूं जो श्री द्वारका प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि वास्तव में जो छोटे-छोटे अलाभकर खाते हैं जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं उनसे मालगुजारी नहीं लेनी चाहिये। मैं समझता हूं कि यह बात एक सिद्धांत और उसूल के ऊपर आधारित है। हम देखते हैं कि कोई बड़ा बिजनेस मैन है जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेती है तो कुछ न कुछ उसका उसूल है, कुछ न कुछ उसका नियम है। एक सीमा है और इस सीमा के अन्तर्गत जो लोग व्यवसाय करते हैं, मसलन ले लीजिये कि जहां ४,२०० रु० का सवाल है कि ४२ सौ से नीचे के इनकम पर कोई टैक्स ही लिया जाता या हमारे यहां एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं दिया जाता तो उसका एक उसूल है। जो छोटे-छोटे लोग हैं वे जो रुपया कमाते हैं उससे अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे देश में ८७ फी सदी कृषक लोग हैं और कहा जाता है कि ४ या ५ एकड़ भी भूमि की औसत होल्डिंग नहीं है। मैं समझता हूं कि जो तर्क रखा गया है उसमें एक विशेष बल है और हमारे माल मंत्री जी निकट भविष्य में इस बात पर विचार करेंगे कि अलाभकर काश्तकारों को इन टैक्सों से मुक्त होना चाहिये।

हमारे भाई श्रीचन्द्र जी ने कहा कि सेक्रेट्री चाहे वह किसी भी विभाग का हो सकता है वे भ्रमण करते हैं और उनके ऊपर काफी रूपया खर्च होता है। मैं तो समझता हूं कि ये सेक्रेटरी भ्रमण नहीं करते हैं लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सेक्रेट्री और डिप्टी

सेक्रेट्री को चाहिये वे माल विभाग के हों, चाहे किसी विभाग के हों, कुछ रुटीन वर्क जो आफिस का होता है उसके अलावा भी वे जिले में जाकर वहां की वास्तविक स्थिति को देखें क्योंकि जिलों में बहुत सी कार्यवाही ऐसी होती है जिनके खिलाफ माननीय मंत्री जी के पास रेप्रेजेंटेशन भी होता है। तो वह रिपोर्ट के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के बाद थ्रू प्रापर चैनेल होते हुये, सेक्रेट्री और डिप्टी सेक्रेट्री से होते हुये माननीय मंत्री जी के पास जाता है। जो रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां से आती है अक्सर आगे भी चल कर उसी के ऊपर डिटो कर दिया जाता है। इससे कभी-कभी छोटे-छोटे लोगों के साथ अन्याय हो जाता है। मैं एक मिसाल दे देना चाहता हूं और यह माल विभाग की ही है। आज हमारे माननीय मंत्री जी को यह देखना चाहिये कि उनके जो छोटे-छोटे कर्मचारी है उनके साथ न्याय हो। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं और वह यह है कि पुलिस विभाग के एक कर्मचारी ने रेवेन्यू अथारिटी को यह पत्र लिखा कि अमुक लेखपाल को पृथक कर देना चाहिये क्योंकि उसकी वजह से देहात में शांति भंग होने की आशंका है। इसके खिलाफ दफा १०७ की कार्यवाही हो रही है। इसी रिपोर्ट पर लेखपाल को पृथक कर दिया गया, लेकिन जब मुकदमे में शहादत हुई और सबूत के गवाह आये तो गवाहों ने बतलाया कि पुलिस की तरफ से जो लेखपाल के खिलाफ रिपोर्ट है, वातव में असलियत तो यह है कि अगर शांति भंग होने का खतरा है तो उस थानेदार की तरफ से ही है। जो लेखपाल है वह तो बहुत ही अच्छा आदमी है और उसको सब लोग चाहते हैं। वह बड़ा ही जनप्रिय आदमी है इसलिये उसके पृथक करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। आप देखेंगे कि दो दिन पहले उसे पृथक कर दिया गया था और जब मुकदमे का निर्णय हुआ तो उसे बरी कर दिया गया। और जब उसका रेप्रेजेंटेशन हुआ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां अगर मैं यहां रेवेन्यू अथारिटी कहूं तो ठीक होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से यह समझा जा सकता है कि यह सामान्य जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की बात है, तो उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ बहुत सी ऐसी शिकायतें हैं। मैं समझता हूं कि सेक्रेट्री और डिप्टी सेक्रेटरी को कभी न कभी विशेष परिस्थितियों में जिलों में जाकर वहां की असलियत का पता लगाना चाहिये और उसे लाकर सरकार तथा मंत्रियों के सामने रखना चाहिये।

जहां तक लेखपालों के लिये यह कहा गया कि उनके अन्दर भ्रष्टाचार है, मैं यह कहता हूं कि भ्रष्टाचार अवश्य है और मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा विभाग है जहां कि भ्रष्टाचार न हो लेकिन माल विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार में कुछ कमी अवश्य हुई। लेकिन मैं यह भी सरकार को सुझाव दे देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं उस प्रकार से भ्रष्टाचार समाप्त होने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूं कि जो छोटे-छोटे सूबे हैं जैसे पंजाब और राजस्थान वगैरा वहां भी एन्टी करप्शन बोर्डस हैं और उनके द्वारा वहां करप्शन दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है, उनमें सरकारी और असरकारी दोनों तरह के लोग हैं जो वहां भ्रमण करके प्रयत्न करते हैं। यू० पी० में कौन बोर्ड है उसके कौन सदस्य हैं यह हमें नहीं मालूम हो सकता, लेकिन जहां तक भ्रष्टाचार की समाप्ति का प्रश्न है, मैं समझता हूं मंत्री जी को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये। हालांकि उनका भय और डर विभाग में भी व्यापक हो रहा है लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार खत्म किया जा रहा है वह वैसे खत्म नहीं होगा और उसके लिये सूबे में कोई दूसरी व्यवस्था लानी पड़ेगी।

*श्री राजनारायण (जिला बनारस)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय माल मंत्री जी के अनुदान पर सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष के कई भाषण हो चुके, एक बात की मुझे प्रसन्नता अवश्य है कि सरकरी पक्ष के सदस्यों की आंखें खुलीं और वह अब इस सदन में कुछ सत्य बातों का उद्घाटन करने लगे हैं और मेरी प्रलन्नता और बढ़ी जब कि गत वर्ष मैंने कुछ सम्मानित सदस्यों को देखा था कि जमीन के बटवारे के प्रश्न पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

उन्होंने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा था कि जमीन के बटवारे की समस्या उत्तर प्रदेश में नहीं है और इस वर्ष कुछ पद के हेरफेर में मुक्त कंठ से जमींनों के बटवारे की समस्या यहां बताई जा रही है। अच्छी बात है। अब माननीय मंत्री जी को कम से कम इतना तो समझ लेना चाहिए कि हमने इस सदन में और इस सदन के बाहर भूमि वितरण के समस्या के विषय में जो अपनी आवाज बुलन्द की उसका इतना असर अवश्य हुआ कि इस सदन के सरकारी पक्ष के सम्मानित सदस्य भी भूमि के बटवारे के सवाल पर अपनी राय प्रकट करने लगे। अब मंत्री जी यह नहीं कह सकते कि केवल विरोधी दल एलेक्शन प्रचार या राजनैतिक प्रचार के लिए भूमि के बटवारे का सवाल उठाता है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी जो इसके पूर्व इस सदन में बुद्धि विभ्रम में थे अब उनका वह बुद्धि विभ्रम दूर हो गया है और अब वह भूमि के बटवारे के सवाल को अपने सामने रखेंगे।

इस होली की छुट्टी में मुझे तीन चार जिले के लोगों से मिलने का अवसर मिला, आजमगढ़, बनारस, गाजीपुर और मिर्जापुर। इस समय चूंकि समय कम है मैं सैद्धान्तिक पहलुओं को रखने में समय नहीं लगाऊंगा। मैं केवल कुछ उदाहरण सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा जिनके आधार पर सदन के सदस्य जान सकें कि कैसी अराजकता हमारे सारे सूबे में इस समय फैली हुई है। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण का उद्घाटन करते हुये कहा था कि उनके तमाम कर्मचारी अच्छे हैं, चकबन्दी के कर्मचारी अच्छे हैं, लेखपाल अच्छे हैं, तहसीलदार अच्छे हैं, ठीक है यदि वे सब अच्छे हैं तो उनके कुछ कारनामे मैं उदाहरण स्वरूप माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं और उनको सुनकर वह बतायें कि वह अच्छे हैं तो फिर खराब कौन है ?

आज कल सरकारी पक्ष के मंत्री लोगों ने एक आदत सी डाल ली है और वह केवल प्रचार के लिए ही यह कहते हैं कि अगर सोशलिस्ट पार्टी के लोग पदों में आ जायंगे तो वह तो सारे के सारे कर्मचारियों को निकम्मा समझते हैं और उनसे किसी का लाभ नहीं होगा, सरकारी कर्मचारियों से इस तरह की बातें कही जाती हैं तो बाहर दूसरे तरीके से प्रचार किया जाता है कि उनमें खामी नहीं है और अगर सरकारी कर्मचारियों में खामी नहीं है तो सरकार में खामी है और सरकार स्वतः सरकारी कर्मचारियों को उन खामी भरे हुये रास्तों से ले जाना चाहती है।

श्रीमन्, माननीय गेंदा सिंह जी ने मिर्जापुर जिले की एक कहानी कही। लाल जी सिंह कोई नये आदमी नहीं हैं। वे पुराने ब्रिटिश साम्राज्यशाही के जो खूनी पंजे यहां गड़े हुये थे उसको तोड़ने में उन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी की। २६ तारीख को उनको तहसील में बुलाया जाता है और उनसे एकाएक कहा जाता है कि आप पर वारेन्ट है और आप गिरफ्तार किये जाते हैं। २८ तारीख को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जाते हैं और उनके सामने किसानों का प्रदर्शन लालजी सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में होता है और वहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि इनके ऊपर लगान बाकी रहा है, वह अदा कर दीजिये .और आपकी रिहाई हो जायगी। यद्यपि उस इलाके के लोगों में यह बात आयी कि जो इस क्षेत्र में नहरी रेट की वसूली नहीं हो रही है उसको वसूल करने के लिये और आतंक पैदा करने के लिये लालजी सिंह को गिरफ्तार किया गया क्योंकि लालजी सिंह जो वहां नहरी आन्दोलन चला था उसके अगुवा थे और जेल भी गये थे। श्रीमन्, भूमिकर न देने पर उसके अपराध में एकाएक गिरफ्तारी का होना आश्चर्यजनक बात है। मगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के कहने पर तीन तारीख को और श्रीमन्, मेरे पास रसीद है कि तीन तारीख को उनके घरवालों ने पूरा लगान भूमिकर का अदा कर दिया। उसको अदा कर देने के बाद भी ११ तारीख तक उनकी रिहाई नहीं हुई। ११ तारीख को बनारस से मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को फोन किया और तब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहता है कि उनकी गिरफ्तारी केवल भूमिकर के अदा न करने पर ही नहीं हुई थी।

लेकिन पहले कहा था कि भूमिकर अदा न करने पर गिरफ्तारी है, तो जब भूमिकर अदा हो गया तो फिर क्यों डिटेन किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि आप रसीद भेज दीजिये। हमने रसीद भेज दिया और तब जाकर ११ तारीख को ६ बजे शाम को चुनार तहसील में से छोड़ दिये गये यह क्या है। मैं राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यद्यपि हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिये जनतंत्र की रक्षा के लिये यदि ऐसे एक तहसील के कर्मचारी के ऊपर मुकदमा चलाने की जरूरत पड़े तो सरकार खर्चा दे और फिर देखिये मुकदमा चला कर कि ऐसे काम क्यों हो रहे हैं।

श्रीमन्, मैं आजमगढ़ गया हुआ था। आजमगढ़ जिले की यह चिट्ठियां मेरे पास मौजूद हैं। ग्राम अमिरौली में २२ घर हरिजनों के हैं और जो हरिजन हित रक्षक यहां पर है वह भी देखें कि उनकी क्या दुर्दशा है। दो सौ प्राणी उनके यहां हैं और २२ बीघा खेत जो उनको मिला हुआ था उन पर वही काबिज थे वही जोते हुये थे लेकिन आज उनके घर वाले अपने खेतों से बेदखल किये जा रहे हैं और आज उनके ऊपर नाना प्रकार से मुकदमे चला कर उनको परेशान किया जा रहा है। इसी तरह से फतेहपुर ग्राम के मुसलमानों का मामला है। हर इन्साफ पसन्द आदमी जानता है कि खेत उनके थे और हैं लेकिन दूसरे आदमियों को उभार कर खड़ा किया जा रहा है और अनुचित तरीके से उनके नाम कटवाकर दूसरे लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं।

श्रीमन्, गाजीपुर के बारे में एक पत्र माननीय मंत्री जी की सेवा में रखना चाहता हूं जो सैदपुर थाने का है और वहां के प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता शिवमूर्ति सिंह जी ने हमारे पास भेजा है। उन्होंने वहां के कई हरिजनों के नाम उसमें लिखे हैं, शिव-वरन, घासू, दाहू, जयकरण, ये हरिजन ऐसे हैं जिनके ऊपर तीन-तीन वर्ष से मुकदमा चल रहा है। कोई बाबा मंशा राम है उनके ऊपर मुकदमा चलाते-चलाते परेशान हो गये तो जौनपुर जिले में उनके ऊपर नाजायज तरीके से मुकदमा चलाया जा रहा है और तरह-तरह के चोरी वगैरः के मुकदमों में उनको फंसाया जा रहा है। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि मिरजापुर, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर के गरीब किसान हैं यदि वे अपने हक से वंचित नहीं किये जा सकते हैं पशुता के बल पर भी तो उन किसानों के ऊपर दूसरे तरह के मुकदमे दूसरे जिलों में चलवा दिये जाते हैं। कोई मुकदमा चोरी के नाम पर चला दिया जाता है, और कोई मुकदमा किसी दूसरे नाम से चला दिया जाता है। आखिर इसके लिये क्या व्यवस्था होगी। कहने को सरकार कह सकती है कि आखिर इस मामले में क्या हो। मामले जो चलाते हैं वे देखें। मगर यह सत्य है कि किसानों पर जबरदस्ती नाजायज तरीके से मुकदमे चला कर झूठे मुकदमे चला कर उनको खेत से इस्तीफा देने के लिये बाध्य किया जाता है। अगर सरकार दत्तचित्त है, कर्तव्यनिष्ठ है और सरकार चाहती है कि किसानों पर जबरदस्ती न हो, जिनका हक है वह नाहक में परिणत न किया जाय तो सरकार का कर्तव्य है कि सरकार कोई न कोई योजना और व्यवस्था इसके लिये करे और सरकार के पास कानूनी तौर पर भी ऐसी अव्यवस्थाओं को रोकने की ताकत हो और उस जिले में सरकार मुकदमा भिजवा सकती है।

(लाल बत्ती के जलने पर)

यह लाल बत्ती बर गई। जरा कृपा कीजियेगा क्योंकि यह माल का मामला है और सारे प्रान्त की जनता से सम्बन्धित है। इसलिये निवेदन है कि जरा वक्त अधिक दिया जाय। जो गलत मुकदमों को विभिन्न जिलों में चला कर किसानों को परेशान किया जाता है और जबरदस्ती इस्तीफा दिलाने की बात की जाती है उसके लिये सरकार की ओर से कोई व्यवस्था होनी चाहिये। मैंने इस सदन में माननीय माल मंत्री जी से निवेदन किया था कि दो-दो, तीन-तीन चार-चार, छः-छः हजार दरख्वास्तें एक-एक हाकिम परगना के यहां पड़ी हुई हैं, झूठी दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं, उसके सबूत में मेरे पास एक कागज है पिछड़ी जाति वाले का जिसके ऊपर मुकदमा कोर्ट में दाखिल किया लेकिन जो सरमाया-दार हैं, एक दूसरे मैजिस्ट्रेट साहब की मोहर व दस्तखत से उसका नाम कटवा दिया

[श्री राजनारायण]

जाता है और जब ८८१ नं० के मुकदमे से उसका नाम काट दिया गया तो फिर उस नम्बर का मुकदमा दिखाई नहीं पड़ता। यह सब बनारस की हालतें हैं जहां के दो-दो सम्मानित मंत्री सदन में विराजमान रहते हैं। यह पूरी फाइल जो मुकदमे के सम्बन्ध में आई हुई है उसे मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में भेजूंगा। ऐसी बातें अभी सभी क्षेत्रों में हैं चाहे आप जहां जाइये चाहे वे इन्दराज दुरुस्ती से सम्बन्ध रखती हों, चाहे लगान वसूली की हों, चाहे अधिवासी और सीरदार की हों, चाहे वे सिंचाई की हों, चाहे वे बड़ी बड़ी मीटिंग्स से सम्बन्ध रखती हों, माननीय मंत्री जी बतलायें कि वे कहां सफलता देखते हैं। मैं ऐसा इसलिये नहीं कहता कि राजनैतिक प्रचार हो या विरोधी दल में जब तक रहूं तब तक माननीय माल मंत्री की नुक्ताचीनी करूं। जिस-जिस बात को मैंने उनकी सेवा में उपस्थित किया है मैं उनके साथ सफाई के लिये बैठने के लिये तैयार हूं, जांच करवाने के लिये तैयार हूं लेकिन वे कोई कदम तो उठावें।

यादव जी की एक बात का मैं जवाब दे देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बड़ी-बड़ी सभायें माननीय माल मंत्री के स्वागत में होती हैं। १०, १० और १५, १५ हजार की सभायें होती हैं। उनसे प्रसन्नता की अनुभूति माल मंत्री जी को हो। सदन के सम्मानित सदस्यों को हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन यह कहना चाहता हूं कि जो लोग मालमंत्री की सभाओं में आते हैं वे इसलिये जाते हैं कि माल मंत्री की सदन में घोषणायें और माल मंत्री के बाहर कारनामे दोनों में परस्पर विरोध है। वे यह देखते हैं और समझने के लिये आते हैं कि माल मंत्री सदन में तो बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं कि सोशलिस्टिक पेटर्न आफ सोसाइटी बनायेंगे, विषमता लोप करेंगे, वर्गविहीन समाज की स्थापना करेंगे लेकिन जितने काम हो रहे हैं वे सब उल्टे हो रहे हैं--रिश्वतखोरी बढ़ रही है, चोर-बाजारी बढ़ रही ह, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य को १५ मिनट दे चुका, अब अधिक समय नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण--अच्छी बात है। उस बार चकबन्दी का जिक्र करते हुए माननीय माल मंत्री जी ने उन्नाव की चर्चा करते हुए कहा कि वहां प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने उनकी मीटिंग भंग की। मैंने उनको लिखा कि उन्होंने मीटिंग भंग की तो रिपोर्ट मेरे पास यह आई कि यह बिल्कुल ग़लत है, झूठ बात है, हम लोग तो नहर रेट के विरोध में अपनी मांग उनके सामने रखने जा रहे थे। यह कहने जा रहे थे माननीय माल मंत्री से कि मंत्री जी, नहर के रेट बहुत ऊंचे हैं, बहुत बढ़े हुए हैं और इसलिये नहर के रेट को घटाइये।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य कृपा करके भाषण समाप्त करें।

श्री राजनारायण--तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जितना भी माल विभाग का काम है उस काम में सफलता उनको दिखाई देती है मगर वह सफलता आम जनता के लिये नहीं है। आम जनता के लिये वह सफलता हो सकती है अगर सरकार उसको उस तरह पर करे। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय माल मंत्री से एक बात पूछना चाहता था, भूल गया। बनारस के अखबारों में मैंने बड़े-बड़े हरुफों में पढ़ा काश्तकार संघ का नाम। अखबारों में निकला कि माननीय मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश ने कांग्रेस कमेटी के बड़े-बड़े रहनुमाओं की मदद से एक काश्तकार संघ बनाया और उसे भेजा। वह काश्तकार संघ भदोही में गया और उसने जो सरकार का कानून है, जिसे माल मंत्री ने बनाया है उसके विरोध में मीटिंग की। वह संघ हमारे माल मंत्री के बनाये कानून के विरोध में प्रचार करता है, प्रदर्शन करता है और प्रस्ताव पास करके

भेजता है। यह क्या बात है? कांग्रेस के लोग यहां कोई बात नहीं करते, यहां वे यह नहीं कहते कि यह योजना गलत है, यह कानून नहीं बनना चाहिये, इसको न कार्यान्वित करें लेकिन जो कानून बना उसका विरोध बाहर निकल कर करते हैं। जिस पार्टी की सरकार ने कानून बनाया उसी पार्टी के लोग बाहर निकल कर उसका विरोध करें, यह समझ में नहीं आता। तो मैं माननीय माल मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता था कि वह देखें कि यह काश्तकार संघ क्या है और इस पर वह विचार करें।

श्री चरण सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, जो तकरीरें माननीय सदस्यों ने की हैं और जो सुझाव उन्होंने देने की मेहरबानी की है उनके लिये मैं बहुत-बहुत उनको धन्यवाद देता हूं, अगरचे कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव शायद ही दिया गया हो। जो सुझाव दिये गये हैं वह अधिकतर एक पहलू लेकर दिये गये हैं, सभी पहलुओं पर गौर नहीं किया गया। लेकिन फिर भी उनमें से अगर कोई भी, मैंने सब बातें नोट की हुई हैं, मैं अपने इन नोटों को फिर देखूंगा और अगर कोई भी ऐसी बात होगी और अगर कोई ऐसा मसविदा होगा कि जो काबिले अमल हो तो मैं उस पर अमल करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अधिकतर बातें नुक्ताचीनी के तौर पर बयान की गईं और मैं आपकी इजाजत से उनका जवाब देना जरूरी समझता हूं।

पहली बात यह कही गयी कि जमीन की तकसीम हो जानी चाहिये। वह तो मैं जानता था कि यह मामला आने वाला है। पीसे हुये को फिर पीसा जायगा। माननीय गेंदा सिंह जी ने अभी कुछ दिन हुए इस आशय का एक प्रस्ताव पेश किया था और यह सदन उसको नामंजूर कर चुका है। उसके थोड़े से अर्से के बाद ही फिर उस सवाल को उठाना, मैं नहीं समझता कि इससे क्या मतलब हल होता है, सिवाय प्रचार के। मैं यह मानता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी ने जो कुछ भूमि वितरण के सम्बन्ध में कहा, उनके उन स्पेशश आर्गूमेंट, प्लाजिबिल आर्गूमेंट, देखने में भले लगने वाले आर्गूमेंट की रौ में भले ही कुछ हमारे एक दो दोस्त इधर उधर के भी बह गये हों लेकिन मैं उम्मीद यह करता था माननीय गेंदा सिंह जी से भी .....

एक सदस्य--माननीय पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी भी कह गये।

श्री चरण सिंह--और अपने दोस्तों से भी कि अगर वह इस पर विचार करेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि भूमि वितरण की समस्या हमारे प्रदेश में नहीं है। यह मैं किसी हिचकिचाहट के साथ नहीं कहता हूं बल्कि विश्वास के साथ कहता हूं। भूमि वितरण हो, यह एक नारा है, बहुत अच्छा है। श्रीमन्, माननीय गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव पर बहस के दौरान में मैंने स्वीकार किया था और आज भी स्वीकार करता हूं, मानता हूं और आज से नहीं बहुत दिनों से मानता हूं कि हमारे देश की स्थिति में छोटे खाते ही लाभकर हो सकते हैं। उससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है और फी एकड़ ज्यादा पैदावार होती है और-और भी लाभ हैं, जिनकी तफसील में मैं जाना नहीं चाहता। मेरा ही सवाल नहीं बल्कि हमारी जो नान-आफिशियल आर्गनाइजेशन है, जिससे यह सब दोस्त वास्ता रखते हैं, उन्होंने भी सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार किया है। लेकिन देखना यह है कि आया इस देश में इसकी आवश्यकता शेष है या नहीं। अगर शेष है तो श्रीमन्, इस गवर्नमेंट को उस पर अमल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।

मैंने जैसा उस वक्त भी कहा था कि हमारे यहां आज दुनिया में चीन और रूमानिया को छोड़ कर सब से ज्यादा आदमी खेती पर लगे हुए हैं। भारतवर्ष में ७० फीसदी, चीन में ७३ और रूमानिया में ७२ फीसदी खेती पर लगे हुए हैं। मैं इस दलील को

[श्री चरणसिंह]

केवल भूमि वितरण के ख्याल से नहीं दे रहा हूं, बल्कि कन्सीडरेशन के तौर पर इस दलील को आपके सामने रख रहा हूं कि क्या सब को खेती करा देनी चाहिये? क्या १०० के पीछे १०० आदमी खेती करने लगें तो देश का हित होगा? श्रीमन्, नहीं, यह देश जितना आज गरीब है उससे ज्यादा गरीब हो जायगा, अगर ज्यादा आदमी खेती करें जितने आज कर रहे हैं। यू० पी० में ७४.२ खेती पर लगे हुये हैं, निस्संदेह दुनिया में सब से ज्यादा हमारे यहां खेती में लगे हुये हैं। दूसरा नम्बर चीन का आता है। तो हमारे सूबे में गरीबी का एक कारण यह है कि इतने ज्यादा आदमी खेती पर लगे हुए हैं। श्रीमन्, गैर जराअत पेशे की आमदनी सवा चार गुनी होती है, जराअत पेशे की आमदनी के मुकाबले में। इसलिये दुनिया की सब गवर्नमेंटें यही कोशिश कर रही हैं कि लोगों को जमीन से हटा कर दूसरे रोजगार दिये जायं जिसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिका में १८ फीसदी, इंगलैण्ड में ६ फीसदी आदमी खेती में लगे हुए हैं, और भी जितने उन्नतिशील देश माने जाते हैं उन सब में खेती करने वालों की संख्या घटती गई है, हर सेन्सस में। लिहाजा सब आदमियों को जमीन देना मैं समझता हूं कि देश के हित में नहीं होगा। इसलिए यदि इस दृष्टि से यह बात कही जाती है तो वह ठीक है नहीं। पूर्व के जिलों में ८५ फीसदी आदमी खेती पर लगे हुये हैं। माननीय गेंदा सिंह जी के जिले में ८७ फीसदी आदमी खेती करते हैं। नतीजा यह है कि २.९७ एकड़ फी परिवार जमीन आती है। पश्चिमी जिलों में ४३.४५ आदमी खेती पर लगे हुए हैं, इसीलिये जमीन ६ एकड़ फी परिवार आती है। जमीन बराबर बांट दी जाय तो पर कैपिटा बराबर आयेगी ईस्ट में भी वेस्ट में भी। लेकिन पश्चिमी जिलों में खेती के अलावा और दूसरे कामों में भी लोग लगे हुए हैं। इसलिये जहां और कारण है वहां यह भी एक है। अतः ८७ फी सदी आदमी जब खेती करते हैं और हालत सन्तोषजनक नहीं है तो क्या शेष १३ फीसदी को भी अगर जमीन दे दी जाय तो हालत अच्छी होगी? निस्संदेह अच्छी नहीं होगी, खराब होगी।

श्रीमन्, अब सवाल यह रहता है कि हमारे यहां जमीन है कितनी तकसीम करने के लिये? मैं कितनी बार उन बातों को कह चुका हूं लेकिन फिर वही बात कही जाती है। हमारे यहां १३५१ फसली में, आज १३६२ फसली है, अब से ठीक ११ वर्ष पहले १,१४,६५५ खाते थे जो २५ एकड़ से ज्यादा के थे और जिनका रकबा ५३ लाख एकड़ बैठता था। अगर सबके पास ३० एकड़ जमीन छोड़ दी जाय तो १८ लाख एकड़ जमीन तकसीम करने के लिये मिलती है। लेकिन इस १८ लाख एकड़ में से उन लोगों का रकबा निकालना होगा जो कि सीर के गैर-दखीलकार काश्तकार हैं, बड़े जमींदारों के सीर के गैरदखीलकार काश्तकारों को हमने पहले सीरदार बना दिया था, छोटों के अधिवासी कहलाते थे, उनको अब हमने सीरदार बना दिया, उनके पास दस लाख एकड़ जमीन है। तो यह दस लाख निकाल देने के बाद जो जमीन हमें अवेलेबुल होगी वह आठ लाख एकड़ ही बची। इस आठ लाख में, श्रीमन्, हमको बुन्देलखंड का लिहाज रखना पड़ेगा। बुन्देलखंड में ६० एकड़ के बराबर माना जाता है क्योंकि वहां के दो एकड़ सूबे के और हिस्सों के एक एकड़ के बराबर हमेशा माने जाते रहे हैं। तो इसमें २५ एकड़ से ज्यादा जो १,१४,६५५ खाते हैं उनमें से २९,००० खाते केवल बुन्देलखंड के हैं। उस २९ हजार में से ४।५ कम से कम ऐसे होंगे जो ६० एकड़ के होंगे। इस तरह २३ हजार या २४ हजार खाते निकल गये तो ९० हजार खाते मिलते हैं। एक चौथाई खाते तो उसमें हुये बुन्देलखंड में। इसलिये आठ लाख में से ६ ही लाख बचा। यह सन् १९५१ की बात मैं बतला रहा हूं। तब से कुछ वर्ष बीत गये। २५ साल में एक पीढ़ी बदल जाती है। इसलिये कम से कम ४० प्रतिशत खाते तकसीम हो चुके, सक्सेशन के जरिये तकसीम हो चुके, वैसे नहीं। ६ लाख में से अगर ४० परसेंट जमीन निकाल दी जाय तो ढाई लाख निकल गई, श्रीमन्, साढ़े तीन लाख एकड़ बच जाती है तकसीम करने के लिये। बड़े-बड़े खाते, कुल खाते १०० एकड़

से ज्यादा के जो हैं, वह २५९१ हैं। बेशक जैसा मैंने कहा मैं उसूलन मानता हूं कि बड़े खाते लाभदायक नहीं। लेकिन अगर हम इसमें जमीन उनकी अक्वायर करें, उनको मुआवजा दें और उनको तकसीम करें, तो बेशक कुछ लोगों को जमीन मिल जायगी लेकिन जो आज सिचुएशन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। हमारे सूबे में बाकी हिन्दुस्तान के मुकाबिले में सबसे कम बड़े खाते हैं, सबसे ज्यादा खेती करने वालों की तादाद है और सबसे कम भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की तादाद हमारे यहां है। १३.७ परसेंट कुल इंडिया में और ५.७ परसेंट हमारे यहां है। तो जो सिचुएशन दूसरी जगहों पर है, जितनी तीव्र या जितनी खराब, या अच्छी, मैं उसमें बहस नहीं करना चाहता दूसरे सूबे की स्थिति पर, लेकिन वह सिचुएशन हमारे यहां नहीं है।

हमने यह कहा कि जिनके पास बड़े खाते हैं उनका फर्ज है कि वह ज्यादा टैक्स दें। लिहाजा ऐग्रीकल्चरल इनकमटैक्स ज्यादा हमने उन पर लगा दिया परन्तु उनकी भी माननीय गेंदासिंह जी कभी-कभी हिमायत करते हैं और किसानों का जब नाम लेते हैं तो ऐग्रीकल्चरल इंकम-टैक्स की भी बात कर देते हैं। ऐग्रीकल्चरल इंकमटैक्स २५ एकड़ से कम पर नहीं लगता।अगर एफिश्येंटली कल्टीवेशन नहीं करेंगे तो दे विल सैल आउट। उसके लिये आप पास कर चुके हैं कि तीन साल से जो जमीन खाली पड़ी हुई है उसे गवर्नमेंट एक लम्बी मुद्दत के लिये लगान पर ले लेगी और कलेक्टर को हमने आदेश दिये हैं कि ३० एकड़ से ज्यादा जमीन की देखभाल वह लेखपालों के ऊपर न छोड़ें और आज से नहीं बल्कि जब से कोई जमीन खाली पड़ी है उसी समय से तीन साल की यह मुद्दत गिनी जायगी। मान लीजिये कोई जमीन दो साल से खाली पड़ी है अगर एक साल और बीत जाय तो तीन साल हो जायेंगे। आप देखें कि क्या यह आवश्यक है? "इज इट वर्थ व्हाइल?" बात लगती हो या न लगती हो लेकिन हर समय उसी का जिक्र करना क्या ठीक है? माननीय मौर्य जी ने गालिबन किसी और रोज और आज एक बात कही कि २९.४ प्रतिशत जमीन ४.४ आदमियों के पास है। वह आंकड़े उन्होंने जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट के वोल्यूम दो में से लिये हैं, वह ठीक हैं। लेकिन उसमें एक बात वह भूल जाते हैं कि उसमें किसानों की तादाद १ करोड़ २३ लाख है और किसानों के परिवार दरअसल में ८५ लाख ही हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन यह है कि बड़े किसानों के पास एक ही खाता है और छोटों के पास चार-चार खाते हैं। लिहाजा इसमें जो लिखा हुआ है कि इतने आदमियों के पास २ एकड़ या ५ एकड़ है लेकिन आदमी कम हैं क्योंकि एक आदमी का नाम कई-कई बार रिपीट हुआ है। इस तरह से हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इससे कोई मसला हल नहीं हो सकता है। इसलिये हम इस सवाल को उठाना नहीं चाहते हैं। अभी दो चार साल में आप देखेंगे कि इतनी जमीन भी अवेलेबिल नहीं होगी। मेरी इत्तिला यह है कि बड़ी-बड़ी जमीन वाले अपनी जमीन ऐग्रीकल्चरल इंकमटैक्स की वजह से बेंच रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि गेंदासिंह जी आगे पैरवी नहीं करेंगे कि यह कम कर दिया जाय।

श्रीमन, दूसरी बात कही गई कि करेक्शन आफ रिकार्ड मुकम्मल नहीं हुआ और न हो सकता है। जो २९ लाख गल्तियां निकलीं उसकी शाबाशी तो नहीं दी गई हां, नुक्स निकाले हैं। ८० प्रतिशत गल्तियां सकसेशन की हैं और जो अनकल्टीवेटेड लैंड जाहिर किया गया था दरअसल वह कल्टीवेटेड था। लेकिन पटवारी ने जिक्र नहीं किया। इसमें हमारा क्या कसूर है? एक किसान अगर मर जाता है और उसके लड़के तीन महीने में दरख्वास्त नहीं देते हैं और दाखिल खारिज नहीं होता है तो फिर उनसे नाम दर्ज करने की फीस ली जाती है अगर कायदे की पाबन्दी करते तो कई करोड़ रुपया फीस का मिल जाता लेकिन हमने नहीं लिया। यह उनका फर्ज था। ८० प्रतिशत सकसेशन के केसेज हैं, कुछ अनडिस्प्यूटेड हैं। जिसकी जिम्मेदारी किसानों की थी, वह उन्होंने नहीं की, करोड़ों रुपया हम वसूल कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। उसकी कोई शाबाशी नहीं दी। दुनिया का कायदा भी है कि जो करता है

[श्री चरणसिंह]

उससे ही कहा जाता है कि यह क्यों नहीं किया, वह क्यों नहीं किया, यह रह गया वह रह गया। अगर कोई न करे तो कुछ नहीं, फलां चीज और कर देते तो अच्छा होता। लिहाजा ऐसा कोई सवाल नहीं उठता है।

श्रीमन्, स्पेशल पड़ताल कराई गई और उसमें ८० प्रतिशत गल्ती किसानों की थी। माननीय राजाराम जी ने कहा कि काम मुहकमे का अच्छा हुआ लेकिन इतनी गल्तियां निकली इससे साबित होता है कि काम अच्छा नहीं हुआ। श्रीमन्, ये शिकायतें सन् ४० से लेकर आजतक की हैं। इसमें लेखपालों का कोई कसूर नहीं है और मौजूदा गवर्नमेंट का आधे से ज्यादा कसूर नहीं है। सन् ४० से लेकर ४६ तक तमाम ड्राइव्ज में लगे रहे हमारे अहलकारान। उसके बाद ला ऐंड आर्डर की स्थिति आयी, कंट्रोल्स आये, एलेक्शन हुआ एडल्ट फ्रैंचाइज पर, जिसमें वे लगे रहे। तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उनका कोई कसूर था। मजबूरी थी।

एक चौथी बात माननीय गेंदा सिंह जी ने यह कही थी कि मालगुजारी घटा देनी चाहिये। कहां बढ़ाई है हमने मालगुजारी? जो लोग धोखे से जमीन काश्त कर रहे थे और एक पैसा गवर्नमेंट को नहीं दे रहे थे उन पर लगायी गयी। क्या माननीय गेंदा सिंह जी चाहते हैं कि वे लोग न दें मालगुजारी? जो जमीन जेरे काश्त हुई १०–१५ साल के अन्दर, पटवारी ने नहीं लिखी, मालगुजारी तशखीश नहीं हुई, जमींदार लगान ले रहे थे, अपने मालिक को भी नहीं बताया, खतौनी में भी नहीं आयी, पटवारी से मिले थे, आज मालगुजारी उन्हीं लोगों की बढ़ी है, और नहीं बढ़ी है। आप कहते हैं कि घटाओ। यह बात समझ में आ सकती है कि कम होनी चाहिये। लेकिन कम और ज्यादा का पैमाना कौन सा है? सिर्फ एक ही पैमाना है और वह है ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की कीमत का। सन् ३१ में करांची में जो रेजोल्यूशन पास किया गया था उस वक्त यह कहा गया था कि अनएकोनामिक होल्डिंग की मालगुजारी माफ़ होनी चाहिये। मैं उन सब बातों को छोड़े देता हूं कि किन स्थितियों में वह रेजोल्यूशन पास हुआ। मैं मानता हूं कि वह रेजोल्यूशन शतप्रतिशत सही हुआ, लेकिन साथ ही साथ हमको यह देखना है कि आया आज की ऐग्रीकल्चरल प्राइसेज को देखते हुये लगान ज्यादा है या कम है। सन् ३१ में जिस होल्डिंग का लगान माफ करने का मतालबा किया जा सकता था वह सन् ५५ में नहीं किया जा सकता। यही बात नहीं है। सन् ३१ के बाद सन् ३७ में गालिबन बन्दोबस्त हुआ और डिप्रेशन के पीरियड में लगान घट गये, मालगुजारी घट गयी। इसलिये सन् ३१ के रेजोल्यूशन को हमें आजकल की प्राइसेज की रोशनी में देखना है और सन् ३७ में जो बन्दोबस्त हुआ था जो कि डिप्रेशन के पीरियड में हुआ था उसकी लाइट में देखना है। इसलिये आज मालगुजारी कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका कोई सवाल नहीं है।

फिर मालगुजारी के मुताल्लिक यह बात कही गयी कि कम और बेश है। किसान को अगर जमीन की ज्यादा जरूरत थी तो उसी जमीन की जोकि उसके किसी पड़ोसी के पास कभी इफ़रात के जमाने में आयी थी उसके मुकाबिले में ज्यादा लगान पर ली। बात बिलकुल ठीक है। लेकिन हमने इन सब बातों पर गौर कर के जमींदारी अबालीशन ऐंड लैन्ड रिफार्म बिल को पास करते समय यह तय किया था कि अगले बन्दोबस्त तक मालगुजारी यही रहेगी। सिर्फ यह शर्त की थी कि परती के लगान के दूने से ज्यादा अगर किसी का लगान है तो वह घटा दिया जायगा, जैसे सीरदारों का भी घटाया गया अगर उनका दुगुने से भी ज्यादा था। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह शायद किसी का भी ख्याल नहीं होगा कि सर्किल रेट जो तय किया गया था उस वक्त की प्राइसेज को देखते हुये आज डबल दि सर्किल रेट हरगिज ज्यादा लगान नहीं है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—एक बात मैं पूछ सकता हूं? क्या यह ऐग्रीकल्चरल प्राइसेज की बात जो माननीय माल मंत्री जी कह रहे हैं अलाभकर जोत के लिये भी लागू होती है?

श्री चरणसिंह—अलाभकर के लिये भी लागू होती है। लैंड रेवेन्यू इनकमटैक्स के तौर पर नहीं है। उसमें यह सवाल होता है कि इतनी एग्जेम्शान लिमिट होगी। लेकिन लैंड रेवेन्यू का सिस्टम अलग है। उसमें एक एक बिस्वा पर लगान होता है। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स में हमने भी एग्जेम्शान लिमिट रखी है। उसमें हमने ४२ सौ रुपये की लिमिट रखी है। ४२ सौ तक वाले को अनएकोनामिक होल्डर कहिये, मिडिल होल्डर कहिये, लेकिन वह एग्जेम्शान लिमिट है। और मुल्कों में एग्जेम्शान ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स में है। लैंड रेवेन्यू है ही नहीं वहां, जहां तक इंगलैन्ड का संबंध है। पांच सौ की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन लैंड रेवेन्यू और है टैक्स और है। फिर बड़े पर भी आप मालगुजारी नहीं लेंगे। मान लीजिये कि तीन एकड़ से कम वाले को अनएकोनामिक होल्डर कहते हैं और चार एकड़ वाले को एकोनामिक होल्डर कहते हैं। तो चार वाला कितनी मालगुजारी देगा? चार एकड़ में से तीन एकड़ काट कर एक एकड़ पर देगा? चार एकड़ में बढ़िया वाली जमीन पर नहीं देगा या घटिया जमीन पर नहीं देगा? फिर कल को मर जाय तो दो लड़कों को दो-दो एकड़ हो जायगी। तो दोनों को माफ होगी। फिर मान लो कि तीन एकड़ तक आप नहीं लेते हैं और फर्ज कर लें कि किसी के पास तीन एकड़ है उसमें से वह ढाई एकड़ पालीवाल जी को बेंच देता है तो उसके लिये यह हुआ कि मालगुजारी माफ। अगर आप अनएकानामिक होल्डिंग की मालगुजारी माफ करते हैं तो आपको सोचना होगा और अपना ला आफ सक्सेशन बदलना होगा। इम्प्रैक्टिकेबिल होल्डिंग्ज करार देनी होगी। अनएकोनामिक होल्डिंग की मालगुजारी माफ करने से काम्प्लीकेशंस पैदा होंगे।

(इस समय ४ बजकर ३६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, जब इस प्रदेश को १३ करोड़ रुपये की आमदनी होती थी उस समय ५० फीसदी आमदनी मालगुजारी से होती थी यानी साढ़े छः करोड़। आज जैसे लोगों की आमदनी बढ़ी तो हमारी मालगुजारी से आमदनी का उतना हिस्सा नहीं रह गया जितना पहले था। परमात्मा करे यह मुल्क तरक्की करे, यह प्रदेश तरक्की करता जाय तो फिर आप मालगुजारी को बिलकुल वैसे ही छोड़ने का निश्चय करें। छोटे बड़े का सवाल नहीं। और केवल एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स रखें। तो वह कुछ समझ में आता है। लेकिन कुछ रकबे को मालगुजारी से माफ कर देना, मौजूदा स्थिति में जब कि हम को एक एक पैसा चाहिये और उन्हीं किसानों के डेवलपमेंट के लिये चाहिये, मैं समझता हूं कि आज यह इम्प्रैक्टिकेबिल बात है। माननीय गेंदा सिंह जी कहें। उनको मुबारक, उनके कंधे पर जिम्मेदारी नहीं है। उन्हें कुछ न कुछ कहना है। कहना चाहिये ताकि मुझे जैसे लोग विचार करें कि कुछ उसमें तथ्य है या नहीं। अपोजीशन का फर्ज अदा कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इधर जो लोग बैठे हुये हैं उनके कंधों पर जिम्मेदारी है। जरा विचार करके बात कहें।

चौथी बात उन्होंने कही कि मालगुजारी में इर्रिगुलेरिटीज हुई। क्या क्या? एक तो गांव समाज को नोटिस नहीं दी गयी। मुझे नहीं मालूम कि नोटिस दी जाती है या नहीं। रूल्स हैं। उनमें नोटिस दी जानी चाहिये। वास्तव में अगर नहीं दी जाती तो गलती है। अगर कहीं ऐसा हो रहा हो तो माननीय गेंदा सिंह जी मुझे बतलायेंगे कि किस गांव समाज में वह सभापति को लिस्ट नहीं दी गयी। मैं इस संबंध में देखूंगा कि अगर रूल इम्प्रैक्टिकेबिल है तो बदला जाय और अगर प्रैक्टिकेबिल है तो उस रूल को इनफोर्स किया जाय

एक और बात उन्होंने यह कही कि मशीनरी इन्टीग्रेट होनी चाहिये। कोई आबपाशी वसूल करता है, कोई मालगुजारी वसूल करता है और कोई तकावी वसूल करता है माननीय गेंदा सिंह जी की मेमोरी धोखा दे रही है। वह दो साल पहले की बात कह रहे हैं।

[श्री चरण सिंह]

यह इन्टगरेटेड मशीनरी तो साल भर से है। साल भर से एक ही मशीनरी काम कर रही है जो मालगुजारी वसूल करती है, तक़ाबी वसूल करती है और आबपाशी भी वसूल करती है। इसके लिये और कोई दूसरी एजेंसी नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा था कि रबी और खरीफ की फसल को अलग-अलग किस्तों में अब कर दिया गया है, यानी ८,८ आना कर दिया गया है। कभी पहले ६ आने था और १० आने था लेकिन अब उसको ८, ८ आना कर दिया गया है। वह इस वजह से किया गया है कि हमारी कठिनाई यह थी कि हमको उन्हें हटाना पड़ता था। ३ महीने इधर और ३ महीने उधर रखना होता था। अब वह मशीनरी आल दि ईयर राउन्ड काम करती है यानी १२ महीने वह काम करती है। वह लोग टेम्पोरेरी जरूर हैं मगर वह काम करते हैं १२ महीने। ऐसा नहीं होता है कि कभी कम और कभी ज्यादा। अब हमको साल भर तक उतने ही रखने पड़ते हैं। उनके हल्के बांट दिये गये हैं और वह जानते हैं कि हमको इतना वसूल करना है और फलां हलके से वसूल करना है। ६ या ७ या ८ या ९ के अलग-अलग रखने से उनका हलका बदलना पड़ता था और उनकी तादाद में भी फर्क करना पड़ता था। इस वजह से यह किया गया कि अब ८, ८ आना बराबर का कर दिया गया है। इसके जवाब में यह कहा जा सकता है कि किसानों को तकलीफ होगी। इससे किसानों को तकलीफ नहीं हो सकती है। यह जो आज मालगुजारी है यह आज किसानों की आमदनी का उतना बड़ा जुज नहीं है जिससे अगर ७ आने के बजाय ८ आने पर दिया जाय तो उससे कोई तकलीफ होगी। वैसे तकलीफ तो एक पाई की भी होती है लेकिन यदि तकलीफ है तो दूसरा सुझाव बतलाइये कि मुस्तकिल हल्का भी हो जाय और वह बराबर काम भी करते रहें तो अगर फिर भी कठिनाई है तो उसके लिये जो सुझाव दिया जायगा उस पर विचार किया जायगा और तब भी अगर ६ और १० का अन्तर किया जा सकता है तो मुझे उसको करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हर साल अफसरों की तादाद को घटाया जाय यह नामुमकिन है। १२ महीनों के लिये उनको रखा गया है और उनके हल्के निश्चित हैं। वह जानते हैं कि फलां हलके से इतना रुपया वसूल करना है। हर दफा घटाये जायं और बढ़ाये जायं तो यह ठीक नहीं होगा। एक आदमी को मालूम होना चाहिये कि उसके पास १३ गांव हैं। अगर ऐसा कर दिया जायगा कि कुछ फर्क हो और भेद हो तो फिर एक फसल में १२ आना हो गया और दूसरी में १८ आने हो गये। तो इस कठिनाई की वजह से ऐसा करना पड़ा।

एक बात कही गयी कम्पन्सेशन के बारे में कि मुआविजे की तकसीम में ज्यादा रिश्वत चलती है। श्रीमन्, मुझे राजा साहब के लिये एक अंग्रेजी का लफ्ज याद आ गया "लाआरिकल' जो कि एक चिड़िया का गाना होता है। राजा साहब ने एक तकरीर की और कह दिया कि रिश्वत बहुत चलती है। श्रीमन्, लाखों लोग कम्पन्सेशन लेने वाले हैं और लाखों नहीं तो हजारों लोग कम्पन्सेशन देने वाले हैं। यह सब कम्पन्सेशन देने वाले दूध के धोये हुये हैं यह तो मैं नहीं कहता और न मैंने कभी इस बात का दावा किया है। अब सवाल यह है कि क्या किया जाय, कौन सी तरकीब निकाली जाय?

राजा वीरेन्द्र शाह---आप वही कीजिये जो बिहार में किया गया।

श्री चरण सिंह---आप तो यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से वहां पर जमींदारी अबालीशन हुआ है वही यहां पर भी किया जाय। हम उसके नाकाबिल हैं कि जो हम कर चुके हैं उसको वापस किया जाय। मैं जानना चाहूंगा श्री गेंदा सिंह जी से और श्री राजाराम मिश्र से कि क्या कोई शिकायत उन्होंने लिखकर भेजी कि फलां आदमी ने रिश्वत ली और फलां आदमी को देनी पड़ी। मगर कोई उन्होंने मिसाल नहीं दी। जब कभी मित्रों ने मुझसे शिकायत की तो मैंने कंक्रीट मिसाल मांगी तो कुछ ने वायदा किया कि लिखकर भेज देंगे लेकिन उसको पूरा नहीं किया। मैं नाम भी बतला सकता हूं और कोट भी कर सकता हूं।

राजा वीरेन्द्र शाह--श्रीमन्, मैंने तो कोई शिकायत नहीं की लेकिन कुंवर गुरु नारायण जी ने उनसे शिकायत की थी।

श्री चरणसिंह--मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन आपने उनका नाम भी ले दिया। मैंने उनसे फोन पर भी पूछा था। उन्होंने मुझसे कहा था, मैंने उन्हें लिखकर भेजने के लिये कहा और इसका उन्होंने मुझ से वायदा भी किया था। इसकी मैंने उनको फोन पर याद भी दिलाई। लेकिन श्रीमन्, शिकायत करना तो आसान है लेकिन जब इंसटेंसेज की बात आती है तब दिक्कत होती है। उन्होंने बाद को मुझे बताया कि यह चीज उनकी जाती इल्म की नहीं है। उनका एक कारिन्दा है उसने उनसे कहा था और उससे भी उसके एक जानने वाले ने कहा था। मैंने कहा कि कार्यवाही इस मामले में मैं करूं लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। रहने दीजिये मैं यह भी बता दूं कि यह वाकया कानपुर का था। फिर भी मैं मानता हूं कि शिकायतों की कुछ बुनियाद होती है वे बेबुनियाद नहीं होतीं, लेकिन दिक्कत यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से इसमें क्या हो? आया पर्टीक्यूलर इंसटेंसेज पर अमल किया जाय या रूल्स और ला को बदला जाय। फिर भी हम इस विषय में असावधान नहीं हैं। मनीआर्डर के जरिये से रुपया नहीं भेजा जा सकता, हमने इस चीज़ को भी देख लिया है। इसके सिलसिले में एक स्कीम हमने बनायी थी जो १२ लाख की थी लेकिन अब एक स्कीम और बनायी है जिसमें कोई खर्चा नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ मन में आयी और आर्डर निकाल दिया। जहां रुपये का मामला होता है वहां फाइनेंस डिपार्टमेंट और अकाउन्टेंट जनरल आ जाते हैं। फिर भी हमने एक स्कीम बनायी है और उसको मैं एक्सपीडाइट करा रहा हूं।

श्रीमन्, एक बात यह कही गयी कि पांच लाख की सनदें अब तक नहीं दी गयीं। श्री राजाराम जी ने कहा और माननीय गेंदा सिंह के लिये तो मैं कह ही क्या सकता हूं वे माननीय मेम्बर इस सदन के हैं, मेरे पास इसका क्या इलाज है कि वे ग़लत बयानी करें। मेरे पास जो लेटेस्ट इत्तला है और यह पांच मार्च की है। इससे यह मालूम होता है कि जमींदारी उन्मूलन फंड में रुपया जमा करने की जो कुल दरख्वास्तें दी गयीं वह ४२,५८,८९३ थीं, सनदें दी गयीं ३७,६०,४१३ कैंसिल हुई २४,६५५ की, वेलिड हुई ३७,३५,७५८, अब उन एप्लीकेशन्स में जिनमें सनद जारी नहीं हुई वह हैं ३,३९,८८२। अब माननीय गेंदा सिंह जी सोच रहे होंगे कि ४ लाख और ५ लाख में फर्क ही क्या रह जाता है। लेकिन उसमें फर्क है। उन्होंने कहा कि उन्होंने रुपया जमा कर दिया लेकिन उनको सनदें नहीं मिली परन्तु ऐसा नहीं है। यह जो ३,३९,८८२ एप्लीकेशन्स हैं उनकी तफसील इस प्रकार से है। इनमें डिसप्यूटेड केस, जिनके मुकदमे अपील तक गये हैं वह हैं ४,४२७, जिनमें लैंड रेवेन्यू फिक्स नहीं हुआ, जो अभी तक जिसी लगान देते हैं वे हैं ३२६, जिनमें पार्ट पेमेन्ट हुआ है उनकी संख्या ३,५९,६४५ है तो क्या उनको सनद देदी जायं जिन्होंने रक़म पूरी नहीं दी? और जो ये पेंडिंग अप्लीकेशन्स रेंट रेमिशन के पड़े हुए हैं वे हैं ४७,९७७ और ३७,६७१ ऐसे हैं जिनमें रिअमबर्समेंट पूरा नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष--५ बजे समाप्त होना है, इसका भी ध्यान रखें।

श्री चरणसिंह--तो क्लीयर जिन्होंने दस गुना जमा किया है और उनको सनद नहीं दी गयी है ऐसे केसेज केवल ३९५ हैं। इसके लिये हमको कहीं-कहीं स्टाफ भी ज्यादा रखना पड़ा है और हमने उनको बहुत सख्त हुक्म दे रखा है फिर भी ४२ लाख दरख्वास्तों का इन्तजाम करना कोई मामूली बात नहीं है।

[श्री चरण सिंह]

श्रीमन्, एक बात यह कही गयी कि तकाबी के सिलसिले में करप्शन होता है, कुछ जाती बात भी माननीय सदस्य ने बतलायी। मैं जाती बात का जिक्र यहां नहीं करना चाहता हूं। पडरौना के अहलकार ने ही मुझे बतलाया कि एक भीड़ लेकर वहां गये थे और यह कहते थे कि फलां को तकाबी नहीं दी गयी और इस तरह से बहुत से नाम बतलाये। जब मैं ६ दिसम्बर को पडरौना गया था तो बतलाया गया कि फलां-फलां को तकाबी नहीं दी गयी है। इत्तफाक से एक शख्स से पूछा तो उसने बतलाया कि मैंने तो तकाबी ले ली है इस तरह की बातें वहीं पर हुई।

जहां तक ला को सिम्पल करने की बात है, वह तो श्रीमन्, निहायत सिम्पल है और मेरा इरादा है कि इसको और भी सिम्पुल किया जाय। सिम्पुल का मतलब यह है कि कम्पेनसेशन देने के लिये डिटरमिन करने व तकसीम करने आदि का पार्ट बिल्कुल खतम हो जायगा और दो चार महीने में यह और सिम्पुल हो जायगा। जहां तक कोआपरेटिव फार्मिग की बात है उसको कोआपरेटिव डिपार्टमेंट ले सकता है। इसलिये जहां तक सिम्पुल करने का सवाल है वह तो हो ही जायगा। श्रीमन्, आज कल ला है कि जो हेरिडिटरी टिनेंट थे, जो बड़े किसान के सब टिनेंट थे और जो जमींदार छोटे या गैर दखीलकार काश्तकार थे वे अधिवासी हो गये और फिर असामी हो गये। पिछले ला का हवाला देना जरूरी है जहां पार्टीशन केस होता है। हर आदमी नोटिस देता है और कहता है कि हम भूमिधर या सीरदार हो जायं और लीगल तरीके पर जब फाइनल हो जाय तब वह होता है। १३६३-६४ फसली की खतौनी में जो आदमी भूमिधर लिखा है वह भूमिधर है और सीरदार का डेफिनिशन यह है कि १३६४ फसली के अन्दर जो सीरदार लिखा है। इसलिये सिम्पलिफ़िकेशन करने में पहले ला का हवाला देना जरूरी है कि वह उनका किसान था।

श्रीमन्, राजा साहब ने कहा कि साहब सेंट परसेंट कलेक्शन हुआ, इससे साबित होता है कि ज्यादती हुई होगी। "सदके जाऊं मैं इस दलील के ऊपर।" श्रीमन्, सेंट परसेंट जो कलेक्शन हुआ उसमें खरीफ १३६० में १४ लाख १४ हजार रेंट रेमिशन है, दो लाख १४ हजार सस्पेंशन है। यानी जो नहीं दे सकते थे उनसे नहीं लिया गया। लिहाजा सख्ती होने का कोई सवाल ही नहीं है। श्रीमन्, मेरी गुजारिश यह ह कि जो नहीं दे सकते थे उनको माफ कर दिया गया। इसलिये मुसीबत का तो कोई सवाल ही नहीं है। रबी १३६० में ९ लाख ७७ हजार रुपया माफ हुआ, रबी १३६१ में १७ लाख ५८ हजार माफ हुआ और खरीफ १३६२ में ५३ लाख ६२ हजार माफ करने का प्रोपोजल है। तो सेंट परसेंट वसूली इतनी बड़ी-बड़ी रकमों को निकाल कर ही हुई। इसके सिवा जब राजा साहब की जमींदारी थी तब क्या होता था? जो घरों पर मुर्गे बनाये जाते थे उनको तो मैं छोड़े देता हूं। जब किसान लगान नहीं देते थे तो उनके ऊपर नालिश होती थी और कोर्टफीस मुतफर्रिक उनके ऊपर पड़ती थी। और एक रुपये का सूद कभी नहीं छोड़ा जाता था और तमाम दुनिया भर के खर्च उनसे वसूल किये जाते थे। वक्त की कमी के कारण इस जिक्र को छोड़ देता हूं वर्ना मेरे पास यह एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्टस रक्खी हैं उनसे मैं पढ़ कर राजा साहब को सुनाता, जो उन दोस्तों के अहद की बात है और अंग्रेजी राज जब था, उसमें लिखा है कि स्याहे में ३५ परसेंट वसूली दिखाई गई जब कि सेंट परसेंट जमींदार वसूल कर चुके थे। यहां जो वसूली की जाती है वही दर्ज की जाती है, यह यहां अब नहीं होता कि वसूल कुछ किया जाय और दर्ज कुछ किया जाय।

१३ लाख जमींदार ऐसे हैं जिन्हें ५० रुपये से अधिक मुआवजा मिलेगा। तकलीफ भी उन्हीं लोगों को हो सकती है लेकिन जिनको मुआवजा ५० रुपये से कम मिलना है वह तो पहले से ही किसी न किसी रोजगार में लगे हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल लगान पर ही गुजर करते थे वर्ना कोई और पेशा करते थे। राजा साहब ने कहा कि फलां आदमी ने अपना जेवर बेच डाला। मैं मानता हूं कि तकलीफ हुई है लेकिन तकलीफ होती है निस्बत से, जो अब तक उन्होंने जिन्दगी बितायी है उसके मुकाबले में उनको तकलीफ हो सकती है। मेरे पास ऐसे भी जमींदार आये जिन्होंने कहा कि उनकी मालगुजारी बान्ड्स में मुजरा कर दी जाय। मैंने उनसे पूछा कि कब की मालगुजारी है, कहने लगे सन् ६२ की है, मैंने कहा तब तो आप के पास अभी जमीन होगी। कहने लगे कहां जमीन है किससे खेती होती है रहते यहां हैं जमीन बाराबंकी में है जिसकी वजह से जिन्दगी दूभर हो गई है। जिनके पास जमीन है उनको तो खेती में तकलीफ होगी पर जिनके पास खेती न हो उनको तकलीफ का सवाल नहीं है। इसलिए बान्ड्स मिलने न मिलने की वजह से तकलीफ न होना चाहिए क्योंकि इनटेरिम मुआवजा सब को दिया जा रहा है और जितनी दरख्वास्तें उसके लिए आईं उसमें से ९८ प्रतिशत को इनटेरिम मुआवजा दिया जा चुका है। जब शुरू में रूल्स बने थे तब उनके खिलाफ शिकायतें आई हैं और आर्टिकिल्स निकले, लोग मुझ से मिले उस पर हमने ३ बार रूल्स चेंज किए, रूल्स से काफी लाभ और सहूलियत भी लोगों को पहुंची और उसका नतीजा यह हुआ कि ९८ फीसदी लोग इनटेरिम मुआवजा पा चुके हैं। इसलिए मुआवजा मिलने न मिलने से तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि बान्ड्स मिलने के बाद किस्त इतनी नहीं बैठती जितना कि इनटेरिम मुआवजा मिल रहा है।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्री राजनारायण--वह लाल झंडे से घबराते हैं, लाल बत्ती से नहीं।

श्री चरणसिंह--श्री महीलाल जी ने कहा कि भूमिधरों को कोई लाभ जमींदारी अबालिशन के बाद नहीं हुआ। मैं उनसे इस बात में सहमत नहीं हूं। शायद वह अपनी तक़रीर के जोश में कह गये होंगे, या उनका मतलब यह होगा कि ज्यादा लाभ नहीं हुआ। मैं भूमिधरों के मुताल्लिक अपनी राय बता चुका हूं। वे अब अपने मकानों के बिना किसी मुआविजा दिए हुए पूरे मालिक हो गये, गैर मजरुआ जमीन के वे मालिक हो गए जिसमें वे अपने मवेशी चरा सकते हैं और अब कोई रोक नहीं सकता, कूड़ा करकट अब उनका जो होगा वे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले चूंकि वह जमीन के मालिक न थे उनसे बेगार ली जाती थी, उससे अब वे छुट गए। इस तरह से बहुत से लाभ हैं जो मैं समय की कमी के कारण इस वक्त नहीं बता सकता। ३० जून, सन् ५४ तक २४ जिलों की भूमि प्रबन्धक कमेटियों ने जमीन तकसीम की, अगर समय होता तो मैं उसके आंकड़े भी सुना देता। हमारे फैजाबाद के मित्र ने कहा कि सूबे के अफसर ग़फलत कर रहे हैं और एल० एम० सी० कमेटियां ठीक काम नहीं कर रहीं हैं। मैं पहले भी एक बार अर्ज कर चुका हूं और फिर अर्ज करता हूं कि यहां पर इतना रिवोलूशनरी चेन्ज हुआ है।

श्री अध्यक्ष--अब आप कल जारी रखें क्योंकि ५ बजे से दूसरा कार्य लेने का संकल्प हो चुका है। कल आपको समय दे दिया जायगा और अभी श्री गेंदा सिंह जी को भी उत्तर देने का समय मिलेगा।

*उत्तर प्रदेश-पथ परिवहन सेवा (विकास) विधेयक, १९५५

† खण्ड ५ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश पथ परिवहन सेवा (विकास) विधेयक, १९५५ पर विचार जारी रहेगा। श्री जोरावर वर्मा जी अपना प्रस्ताव पेश कर चुके और भाषण कर चुके और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी भी अपना पहला भाषण दे चुके। अब कोई और सज्जन बोलना चाहेंगे?

(किसी सदस्य के खड़े न होने पर श्री अध्यक्ष ने श्री जोरावर वर्मा से भाषण देने को कहा।)

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे संशोधन का जो जवाब दिया था उसमें यह कहा था कि जब नियम बनेंगे तो उसको देख लिया जायगा और इसको यहां अधिनियम में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर यह नियम में आ जाय और पूरे राज्य के लिये एक से हो जायं तो मुझे अपने संशोधन को वापस लेने में कोई एतराज नहीं है। चूंकि उस दिन माननीय मंत्री जी नहीं थे और उनके बदले में दूसरे मंत्री जी उपस्थित थे उन्होंने यह कहा था। पता नहीं है कि मंत्री जी उनको इस बात से सहमत हैं या नहीं। अगर वह सहमत हैं तो मैं सदन से चाहता हूं कि इसे वापस लेने की अनुमति मुझे दी जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (२) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिया जाय :—

> "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी अनुज्ञापत्र गृहीता ने ऐसे अनुज्ञापत्र के संक्रामण की सहमति दी हो जिसके द्वारा उसे पक्के मार्ग से कच्चे मार्ग पर परिवहन सेवा करना हो तो ऐसी दशा में वह प्रतिकर का अधिकारी होगा।"

इस संशोधन के द्वारा मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इधर आकृष्ट करना चाहता था कि जब प्रतिकर देने वाला प्रश्न सामने आये तो इधर भी ध्यान रखना चाहिये कि पक्के से कच्चा मार्ग जब किसी को दिया जाय और उसके लिये वह राजी हो जाय तब भी उसे प्रतिकर मिले क्योंकि आखिर वीयर ऐंड टीयर का खर्चा बढ़ तो जायगा ही और उसमें दिक्कत होती ही है। मजबूरी की हालत में वह मान जायगा कि कच्चे में उसे कर दिया जाय क्योंकि वह अपनी मोटर चलाना चाहेगा ही लेकिन उसको क्षति इस प्रकार अवश्य पहुंचेगी और जब यह है तो उसको मुआविजा मिलना ही चाहिये। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—श्रीमन्, यह तो है कि अगर वह आल्टरनेटिव रूट के लिये राजी हो जाता है तब नहीं मिलेगा और राजी न हो तब कोई मुआविजा मिलेगा। अब माननीय मित्र यह चाहते हैं कि अगर रूट के लिये राजी हो जाय तब भी मिले। क्योंकि आखिर कच्चा कच्चा ही है और पक्का पक्का ही है। तो न हो राजी।

---

* १२ फरवरी, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

† ५ मार्च, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

यह कैसे तय करेंगे कि कच्चा कौन है ? कई तरह के कच्चे होते हैं। कुछ ऐसे रास्ते होंगे जिनमें मोटर पहिये ज्यादा चिपकेंगे और कुछ में कम चिपकेंगे। कुछ ऐसे रास्ते होंगे जिनमें रेत ही रेत होंगे कुछ कंकरीले होंगे। लिहाजा अगर कच्चा रूट पसन्द कर लेते हैं तब भी मुआविजा दिया जाय और रास्ते की कच्चाई देखी जाय कि कितनी है। तो श्रीमन्, मोटी सी बात है कि अगर आल्टरनेटिव रूट के लिये राजी हो जाता है तो कोई मुआविजा नहीं है और अगर राजी नहीं होता है तो मुआविजा दिया जायगा। बीच का कोई रास्ता नहीं है और इसलिये संशोधन को मानने में कठिनाई पेश है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, यह संशोधन इतना स्पष्ट है और इसके सम्बन्ध में अधिक कहना उचित नहीं है। केवल मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह जरा व्योरे का मालूम पड़ता है कि किस आधार पर प्रतिकर का अधिकारी होगा या नहीं होगा। तो इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव माननीय मंत्री जी के प्रति और माननीय संशोधनकर्ता के प्रति यह होगा कि नियमों में यह स्पष्ट कर दिया जाय कि किस हालत में क्या किया जायगा, तो यह अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि आगे चल कर नियमों के सम्बन्ध में जो खंड २२ है "रीति जिसमें धारा ६ के अधीन आपत्तियां प्रस्तुत की जायंगी" उसमें यह लिखा हुआ है। तो इस रीति के सम्बन्ध में जो नियम बनेंगे उस समय माननीय मंत्री जी इस सुझाव पर विचार कर लेंगे और संशोधनकर्ता के लिये उचित होगा कि इस व्योरे के प्रश्न को इस समय न उठायें और माननीय माल मंत्री का भी एक दम से उत्तर दे देना न्यायपूर्ण न होगा। इसलिये दोबारा प्रार्थना करूंगा कि नियम बनाते समय वे इस पर विचार कर लें और माननीय संशोधनकर्ता इसे वापस ले लें।

श्री तेजप्रताप सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी के आर्ग्यूमेंट को सुना और मुझे महसूस हुआ कि रूल्स में अगर ऐसी बात रखते हैं तब तो वापस लिया जा सकता है और वापस ले लेना भी चाहिये। लेकिन मैं तो यह एक सिद्धान्त की बात समझ कर इसे रखना चाहता था। दो हालतों में यह प्रतिकर दिया जायगा। एक तो अगर उसकी रोजी छीनी जाती है तो मुआविजा मिलेगा, अगर रूट कट न होता है तो उसे मुआविजा मिलेगा लेकिन आधारभूत तरीके पर यह तीसरी चीज भी आती है कि अगर पक्के से रूट कच्चे में ट्रान्सफर होता है तब भी उसे प्रतिकर मिलना चाहिये क्योंकि इससे उसे लाभ होगा। मंत्री जी ने कहा कि रजामन्दी दे दी है लेकिन जब रूट ट्रान्सफर हो जायगा तब रजामन्दी तो मजबूरन देगा ही। पक्के से कच्चे में जाने से जो कुछ लास होगा इसके डिटेल्स तो आप डिटरमिन करें लेकिन यह मानी हुई बात है कि लास होगा, इसलिये उसे प्रतिकर जरूर कुछ न कुछ मिलना चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर रूल्स में इस बात का ध्यान रक्खा जाय तो मैं फिर इसे वापस ले लूंगा।

श्री चरणसिंह—श्रीमन्, मैं माननीय नारायणदत्त जी की नेक सलाह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि इसे रूल्स में डिटरमिन किया जाय। यह तो सोची सोची बात है कि कम्पेनसेशन कैसे डिटरमिन हो। पक्के रास्ते से हो सकता है कि कच्ची सड़क अच्छी हो। जहां तक पक्की सड़क दो दो साल से न बनी हो और गड्ढे हो गये हों और उसको बनवाया न गया हो तो वह कच्ची सड़क से भी बदतर हो जायगी। अगर वह समझते हैं कि गवर्नमेंट ने जो ७५ रु० माहवार तै किया है कच्चे रास्ते पर चलने से आमदनी कम होती है तो वे उसे ले लें।

श्री तेजप्रताप सिंह—मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

आपत्तियां ६—कोई भी व्यक्ति जिसके स्वत्वों पर प्रभाव पड़ता हो, योजना के प्रकाशन से तीस दिन के भीतर तत्सम्बन्धी आपत्तियां ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, जो उन्हें धारा ७ के अधीन संगठित बोर्ड (मंडल) के पास अग्रसारित (forward) करेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

७—(१) एक बोर्ड (मंडल) संगठित किया जायगा जिसमें निम्नलिखित होंगे—

(१) एक डिवीजन का कमिश्नर जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी;

(२) परिवहन विभाग में उत्तर प्रदेश सरकार के सेक्रेटरी; तथा

(३) ट्रांसपोर्ट कमिश्नर।

(२) बोर्ड धारा ६ के अधीन उसे अग्रसारित आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार करके योजना को पुष्ट (confirm) परिष्कृत (modify) अथवा परिवर्तित (alter) कर सकता है।

†श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ७ को इस प्रकार रख दिया जाय—

"७—(१) एक बोर्ड (मंडल) संगठित किया जायगा जिसमें निम्नलिखित होंगे—

(१) एक जज जो जिला जज से कम ओहदे का न होगा।
(२) सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट विभाग।
(३) स्टेट प्राइवेट मोटर आपरेटर्स यूनियन का एक प्रतिनिधि।"

श्रीमन्, यह संशोधन जो मैंने प्रस्तुत किया है यह मूल खंड से दो मानों में भिन्न है। पहली बात तो इसमें यह है कि इसके बाद यह बोर्ड केवल विभागीय बोर्ड नहीं रह जाता है। जैसा खंड इस समय है उसके अनुसार यह बोर्ड डिपार्टमेंट को एक दूसरी शक्ल अख्तियार कर लेता है। आप देखेंगे कि इस खंड में जो दिया हुआ है उसमें एक डिवीजन का कमिश्नर जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी, यह तो एक सरकार का ही अंग है, दूसरे ट्रान्सपोर्ट विभाग का सेक्रेटरी और तीसरे ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर, तो इसमें आप यह देखें कि यह तो वे लोग हैं जिनकी अक्ल से योजना प्रख्यापित होगी, प्रकाशित होगी और बनाई जायगी। याने बोर्ड में बहुमत होगा ट्रान्सपोर्ट विभाग के ही आदमियों का। ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर और सेक्रेटरी ही मिल कर बोर्ड के बहुमत में सदस्य होंगे। इसके अलावा इसमें यह भी स्पष्ट नहीं है कि बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा। मैं तो नीचे चलकर आपकी आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करूंगा कि जिला जज की

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैसियत का आदमी इस बोर्ड का चेयरमैन हो। इसमें यह भी स्पष्ट नहीं है जो होना चाहिये था। मैं यह चाहता हूं कि जहां आपत्ति के प्रश्न आयें और जब मोटर मालिकों की आपत्तियों पर विचार हो वहां पर उस बोर्ड के अन्दर दोनों पक्षों के विचार को निष्पक्ष रूप से जानने वाले लोग भी होने चाहियें जैसे आपने देखा होगा कि रीजनल कंसीलियेशन बोर्ड सरकार ने बनाये थे। उसमें एक नुमायन्दा होता था मजदूरों का और दूसरा नुमायन्दा होता था मिल मालिकों का और उसका अध्यक्ष जो होता था वह एडजुडिकेटर या कोई रीजनल कैंसिलियेशन अफसर होता था। तो अगर कोई टाइडी हो गई तो एक निष्पक्ष दृष्टिकोण से जो चेयरमैन था वह रख सकता था। यह जो बोर्ड होगा उसमें सब का विश्वास होने के लिये आवश्यक है कि उसमें मोटर आपरेटर्स का भी एक प्रतिनिधि हो और यह नहीं कह सकते कि यह बोर्ड स्कीम को रद्द कर देगा क्योंकि आगे चलकर आप देखेंगे कि योजना को यह बोर्ड या तो कंफर्म करेगा या माडीफाई करेगा, आल्टर करेगा लेकिन वह रिजेक्ट नहीं कर सकता। बोर्ड को हम यह अधिकार नहीं दे रहे हैं कि वह किसी योजना को रिजेक्ट कर दे। वह बदल सकता है, थोड़ा माडीफाई कर सकता है लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिये अगर इसमें मोटर आपरेटर्स का एक नुमायन्दा आ भी जायगा तो अगर उन्होंने यह भी किया कि उसमें कुछ तब्दीली की तो वहां पर एक जज भी रहेगा। जज के रहने से सब से बड़ा फायदा यह होगा कि अगर किसी बारे में आपत्ति हुई या मान लीजिये कि प्रतिकर के बारे में आपत्ति हुई तो उस सम्बन्ध में वह जज एक निष्पक्ष दृष्टिकोण जरूर रख सकता है और उस हिसाब से विचार कर सकता है और तब किसी को भी यह कहने का मौका नहीं रहेगा कि इस जज ने जो फैसला दिया वह किसी के दबाव में आकर दिया। तो अगर वाकई इस बोर्ड को बोर्ड के नाम में हमको रखना है और इसे सरकार की कोई एक कमेटी नहीं बनानी है, अगर एक डिपार्टमेंटल कमेटी नहीं बनानी है तो इस मंडल का संगठन इसी प्रकार होना चाहिये जैसा कि मेरा संशोधन है। तो मैं यह निवेदन कर माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि वह इसे स्वीकार करेंगे।

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---श्रीमन्, जो संशोधन नारायणदत्त जी ने यहां रखा है वह मैं स्वीकार नहीं कर सकता। कारण यह है कि जो उन्होंने एक प्रोसीजर बतलाया और उन लोगों के नाम बतलाये कि जिनको बोर्ड बनाना है वह सब देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक आइडियल चीज सी मालूम होती है लेकिन जब हम इसको व्यवहारिक शक्ल में देखते हैं, जब हम उसको काम में लायेंगे तो वह व्यवहारिक नहीं रहेगा। वह कोई लीगलिस्टिक चीज नहीं है कि वहां मुकदमे चलेंगे, वकील होने चाहिये। असल में तो यह एक डिपार्टमेंटल चीज है, उसमें डिपार्टमेंट के आदमी रहेंगे और वह इसलिये कि अगर कहीं गलतियां रह जायं तो दुरुस्त कर दी जायं। यह लेबर का या मिल मालिकों का झगड़ा नहीं है। यह तो दूसरी चीज है। इसमें अगर किसी तरह से कोई गलती रह जाती है तो उसको फिर २, ३ आदमी बैठ कर देख लेते हैं और वे आदमी रहते हैं और अगर कहीं कोई गलती है तो किसी से किसी तरह दुश्मनी नहीं है। तो कोई झगड़े की गुंजाइश नहीं है। यह तो एक सहूलियत के लिये दूसरा मौका दे दिया गया है कि कोई गलती हो तो दुरुस्ती हो जायगी। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय तिवारी जी इसको ज्यादा इन्सिस्ट नहीं करेंगे और वापस ले लेंगे।

*श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, माननीय मंत्री जी तो इस समय चले गये, बड़े दुःख की बात है! कितना महत्वपूर्ण विधेयक जो कि दो-दो बार कानून बनने के बाद भी,...

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि कोई आपत्ति की बात नहीं होनी चाहिये। नैसर्गिक कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिये जाना जरूरी हो जाता है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैंने आपत्ति नहीं प्रकट की, मैंने तो 'दुःख' कहा था। इस समय श्रीमन्, इस पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सारा वातावरण एक संदेहात्मक परिस्थिति में है। हम सत्य पर हैं यह केवल हम ही जानें, आज की ऐसी परिस्थिति नहीं है। हमारी सत्यता की छाप जब तक सब पर न लगे और दूसरे यह न समझने लगें कि हम सत्य पर हैं तब तक हमको अपने ही से सत्य समझ कर चलने में बड़ा अनिष्ट हो रहा है। इसलिये माननीय उपाध्याय जी ने जो संशोधन रखा है और नारायणदत्त जी ने जिसे पेश किया है यदि माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि जो मोटर आपरेटर्स हैं और जिनके स्वत्वों के बारे में यदि कोई आपत्ति है तो वे स्वतः भी इस बात को समझें कि हमारे साथ न्याय होगा और हमारे स्वत्वों की रक्षा होगी ऐसा भाव तभी आ सकता है जब कि उस बोर्ड के अन्दर कोई ऐसा निष्पक्ष व्यक्ति रहे जिसका जुडिशियल ब्रेन हो। अब जो विधेयक में रखा हुआ है उस बोर्ड में तीन आदमी हैं। एक तो किसी डिवीजन के कमिश्नर, उत्तर प्रदेशीय सरकार के परिवहन विभाग के सेक्रेटरी और तीसरे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब यह तो उसी सरकार के बिल्कुल एक्जीक्यूटिव के अंग हैं और उन्हीं के सामने हम जब अपने स्वत्वों के बारे में आपत्ति पेश करेंगे तो यह फैसला देंगे। तो कितनी जायज मांग है हमारी कि सरकार इस बोर्ड में एक ऐसे जज को रख दे जो जिला जज के समकक्ष हो और उसके रहने से हमें विश्वास हो जाता है कि हमारे साथ न्याय होगा। तो इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। लेकिन ऐसे अच्छे संशोधन पर भी, जो पुनीत भाव से रखा गया है, जब सरकार की ओर से विरोध होता है तो दुख भी होता है, क्षोभ भी होता है। सोशलिस्टिक पैटर्न बनाने की बात आज भी मंत्री महोदय ने कहीं। तो एक-एक कदम जब हमारी एक बात से, हमारे एक कदम से भी भाव न टपके जो कि किसी एक समाजवादी आदर्श के लिये अनुकूल हो, तो केवल शब्द कह देने से कि हम सोशलिस्टक पैटर्न बनायेंगे, यह बहुत ही ग़लत बात हो जाती है। जब भी कोई ढांचा हो, जो समभाव रखने वाला होगा, आज के ढांचे में जो खराबी है उसको दूर करना चाहेगा।

आज का ढांचा चारों ओर से विषमता के आधार पर बना हुआ है। इस विषमता की बुनियाद को, इस अन्याय की बुनियाद को, इस शोषण की प्रणाली को जब हम दूर करने की बात करते हैं और उसके लिये संशोधन रखते हैं तो सरकार की ओर से उसका विरोध होता है।

श्रीमन्, मुझे बड़ी खुशी हुई कि माननीय मंत्री जी आ गये।

श्री चरण सिंह--मेरी बड़ी खुशकिस्मती है।

श्री अध्यक्ष--माननीय मंत्री जी जब-जब जाया करें, अगर आपकी तबियत हो तो आप साथ चले जाया करें।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं यह सही में जान नहीं पाया कि माननीय मंत्री जी कहां गये थे अगर किसी अच्छे कार्य के लिये जाते होंगे तो मुझे जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

तो मैं श्रीमन्, माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मदनमोहन उपाध्याय जी का संशोधन है, उस संशोधन को जरा वह ध्यान से देखेंगे तो इस संशोधन में एक तो स्टेट प्राइवेट मोटर आपरेटर्स यूनियन का प्रतिनिधि रखने की मांग है जिसके अभी-अभी सम्मेलन में माननीय परिवहन मंत्री जी भी गये थे और माननीय मुख्य मंत्री जी भी गये थे और इन लोगों ने वहां पर अच्छे आदर्श की बात भी की थी और एक तरह से जब कि इतने बड़े सम्मेलन में जो कि प्रदेश की राजधानी में हो और माननीय मंत्रीगण वहां पर उपस्थित होकर आशीर्वाद प्रदान करें, तो ऐसा समझा जाता है कि उसको मान्यता भी उन्होंने दी होगी। तो सरकार के परिवहन मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री से मान्यता प्राप्त जो जो संस्थायें हैं, वह संस्था जो सारे उत्तर प्रदेश में फैली हुई हैं, अपने एक प्रतिनिधि को वहां रखने की मांग करती है सरकार से, तो सरकार को इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए। कोई बौद्धिक और तांतिक ढंग से आपत्ति नहीं हो सकती, हठवादिता की बात को श्रीमन्, मैं नहीं कहता। सरकार के एक प्रतिनिधि को भी इसमें रखा गया है जो कि सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट विभाग, होगा यानी जो विधेयक में सेक्रेटरी है, वह उस सेक्रेटरी को भी रखा है और एक ऐसे आदमी को रखा है जो कि जुडिशल माइंड का आदमी, जज के और जिला जज के समकक्ष स्थान रखने वाला जज हो, तो उस पर दोनों की आस्था होगी। सरकारी पक्ष की भी और प्राइवेट मोटर आपरेटर्स की भी दोनों की आस्था उस पर होगी कि वह आदमी निष्पक्ष रहेगा। जब तक कि उसका कोई काम न देख लिया जाय, श्रीमन् तब तक साधारण तौर से यह बात मानी जाती है कि जज लोग न्याय करते हैं। हां, हमारे पास ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जिनमें कि हमारी जानकारी है कि जज लोगों ने भी अन्याय को ही प्रतिपादित किया है, मगर वह तो जब हम देख लेते हैं तभी हम कह सकते हैं। इस संशोधन पर जो सरकारी पक्ष से, माननीय मंत्री जी की ओर से जो सरकारी प्रवक्ता बोले उन्होंने कोई तर्क नहीं रखा। केवल एक बात कह दी कि इसमें कुछ कठिनाई होगी। कैसी कठिनाई होगी, कहां से कठिनाई आयेगी और वह कठिनाई मदन मोहन उपाध्याय जी के संशोधन से दूर होगी या नहीं इसके बारे में उन्होंने कोई सम्मति व्यक्त नहीं की। इसलिये मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। इतना ही निवेदन करूंगा कि जो संशोधन है, उसकी गुरुता और उसकी गम्भीरता और उसके औचित्य पर माननीय मंत्री जी विचार करें और हमारा विश्वास है कि आज अभी-अभी जब वह सदन में आये तो अपने किसी बोझ को उतार कर आये होंगे, तो अब इस संशोधन का जो महत्व है, इसको वह रिअलाइज करेंगे और जब इसको रिअलाइज करेंगे तो जरूर स्वीकार करेंगे।

(श्री अध्यक्ष ने श्री नारायणदत्त तिवारी का नाम पुकारा।)

*श्री नारायणदत्त तिवारी—मुझे कुछ नहीं कहना है। माननीय मंत्री जी अगर कुछ कहें तो मैं.....।

श्री अध्यक्ष—वह तो अब कह चुके। अब तो वह आखीर में कहेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन् मैंने माननीय उपमंत्री जी का संक्षिप्त भाषण ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने यह माना कि सिद्धान्त से तो मेरा संशोधन सही है, इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं कि सिद्धान्ततः वह मेरे संशोधन को मान गये। लेकिन उन्होंने कहा कि व्यवहार में यह सही नहीं होगा। अब श्रीमन्, सिद्धान्त और व्यवहार का यह खेल जिसको कि माननीय उपमंत्री जी अच्छी तरह से रोजाना खेलते हैं, उसको तो मैं समझ नहीं पाया, उनके इस तर्क को तो मैं समझ नहीं सका जब कि मैंने स्वयं एक उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत किया था कि उदाहरण के तौर पर रीजनल कंसीलियेशन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

बोर्ड है। जितने भी सरकार के इंडस्ट्रियल रिलेशन्स हैं उनमें जो ट्रिब्यूनल्स और मंडल का संगठन हुआ है वह इसी तरह से हुआ है। एक मिल ओनर्स का आदमी रहता है, एक मजदूरों का रहता है और एक आरबीट्रेटर उसका चेयरमैन रहता है। यहां पर भी जो कोई आपत्ति करता है तो बोर्ड के सामने करता है तो बोर्ड और कमेटी में क्या फर्क है। अगर माननीय मंत्री जी कहते कि यह डिपार्टमेंटल कमेटी है तब तो समझ में बात आती कि इसमें एक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हो जायं, एक ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी और एक कमिश्नर हो जायं लेकिन यह गवर्नमेंटल रूटीन की कमेटी नहीं है। बल्कि यह बोर्ड या मंडल है जिसका काम मोटर ओनर्स की आपत्तियों पर विचार करने का है। आप यह समझिये कि वही अधिकारी योजना प्रकाशित करने वाले होंगे। सिर्फ कमिश्नर अलग है तो फिर किस प्रकार से मोटर ओनर की आस्था ऐसे मंडल के प्रति हो सकती है। सरकार का रवैया जैसा कि दूसरे विभागों में रहता है कि स्वार्थ से सम्बन्धित व्यक्ति को और उन चीजों से परिचित व्यक्ति को ही अध्यक्ष बनाती है उसी तरह से इसमें भी है। हम चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बने जो जिला जज की श्रेणी का हो। जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं कि बोर्ड को यह अधिकार नहीं है कि खत्म कर सके बल्कि यह तो केवल राज्य सरकार को ही है। बोर्ड तो माडीफाई करे या कन्फर्म करे इस तरह से कुल तीन काम करने के अधिकार हैं। इसलिये व्यावहारिक रूप में से मानने में भी कोई ऐतराज नहीं हो सकता है। मंत्री जी स्वयं सिद्धान्ततः तो इसको मानते ही हैं तो व्यवहार में क्यों नहीं मानते हैं? मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी फिर इस पर गौर करेंगे।

श्री चरणसिंह--श्रीमन्, मुझे मालूम हुआ है कि मेरे सहयोगी ने यह कहा कि यह चीज आइडियल है, सिद्धांत का सवाल नहीं है, लेकिन शोभनीय चीज है। लेकिन सारी चीजें जो शोभनीय होती हैं वह काबिले अमल नहीं होती हैं। मैं उनसे सहमत हूं जो उन्होंने मिल ओनर्स और मजदूरों के बारे में कहा। उनका आपस में झगड़ा है, वह दोनों हो गये और एक गवर्नमेंट का आदमी उनका पंच हो गया। लेकिन हमारे यहां कोई झगड़ा नहीं है हमने कहा कि फलां रूट लेंगे। अब जो बात उनको कहना है वह हमारे आफिसर्स के सामने रख दें। वैसे प्राइमाफेसी में हम यह तय कर चुके हैं कि हमें लेना है लेकिन अगर कोई ऐसी बात वह हमारे नोटिस में लाते हैं कि वह न लें तो उसके लिये तय कर सकते हैं कि नहीं लेंगे। मोटर-ओनर्स यूनियन का कोई आदमी होगा तो वह कभी भी राजी नहीं होगा क्योंकि उसके हित के खिलाफ पड़ता है, इस तरह से हम एक झगड़ा और खरीद लेंगे। इसमें यह भी कहा गया कि इसके यूनियन के उद्घाटन में दो-दो मिनिस्टर्स गये तो इसको मान्यता मिल गई। यहां पर मान्यता और गैर मान्यता का सवाल नहीं है। मोटर ओनर्स का जो यूनियन है वह जो सुझाव देगा हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम घर बैठे झगड़ा खरीद लें। हमेशा मेजरिटी से फैसला होता है।

दूसरी बात जो उन्होंने जज की कही है उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि दो फरीकों में झगड़ा हो रहा हो तब तो जज की आवश्यकता हो सकती है। श्रीमन्, डेमोक्रेसी में अदालत बहुत ऊंचा स्थान रखती है। उनके हुक्म के सामने सब झुकते हैं, उनकी जरूरत और उपयोगिता से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हर जगह जज की जरूरत नहीं है, बहुत से ऐसे काम हैं कि अगर वहां पर जज को रख दिया जाय तो अड़चन पड़ जायगी, जैसे ऐक्जीक्यूटिव काम हैं। उनकी तो लीगल टेंडेंसी हो जाती है, अगर कोई नाला ही कूदना हो तो वह डरता है और वह सोचता है कि अगर बीच में ही रह गया। तो जज एक नाले को भी नहीं कूद सकता है। वह हमेशा सोचता है कि क्या खिलाफ पहलू है और क्या माफिक पहलू है, इसमें मामला बिगड़ जायगा। तो इसलिये हम तो इसकी जरूरत महसूस नहीं करते हैं। हमारा बोर्ड एक्सपीरियन्स्ड लोगों का है वह इस बात को तय कर देगा। प्राइमाफेसी हम यह तय कर ही चुके कि हमको इस रूट को लेना है। हर जगह किसी मेम्बर असेम्बली या जज को

रखना कोई उनका आदर करनानहीं है, उनको दिक्कतों में डालना हो जाता है, जैसे हमने बहुत सी लायसेंसिंग कमेटीज में एम० एल० एज० को रख कर देख लिया। ऐसे ही इसमें अगर हमने चार रूट लेने की बात की और मेम्बर एक रूट में ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब बताइये साहब कि एम० एल० ए० कैसे तय कर लेगा? वह वोट को देखेगा या पब्लिक इंटरेस्ट को देखेगा? इसलिये ऐलेक्टेड रेप्रेजेन्टेटिव को इस फजीते में डालना ही नहीं चाहिये। ऐसी जिम्मेदारी जिसमें कड़ुवा काम करना पड़ता हो हमेशा परमानेंट आफिशल पर होनी चाहिये जिस पर किसी वोट का असर नहीं पड़ता है। तो श्रीमन्, मैं इसको मानने में अपने को असमर्थ पाता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या आप संशोधन को वापस लेते हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ को इस प्रकार रख दिया जाय :—

"७—(१) एक बोर्ड (मंडल) संगठित किया जायगा जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(१) एक जज जो जिला जज से कम ओहदे का न होगा।
(२) सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट विभाग।
(३) स्टेट प्राइवेट मोटर आपरेटर्स यूनियन का एक प्रतिनिधि।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री जोरावर वर्मा—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (१) में भाग (४) निम्न रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(४) प्रदेश के रजिस्टर्ड मोटर मालिकों के संगठनों (Unions or Associations) द्वारा भेजा हुआ एक प्रतिनिधि।"

अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय उपाध्याय जी का संशोधन माननीय तिवारी जी ने पेश किया है मेरा संशोधन उससे बिल्कुल भिन्न है। वह संशोधन जो सरकारी स्कीम है उसकी तरह बिलकुल स्वतंत्र नहीं है और न इसमें कोई जज ही है जिससे हमारे माननीय मंत्री जी को या सरकार को डर हो। इसमें सिर्फ मोटर मालिकों के संगठन के एक प्रतिनिधि की बात है। जब इस बिल पर जनरल बहस हुई थी तो इधर के लोगों ने भी और विशेषत: उस तरफ के भी कई माननीय वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया था कि इस बोर्ड में एक उन लोगों का प्रतिनिधि भी होना चाहिये जो मोटर संचालन का कार्य करते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी के तीन अधिकारियों में एक चौथा अगर वह भी हो जायगा तो कुछ ऐसा नहीं हो जायगा कि तीन व्यक्ति जो करना चाहें चौथा आकर उनकी स्कीम में कुछ बाधा डाल सकेगा। इसका मतलब सिर्फ यह होगा कि उनका एक प्रतिनिधि हो जायगा जिससे अगर मंत्री जी के अधिकारी उनकी किसी शिकायत की ओर ध्यान नहीं देंगे तो वह उनका ध्यान उस ओर आकर्षित करेगा। दूसरे मोटर मालिकों के संतोष के लिये भी यह एक बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि प्रजातांत्रिक शासन में रेप्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ी महत्ता रखता है। भले ही रेप्रेजेंटेशन के नाम से बिलकुल उल्टा हो, लेकिन इससे कम से कम उन लोगों का मुंह बन्द रहता है और यह कहने का मौका नहीं मिलता है कि हमको अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया गया। मेरा यह कहना नहीं है कि मेरा यह संशोधन कोई सोशलिस्टिक पैटर्न लायेगा या कोई आदर्श उपस्थित करेगा।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जोरावर वर्मा]

बल्कि जो प्रजातंत्र प्रणाली है उसमें थोड़ी सी जो कमी है उसको पूरा कर देता है और जो ऐडहाक कमेटी १९४९ में बैठी थी मिश्र जी के सभापतित्व में उसके पेज ६ पर खंड १३ जो है उसमें बिलकुल एक इंडिपेंडेंट कारपोरेशन की स्थापना के लिये सिफारिश की गयी थी पूरे राज्य में संचालन करने के लिये। मैं उस बात के लिये नहीं कहता क्योंकि अब यह स्वीकृत हो चुका है कि गवर्नमेंट ऐज ए डिपार्टमेंट रन करेगी। लेकिन उसको रेकमेंडेशन के आधार पर कम से कम एक स्वतंत्र व्यक्ति जो कि मोटर मालिकों की तकलीफें सुन सकें वहां पर उनका एक प्रतिनिधि रहना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जोरावर वर्मा साहब ने जो अभी संशोधन रखा है उसके मानने में जो आपत्तियां हो सकती हैं वह अभी-अभी पहले संशोधन के बारे में कही जा चुकी हैं। उनका यह कहना कि मोटर आपरेटर्स का एक प्रतिनिधि लिया जाय यह बतला दिया गया कि उनके प्रतिनिधि की जरूरत क्यों नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि शायद उनको मालूम होगा कि अभी मोटर आपरेटर्स का कोई यूनियन सारे प्रदेश के लिये है नहीं जो सबको रिप्रेजेंट करती हो। तो दो एक रीजनल यूनियनें हैं। कोई सारे प्रदेश के मोटर आपरेटरों को रिप्रेजेंट करने वाली यूनियन, मेरे ख्याल में है नहीं। बहुत से मोटर आपरेटर्स हैं जो किसी यूनियन में नहीं हैं, वह कह सकते हैं कि हमारा इसमें प्रतिनिधि नहीं था, दूसरे लोगों के प्रतिनिधि थे। उन्होंने अपनी तबियत का फैसला करा लिया। असल में उसमें दिक्कतें ही बढ़ेंगी। यह जो बोर्ड होगा वह जो चीज तय हो गयी है अगर उसमें कोई गलती रह गयी है तो फिर से देख लेगा। उस बोर्ड में खासे जिम्मेदार अफसरान होंगे। सारी चीजों को देखते हुये वह तय करेंगे। मेरे ख्याल में वर्मा जी इंसिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें जो दलीलें हैं वे कही जा चुकी हैं अभी मैं उनको दोहराना नहीं चाहता।

*श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यानपूर्वक श्री जोरावर वर्मा जी को भी व्याख्यान सुना और उसके उत्तर को भी सुना जो कि माननीय उपमंत्री महोदय ने दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले जब हमारा मुल्क स्वतंत्र नहीं था, ब्रिटिश सरकार थी, उस वक्त गवर्नमेंट का विचार और पब्लिक के स्वार्थ क्लैश करते थे तब यह सवाल हो सकता था कि यह सरकारी कर्मचारी हैं। इसमें पब्लिक के आदमी भी हों। जरूरी था, होने चाहिये था। लेकिन अब तो पब्लिक के वोटों से चुनी हुई सरकार है। तो सरकार के स्वार्थ में और पब्लिक के स्वार्थ में कहीं क्लैश नहीं होता। सरकार का यही काम है कि ज्यादा से ज्यादा आदमियों को ज्यादा से ज्यादा आराम कैसे दे। इसी दृष्टिकोण से सरकार सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त करती है। इसमें हो सकता है कि कहीं दोष हो, सरकार न कर पाती हो, लेकिन दृष्टिकोण यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा आदमियों को ज्यादा से ज्यादा आराम कैसे दिया जाय। हमारे कर्मचारी ईमानदार हों, सुलझी हुई तबियत के हों, परिश्रमी हों, काम करने की लगन हो। जैसे दो आखें होती हैं दोनों आंखें एक ही चीज देखती हैं। दो चीजें एक साथ नहीं देखतीं, ठीक उसी तरह जब वोटों से चुनी हुई सरकार है तो सरकार और पब्लिक दोनों एक ही चीज देखती हैं। सरकार और सरकारी कर्मचारी उसी तरह से देखते हैं। इसलिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर कोई पालिटिकल प्वाइन्ट आफ व्यू से प्रोपेगेंडा करने की बात हो तब तो बात दूसरी है और हमको कोई शिकायत नहीं है लेकिन अगर उन काम करने वालों की भलाई को मद्देनजर रख कर चलना है तो सरकार को और सरकारी कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा आराम पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिये।

आप यूनियन की बात करते हैं। आप जानते हैं कि आजकल यूनियन कैसे बन रही हैं ? कुछ लोग इकट्ठा हो गये और जो ज्यादा मांग पेश करे वहां पर मुखालफत करने का तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मौका मिलता ही नहीं तो वही यूनियन सफल हो जाती है। मजदूर यूनियन में मिलमालिकों को बैठने का मौका नहीं दिया जाता है। पक्ष-विपक्ष की बात सुनी जाती है तो फैसला ठीक हो जाता है। हुजूरवाला, इधर से भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। सरकार का काम है कि वह ठीक करे और सही फैसला करे लेकिन अगर एक तरफ की ही बात सुनी जाती है तो वहां पर गलती हो जाती है। जब क़त्ल के मामले में चालान होता है तो सरकार उसके लिये भी वकील का इन्तजाम करती है वह इसलिये कि कोई बात रह न जाय, कोई प्वाइन्ट रह न जाय जिससे मुलजिम बच सकता हो। इसलिये जितनी ज्यादा मांग कोई यूनियन पेश कर दे बस वही आजकल चुन लिया जाता है। वह इस प्रकार की कोशिश करेंगे कि उनकी मांग न मानी जाय इसलिये मेरा निवेदन यह है कि यूनियन चाहे बन जाय लेकिन सरकार के दृष्टिकोण में और सरकारी कर्मचारियों के दृष्टिकोण में और पब्लिक के दृष्टिकोण में कोई भेद नहीं है। इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि इस प्रस्ताव को आपने पेश कर दिया और अपनी बात भी सरकार के सामने रखदी तो अब आप इसको वापस ले लें तो बड़ा अच्छा हो।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री जोरावर वर्मा जी के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। जैसा कि माननीय शर्मा जी ने कहा कि जो दलील पेश्तर के संशोधन में दी गयी वही दलील इसमें काम करती है, यह बात सही नहीं है। वह तो उन्होंने ठीक ही कहा कि उन्होंने यह समझा था कि वही दलील इसमें भी काम करती है लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें काम वह नहीं करती है। इसमें तो यह कहा गया था कि कुछ लोग ऐसे इस बोर्ड के मेम्बर होंगे कि जो लोग जज की हैसियत रखते हों और दूसरे भी लोग सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और स्टेट मोटर आपरेटर्स यूनियन के प्रतिनिधि हों तो यही एक फर्क पड़ जाता है कि इसमें जज की बात नहीं कही गयी है। केवल वह यह कह रहे हैं कि एक व्यक्ति मोटर आपरेटर्स का जो संगठन है उसकी यूनियन है उसका चुना हुआ एक आदमी उस बोर्ड में हो जायगा। तो पहली बात आप इसमें नहीं रख रहे हैं।

मैं कोई लम्बी बात नहीं कहना चाहता हूं सिर्फ एक बात यह कह सकता हूं कि अगर एक व्यक्ति इस प्रकार से उसमें आ जाय तो उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है। क्योंकि जितने फैसले होंगे वह सब मेजारिटी की राय से होंगे। तीन मेम्बर जो हैं वह आलरेडी मौजूद हैं जिनके ऊपर यह सारा बोझ पड़ जाता है। तो एक आदमी मोटर आपरेटर्स का उसमें आ गया तो उसमें उससे क्या अन्तर आता है और वोट पर उसका असर पड़ता है? जो वह तीन आदमी चाहेंगे उसको वह कैसे बदल सकता है जिसको तीन आदमी उचित समझेंगे। हो सकता है वह एक आदमी भी उसकी राय का हो जाय और उनके सामने ईल्ड कर दे। यह भी हो सकता है कि अगर उन तीन आदमियों में एक आदमी की राय नहीं मिलती है तो फिर इस प्रतिनिधि की मदद से कोई काम हो सकता है और इसके मिलने से सही फैसले को करने में मदद मिल जाय। तो ऐसा संभव हो सकता है कि जैसा मैंने कहा। इसलिये मैं सोचता हूं कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये और एक आदमी के उसमें आ जाने से कोई रुकावट नहीं पड़ेगी। इससे सरकार के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इतना जरूर हो जायगा कि जिन लोगों का परमिट आप छीन रहे हैं उनको भी वहां अपनी बात को कहने का अवसर मिल जायगा। मैं समझता हूं मंत्री जी इस बात को ध्यान में रख कर फिर इस पर विचार करेंगे।

माननीय शुक्ल जी ने कहा कि सरकार और जनता में भेद नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि जहां भी डेमोक्रेसी होती है वहां पर प्रजा की चुनी हुई ही सरकार होती है, परन्तु सरकारी विभागों में प्रतिनिधित्व का प्रश्न उठता ही है। हम अध्यक्ष महोदय, बिलकुल इस बात के कायल हैं कि सरकार का हाथ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से सौ हाथ आना हटा दिया जाय तभी हमारे प्रदेश और देश का कल्याण होगा। मैं तो चाहता हूं कि सरकार और मंत्रियों से ऊपर लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट हो। वह उनके हाथ से बिलकुल निकल जाय तो बेहतर होगा। इसी दृष्टि से

वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री चरण सिंह]

ट्रेड यूनियन्स बनते हैं। इसी प्रकार से स्त्रियों के अधिकारों का भी प्रश्न उठता है। स्त्री और पुरुष दोनों की बात तो एक ही होती है, दोनों के स्वार्थ एक ही होते हैं लेकिन फिर भी कहीं कहीं यह प्रश्न उठता है कि उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये, उनके लिये भी नौकरियों में गुंजाइश होनी चाहिये। इसलिये प्रतिनिधित्व का प्रश्न तो उठता ही है और यह प्रतिनिधित्व स्वार्थों का होता है। अतः यह कहना कि सरकार ही मालिक है, वही सब कुछ है, कुछ बढ़ा-चढ़ा कर बातें करना है। जब हम ऐसी बात कहते हैं कि हमारे जो अधिकारी हैं उनके साथ जनता के चुने हुये प्रतिनिधि हों तो कभी भी हमारा इरादा यह नहीं होता कि हम उनको ईमानदार न समझते हों लेकिन उसका कारण यह है कि हर आदमी को हर बात नहीं सूझती है इसलिये गलती हो सकती है। अतः इससे सरकार के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता है। मैं माननीय शुक्ल जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वे माननीय मंत्री जी को मना लें तो अच्छा है।

*श्री जोरावर वर्मा--अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरा भार बहुत हल्का कर दिया। माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि माननीय तिवारी जी का जो उत्तर था वही इसका भी उत्तर है। यद्यपि इसका जवाब माननीय गेंदा सिंह जी ने दे दिया फिर भी मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्होंने सिर्फ जज के बारे में ही जवाब दिया था। उन्होंने एक बात और कही कि हमारे प्रदेश में कोई मोटर मालिक यूनियन नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में परिवहन मंत्री जी और तमाम लोग दावत खा आये हैं। अगर न भी हो तो जितनी भी यूनियन्स हैं उनको वे एक बना सकते हैं, यह उनके लिये बहुत साधारण सी बात है।

शुक्ल जी ने एक विचित्र बात कह दी कि सरकार और पब्लिक में कोई फर्क ही नहीं है। मैं तो इसको समझ नहीं सका। वे वयोवृद्ध हैं लेकिन इस बात को दो ढाई साल का बच्चा ही कह सकता है। ७ बरस का बच्चा भी नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि सरकार और पब्लिक में कोई फर्क ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, गेंदा सिंह जी ने माननीय मंत्री जी से देवरिया के बारे में एक शिकायत की थी लेकिन उसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि लेखपाल की रिपोर्ट उनके पास आ गयी है इसीलिये वे उसी को मानेंगे। माननीय गेंदा सिंह और दूसरे दो कांग्रेसी सदस्यों ने कहा था कि वह रिपोर्ट बिलकुल गलत थी लेकिन माननीय मंत्री जी ने उसको नहीं माना।

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, माननीय जोरावर वर्मा जी ने जो तकरीर की थी बजट के वक्त उसी को आज फिर दोहरा रहे हैं। मैंने कहीं नहीं कहा है कि मैं अपने माननीय मित्रों की राय के मुकाबिले में लेखपाल की राय को फौकियत देता हूं। अगर कहीं मैंने कहा होगा तो उसकी प्रोसीडिंग तो छपी होगी, आप बतला सकते हैं।

श्री जोरावर वर्मा--अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी भी इस सदन में हैं और वे इस बात को जानते हैं।

श्री अध्यक्ष--जब वे इंकार कर रहे हैं तो आपको उसे मान लेना चाहिये।

श्री जोरावर वर्मा--मैं उनको मान लेता हूं और इसके लिये उनको धन्यवाद भी देता हूं। जो कुछ हुआ वह तो हुआ ही लेकिन सभी समझते हैं कि सरकार और पब्लिक प्रतिनिधि में क्या अन्तर है। सरकार में इने गिने आदमी ही होते हैं और पब्लिक बहुत बड़ी होती है। उन्होंने एक बात यह भी कही कि राजनैतिक मोटिव से, राजनीतिक मन्तव्य से संशोधन लाये जाते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने कोई राजनैतिक मन्तव्य से नहीं रखा और न कोई सोशलिस्टिक पैटर्न थ्योरी ही रखता हूं लेकिन न मालूम शुक्ल जी ने कैसे मेरे लिये यहां कह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिया। न मैं किसी पार्टी का सदस्य हूं और न किसी पार्टी विशेष से संबंध रखता हूं जो उसके प्रोपेगेंडा के लिये मैं इस संशोधन को लाया हूं। जो कुछ भी मैंने किया, जितने सदस्य हैं जनता के ही प्रतिनिधि हैं और जनता के प्रतिनिधि होने की हैसियत से जनता के हित के लिये ही किया। इसलिये मैं समझता हूं कि मोटर मालिक यूनियन का भी कोई प्रतिनिधि उसके अन्दर होना चाहिये क्योंकि प्रजातांत्रिक प्रणाली में जहां सरकार मौजूद हो तो वहां जनता के प्रतिनिधि भी जनता की भलाई के लिये मौजूद रहने चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं फिर माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे मेरे संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री सीताराम शुक्ल—श्रीमन्, मुझे भी जवाब देने का मौका मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बात कही गयी है मैंने जो कहा था वह यह कहा था कि माननीय जोरावर वर्मा जी का जो संशोधन है, जो संशोधन पहले हो चुका है उसमें यह चीज शामिल है। आपका मतलब यह था कि जो जज के बारे में बहस की गयी वह भी इस संशोधन के लिये है इसके अलावा जो एसेम्बली के सदस्यों पर बहस की गयी वह भी इस पर लागू हो। ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल में माननीय गेंदा सिंह जी और माननीय जोरावर वर्मा जी को कम से कम यह तो मान ही लेना चाहिये कि मैं इतनी अक्ल तो रखता ही हूं कि कोई इर्रेलिवेंट बात नहीं कहूंगा। मैंने यह कहा था कि इस संशोधन में जो बात कही गयी है इसको दूसरे रूप में भी कहा गया है क्योंकि जो दिक्कत बतलायी गयी है वह यह कि एक तो हमारे प्रदेश में को एक यूनियन मोटर मालिक की है नहीं जिसके प्रतिनिधि को बुलाया जा सके दूसरी बात यह कही गयी कि जब ऐसी कोई यूनियन नहीं है तो उनका कोई एक संगठन कर लिया जाय और उनके एक प्रतिनिधि को रख लिया जाय। यह दलील तो ऐसी है जो बिलकुल अव्यावहारिक है। जब हम उस सिद्धांत और उसूल को मानते ही नहीं हैं तो फिर कोई यूनियन बनाने का और उसके रेप्रेजेंटेटिव को रखने का कोई सवाल हीं नहीं उठता है। उसमें यह नहीं है कि पब्लिक और गवर्नमेंट के कितने प्रतिनिधि हों। शुक्ल जी ने किस मंशा से बात कही थी मैं नहीं कह सकता। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां गवर्नमेंट रेप्रेजेंटेटिव के रहते हुये पब्लिक रेप्रेजेंटेटिव की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हो सकता है कि इनडिविजुअल इंटरेस्ट में कोई फर्क हो और गवर्नमेंट तथा पब्लिक इंटरेस्ट में कोई फर्क हो। तो न मैंने यह कहा था कि यह संशोधन कोई राजनैतिक दृष्टि से है या पहले ही कोई दूसरा संशोधन राजनैतिक दृष्टि से रखा गया था। मेरे ख्याल में किसी ने ऐसा नहीं कहा था। तो यहां यह दलील देना.....

श्री अध्यक्ष—शुक्ल जी के भाषण में कुछ इशारा था।

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस कारण मैं समझता हूं कि इस संशोधन का कोई सवाल नहीं उठता इसलिये मैं वर्मा जी से दरख्वास्त करता हूं कि वे अपने इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (१) में भाग (४) निम्न रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(४) प्रदेश के रजिस्टर्ड मोटर मालिकों के संगठनों (Unions or Associations) द्वारा भेजा हुआ एक प्रतिनिधि।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—अध्यक्ष महोदय, अगर आप की आज्ञा हो तो मैं इसी खंड में एक शाब्दिक संशोधन पेश करना चाहता हूं और वह यह है कि जहां लिखा हुआ है खंड ७ (१) में कि एक बोर्ड संगठित किया जायगा जिस में निम्नलिखित होंगे— और उसमें जो पहला है कि "एक डिवीजन का कमिश्नर जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी" उसके आगे यह बढ़ा दिया जाय "कि जो कि बोर्ड का अध्यक्ष भी होगा"।

श्री चरण सिंह--इन अफसरों में जो सीनियर होगा वही चेयरमैन होगा कभी कमिश्नर से ज्यादा सीनियर सेक्रेटरी हो सकता है इसलिये उस को बांधना ठीक न होगा, मान लिया सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से सीनियर हो तो उस हालत में यहां उसको बांधना ठीक न होगा।

श्री राजनारायण--अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय शुक्ल जी का जो यहां सदन में भाषण हुआ उसको सुनकर बड़ा दुख हुआ। हमारा जो भारतीय संविधान है और उसमें जो हमारी जनतांत्रिक प्रणाली है क्या उसकी प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचती जब वह कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी सरकार या जनता में कोई भेद नहीं है।

श्री अध्यक्ष--बहुत सी चीजें गलत हो सकती हैं, लेकिन कहने का अधिकार है उन्हीं में से यह बात भी हो सकती है। अगर आप गलत उसको समझते हैं तो आप भी उसे गलत कह सकते हैं, आपको भी गलत बात को गलत कहने का अधिकार है। वह आप कह सकते हैं।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड ७ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

अंतिम योजना ८--धारा ७ के अधीन पुष्ट, परिष्कृत अथवा परिवर्तित योजना सरकारी गजट में प्रकाशित की जायगी और तत्पश्चात् वह अंतिम हो जायगी और जिस मार्ग से उसका सम्बन्ध होगा वह विज्ञप्ति मार्ग (notified route) कहलायेगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

योजना का परिवर्तन अथवा परिष्करण। ९--(१) धारा ८ के अधीन प्रकाशित कोई भी योजना राज्य सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार की स्वीकृति से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा किसी समय निरस्त, परिवर्तित अथवा परिष्कृत की जा सकेगी ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अथवा रेलवे के सहयोग में राज्य सरकार द्वारा चालित और संचालित पथ-परिवहन सेवाओं की केवल संख्या में अथवा प्रयुक्त परिवहन वाहनों में अथवा उनके प्रकारों में अथवा बैठने के स्थान में वृद्धि अथवा कमी अथवा किसी विज्ञप्त मार्ग का कम किया जाना इस धारा के प्रयोजनों के लिये योजना का परिष्कार अथवा परिवर्तन नहीं समझा जायगा।

(२) धारा ४ से ८ तक में उल्लिखित प्रकिया का, यथा प्रवृत्ति, (so far as can be made applicable) योजना को परिवर्तित अथवा परिष्कृत करने में अनुसरण किया जायगा मानो ऐसा परिवर्तन अथवा परिष्कार एक अलग योजना हो।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में "अथवा राज्य सरकार की स्वीकृति से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा" निकाल दिया जाय। जो छपा है उसके बजाय यह मैं पेश करता हूं। मेरे संशोधन का आशय केवल यह है कि जब तीन आदमियों का बोर्ड बनेगा जिसमें डिवीजन कमिश्नर,

परिवहन विभाग के सेक्रेटरी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और जब उन तीनों के द्वारा कोई योजना परिपुष्ट हो तो उस योजना के निरस्त करने के लिये उसी बोर्ड के एक सदस्य के एक सदस्य को अधिकार हो कि वह निरस्त कर दे यह अच्छा नहीं लगता। यह तो ठीक है कि राज्य सरकार की स्वीकृति पर वह ऐसा करेगा, लेकिन जब राज्य सरकार उसकी स्वीकृति देगी और सारे मामले को देख लेगी तो फिर उसके सेक्रेटरी द्वारा न हो करके ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा हो यह अच्छा नहीं लगता, यह बड़ी आकवर्ड पोजीशन क्रियेट हो जायगी। यही मेरे संशोधन का आशय है कि इस आकवर्ड पोजीशन को हटा दिया जाय और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री चरणसिंह--अगर यह लफ्ज पड़े रहते तो भी कोई हर्ज नहीं था और अगर निकाल दिये जायं तो भी कोई हर्ज नहीं है। इसलिये मैं माननीय द्वारका प्रसाद जी मौर्य के संशोधन को स्वीकार किये लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द "अथवा राज्य सरकार की स्वीकृत से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मेरा शाब्दिक संशोधन यह है कि खंड ९ के उपखंड (२) में यह "धारा ४ से ८ तक" जो लिखा हुआ है उसके स्थान पर "धारा ३ से ८ तक" कर दिया जाय वसे तो यह है शाब्दिक लेकिन इसका महत्व बहुत है। इसमें लिखा है कि खंड ९ के उपखंड (१) क अनुसार राज्य सरकार किसी योजना को माडीफाई कर सकती है, बदल सकती है, और कैंसिल भी कर सकती है तो मान लिया कि वह माडीफाई करते हैं, या बदलते हैं तो वह योजना को प्रस्तुत करेगी तो अगर हम धारा तीन नहीं लिखेंगे तो बाद में यह होगा कि गजट में प्रकाशित होना धारा तीन के अनुसार जरूरी है। दूसरे धारा ३ (२) के अनुसार उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति उसमें वर्णित तथ्यों क विषय में निश्चायक साक्ष्य, कंक्लूसिव एवीडेंस का होना बहुत जरूरी है। तो अगर इसमें धारा ४ से ८ तक रखी गयी तो धारा ३ के उपखंड (१) के विज्ञप्ति से वंचित रह जाते हैं और दूसरे इसमें लीगल फला भी रह जाती है। गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित होगी लेकिन ला के दृष्टिकोण से वह अधूरी रह जाती है। इसलिये इस संशोधन को स्वीकार कर लेने में माननीय मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर इस धारा को पढ़ा जाय तो मेरी बात स्पष्ट हो जायगी।

"धारा ४ से ८ तक में उल्लिखित प्रक्रिया का यथा प्रवृत्ति योजना को परिवर्तित अथवा परिष्कृत करने में अनुसरण किया जायगा मानो ऐसा परिवर्तन अथवा परिष्कार एक अलग योजना हो।"

इसका अर्थ यह है कि यहां से योजना के बारे में जितनी कार्यवाही होगी वह सब की जायगी लेकिन धारा तीन इससे अलग हो जायगी। इसलिये यह धारा तीन इसमें होनी चाहिये, लीगल दृष्टिकोण से भी होनी चाहिये। यही मेरा शाब्दिक संशोधन है।

श्री चरण सिंह--श्रीमन्, यह सेक्शन ३ जो है इसमें कोई प्रोसीजर या प्रक्रिया का सवाल नहीं है जिसका की धारा ९ की उपधारा २ में जिक्र किया गया है। इसका सवाल केवल धारा ४ से ८ तक है, लेकिन तीन में नहीं है। इसमें एक नोटिफिकेशन होगा, प्रोसीजर का प्वाइंट मैं नहीं समझता कि इसमें आता है। इसलिये इसकी कोई जरूरत नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमान् जी, शायद जल्दी में माननीय मंत्री जी मेरे प्वाइंट को समझ नहीं पाये। मैं चाहूंगा कि वह दोबारा इस पर गौर करें क्योंकि इस विधेयक की प्रक्रिया ३ से ही शुरू होती है। ३ में इस प्रकार लिखा हुआ है "यदि राज्य सरकार के मतानुसार सार्वजनिक हित तथा सामान्य कल्याण के लिये अथवा सुदक्ष पथ परिवहन प्रणाली को विकसित एवं चालू

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

रखने के लिये ऐसा करना आवश्यक हो तो वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके प्रख्यापित कर सकती है --गजट में प्रकाशित करेगी और अगर सरकार सामान्य कल्याण के लिये या सार्वजनिक हित के लिये किसी योजना को वह प्रख्यापित करेगी तो गजेट में प्रकाशित करेगी। आगे इसमें है "कि किसी ऐसे मार्ग पर या उसके किसी भाग में जो निर्दिष्ट किया जाय, साधारणतः अथवा किसी वर्ग विशेष की पथ-परिवहन सेवायें इस अध्यादेश के उपबन्धों के अनुसार केवल राज्य सरकार द्वारा ही अथवा रेलवे के सहयोग में राज्य सरकार द्वारा अंशतः राज्य सरकार द्वारा और अंशतः दूसरों द्वारा चालित और संचालित होंगे।" अगर वह मॉडिफाई करेगी तो भी पब्लिक इंटरेस्ट में करेगी। तो प्रक्रिया की बुनियाद तो खंड ३ से ही पड़ जाती है। फिर माननीय मंत्री जी का ध्यान उपखंड २ की ओर दिलाना चाहता हूं कि जो राज्य पथ परिवहन विधेयक अब तक लागू था जिसे इस अधिनियम द्वारा रिपील किया जा रहा है।

श्री चरण सिंह--एक बात मुझे कहनी है। मुझे उसके स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। देखना यह है कि आया यह प्रोसीजर में आती है या नहीं। इस मामले को मुल्तवी कर दिया जाय। लीगल एडवाइजर साहब आ गये हैं, उनसे पूछ कर मैं स्वीकार कर लूंगा अगर यह प्रोसीजर में आती है।

श्री अध्यक्ष--ठीक है। आगे बढ़ाया जाय।

(खंड ९ पर विचार स्थगित हुआ।)

खंड १०

धारा ८ के अधीन योजना के प्रकाशन का परिणाम।

१०--(१) धारा ८ के अधीन योजना प्रकाशित होने पर और जब तक वह प्रचलित रहे यहां पर आगे चल कर बताये गये परिणाम योजना के आरम्भ के दिनांक से विज्ञप्ति मार्ग के सम्बन्ध में सप्रभाव होंगे--

(क) राज्य सरकार द्वारा अथवा रेलवे के सहयोग में राज्य सरकार द्वारा प्रयुक्त परिवहन वाहनों के बारे में, राज्य सरकार मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के चैप्टर ४ के उपबन्धों के अनुपालन से निम्नलिखित के सम्बन्ध में जैसा कि वह उस विषय में सरकारी गजट में विज्ञापित करे, अंशतः अथवा पूर्णतः छूट की व्यवस्था कर सकती है --

(१) अनुज्ञा-पत्रों के लेने अथवा स्वीकार करने अथवा हस्ताक्षरित (counter signing) करने की आवश्यकता,

(२) अनुज्ञा-पत्रों की अवधि तथा नवीकरण (renewal),

(३) अनुज्ञा-पत्रों से संलग्न प्रतिबन्ध (conditions),

(४) अनुज्ञा-पत्रों का निरसन (cancellation) तथा स्थगन (suspension),

(५) अनुज्ञा-पत्रों की संख्या पर निरोध (restriction),

(ख) कोई भी व्यक्ति (अकेले अथवा रेलवे के सहयोग में राज्य सरकार को छोड़कर) खंड (ग) के अधीन की गयी व्यवस्था को छोड़ कर मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के चैप्टर ४ के अधीन अनुज्ञा-पत्र का अधिकारी न होगा।

(ग) राज्य सरकार ऐसे परिवहन वाहनों की, यदि कोई हों, संख्या निर्दिष्ट कर सकती है जिसके निमित्त राज्य सरकार अथवा रेलवे के सहयोग में राज्य सरकार से भिन्न व्यक्तियों के पक्ष में अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत अथवा प्रति-हस्ताक्षरित किये जा सकते हैं।

(घ) राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत कोई अधिकारी अथवा प्राधिकारी नियत रीत से किसी अनुज्ञा-पत्र को निरस्त कर सकता है अथवा किसी अन्य मार्ग के लिये संक्रामित कर सकता है अथवा आदेश दे सकता है कि किसी अनुज्ञा-पत्र का अथवा अनुज्ञा-पत्रों के वर्ग का नवीकरण न हो सकेगा अथवा वे ऐसे दिनांक से, जो निर्दिष्ट किया जाय, सप्रभाव न रहेंगे, अथवा किसी अनुज्ञा-पत्र के अन्तर्गत वाहनों की संख्या या मार्ग में कमी कर सकता है अथवा मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के चैप्टर ४ के अधीन स्वीकृत अनुज्ञा-पत्र की शर्तों में परिवर्तन कर सकता है।

(ङ) सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके राज्य सरकार आदेश दे सकती है कि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के अधीन स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी, रीजनल ट्रांसपार्ट अथारिटी, रजिस्टरिंग अथारिटी अथवा लाइसेंसिंग अथारिटी के सभी अथवा कोई कृत्य (functions), कर्त्तव्य (duties) तथा अधिकार (powers) विज्ञप्ति में निर्दिष्ट आयति (extent) तक और रीति (manner) से ऐसे अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा उत्सर्जित, संपादित, अथवा प्रयुक्त (discharged performed or exercised) होंगे जैसा विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय।

(च) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी, रीजनल ट्रांसपार्ट अथारिटी अथवा अन्य किसी प्राधिकारी को ऐसा आदेश प्रचारित कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे और ऐसा अधिकारी अथवा प्राधिकारी ऐसे सभी आदेशों और आज्ञाओं का तुरन्त पालन करेगा।

(२) उपधारा (१) के खंड (घ) के अधीन तथा अनुसार संक्रामित कोई अनुज्ञापत्र उसी प्रकार सप्रभाव होगा और सप्रभाव समझा जायगा मानों वह अपनी वैधता (validity) की अवशिष्ट अवधि के लिये मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के चैप्टर ४ के अधीन स्वीकृत अनुज्ञापत्र हो।

(३) मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा ४४ की उपधारा (२) की कोई भी बात उपधारा (१) के खंड (ङ) के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी पर प्रयुक्त न होगी।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड १० के उपखंड (१) के भाग (क) के अंक (१) में शब्द "हस्ताक्षरित," के स्थान पर शब्द "प्रति हस्ताक्षरित" रख दिया जाय। यह शाब्दिक संशोधन है और आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह---मुझे मंजूर है। यह प्रिंटिंग एरर रह गयी है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (१) के भाग (क) के अंक (१) में शब्द "हस्ताक्षरित" के स्थान पर शब्द "प्रति हस्ताक्षरित" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाया।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११

अपरिपक्व अनुज्ञा-पत्रों के निरसन अथवा मार्ग अथवा मार्गों में कमी करने के उपलक्ष्य में प्रतिकर ।

११--(१) यदि धारा ८ के अधीन प्रकाशित योजना के अनुसार मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के चेप्टर ४ के अधीन स्वीकृत कोई वर्तमान अनुज्ञा-पत्र निरस्त कर दिया जाय, या निरस्त किया गया समझा जाय अथवा तदन्तर्गत मार्ग या मार्गों में कमी की जाय या की गयी समझी जाय तो उस दशा को छोड़ कर जहां अनुज्ञा-पत्र के संक्रामण से धारा ५ की उपधारा (२) के अधीन सहमति हो, अनुज्ञा पत्र-गृहीता राज्य सरकार से अनुसूची १ में निर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुसार अवधारित प्रतिकर अनुज्ञापत्र के अपरिपक्व निरसन (premature cancellation) अथवा तदन्तर्गत मार्ग अथवा मार्गों में कमी के, जैसी भी दशा हो, उपलक्ष्य में प्राप्त करने का अधिकारी होगा और प्राप्त करेगा ।

(२) इस धारा के अधीन देय (payable) प्रतिकर अनुज्ञापत्र के निरसन अथवा तदन्तर्गत मार्ग में कमी की आज्ञा के दिनांक से देय होगा ।

(३) उपधारा (१) के अवधारित प्रतिकर की धनराशि पर अनुज्ञापत्र के निरसन अथवा मार्ग में कमी की आज्ञा के दिनांक से उपर्युक्त प्रकार से प्रतिकर के अवधारण के दिनांक तक २१/२ प्रतिशत के हिसाब से राज्य सरकार द्वारा ब्याज दिया जायगा ।

(४) इस धारा के अधीन देय प्रतिकर नकदी में दिया जायगा ।

(५) उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार दी जाने वाली प्रतिकर की धनराशि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा अवधारित की जायगी और अनुज्ञापत्र-गृहीता को इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर की पूरी भरपाई (full satisfaction) के उपलक्ष्य में प्रस्तुत (offer) की जायगी और यदि इस प्रकार प्रस्तुत धनराशि (amount so offered) अनुज्ञा-पत्र गृहीता को स्वीकार न हो तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऐसी अवधि के भीतर तथा उस रीति से, जो नियत की जाय, मामला डिस्ट्रिक्ट जज को निर्णय के लिये अभिदिष्ट (refer) करेगा और इस सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट जज का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द "वर्तमान" निकाल दिया जाय ।

मैं समझता हूं कि यह रिडंडेंट है "वर्तमान" होना नहीं चाहिये । जो मतलब है सरकार का और बिल का वह पूरा हो जाता है और इसके रखने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री चरण सिंह--नहीं, इसकी जरूरत है । लफ्ज "सजेस्टिंग" है और उसकी जरूरत है । इसके रह जाने से कोई हर्ज नहीं होगा लेकिन अगर निकाल दिया जाय तो पेचीदगी हो सकती है । अगर उनकी बात को भी माना जाय तो इसके रहने से कोई खराबी नहीं होगी ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---मैं इसे वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १२

१२--मोटर वेहिक्लिस ऐक्ट, १९३९ के चैप्टर ४ के अन्तर्गत दिया गया कोई अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने पर अथवा धारा ७ के अधीन प्रकाशित योजना के अनुसार अनुज्ञापत्र से सम्बद्ध मार्ग में कमी किये जाने पर, यदि अनुज्ञापत्र, गृहीता अनुज्ञापत्र के अधीनस्थ मोटर वाहन बेचना चाहे तो राज्य सरकार ऐसे वाहन को अनुसूची २ में दिये गये प्रतिबन्धों तथा शर्तों पर खरीद सकती है । मोटर वाहनों की खरीद ।

किन्तु प्रथमतः प्रतिबन्ध यह है कि वाहन इस प्रकार के निर्माण और प्रकार की हो जो सरकार द्वारा विज्ञापित किये जायं, तथा

द्वितीय प्रतिबन्ध यह है कि वाहन यांत्रिक रूप से ठीक दशा में हो और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अथवा उसके नामांकिती (nominee) द्वारा अन्य प्रकार से ठीक प्रख्यापित कर दी गयी हो।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ की पंक्ति २ में अंक "७" के स्थान पर अंक "८" रख दिया जाय। मालूम होता है कि यह भी छपने की गलती है ।

श्री चरण सिंह--यह मंजूर है ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १२ की पंक्ति २ में अंक "७" के स्थान पर अंक "८" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष --प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १३

१३--राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के, यदि कोई हों, परिअधीन, अन्य लक्ष्यों के साथ-साथ मोटर परिवहन उद्योग के विकास के लिये राज्य सरकार: मोटर वहन उद्योग का विकास।

(क) मोटर वाहनों अथवा अन्य मशीनों, उनके भागों, आनुषंगिकों (accessories) तथा पुर्जों (instruments) की मरम्मत विकरण (overhaul), पुर्ननिमाण (re-construction), संगठन (assemblage) अथवा पुनस्संगठन (re-conditioning) के निमित्त तथा ऐसे भागों, आनुषंगिकों तथा पुर्जों के निर्माण के हेतु उद्योगशालाएं (workshops) स्थापित कर सकती है अथवा तदनुरूप अन्य प्रबन्ध कर सकती है;

(ख) मोटर परिवहन से संबद्ध मामलों के प्रशिक्षण की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के शिक्षण तथा प्रशिक्षण के लिये व्यवस्था कर सकती है;

(ग) पथ-परिवहन में प्रयुक्त मोटर वाहनो के प्रकार के सम्बन्ध में, तथा इस अधिनियम के अधीन व्यवस्थित राज्य पथ-परिवहन सेवाओं के सम्बन्ध में जिसमें आहार (catering) उपाहार-गृह

(restaurants), मालगोदाम तथा बड़े गोदाम (ware houses) की व्यवस्था भी सम्मिलित है, ऐसी कार्यवाही कर सकती है जिससे उनमें सुधार हो सकें; तथा

(घ) सामान्यतया ऐसी सब कार्यवाहियां कर सकती है जिनसे मोटर परिवहन सेवाओं की दक्षता बढ़े।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ के भाग (ग) की पंक्ति ४ के शुरू में "तथा यात्री विश्रामगृह" और जोड़ दिया जाय।

श्रीमन्, यह संशोधन स्वीकार करने के बाद यह इस प्रकार हो जायगा--

"(ग) पथ-परिवहन में प्रयुक्त मोटर वाहनों के प्रकार के संबंध में, तथा इस अधिनियम के अधीन व्यवस्थित राज्य पथ-परिवहन सेवाओं के सम्बन्धतमें जिसमें आहार (catering) उपाहार-गृह (resturants) था यात्री-विश्राम-गृह , मालगोदाम तथा बड़े गोदाम (ware houses) की व्यवस्था भी सम्मिलित है ऐसी कार्यवाही कर सकती है जिससे उनमें सुधार हो सकें; तथा"

श्रीमन् यह अत्यन्त ही आवश्यक संशोधन है क्योंकि जब रेस्टोरां, उपहार-गृह तथा बड़े माल गोदामों की व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्देश विधेयक में किया जा रहा है तो जो यात्री चलते हैं उनके और मजदूरों के लिये भी यात्री आवास गृह तथा मजदूर-गृह या जो भी कह लीजिये, उनके लिये उनकी अवश्य व्यवस्था होनी चाहिये।

तो मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें हमको यात्री आवास गृह तो खोलने ही हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि विधेयक में भी इसका निर्देश हो जाय तो उपयुक्त होगा।

श्री चरणसिंह--इसमें एक दिक्कत यह है कि बनवा पायें या न बनवा पायें। वैसे लफ्ज रखने में कोई आपत्ति नहीं है अगर माननीय नारायण दत्त तिवारी जी को तसल्ली होती हो। खैर मुझे मंजूर है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है खंड १३ के भाग (ग) की पंक्ति ४ के शुरू में "तथा यात्री विश्राम-गृह" और जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १४, १५ तथा १६

ट्रांसपोर्ट कमिश्नर।

१४--(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये एक ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर को नियुक्त कर सकती है।

(२) ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऐसे कर्तव्यों का पालन और अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियत किये जायं।

१५--(१) राज्य सरकार सेवा की दक्षता एवं जन-साधारण की सुविधा से संबंधित किसी मामले के सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिये विभिन्न क्षेत्रों के लिये एक या एक से अधिक परामर्शदात्री समितियां नियुक्त कर सकती है। परामर्श दात्री समितियों के नियुक्ति।

(२) समिति में उतने सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार नियुक्त करे।

(३) समिति और उसके सदस्यों का कार्यकाल (term) आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति की रीति, इसकी कार्य प्रतिक्रिया तथा इसक कार्य का संचालन उस प्रकार होगा जैसा नियत किया जाय।

१६--राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर के धारा ३ में निर्दिष्ट अधिकारों को छोड़ कर, इस अधिनियम के अधीन अपने को प्राप्त अधिकारों में से किसी अधिकार को किसी भी अपने अधीनस्थ अधिकारी अथवा प्राधिकारी को, विज्ञप्ति में निर्दिष्ट निरोधों और प्रतिबन्धों के अधीन प्रयोग किये जाने के लिये, सौंप सकती है। अधिकारों का प्रतिनिधायन (delegation)।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १४, १५ और १६ इस विधेयक के अंग माने जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १७

१७--(१) जो कोई व्यक्ति धारा १० के खंड (ग) के उपबन्धों का उल्लघंन कर के किसी सार्वजनिक सेवा वाहन को चलायेगा अथवा प्रयोग करायेगा या प्रयोग करने की अनुमति देगा वह अर्थ दण्ड द्वारा, जो पाँच सौ रुपया तक हो सकता है, दण्डनीय होगा। धारा ९ का उल्लंघन करके किसी सार्वजनिक सेवा वाहन का प्रयोग अपराध होगा।

(२) इस धारा की कोई भी बात आपात (emergency) के समय किसी भी सार्वजनिक सेवा वाहन द्वारा रोग-पीड़ित अथवा क्षत-विक्षत (suffering from injury) व्यक्तियों के ढोने अथवा शवों के परिवहन अथवा आपत्ति निवारणार्थ औषधियों के परिवहन पर प्रयुक्त न होगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वाहन का चालक व्यक्ति सात दिनों के भीतर ऐसे प्रयोग के विषय में नियत प्राधिकारी को आख्या (report) देगा।

श्री जोरावर वर्मा--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं :

खंड १७ के उपखंड (२) की पंक्ति ४ में शब्द "परिवहन" और "पर" के बीच में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं--

"अथवा विवाह के लिये बरात के परिवहन ।"

अध्यक्ष महोदय, यह धारा इस प्रकार हो जायगी--

"१७-(२) इस धारा की कोई भी बात आपात (emergency) के समय किसी भी सार्वजनिक सेवा वाहन द्वारा रोग-पीड़ित अथवा क्षत-विक्षत (suffering from injury) व्यक्तियों के ढोने अथवा शवों के परिवहन अथवा आपत्ति निवारणा औषधियों के परिवहन अथवा विवाह के लिये बरात के परिवहन पर प्रयुक्त न होगी :"

अध्यक्ष महोदय, इसमें मुझे अधिक कहना नहीं है। शायद जब बारात के समय में ऐसी बात आ जाती है तो कई लोग ऐसे हैं जो नियमों से वाकिफ नहीं रहते हैं, वे डी० एम० से

[श्री जोरावर वर्मा]

परमिशन नहीं ले पाते हैं और बरात के लिये इस प्रकार के परिवहन की बड़ी आवश्यकता होती हैं । तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे क्योंकि जनहित में एक ऐसी बात हैं जो मैं समझता हूं छूट गयी थी । इसके होने से सरकारी रोडवेज में कोई खलल नहीं पड़ेगा बल्कि जनता को सुविधा मिलेगी । मैं आशा करता हूं मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन्, जरा मैं एक शाब्दिक संशोधन करना चाहता हूं । "अथवा विवाह के लिये आवश्यक बरात के परिवहन " कर दिया जाय तो जरा ज्यादा शाब्दिक सुन्दरता हो जायगी ....

श्री अध्यक्ष--आवश्यक बारात से क्या मतलब हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन्, मेरा मतलब हैं "विवाह के लिये आवश्यक" तो मैं श्री जोरावर वर्मा जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस संशोधन को लाकर इस तरफ भी ध्यान आकर्षित किया हैं । यह चीज तो ऐमरजेन्सी के लिये हैं, ऐसी बात नहीं हैं कि रोजमर्रा के लिये लागू हो । इस धारा में कई बातें एमरजेन्सी के लिये ही हैं, जैसे आपत्ति निवारणार्थ औष धियों के लिये वे जरूरी समझते हैं । इसी प्रकार मान लीजिये तीन दिन में किसी की लगन त य हो गई तो वह एक तरह से ऐमरजेन्सी के माने में आ जाती हैं । तो इस लिये इस संशोधन के मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिय, एमरजेन्सी के लिये ही हैं ।

श्री चरण सिंह--श्रीमन्, इस बारात के पर्दे में बहुत दुरुपयोग किया जा सकता हैं इस धारा का । अगर बारात के लिये परमिट मिलने लगे तो फिर लोग वैसे ही लेंगे और कहेंगे कि बारात जा रही हैं अब करते फिरो तहकीकात । लगन तो तय होती हैं महीनों पहले । काफी समय मिलता हैं ।

श्री गेंदा सिंह--कभी कभी जल्दी में भी होती हैं ।

श्री चरण सिंह--जल्दी में होती है तो जिनकी इतनी जल्दी में होती है, वह इतनी ही जल्दी परमिट भी हासिल कर सकते हैं । श्रीमन्, जब सारी उम्र का परमिट दिया जा रहा है तो भला इतनी जल्दी अगर वह हासिल हो सकता है तो उसमें महज बारात ले जाने के लिये परमिट भी बड़ी जल्दी हासिल किया जा सकता है । फिर ऐसे कैसेज जिनमें बहुत जल्दी तय हो, १०० में एक या हजार में एक होंगे । आम तौर पर तो काफी समय मिलता हैं । तो उस बीच में परमिट लिया जा सकता है । इसलिये चूंकि दुरुपयोग होने की आशंका हैं, वरना मैं मंजूर कर लेता ।

श्री जोरावर वर्मा--श्रीमन्, पता नहीं माननीय मंत्री जी किस मूड में हैं मैं तो समझता था कि वह इसको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि ऐसा होता है, सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि जिस अधिकारी के हाथ में परमीशन देना रहता है उससे परमीशन लेने में काफी देर लगती है । तो जब तक कि वह परमिशन मिले तब तक वह बारात ही खत्म हो जाय तो फिर उस परमीशन को ले कर क्या होगा । इसलिये मैं फिर निवेदन करूंगा कि वह इसको मंजूर कर लें और मैं यह भी विश्वास दिलाता हूं कि नियमों में वह चाहे जैसा परिवर्त्तन कर लें, चाहे जैसा नियम बना लें, अगर कोई ऐसी व्यवस्था वह कर देते तो मैं अपना संशोधन वापस ले लेता । लेकिन मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन जनहित में बड़ा लाभप्रद सिद्ध होगा, इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय मन्त्री जी अगर इसे स्वीकार कर लें तो मुनासिब होगा ।

श्री चरण सिंह—श्रीमन्, मेरा मूड तो बिलकुल नार्मल है। बस फर्क इतना है कि जब मेरी शादी हुई थी , तब इस तरह इमर्जेंसी नहीं मानी जाती थी। बड़े इत्मीनान के साथ मेरी शादी हुई थी और वाहन जो थे बैलगाड़ी वगैरह उन्हीं के जरिये हुई थी। तो मैं अब श्रीमन्, यह नहीं समझता हूं कि आजकल शादी भी इमर्जेंसी हो गई। इसमें लफ्ज जो लिखा हुआ है, वह इमर्जेंसी है,। अब श्रीमन्, शादी को इमर्जेंसी मानना तौहीन करना है दोनों पक्षों की। इसलिये मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष—तो माननीय नारायण दत्त जी, क्या अपने संशोधन पर भी मत लेना चाहते हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—जैसा आप उचित समझें। ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष—तो अब मैं पहले माननीय नारायणदत्त जी का संशोधन लेता हूं और उसे संशोधित रूप में रखता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड १७ के उपखंड (२) की पंक्ति ४ के शब्द "परिवहन" और "पर" के बीच में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं:—

"अथवा विवाह के लिये आवश्यक बरात के परिवहन"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब माननीय जोरावर वर्मा का संशोधन मैं रखता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड १७ के उपखंड (२) की पंक्ति ४ के शब्द "परिवहन" और "पर" क बीच में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं:—

"अथवा विवाह के लिये बरात के परिवहन"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १८

१८—धारा १० के उपबन्धों को बाधित न करते हुये किन्तु मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ में किसी बात के होते हुये भी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अथवा उसके द्वारा इस कार्य के लिये नियुक्त किसी भी अधिकारी के लिये यह वैध (lawful) होगा कि वह राज्य सरकार के किसी भी सार्वजनिक भार-वाहक (public carrier) अथवा संवित वाहक (contract carriage) को उत्तर प्रदेश के किसी मार्ग पर अथवा सभी मार्गों पर चलाये जाने के लिये अधिकृत करे और तब उपर्युक्त सार्वजनिक सेवा-वाहक उसी प्रकार प्रयोग में लाया जा सकेगा मानो उक्त अधिकार प्रदान मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के उपबन्धों के अधीन अथवा अनुसार दिया गया अनुज्ञा-पत्र था।

वाहक अथवा राज्य सरकार के संवित वाहकों (contract carriage) के संबंध में अधिकार प्रदान।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १९

कार्यवाहियों तथा कार्यों का वैधीकरण (validation)

१९—(१) धारा १७ के अधीन अनुज्ञा-पत्र के निरसन अथवा तदंतर्गत मार्ग में कमी के उपलक्ष्य में किसी भी व्यक्ति के धारा ११ के अधीन प्रतिकर पाने के अधिकार को मानते हुये, यदि कोई हो, किन्तु तत्समय प्रचलित किसी अन्य उपबन्ध को बाधित न करते हुए :

(क) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश राजकीय पथ-परिवहन अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अथवा अनुसार किसी भी प्राधिकारी द्वारा दी गई आज्ञायें, किये गये कार्य अथवा कार्यवाहियां, प्रचारित आदेश अथवा प्रयुक्त अधिक्षेत्र (jurisdictions) अथवा उक्त अधिनियम के अधीन इस प्रकार दी गई, किये गये, प्रचारित अथवा प्रयुक्त समझे गये, विधि की दृष्टि से किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी का कोई निर्णय (judgment) डिक्री, आज्ञा या विनिश्चय (decision) होते हुये भी, उसी प्रकार वैध और ठीक समझे जायंगे मानों ऐसी आज्ञायें, कार्य, कार्यवाहियां, आदेश तथा अधिक्षेत्र इस अधिनियम के अधीन यथोचित रूप से दी गयी, किये गये, प्रचारित अथवा प्रयुक्त किये गये हों ;

(ख) अनुज्ञापत्र से सम्बन्धित मार्ग पर राज्य पथ-परिवहन सेवा के चलन और संचलन अथवा चलन और संचलन के आरम्भ के कारण निश्चित दिनांक पर या उससे पहले दी गई, परिवहन वाहन के किसी अनुज्ञापत्र का निरसन अथवा तदंतर्गत मार्ग में कमी करने वाली अथवा कोई नया प्रतिबन्ध लगाने वाली अथवा ऐसे वाहन के निमित्त पहले से किसी अनुज्ञा-पत्र से संलग्न प्रतिबन्धों का परिवर्तन करने वाली प्रत्येक आज्ञा तथा किसी मार्ग पर प्रयुक्त होने वाले परिवहन वाहनों की संख्या को निरुद्ध करने वाली अथवा अन्यथा निश्चित करने वाली या अनुज्ञापत्र से संबद्ध मार्ग परिवर्तित करने वाली प्रत्येक आज्ञा तथा पहले से स्वीकृत किसी अनुज्ञापत्र के नवीकरण (renewal) को अस्वीकार करने वाली प्रत्येक आज्ञा, विधि की दृष्टि से, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ में किसी बात के होते हुयें भी, वैध होगी और एतद्द्वारा वैध की जाती है और वैध प्रख्यापित की जाती है ; तथा

(ग) सरकारी गजट में इस अधिनियम के प्रथम प्रकाशन के दिनांक पर किसी भी न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी के समक्ष मूल कार्यवाही अथवा अपील अथवा अन्य किसी रूप से विचाराधीन सभी वाद तथा अन्य कार्यवाहियां (suits of proceedings) इस प्रकार निर्णीत की जायंगी मानों यह अधिनियम सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रचलित रहा हो (as if this act had been in force on all material dates) ।

(२) धारा (१) के खंड (क) के उपबन्धों की सामान्यता को बाधित न करते हुये, एतद्द्वारा प्रख्यापित किया जाता है :—

(क) प्रत्येक मार्ग जिस पर निश्चित दिनांक को राज्य पथ-परिवहन सेवा संचालित थी तथा प्रत्येक ऐसी सेवा, इस अधिनियम

के प्रयोजनों के लिये, धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट मार्ग समझा जायगा तथा धारा ४ से ८ तक के अधीन तथा अनुसार यथोचित रूप से निर्मित और प्रकाशित योजना के अधीन संचालित सेवा समझी जायगी ;

(ख) निश्चित दिनांक से पूर्व मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के चैप्टर ४ के अधीन स्वीकृत अनुज्ञापत्र के निरसन अथवा उसमें कमी करने की प्रत्येक आज्ञा तथा अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत मार्ग में कमी करने की अथवा ऐसे अनुज्ञापत्र के किसी दूसरे मार्ग अथवा मार्गों पर संक्रामण की प्रत्येक आज्ञा धारा १० के उपबन्धों के अधीन तथा अनुसार दी गई समझी जायेगी और ऐसे निरसन, कमी करने अथवा संक्रामण के सम्बन्ध में धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होगी, और

(ग) यदि किसी व्यक्ति को जिसका अनुज्ञापत्र अथवा जिसके अनुज्ञा-पत्र उपर्युक्त प्रकार से निरस्त कर दिये गये हों इस प्रकार निरस्त अनुज्ञा-पत्र अथवा पत्रों के उपलक्ष्य में अथवा तत्संबंधी रियायत (concession) के रूप में किसी अन्य मार्ग के लिये ऐसे निरसन के दिनांक से छः मास के भीतर एक या एक से अधिक अनुज्ञापत्र दिये गये हों तो धारा ५ के आशय के अन्तर्गत इस अनुज्ञापत्र अथवा पात्रों को ऐसे अन्य मार्ग के लिये अनुज्ञापत्र गृहीता को नोटिस दे कर और उनकी सहमति से किया हुआ संक्रामण समझा जायगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १९ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में "१७" के स्थान पर "१०" रख दिया जाय।

अध्यक्ष—यह तो "१०" है ही।

श्री चरण सिंह—यह असल में "११" होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आप "१७" की जगह "१०" चाहते हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—"११" कर दिया जाय। खंड ९ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में अंक "१७" के स्थान पर "११" कर दिया जाय।

श्री चरण सिंह—"१०" नहीं बल्कि अब "११" चाहते हैं और मुझे मंजूर है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में अंक "१७" के स्थान पर "११" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २० तथा २१

निरसन और अपवाद (Repeals and savings)।

२०—(१) उत्तर प्रदेश अथवा परिवहन सेवा (विकास) अध्यादेश, १९५५ एतद्द्वारा निरस्त (repealed) किया जाता है और यू० पी० जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और और २४ के उपबन्ध इस पर उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों कि यह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरस्त विधायन (enactment repealed by a U. P. Act) हो।

(२) शंका निवारणार्थ एतद्द्वारा प्रख्यापित किया जाता है कि यह निरसन अथवा उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा १९५० ई० के उत्तर प्रदेश राजकीय पथ परिवहन अधिनियम का निरसन निम्नलिखित की वैधता पर विपरीत प्रभाव न डालेगा, अथवा उसे प्रभावित न करेगा।

(क) उक्त अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (१) के खंड (क) में अभिदिष्ट कोई राजकीय पथ परिवहन सेवा अथवा आज्ञा, और वे विधि की दृष्टि से वैसे ही वैध रहेंगे, मानों उक्त अधिनियम निरस्त न हुआ हो ;

(ख) उक्त अधिनियम अथवा अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य, जिसमें की गयी कोई नियुक्ति, दिया गया प्रार्थना-पत्र प्रचारित विज्ञप्ति, आज्ञा, अनुदेश अथवा आदेश, निर्मित नियम, आकार पत्र (form), उपविधि (bye-law) अथवा योजना (scheme), स्वीकृति प्रमाण पत्र (certificate), अनुज्ञापत्र (permit) अथवा लाइसेंस तथा किया गया निबन्धन (registration) सम्मिलित है, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत (inconsistant) न हों, सप्रभाव रहेंगे (continue in force) तथा इस अधिनियम के तत्सदृश्य (corresponding) उपबन्धों के अनुसार किये गये अथवा संपादित समझे जायेंगे :

इस अधिनियम के उपबन्धों की मान्यता।

२१—(१) जब इस अधिनियम के उपबन्धों तथा अन्य किसी विधि (Law) के उपबन्धों के बीच कोई परस्पर विरोध अथवा असंगति (conflict or inconsistency) हो, तो इस इस अधिनियम के उपबन्धों को मान्यता दी जायेगी।

(२) किसी अन्य विधायन (enactment) अथवा ऐसे विधायन अन्तर्गत प्रभावी किसी करण (instrument) में कोई असंगत बात हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दी गयी कोई आज्ञा अथवा दी हुयी समझी गयी कोई आज्ञा प्रभावशील रहेगी।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २० के उपखंड (२) के उपभाग (क) की पंक्ति २ में शब्द "और वे" निकाल दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, शायद अंग्रेजी में "दे" होगा तो उसी का ट्रांसलेशन यहां छपा है। यह भाषा के हिसाब से ठीक नहीं मालूम होता है। अध्यक्ष महोदय, आप इसको देख लें। मेरे ख्याल से यह ठीक नहीं मालूम होता है।

श्री चरण सिंह—श्रीमन्, मेरे हिसाब से ठीक मालूम पड़ रहा है, इसलिये मैं संशोधन को नहीं मानता।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मैं वापस लेता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह किस भाषा के लिहाज से ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि "उक्त अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (१) के खंड (क) में अभिदिष्ट आज्ञा अथवा किसी राज्य-पथ-परिवहन सेवा की बंधता को बाधित न करेगा और न उस पर प्रभाव डालेगा 'और वे' उसी प्रकार वैध रहेंगे मानों उक्त अधिनियम निरस्त न हुआ हो।"

यह किस के लिये आया है, यह निरर्थक है, सुपरफ्लुअ है।

श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)--क्या संशोधन वापस लेने के बाद भी बहस हो सकती है।

श्री अध्यक्ष--अभी संशोधन वापस होने की अनुमति नहीं दी गयी है।

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, क्लाज २० में जिक्र है कि यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, तो इसमें यह आता है?

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २० और २१ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २२

राज्य सरकार का नियम बनाने का अधिकार।

२२--(१) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बनाने राज्य सरकार नियम बना सकती है।

(२) पूर्ववर्ती अधिकारों की सामान्यता को बाधित न करते हुये इन नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है--

(क) धारा ३ के अधीन प्रख्यापन का आकार (form);

(ख) आकार जिसमें धारा ४ और ८ के अधीन योजना प्रकाशित की जायगी;

(ग) धारा ५ के अधीन नोटिस का आकार तथा रीति जिसके अनुसार वह तामील किया जायगा;

(घ) आकार जिसमें अनुज्ञा-पत्र-गृहीता धारा ५ की उपधारा (२) के अधीन अपना अनुबंध (agreement) निविष्ट (lodge) करेगा;

(ङ) रीति जिसमें धारा ६ के अधीन आपत्तियां प्रस्तुत की जायंगी;

(च) रीति जिसमें धारा ७ के अधीन आपत्तियों पर विचार होगा और उन्हें निस्तारित (dispose of) किया जायगा;

(छ) धारा ७ के अधीन बोर्ड की कार्यप्रणाली तथा कार्य-संचालन की प्रक्रिया जिसमें इयत्ता सम्बन्धी व्यवस्था (provision for quorum) भी सम्मिलित है;

(ज) धारा ११ के अधीन प्रतिकर की धनराशि के अवधारण से सम्बद्ध विषय तथा उस पर ब्याज;

(झ) रीति जिसमें प्रतिकर का भुगतान किया जायगा;

(ञ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियुक्त किये जाने वाले प्राधिकारी, अधिकारी और कर्मचारिवर्ग तथा उनके अधिकार और कर्त्तव्य;

(ट) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारिवर्ग की सेवा की शर्तें तथा योग्यतायें;

(ठ) इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को प्राप्त अधिकारों का प्रतिनिधायन (delegation);

(ङ) इस अधिनियम के अधीन अधिक्षेत्र रखने वाले किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्त्तव्य तथा उक्त अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ढ) ऐसी कालावधियों (time limits) का आरोपण जिनके भीतर इस अधिनियम के अधीन किये जाने वाले कार्य होने ही चाहिये तथा इसकी व्यवस्था कि उनमें (नियमों में) निर्दिष्ट प्राधिकारों को ऐसी आरोपित कालावधियां बढ़ाने का अधिकार हो अथवा न हो ;

(ण) ऐसे विषयों में जिनके लिये कोई सुस्पष्ट (specific) व्यवस्था नहीं की गयी है, इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्रों अथवा अन्य कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(त) इस अध्यादेश के अधीन किसी प्रार्थना-पत्र अथवा कार्यवाही के सम्बन्ध में दिया जाने वाला शुल्क, यदि कोई हो ; तथा

(थ) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हैं और नियत किये जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २२ इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--वह जो पहले छोड़ दिये गये थे उसके बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री चरण सिंह--अभी तो और अमेंडमेंट्स बाकी हैं।

अनुसूची १

(धारा ११ देखिये)

पैरा १--अधिनियम की धारा १० की उपधारा (१) के खंड (घ) के अधीन कान्ट्रैक्ट कैरिज या स्टेज कैरिज या पब्लिक कैरियर्स परमिट के निरसन के उपलक्ष्य में धारा ११ के अधीन देय प्रतिकर अनुज्ञा-पत्र के अधीनस्थ प्रत्येक वाहन के लिये निम्नलिखित प्रकार से परिगणित किया जायेगा, अर्थात्

(१) अनुज्ञापत्र की अवशिष्ट अवधि के प्रत्येक पूरे मास अथवा मास के किसी भाग के लिये जो पंद्रह दिनों से अधिक हो, पचहत्तर रुपये ;

(२) अनुज्ञापत्र की अवशिष्ट अवधि के किसी मास के भाग के लिये जो पंद्रह दिनों से अधिक न हो, साढ़े सैंतीस रुपये ;

किन्तु सदैव यह प्रतिबन्ध रहेगा कि प्रतिकर की धनराशि किसी भी दशा में पचहत्तर रुपये से कम न होगी;

पैरा २--अधिनियम की धारा १० की उपधारा (१) के खंड (घ) के अधीन स्टेज कैरिज अथवा पब्लिक कैरियर परमिट के अन्तर्गत मार्ग अथवा मार्गों में कमी किये जाने के उपलक्ष्य में धारा ११ के अधीन देय प्रतिकर निम्नलिखित सूत्र (Formula) के अनुसार परिगणित धनराशि होंगी:--

$$\frac{\text{ल} \times \text{ध}}{\text{म}}$$

इस सूत्र में:--

'ल' का तात्पर्य मीलों में उस लम्बाई से है, जितनी मार्ग में से कम की गयी हो। 'ध' का तात्पर्य उपर्युक्त पैरा १ के अनुसार परिगणित धनराशि से है। 'म' का तात्पर्य अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत मार्ग की मीलों में कुल लम्बाई से है।

श्री विष्णुशरण दुब्लिश (जिला मेरठ)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि अनुसूची १ के पैरा (१) के भाग (१) की पंक्ति ३ में "पचहत्तर रुपये" के स्थान पर "सौ रुपये" कर दिया जाय। इसमें कोई भाषण की आवश्यकता मैं नहीं समझता। ७५ रुपये की रकम मेरे ख्याल में बहुत कम है और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी और यह आदरणीय सदन मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह---श्रीमन्, मुझको यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुसूची १ के पैरा (१) के भाग (१) की पंक्ति ३ में "पचहत्तर रुपये" के स्थान पर "सौ रुपये" कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रजविहारी मिश्र--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूची १ के पैरा (१) के भाग (२) की पंक्ति २ शब्द "साढ़े सैंतीस रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास रुपये" रख दिया जाय। यह ५० रुपये उचित मालूम होता है। आशा है मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह---मुझे मंजूर है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुसूची १ के पैरा (१) के भाग (२) की पंक्ति २ में शब्द "साढ़े सैंतीस रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास रुपये" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रजविहारी मिश्र--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूची १ के पैरा (१) के भाग (२) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य की पंक्ति २ में शब्द "पचहत्तर रुपये" के स्थान पर शब्द "दो सौ रुपये" रख दिया जाय। आशा है मंत्री महोदय इसे भी स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह---मंजूर है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुसूची १ के पैरा (१) के भाग (२) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य की पंक्ति २ में शब्द "पचहत्तर रुपये" के स्थान पर शब्द "दो सौ रुपये" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित अनुसूची १ इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची २

(धारा १२ देखिये)

यदि धारा १२ के अनुसार कोई मोटर वाहन राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाय उसके लिये देय मूल्य ५०० रु० तक घटा या बढ़ा कर जिसे वाहन की दशा के कारण ट्रांसपोर्ट कमिश्नर या उसका नामांकिती अवधारित करेगा, निम्नांकित रूप में निर्धारित किया जायगा ; अर्थात्

१---वाहन का मूल मूल्य जो निम्नांकित के बराबर होगा ---

(क) (१) चैसिस के वर्तमान सूचीगत मूल्य (list price), में १० प्रतिशत की कमी करके; और

(२) वाहन के बाडी की मूल लागत जिसे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर या उसका नामांकिती बाडी की बनावट (Design) तथा

प्रकार और उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री को ध्यान में रख कर अवधारित करेगा;

के जोड़ में से निम्नलिखित घटा कर--

(ख)--(१) उस दिनांक से जब मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के अधीन वाहन की प्रथम रजिस्ट्री हुई थी, प्रारम्भ होने वाले पहले वर्ष के लिये अपकर्ष (Depreciation) के कारण मूल मूल्य का २५ प्रतिशत;

(२) द्वितीय वर्ष के लिये अपकर्ष के कारण उपयुक्त (१) के अधीन परिगणित मूल्य (written down value Computed) का २५ प्रतिशत; और

(३) प्रत्येक बाद के वर्ष के लिये अपकर्ष के कारण परिगणित मूल्य (written down value Computed) का २० प्रतिशत प्रतिवर्ष ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी वर्ष में छः मास से कम की अवधियों के लिये अपकर्ष (depreciation) खंड (ख) के अधीन उस वर्ष के लिये परिगणित (computed) धनराशि का आधा होगा ।

स्पष्टीकरण--पैरा (१) के प्रयोजनों के लिये छः मास कम की अवधि गणना से नहीं ली जायगी और छः मास से अधिक की अवधि एक वर्ष मानी जायगी ।

(२) यदि किसी कारण से चैसिस का सूचीगत मूल्य उपलब्ध न हो तो उसी प्रकार तथा नमूने की चैसिस के वर्तमान सूचीगत मूल्य को ध्यान में रखकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर उसे अवधारित करेगा ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूची २ के पैरा (१) के उपपैरा (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

(ख) के जोड़ में से अपकर्ष के कारण निम्नलिखित घटाकर--

चतुर्थांश (Quarter)	अपकर्ष की दर (Rate of depreciation)
(१) उस दिनांक से, जब मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के अधीन वाहन की प्रथम रजिस्ट्री हुयी थी प्रारम्भ होने वाली तीन महीनों की अवधि के लिये, और	मूल मूल्य पर ६१/४ प्रतिशत ।
(२) द्वितीय तीन मास की अवधि तथा बाद की प्रत्येक तीन महीने की अवधि के लिये ।	पूर्वगामी चतुर्थांश (quarter) के लिये परिगणित (written down) मूल्य पर ६१/४ प्रतिशत ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस दिनांक से जब मोटर वेहिकि ऐट, १९३९ के अधीन वाहन की प्रथम रजिस्ट्री हुयी थी, चौबीस महीनों की समाप्ति के बाद के चतुर्थांशों के लिये, ५ प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण (१) "परिगणित मूल्य (written down value)" का तात्पर्य इस उपखंड के अनुसार पूर्वगामी चतुर्थांशों के लिये अपकर्ष (depreciation) के उपलक्ष में कटौती करके निकाले हुये मूल्य से है ।

(२) तीन मास से कम की अवधियां तीन मास गिनी जायेंगी ।

यह संशोधन जो है इसका आशय स्पष्ट है । कहने की ज्यादा आवश्यकता नहीं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य जिन्होंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है यह कहा है कि यह संशोधन इतना स्पष्ट है कि समझाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन श्रीमन्, मैंने इसकी इधर उधर बहुत तुक मिलाने की कोशिश की लेकिन मैं असफल रहा। इससे अच्छा तो यह था कि पहले ड्राफ्ट में अगर २५ की जगह साढ़े ६ ऐसा कर दिया जाता। लेकिन क्वार्टर और पूर्वगामी चतुर्थांश—इस तरह से छपा हुआ है कि इसके हेड ऐंड टेल का पता नहीं चलता। यह मंजूर हो रहा है या नहीं मंजूर हो रहा है मैं यह भी नहीं कह सकता। वास्तव में मैं अपनी कमजोरी बतला दूं कि मैं समझा ही नहीं। अगर माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य जी समझाने की कोशिश करें तो अच्छा हो। इसकी हिन्दी इस प्रकार से क्लिष्ट बनायी गयी है कि "और वे' वाला संशोधन हो गया।

श्री चरण सिंह---"और वे" वाला संशोधन नहीं है। यह सब्सटेंस से वास्ता रखता है। अब तक जैसा विधेयक है उसमें यह लिखा है कि गाड़ी अगर एक साल तक चल चुकी हो तो २५ फीसदी उसकी कीमत में से घटा दिया जायगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक महीने चले तो भी २५ फीसदी घटेगा और १२ महीने चले तो भी २५ फीसदी घटेगा। यह अनफेयर बात है स्टेट के लिये और कुछ हालतों में उनके लिये भी हो सकता है। इसलिये हमने एक साल को तीन तीन महीने में तोड़ दिया। अगर डेढ़ महीना चली है तो सवा छः फीसदी साढ़े चार महीने चली है या पौने छः महीने चली है तो सवा छः फीसदी। इसी तरह से विधेयक में दूसरे साल एक साल हो तो बीस फीसदी कटौती की जायगी, ७५ फीसदी का २० फीसदी। संशोधन में क्वार्टर वाला सिद्धांत रख कर ५ फीसदी कर दिया गया है। वह ज्यादा आर्बिट्रेरी था। इसमें भी आर्बिट्रेरीनेस है लेकिन वह बहुत कम हो गई है। उसमें यह था कि एक महीने वाले को जितना अधिकार था उतनी ही १२ महीने वाले को था और इसमें है कि एक महीने वाले को जितना अधिकार है उतना ही तीन महीने वाले को है। इसलिये जो संशोधन मेरे माननीय मित्र ने पेश किया है वह निहायत मुनासिब है। इसको मंजूर हो जाना चाहिये।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मौर्य जी के संशोधन में मैं यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं---

क्रमांक २७ पर प्रस्तुत अनुसूची २ के पैरा (१) के उपपैरा (ख) से संबंधित प्रस्तावित संशोधन में जहां जहां भी शब्द "परिगणित मूल्य" आये हैं उनके स्थान पर शब्द "कम किये गये मूल्य" रख दिये जायं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---यह मेरे संशोधन में है। यह माकूल बात है। मुझे स्वीकार है।

श्री चरण सिंह---मुझे दोनों मित्रों की बात स्वीकार है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि अगर सेलेक्ट कमेटी में जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ होता तो आज जो अंतिम स्थिति में जिस समय पौने सात बज रहे हैं...

श्री अध्यक्ष---बैठना तो आठ बजे तक है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जब कि प्रतिशत पर बहस हो रही है, डिप्रिसियेशन के ऊपर इस समय बहस करते हैं तो यह विवाद इस समय करना सदन का उपहास करना है। इसलिये मैं इस समय ज्यादा बहस में नहीं पड़ना चाहता और मैं यह उपयुक्त भी नहीं समझता कि इस समय इस बहस में पड़ूं। यह सब कार्य सेलेक्ट कमेटी में हो सकता था। मैं भविष्य के लिये आपकी सहायता चाहता हूं कि जब ऐसा विधेयक आवे तो माननीय मंत्री जी मर्यादा को निभायें। इसमें बहुत से ऐसे वाक्य हैं जो स्पष्ट नहीं हैं। इसमें जो खंड २ है कि "तीन मास से कम की अवधियां तीन मास गिनी जायेंगी" इसको मैं समझ नहीं पाया हूं कि यह घटी हैं या बढ़ी हैं। यह बिलकुल स्पष्ट नहीं हुआ है .....

श्री अध्यक्ष--आप यह बताइये कि आप इसका विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं इसका समर्थन और विरोध दोनों करने में असमर्थ हूं। यह बात हम इसलिये कह रहे हैं कि हम स्पष्ट रूप से इसको समझ नहीं पाये हैं।

जहां तक इसका प्रश्न है कि ५ प्रतिशत को घटा दिया जाय तो यह अवश्य जोड़ देना चाहिये।

श्री चरण सिंह--यह संशोधन इस एजेन्डे पर बहुत दिनों से लिखा हुआ है, कोई माननीय मित्र इसको न पढ़ें और इसको देखने की तकलीफ गवारा न करें तो यह मेरा कसूर नहीं हो सकता है। मैं किसी चीज को स्वीकार करूं या अस्वीकार करूं इससे किसी माननीय सदस्य की जिम्मेदारी कम नहीं होती है। मैं इसको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, यह ५ फीसदी बिलकुल ठीक है। उसमें ५ फीसदी को घटाकर उसके ऊपर सवा छः फीसदी लिखा है। तो फिर समझ में नहीं आता कि क्या कठिनाई है।

श्री अध्यक्ष--चूंकि यह दूसरा संशोधन स्वीकार कर लिया गया है तो यह जो संशोधित संशोधन है मैं उसी को उपस्थित करता हूं :--

प्रश्न यह है कि अनुसूची २ के पैरा (१) के उपपैरा (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

(ख) के जोड़ में से अपकर्ष के कारण निम्नलिखित घटाकर--

चतुर्थांश (Quarter)	अपकर्ष की दर (Rate of depreciation)
(१) उस दिनांक से, जब मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के अधीन वाहन की प्रथम रजिस्ट्री हुई थी, प्रारम्भ होने वाली तीन महीनों की अवधि के लिये और	मूल मूल्य पर ६ १/४ प्रतिशत।
(२) द्वितीय तीन मास की अवधि तथा बाद की प्रत्येक तीन महीने की अवधि के लिये।	पूर्वगामी चतुर्थांश (quarter) के लिये कम किये गये (written down) मूल्य पर ६ १/४ प्रतिशत।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस दिनांक से जब मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के अधीन वाहन की प्रथम रजिस्ट्री हुई थी, चौबीस महीनों की समाप्ति के बाद के चतुर्थांशों के लिये ५ प्रतिशत।

स्पष्टीकरण (१)--"कम किये गये मूल्य (written down value) का तात्पर्य इस उपखंड के अनुसार पूर्वगामी चतुर्थांशों के लिये अपकर्ष (depreciation) के उपलक्ष में कटौती करके निकाले हुये मूल्य से है।

(२) तीन मास से कम की अवधियां तीन मास गिनी जायंगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूची २ के स्पष्टीकरण का पैरा (१) निकाल दिया जाय, और अंक (२) निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर अंक (१) रख दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मूल अधिनियम में दिया हुआ है 'स्पष्टीकरण--पैरा (१) के प्रयोजनों के लिये छः मास से कम की अवधि गणना में नहीं ली जायगी और छः मास के अधिक की अवधि एक वर्ष मानी जायगी।'

मैं समझता हूं कि यह निरर्थक है और जितना ऐक्चुअल टाइम हो वही लिया जाय। आशा है माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--स्पष्टीकरण तो शायद पहले ही निकल गया।

श्री चरण सिंह--श्रीमन्, मुझे यह संशोधन मंजूर है। पहिले जो संशोधन वीरेन्द्र वर्मा जी की तरफ से मौर्य जी ने प्रस्तुत किया था उसमें यह चीज आ जाती है। अब ६ महीने की जरूरत नहीं रही। इसलिये मैं इसको मंजूर करता हूं।

श्री अध्यक्ष--जब इसमें (२) आया है तो क्या (१) के रखे जाने की आवश्यकता है?

श्री चरण सिंह--ठीक है श्रीमन्, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। अब केवल 'अंक (२) निकाल दिया जाय' तक ही रहेगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुसूची २ के स्पष्टीकरण का पैरा (१) निकाल दिया जाय, और अंक (२) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित अनुसूची २ इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पथ-परिवहन सेवा (विकास) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह १८ जून, १९५१ को और उस से प्रचलित हुआ समझा जायगा।

श्री व्रजविहारी मिश्र--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा सेयह संशोधन उपस्थित करता हूं:--

खंड १ के वर्तमान उपखंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"यह १८ जून, सन् १९५१ को प्रचलित होगा और उस तिथि से प्रचलित हुआ समझा जायगा।"

मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह--जी हां, मुझे यह मंजूर है। जो भाषा विधेयक में दी हुई है वह नाकिस है और हमारा जो विचार है उससे इस संशोधन की तर्जुमानी होती है, इसलिए मैं इसको मंजूर करता हूं।

श्री जोरावर वर्मा--"१८ जून, सन् १९५१ को प्रचलित होगा" में "को" के स्थान पर "से" रख दिया जाय तो अधिक उपयुक्त होगा।

श्री चरण सिंह--आपने जो शब्द बताया है, वह अधिक उचित है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १ के वर्तमान उपखंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"यह १८ जून, सन् १९५१ से प्रचलित होगा और उस तिथि से प्रचलित हुआ समझा जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[श्री चरण सिंह]

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--अब खंड ९ पेश हो जाना चाहिए।

श्री चरण सिंह--उस सम्बन्ध में जो मेरी राय थी, उसी की तसदीक हमारे विशेषज्ञों की तरफ से हुई। वे यह कहते हैं कि प्रोसिज्योर का सवाल धारा ३ में है। धारा ३ में डिक्लेरेशन होता है और उसके बाद स्कीम तैयार होती है। तो मंशा यही है कि स्कीम में कोई आल्टरनेटिव वगैरह मोडिफिकेशन वगैरह हो, उसमें संशोधन हो तो उसकी बाबत जाबता अलाहदा से एक नयी स्कीम आनी चाहिए। इसलिए जैसा कि विधेयक में ४ से ८ तक है वही रहना चाहिए।

श्री नारायणदत्त तिवारी का कहना था कि ४ के बजाय ३ कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ की उपधारा (२) में धारा शब्द के बाद "४" के स्थान पर "३" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक तथा प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश पथ-परिवहन सेवा (विकास) विधेयक, १९५५

उत्तर प्रदेश में पथ परिवहन सेवा के विकास की तथा तत्सम्बन्धी अन्य मामलों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

उत्तर प्रदेश पथ परिवहन सेवा (विकास) अध्यादेश, १९५५, राज्यपाल ने प्रचारित किया था;

और सार्वजनिक हित तथा पथ परिवहन के सुदक्ष संगठन के हेतु तथा राज्य के औद्योगिक एवं आर्थिक साधनों के नियोजित विकास के लिए उक्त अध्यादेश के उपबन्धों के स्थान पर विधान मण्डल के अधिनियम की व्यवस्था करना आवश्यक है, अतएव भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पथ परिवहन सेवा (विकास) विधेयक, १९५५, जैसा कि इस विधान सभा द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

*श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं तो दुख के साथ इसका विरोध करता हूं। कारण यह है, श्रीमन्, विरोध करने का कि आप स्वतः स्मरण करेंगे कि जब सामान्य वादविवाद चल रहा था और माननीय मदन मोहन उपाध्याय ने कुछ सम्मति प्रकट की थी तो सरकारी पक्ष की ओर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से और माननीय मन्त्री जी की ओर से बड़ी आपत्ति उठायी गयी और यहां तक कह दिया गया श्रीमन्, कि अब तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पीछे चली जा रही है और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने जमींदारी उन्मूलन के अवसर पर जहां बड़ी तेज आवाज में मुआविजे का विरोध किया था, वहां इस समय श्री मदन मोहन जी मुआविजे के पक्ष में जा रहे हैं। उस समय श्रीमन्, मैंने आपकी सेवा में निवेदन किया था कि सरकार इसको सेलेक्ट कमेटी में ले जाय और वहां पर समुचित रूप में, शान्त मस्तिष्क से सब बातों पर विचार करे और विचार करके कोई निष्कर्ष निकाले। जल्दी से जम्प कर किसी कन्क्लूजन,पर दौड़कर किसी नतीजे पर पहुंचना अच्छा नहीं हुआ करता। अब मैं श्रीमन्, पुनः अपनी उन बातों को दोहराता हूं आपकी सेवा में और माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि मन्त्री जी ने इस पर कोई प्रकाश क्यों नहीं डाला कि जब सामान्य विवाद के अवसर पर ७५ रुपए के स्थान पर श्री मदन मोहन जी ने २०० रुपए के लिए कहा था तो उसका विरोध सरकारी पक्ष के लोगों ने किया था और माननीय मन्त्री जी ने भी और श्री राम नरेश शुक्ल ने भी बड़ी बुलन्दी से इस का विरोध किया था और कहा था कि हम तो ७५ रुपया देना चाहते हैं, लेकिन मदन मोहन जी उनको २०० रुपया दिलाना चाहते हैं, लेकिन आज क्या कारण हो गया? क्या मोटर ट्रांसपोर्ट सम्मेलन की दावत ने सरकारी पक्ष के मस्तिष्क को प्रभावित कर दिया कि सरकारी पक्ष के लोग उसी ७५ रुपये को जगह २०० रुपये के संशोधन को मान गये। अभी सामान्य विवाद के समय पर २०० रुपये का विरोध किया गया था।

उस पक्ष की ओर से, हमारे ऊपर नेगेटिव, डायरेक्टिव और डायलेक्टिव की प्रतिष्ठा कर रहे हैं और आगे चलकर मन्त्री जी स्वयं ही जब उनके दल के लोग २०० रुपये की बात लाते हैं, तो वह उसको स्वीकार कर लेते हैं जिनकी तरफ पहले ही मदन मोहन जी ने इशारा किया था। यदि कारण बताये गये होते तो अच्छा था। माननीय नारायण दत्त जी का कहना उपयुक्त ही था और मन्त्री जी ने कैसे इस को इस स्टेज पर मान लिया, यह जानकर हैरत हुई। कौन जानता था कि सरकारी पक्ष की ओर से प्रस्ताव आयेगा कि शाम को बिल पर विचार होगा। अधिक संशोधन पेश करने वाले सदस्य श्री राम नारायण त्रिपाठी जी यहां मौजूद नहीं हैं और माननीय मन्त्री जी तर्क दे रहे हैं कि पहले से बिल मौजूद था, उस को पढ़ लेते। मैं समझता हूं कि कोई गूढ़ बात उस में नहीं थी, जिसको हम न समझे हों। हम देख रहे हैं कि सरकारी पक्ष के लोग किस तरह से शब्दों से भावनाओं के साथ खेलते हैं और उसमें अनर्थ करते हैं। मन्त्री जी ने एक संशोधन स्वीकार किया है, जिस पर मेरी आपत्ति है। अनुसूची में माननीय ब्रजभूषण मिश्र का एक संशोधन है कि ७५ रुपये के स्थान पर २०० रुपया रख दिया जाय। वह सरकार ने स्वीकार किया है, क्यों स्वीकार किया है? मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। सदन से आप के द्वारा केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि सदन अब जरा इन बातों पर खयाल करे, राजनीति कौन खेलता है और कौन राजनीतिक दृष्टिकोण से देखता है सरकारी पक्ष या विरोधी पक्ष? विरोधी दल तो शुद्ध सम्मति प्रकट करता है और कोई पालिटिक्स या प्रचार की बात नहीं करता। यहां जिन बातों को विरोधी दल द्वारा पेश करने पर नामंजूर कर दिया जाता है, उसी को आज अपने पक्ष द्वारा पेश होने पर मान लिया जाता है, तो इसमें राजनीति कौन खेलता है? किस के ऊपर दोषारोपण हो सकता है? इन शब्दों के साथ में अपने भावों को व्यक्त करूंगा, जिस प्रकार अन्धकार में रख कर मन्त्री जी विधेयक को पास कराना चाहते हैं, उनकी उस नीति का मैं विरोध करता हूं और उन से निवेदन करता हूं कि यह कौन सा न्याय है कि साल भर का डिप्रिसियेशन तो २५ प्रतिशत होगा और उसी हिसाब से ३ महीने में सवा ६ प्रतिशत होगा। तो इस तरह से कहीं डिप्रिसिएशन आंका जा सकता है? यह कोई अंक गणित नहीं है कि साल भर में रगड़ घिसाव २५ प्रतिशत होगा तो ३ मास में सवा ६ प्रतिशत होगा? हो सकता है कि ३ महीने में अधिक रगड़ घिसाव हो और ९ महीने में वह खाली भी खड़ी रह सकती है और तनिक भी रगड़ घिसाव नहीं हो सकता। इस लिये इस में अंकगणित का हिसाब न लगाकर बाकई देना चाहिए था कि कितना रगड़ घिसाव होता है। इस तरह का हिसाब लगाना बुद्धि के लिए शोभनीय नहीं है। अबुद्धि के लिए चाहे जो हो।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—तो आप अपनी बुद्धि को रगड़िये।

[श्री राजनारायण]

श्री राजनारायण---हां, उसी को रगड़ने के लिए तो आप हटाये गये। श्रीमन्, मैंने बहुत स्पष्ट बात कह दी है। हर समय सदन में जो बातें कह दी जाती हैं, उसका उत्तर सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए और आखिरकार वह रगड़ घिसाव अब माननीय द्वारका प्रसाद जी मौर्य भी करने लगे हैं और उनके संशोधन भी ऐसे आने लगे हैं, जो हमारे हैं, तो वही रगड़घिसाव हमारे माननीय मौर्य जी करने लगे हैं और उसकी हम प्रशंसा करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। तो अब आप ही बताइये कि हमारा विरोध करना इस स्तर पर उचित है या अनुचित है। माननीय राजस्व मन्त्री जी कह सकते हैं कि इनकी विरोध करने की आदत है। माननीय राजस्व मन्त्री जी ने तीन महीने के डेप्रिशियेशन में सवा ६ परसेंट क्यों मान लिया ? तीन महीने के अन्दर जितनी अवधि होगी, सभी क्यों तीन महीने मान लिया जायगा ? यह व्यर्थ की बात है। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि माननीय राजस्व मन्त्री जी इसको पारित न करायें और जो प्रस्ताव रख दिया है, उसके वापस लेने के लिए माननीय अध्यक्ष से इजाजत लें कि वापस ले लें। और इसमें बाद में विचार कर फिर सरकारी पक्ष की ओर से कोई घूम फिर कर विधेयक लायें। इस तर्क का कोई जवाब नहीं है कि तीन महीने में जो मोटर चलेगी बाकी ९ महीने भी उसी रूप में चलेगी। बरसात का समय हो, उस वक्त मोटर आये और तीन महीने तक रखी रहे। तो उसमें मोटर कम चलती है। अब कोई रगड़ घिसाव उस वक्त तो हुआ नहीं है।

श्री चरण सिंह---तो क्या उसके लिए हो ?

श्री राजनारायण---इसीलिए मैंने निवेदन किया था कि सेलेक्ट कमेटी में इस बिल को जाने दीजिये और वहां बैठकर इन तमाम गुत्थियों को सुलझाया जाय। लेकिन आपने उस समय नहीं माना, लेकिन आज क्या हो गया। यों तो बहुमत सरकार के पक्ष में है, और काफी बड़ा बहुमत है और जो माननीय मन्त्री जी चाहें, उसे पास करा लेंगे। मैं तो जो बात समझ में आवेगी, उसको उनकी सेवा में रखूंगा। इसमें उनको रंजीदा होने की क्या बात है ? यह कितने हैफजर्ड तरीके से और कितने अतार्किक ढंग से भाषण करके वह इस विधेयक को पास कराना चाहते हैं।

*श्री जोरावर वर्मा---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सचमुच जो आश्चर्य मुझे हुआ था, उस को हमारे मित्र माननीय राजनारायण जी ने प्रकट कर दिया। लेकिन शायद वह कारण को नहीं समझ सके ठीक से कि वहां किसी मीटिंग में क्या हुआ था, जहां तक मैं समझा और अब भी समझता हूं कि पूंजी, हाव भाव और आदर सत्कार जो है, वह छोटे-छोटे जो कर्मचारी हैं, उन्हीं को अपने मन्तव्य से हटा कर गड्ढे की ओर ले जाता है, लेकिन अभी जो सम्मेलन हुआ था और उसके कारण ७५ से २०० और तीन महीने का टीयर ऐन्ड वीयर ७५ फीसदी करना यह सब क्या है। यह शायद जो रसगुल्ले खाये....

श्री अध्यक्ष---इस तरह की बातें यहां कहना अनुचित है।

श्री जोरावर वर्मा---अध्यक्ष महोदय, कहने का मतलब यह है कि जो लोग पार्टियां कर सकते हैं और उसका इतना बड़ा असर हो सकता है। जब जनरल बहस में माननीय उपाध्याय जी ने यह राय दी थी कि इस पर रिकंसीडरेशन होना चाहिए और इसमें मुआविजा बढ़ना चाहिए तब कुछ लोगों ने यह कहा था कि यह तो मोटर मालिकों के हिमायती हो गये। सोशलिस्ट पार्टी में कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जब यह संशोधन इस मामले का उस पक्ष से आया तो मुझे बड़ा आश्चर्य मालूम हुआ। पहले जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में हम इसी तरह का आक्षेप किया करते थे, लेकिन यह जो हमारे सामने विधेयक है, उससे तो पोजीशन बहुत साफ हो जाती है कि वह वास्तव में जनता को विभ्रम में और मृग मरीचिका में रखने के लिए यह सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनकी जो मंशा है, वह यह है कि कुछ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इने-गिने लोगों की मंशाओं को किसी न किसी बहाने से पूरा करते रहें। इस में जो संशोधन इस तरह के डेप्रिसियेशन के बारे में प्रस्तुत किये गये हैं, वह भी बड़े आश्चर्य की बात है। कुछ भी सही, लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि जिस प्रकार यह संशोधित अधिनियम बन रहा है, मुझे आशा है कि मन्त्री जी इसमें भी उसी कानूनी दृष्टिकोण से सफल होंगे जिस प्रकार जमींदारी एबोलिशिन में हुए थे, लेकिन उन्होंने जो यह ट्रांसपोर्ट विभाग को अपना विभाग बना लिया है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस बात को ध्यान में रक्खें कि अभी तक डिपार्टमेंट में जो एक प्रकार की घपलेबाजी रही है, जिसका जिक्र आडिट रिपोर्ट में हमारे सामने आया है, उससे पता चलता है कि लाखों करोड़ों रुपये का किस प्रकार दुरुपयोग हुआ है, मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी बड़े परिश्रमशील हैं, बड़ा टाइम देते हैं, भविष्य में इस प्रकार की क्षति जनता के रुपये के साथ, जो बड़ी मेहनत के साथ वसूल किया जाता है, नहीं की जायगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी को इस बिल के लिए धन्यवाद देता हूं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, स्वाभाविक स्थिति में तो मैं माननीय मन्त्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने आम विवाद के अवसर पर हमारे प्रणयता और प्रवक्ता के प्रस्ताव को स्वीकार किया कि ७५ रु० के बजाय २०० रु० के मुआविजे का प्रबन्ध किया जाय, लेकिन यह स्थिति अस्वाभाविक है और उसके लिए मैं माननीय मन्त्री जी को अधिक जिम्मेदार पाता हूं। दर असल ऐसी बात नहीं थी जो इस विधेयक के द्वारा गाड़ी के मूल्य में वृद्धि की गयी या जो मुआविजे में वृद्धि का प्रबन्ध किया गया। यह होना चाहिए या न होना चाहिए यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह भी नहीं कि यह जो नया फार्मूला सरकार ने स्वीकार किया है, इसको पढ़ा गया या नहीं पढ़ा गया। पढ़ने में तो बिलकुल स्पष्ट है। सिर्फ प्रश्न इतना है और कि आखिर फार्मूला क्या होना चाहिए, मैंने उस समय भी निवेदन किया था और मेरा भी निवेदन यह था कि फार्मूला क्या होना चाहिए, कितना डेप्रिसियेशन किस समय लगता है---तीन महीने में कितना होता है, ६ महीने में कितना होता है, और वह रिटेल वैल्यू के अनुसार या ओरिजिनल वैल्यू के अनुसार होना चाहिए। ये ऐसे प्रश्न हैं कि जो टेकनिकल मामलों से सम्बन्धित हैं और उन पर इस सदन में चाहे पढ़ कर आइये तब भी विवाद नहीं हो सकता और टेक्निकल जानकारी रखने वाला चाहे न पढ़कर आये तब भी प्रश्न उठने पर विवाद कर सकता है इसलिए मेरे मन्तव्य को माननीय मन्त्री जी गलत न समझें। मेरे कहने का अर्थ तो यही था, और अब भी है कि डेप्रिसियेशन कितना होगा और कितना नहीं होगा यह टेक्निकल विषय है, उस पर सदन में हम विचार नहीं कर सकते। मैं समझता हूं जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने उदारतापूर्वक स्वीकार किया है कि वे ट्रांसपोर्ट विभाग में नये हैं, उन्हें उतना अनुभव नहीं है, उसी प्रकार हम लोग भी इन टेक्निकल मामलों के लिए कोरे हैं, अनभिज्ञ हैं। मिसाल के लिए इस डेप्रिसियेशन वाले मसले को लिया जाय। अगर आप देखें तो एक कन्सेशन ही छीना गया है। पहले एक वर्ष में २५ प्रतिशत होगा और दूसरे में भी २५ प्रतिशत होगा और फिर उसके बाद २० प्रतिशत होगा। उसके हिस्से कर दिये गये हैं तीन महीने में सवा ६ परसेंट यानी साल भर में २५ हो गया। दूसरा संशोधन जो वीरेन्द्र वर्मा जी का सरकार ने स्वीकार किया है, इससे दर असल सरकार ने एक कंसेशन छीना है, जो मिल मालिकों को दिया गया था। यह तो हम फौरन समझ गये। चतुर्थांश में २ साल के बजाय २४ महीने कर दिया गया है। वहां कह दिया है कि ५ प्रतिशत हो जायगा इसके माने वह २० प्रतिशत हो गया। तो हिस्से करके सरकार ने एक प्रकार से एक कंसेशन मिल मालिकों से छीना है। अगर माननीय मन्त्री जी इसके समझने की बात कहें, तो हम समझ गये कि उन्होंने कंसेशन छीना है। मेरा कहना तो यह है कि यह एक टेक्निकल मामला है और जो आर्डिनेंस पहले चल रहा था, जो परसेंटेज उसमें था वही इसमें रक्खा गया है। इसमें यह परसेंटेज नहीं है, जो आज दिया गया है। जो आर्डिनेंस आज इस प्रदेश में लागू है और जो २४ तारीख को खत्म होने वाला है, उसमें यह ७५ वाला फारमूला रखा गया है। तो सामान्यतः यह होता है कि जो आर्डिनेंस सरकार बनाती है और यही माननीय मन्त्री जी को पहले धारणा थी कि जैसा आर्डिनेंस है ठीक उसी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

प्रकार का विधेयक हो तो इसलिए अगर आर्डिनेंस की भावना को तरमीम करना था, उस फारमूले को तरमीम करना था, अपने पुराने विचार किये हुए फारमूले को बदलना था, तो इसे सदन की सेलेक्ट कमेटी में अगर विचार करने के लिए भेजा जाता तो सर्वोत्तम होता।

इसके साथ-साथ मैं इतना अवश्य चाहूंगा, यह असंगत तो नहीं है, कि माननीय मन्त्री जी अविलम्ब अब रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ऐक्ट जो सेन्टर का है, इस प्रदेश में लागू करने की कृपा करें और यहां पर उसे लागू करने में जल्दी करें। दूसरे रेट्स ट्रिइब्युनल, किराये की दरों को निर्धारित करने के लिये कि किस रीति में कितना किराया रखना चाहिये इसके लिये एक रेट्स ट्रिइब्युनल मुकर्रर करें। यह मेरी मांग है और यदि माननीय मन्त्री जी रेट्स ट्रिइब्युनल को मुकर्रर कर सकें और अगर रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ऐक्ट को यहां लागू कर सकें तो यह तमाम डिपार्टमेंटल कन्ट्रोल और दूसरी तमाम दिक्कतें दूर हो जायंगी और रोडवेज में जो तमाम झमेले हैं, जिनके कारण उनको परेशानी होती है, वह भी दूर हो कर उनका काम हल्का हो जायगा और वह रेवेन्यू के मामलों में ज्यादा ध्यान दे सकेंगे।

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राजनारायण जी का भाषण बड़े ध्यान से सुना। उनके दो ही एतराज थे। एक तो यह कि एक संशोधन वह चाहते थे लेकिन उस समय माननीय मंत्री जी की तरफ से उस का विरोध हुआ। दूसरे यह कि यह सेलेक्ट कमेटी में क्यों नहीं भेजा गया। मेरा निवेदन यह है कि मैं यह नहीं समझ सका कि जब वस्तुतः उनके माननीय उपाध्याय जी यह संशोधन चाहते थे जो अभी स्वीकृत किया गया तो यह कारण विरोध का नहीं हो सकता, यह तो समर्थन का कारण होना चाहिये था। तो फिर क्या शिकायत हुई कि जिसके आधार पर माननीय राजनारायण जी ने बड़े जोर के साथ भाषण दिया और इसे अपने विरोध का कारण बनाया? दूसरी बात जो कि प्रायः सभी विभागों के सम्बन्ध में कही जाती है और जिसे कि माननीय नारायण दत्त जी ने भी रखा और राज नारायण जी ने भी रखा कि इसको सेलेक्ट कमेटी के सामने भेजना चाहिये था जिसमें कि हम अच्छी तरह से विचार कर सकते। यूं तो किसी भी विधेयक के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है, किसी भी बात के लिये यह कहा जा सकता है कि सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय ताकि इस पर काफी विचार किया जा सके और उसमें अधिक समय व्यय हो लेकिन आवश्यकता इस बात को देखने की है कि आखिर कौन सी ऐसी खास बात थी कि जिसके लिये इसका सेलेक्ट कमेटी में जाना आवश्यक था और वहां सेलेक्ट कमेटी में जाने पर कौन सी ऐसी बात थी कि जिसे विरोधी दल के सदस्य वहां प्रस्तुत कर सकते थे और उसे यहां नहीं प्रस्तुत कर सके। मेरा ख्याल है कि सरकार के पास काफी विशेषज्ञों का मत है और इसमें काफी मत ले कर, समझ कर के यह चीज यहां सदन में हमारे सामने रखी गयी है और इसके अलावा विरोधी पक्ष की तरफ से कोई इसका आल्टर-नेटिव भी नहीं रखा गया। तो मैं नहीं समझता कि क्या जस्टीफिकेशन है इस बात का कि वह यह चाहते हैं कि सेलेक्ट कमेटी में जाता तो वहां जाकर अवश्य कोई न कोई उसके लिये आल्टरनेटिव रख सकते। एक बात और है कि हर विषय में उसूल की बात लाना और एक समाज-वादी पैटर्न और उसकी खिल्ली उड़ाना मैं नहीं समझता कि कहां तक उचित होता है? आज जहां तक उसूलों का सवाल है मेरे पास अभी उत्तर प्रदेश मोटर आपरेटर्स यूनियन, जिसके अध्यक्ष हैं हमारे एक बड़े सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य श्री मदन मोहन उपाध्याय, उनका निमंत्रण-पत्र आया था। मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में हमारे माननीय उपाध्याय जी और मेरे दूसरे साथियों के क्या विचार हैं?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आम बहस तो है नहीं।

श्री देवकीनन्दन विभव—मैं तो एक सेकेन्ड लेना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--तो आप मुख्तसर में कह दीजिये ।

श्री देवकीनन्दन विभव--राष्ट्रीयकरण साधन है साध्य नहीं । साध्य तो है सस्ता सुगम परिवहन तो यह राष्ट्रीयकरण की डेफ़िनीशन है और अगर वास्तव में यह राष्ट्रीयकरण की डेफ़िनीशन है तो फिर विरोध क्या ? कहां इन लम्बे-चौड़े भाषणों की गुंजायश है ? इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी के विधेयक का समर्थन करता हूं और मुझे आशा है कि सदन इसको स्वीकार करेगा ।

श्री चरण सिंह--श्रीमन्, मुझे अभी जो श्री राज नारायण जी और जोरावर वर्मा जी ने तकरीर की उसको सुन कर सख्त अफसोस हुआ । मेरे सर में दर्द है घंटों से, इसलिये मैं और भी ज्यादा जब्त रखने की कोशिश करूंगा कि कोई कठोर शब्द मेरी जबान से न निकल जाय.....

श्री राजनारायण--आप कहिये, हम बर्दाश्त कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष--मैं तो अनुमति इस बारे में दूंगा नहीं, वह चाहे बर्दाश्त कर लें ।

श्री चरण सिंह--श्रीमन्, मैं कोशिश यही करूंगा । जब आदमी के सर में दर्द होता है तो मिजाज़ चिड़चिड़ा हो जाता है । एक तो वैसे भी अपने पर नियंत्रण रखता हूं अब और ज्यादा कोशिश करूंगा । श्रीमन्, पहले दो छोटी बातों का जवाब देना चाहता हूं । एक बात माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने यह कही कि सेलेक्ट कमेटी.....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप दोनों की अजीब मुहब्बत है कि थोड़े समय का जो विरह है वह भी दोनों ही को बर्दाश्त नहीं होता ।

(इस वक्त श्री राज नारायण उठ कर चले गये और दो मिनट बाद फिर सदन में आ गये ।)

श्री चरण सिंह----वह मुझे जैसे बेईमान की बात सुनना नहीं चाहते । श्री नारायण दत्त जी ने एक बात कही कि साहेब सेलेक्ट कमेटी में जाता तो बहुत अच्छा होता अगर शुरू में बिल बना कर पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्कुलेट हो जाता है और असेम्बली में पेश होने के बाद फिर सेलेक्ट कमेटी में चला जाता, दुनिया में जितनी स्कीम, जितने विधेयक हैं उन पर जितना भी गौर हो जाय उतना अच्छा है, ज्यादा गौर होने से हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट की गुंजायश रहती है, यह मैं मानता हूं लेकिन आर्डिनेंस जिन कारणों से करना पड़ा उन्हीं कारणों से इस बिल को हम जल्दी मंजूर कराना चाहते थे विधान मंडल से क्योंकि ६ हफ्ते के अन्दर प्रेसीडेंट की स्वीकृति लेनी थी वरना मुझे इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने में कोई हिचकिचाहट न होती । कोई उसूल की बात भी वैसी नहीं थी कि जिसे मुझे सेलेक्ट कमेटी में भेजने में मेरे लिये कोई ऐम्बरेसमेंट होता । इसलिये इस पर बल देने से यह मालूम होता है कि शायद तिवारी जी ने संशोधन को ज्यादा गौर से नहीं पढ़ा । उन्होंने कहा कि सेलेक्ट कमेटी में जाता तो अच्छा होता । सिर्फ यही वजह उन्होंने बतायी । अब वह कहते हैं कि साहब सेलेक्ट कमेटी में भेजे बिना वह संशोधन कर दिया गया है सवा छः प्रतिशत का साल भर के बजाय तीन महीने का कर दिया गया और बिना सेलेक्ट कमेटी में भेजे हुये कर दिया । श्रीमन्, हमने तो बिल ही पेश कर दिया था बिना सेलेक्ट कमेटी में भेजे हुए ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--यह मैंने कहां कहा ?

श्री चरण सिंह--श्रीमन्, यह तकरीर मौजूद होगी, लिखी हुई मौजूद होगी । यह कहा कि बिना सेलेक्ट कमेटी में भेजे हुये तीन महीने का ब्रेक कर दिया साल भर के बजाय ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--यह ऐसा मैंने नहीं कहा ।

श्री चरण सिंह--खैर, लेकिन मैंने ऐसा सुना । पहली बार भी आप सेलेक्ट कमेटी की बात उठायी थी और अब की भी यही रीज़न दिया । हो सकता है शायद मेरेने

[श्री चरणसिंह]

समझने में गलती रही हो। तो सेलेक्ट कमेटी में समय की कमी के कारण हमने नहीं भेजा और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। दूसरी बात यह कही राजनारायण जी ने कि साहब, तीन महीने का ब्रेकअप क्यों कर दिया। तीन महीने में ज्यादा ख़राब हो सकती है गाड़ी, हो सकता है नौ महीने में न ख़राब हो। लेकिन ब्रेकअप चाहे तीन दिन का रख लें, चाहे जितनी मुद्दत का रख लें, यह बात तो सब पर लागू होगी यह बात तो सड़क के ऊपर, गाड़ी के मैटीरिअल और मेकर के ऊपर और गाड़ी के इस्तेमाल के ऊपर निर्भर करती है। कोई साहब नौ साल तक गाड़ी को नयी रख सकते हैं, कोई बुरी तरह चलायें तो दो साल के अन्दर खराब हो सकती है। तो सड़क पर, उस आदमी के चलाने की काबलियत पर, वेदर पर, न मालूम कितने फ़ैक्टर्स हैं, इसमें परसनल फैक्टर्स भी बहुत हैं, लिहाज़ा चाहे साल भर हो, चाहे तीन महीने हो, चाहे छः महीने हो, यह बिलकुल आर्बीट्रेरी होता है। साल भर के बजाय तीन महीने हमने इसलिये मुनासिब समझा कि मान लीजिये कि एक शख्स है, गाड़ी ली है पहली अप्रैल, सन् ५४ को और पन्द्रह दिन चली। तो उसकी गाड़ी की कीमत में से २५ प्रतिशत डेप्रीशियेशन कटेगा। मानी जायगी गाड़ी ७५ प्रतिशत। पन्द्रह दिन चली तो, एक दिन चली तो भी ७५ रुपये कीमत उस की हो गई, अब ग्यारह महीने २९ दिन चलती है तो भी ७५ रुपये उस की क़ीमत होगी, अगर वह १०० रुपये की है। जाहिर है कि बहुत अनफेयर है, बहुत नामुनासिब है। इसमें ज्यादा अन्याय होता है आपरेटर के साथ एक साल का रखने से। हमने इसमें किया तीन महीने। इसमें भी जो आदमी एक महीने अपनी गाड़ी चलाता है, और उसका डेप्रीशियेशन कर दिया तीन महीने के बराबर, सवा छः प्रतिशत, उस के साथ भी कुछ अन्याय हुआ। ठीक तो यह होता कि एक एक दिन के हिसाब से हम करते। लेकिन १२ महीने का हम मान लेते हैं कि एक दिन से लेकर ३६५ दिन तक साल भर का माना जायगा, २५ प्रतिशत डेप्रीशियेशन, तो उसके मुकाबले में चौथाई अन्याय हुआ।

श्री राजनारायण—माइलेज नहीं कर सकते थे?

श्री चरणसिंह—माइलेज कौन तय करता? मैंने तो यह सुना कि माइलेज तो बदला जा सकता है। रोज बदला जाता है। तो माइलेज का तो नहीं हो सकता। जो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं या जो टेक्निकल एड्वाइज़र हैं उनकी रजामन्दी से हमने यह संशोधन रखा है। तो कोई अगर टेक्नीशियन ऐसा बता सके फुलप्रूफ मैथड को वाकई डेप्रिशियेशन इतना हुआ कि एक दिन के अन्दर और ३५५ दिन का डेप्रिशियेशन एक दिन के मुकाबले में ३५५ गुना ही होगा हमेशा, कोई ऐसा मैथड निकल आता तो हम जरूर उसको मंजूर कर लेते। हम जरूर उसे मंजूर कर लेते, हमें क्या दिक्कत थी। लेकिन यह ज्यादा फेयर होता अगर एक-एक दिन का हिसाब लगाते, वह ह्युमनली पोसीबिल नहीं है....

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय, ऐसा होता है कि जो मोटर आपरेटर्स अपनी मोटर चलाते हैं तो उनको सरकार की तरफ से रूट मिले होते हैं, उसका माइलेज होता है, इतने दिन तक यह गाड़ी चली और इतने मील चली। ऐसे मैथड निकालते हैं और निकाले जा सकते हैं। जिससे मालूम हो सकता है कि कितनी गाडी चली है। जब रूट सरकार तय करती है तो यह भी समझ सकती है कि कितनी मील यह गाड़ी चली है।

श्री चरण सिंह—श्रीमन्, जब मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आप ही कोई मैथड बता दीजिये तो उन्होंने कहा था कि उनको मालूम नहीं है। लेकिन इसी बीच में उनको मैथड मालूम हो गया है कि ऐसे मैथड हैं और निकाले जा सकते हैं। श्रीमन्, कुछ रूट्स ऐसे हैं जहां सात दिन में नम्बर आता है, बाज ऐसे हैं जहां दो दिन में नम्बर आता है और बाज ऐसे जहां एक दिन में नम्बर आता है तो इतने फैक्टर्स हैं और कोई फुल प्रूफ मैथड नहीं निकाला जा सकता है। कम से कम टेक्नीशियन्स को मालूम नहीं है। अब संशोधन यह है कि एक दिन ९० दिन के बराबर रहेगा।

श्रीमन्, अब एक तो इसके सिलसिले में कि डिप्रीसियेशन तीन महीने के हिसाब से लगाया गया है और ७५ रुपये के बजाय १०० रुपये का संशोधन स्वीकार किया गया। श्रीमन्, इसके बाबत सजेस्ट ही नहीं किया गया और इंडायरेक्टली कोई बात नहीं कही गयी बल्कि स्पष्टतः कहा गया। लेकिन आज क्या कारण हो गया ? क्या मोटर ट्रांसपोर्ट सम्मेलन की दावत ने सरकारी पक्ष के मस्तिष्क को प्रभावित कर दिया कि सरकारी पक्ष ने लोग उसी ७५ रुपये की जगह १०० रुपये का संशोधन मान लिया। श्रीमन्, यह बात उन्होंने कही और श्री जोरावर जी और तफ़सील से कहते लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा और आप ने उन्हें रोका। श्रीमन्, यह संशोधन तीन महीने वाला या ७५ रुपये के बजाय १०० रुपये संशोधन के सम्बन्ध में कोई असर मोटर ट्रांसपोर्ट सम्मेलन की दावत का मेरे दिल और दिमाग पर पड़ा या नहीं, इसका एक सबूत यह है कि दावत ४ मार्च को गालिबन हुई है। (एक सदस्य—५ मार्च को हुई।) ५ मार्च को शायद मैं रायबरेली में था। नहीं, ५ मार्च ही को दावत हुई और मैं ४ मार्च के सम्मेलन में शामिल हुआ था। मुझे दुःख होता है श्रीमन्, कि अभी तक हमारे दोस्त उसी आरगूमेंट पर हैं।

श्री अध्यक्ष—आप किसी के दिल में से कोई बात नहीं निकाल सकते हैं ?

श्री चरण सिंह—जो, मैं नहीं चाहता हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हम निकाल सकते हैं लेकिन तर्क से वह नहीं निकाल सकते हैं।

श्री चरण सिंह—मैं चौथी मार्च को सम्मेलन में शामिल हुआ था। ५ तारीख को रायबरेली का मेरा प्रोग्राम था। मैं पौने नौ बजे चला गया और सवा नौ बजे वापस आया तो मैं अपने दुर्भाग्य से दावत में शरीक न हो सका। मुझे मालूम हुआ कि गालिबन माननीय मुख्य मंत्री जी शरीक हुये थे और वह शरीक हुये तो मैं ही शरीक हुआ। लेकिन ऐज ए मैटर आफ फैक्ट मैं शरीक नहीं हुआ तो श्रीमन्, इस दावत का असर सरकार के दिल और दिमाग पर कितना पड़ सकता था और कितना पड़ा है वह इससे जाहिर है कि २२ फरवरी, सन् १९५४ को जो एजेंडा आप के यहां से प्रकाशित हुआ उस में जो आज मैंने संशोधन मंजूर किये हैं शब्दशः वही हैं। तो श्रीमन्, इस दावत का तो कोई असर नहीं पड़ा इतनी बात तो स्पष्ट है।

श्री जोरावर वर्मा—स्वीकृत तो उस दिन नहीं हुए, आज ही हुए।

श्री अध्यक्ष—मैंने कहा कि मैं ऐसी चीज को प्रोत्साहन नहीं देता, क्योंकि कोयला घिसने से कोयला ही निकलता है।

श्री चरण सिंह—वह तो जितनी कालिख है सब आ जायगी।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस तरह की बात सदन में होनी नहीं चाहिये और न बाद में इसका एक्स्प्लेनेशन देने के लिये मैं प्रोत्साहन दूंगा। उस बात को तो मैंने रोक ही दिया था कि ऐसा आक्षेप होना ही नहीं चाहिये जिसमें नीयत के ऊपर हमला हो।

श्री चरण सिंह—श्रीमन्, आप ने जो फ़रमया वह बिलकुल बजा है। लेकिन जब वह एक तरीके से बात हवा में फैल गयी और एक साहब का तो बिना रोके हुये सब इसमें लिख गया, दूसरे साहब को आपने बेशक रोका, तो मैं समझता हूं कि शायद आप मुझे इतना अख्तियार तो देंगे कि मैं कम से कम फ़ैक्चुअल बात हाउस के सामने ला सकूं।

श्री अध्यक्ष—आप फ़ैक्चुअल बात कह सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा समय न खर्च करें।

श्री चरण सिंह—श्रीमन्, आप का हुक्म मेरे सिर माथे। लेकिन जरा आप मेरे जज्बात को समझने की कोशिश तो करें। कोई सीमा है ऐसी बात की। श्रीमन्, डेमोक्रेसी का मूल सिद्धांत यह है कि हर आदमी अपने मुखालिफ़ को उतना ही ईमानदार समझे जितना कि अपने को समझता है। यह बात तो हर आदमी के लिये है और जब हम

[श्री चरण सिंह]

लेजिस्लेटर्स हैं, यहां विधान सभा में बैठे हुये हैं तो हमें और संयम रखना चाहिये अपनी भाषा पर। लेकिन श्रीमन्, जैसा कि एक मित्र ने इधर से कहा हर आदमी दूसरों को अपने पैमाने से नापता है।

श्री राजनारायण--जैसे कि आप नें नापा।

श्री चरण सिंह--मैंने कोई बात अभी तक नहीं कही। अभी तक आप को इतना भी एहसास नहीं हुआ है कि आप की बात गलत है। २२ तारीख को यह संशोधन था, फ़ाइल मौजूद है, मेरा आर्डर है कि यह कर दिया जाय और संशोधन किसी से पेश करा दिया जाय। आप कहते हैं कि उस रोज तो लोगों ने वैसे ही कर दिया और मंजूर किया आज। बीच में मुख्य मंत्री और मैंने दावत खा कर .....

श्री राजनारायण--आप ने सामान्य विवाद में कभी विचार किया था?

श्री चरण सिंह--मुझे ताज्जुब है कि एक आदमी गलती करे और उस पर लज्जा न आये।

श्री राजनारायण--हम और फ़ैक्ट्स दे सकते हैं।

श्री चरण सिंह--श्रीमन्, तकाजा यह था डेमोक्रेसी के उसूलों का कि जिस वक्त आप ने यह कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिये उस के बाद दोनों मित्र खड़े होते और अनक्वालीफ़ाइड एपोलिजी इस सदन से मांगते। मैं कितना ईमानदार हूं या दावत का कितना असर मेरे ऊपर पड़ सकता है या नहीं यह तो मैं जानता हूं या मेरा परमात्मा जानता है और पब्लिक लाइफ में जो जानते हैं वे जानते होंगे। लेकिन इस तरह से एक फ़ैक्चुअल बात को गलत कहना इस सदन का अपमान करना है। और एक बात फ़ैक्चुअल गलत कही गयी कि २०० रुपये का उन्होंने संशोधन पेश किया था। डिबेट के वक्त कोई संशोधन होता है? उन्होंने एक बात २०० रुपये की कही। उन्होंने कहा कि एक हजार की आमदनी होती है, मैंने कहा कि एक हजार की नहीं होती है। उस वक्त न ७५ का सवाल था न २०० का था। मैंने हर्गिज सवाल नहीं किया। आया उन्होंने २०० की बात कही है या नहीं, मुझे इसकी याद भी नहीं है। और माननीय राज नारायण जी ने तो २०० कहे। माननीय नारायण दत्त जी खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि मदनमोहन जी ने १०० की बजाय २०० का संशोधन किया था और उन्होंने १०० लिख दिया। शुरू में जैसा हमारा बिल ड्राफ्ट हुआ तो ७५ भी नहीं थे, २५ ही थे। मैंने कहा कि यह मुझको बहुत कम मालूम होता है। तो मैंने ७५ कर दिया। आपस में अपने अफसरान से वाद विवाद हुआ और बहुत सी पहलुओं पर गौर किया गया। तो मैंने कहा कि आर्डिनेन्स में जो गया सो गया, अब इसके १०० रुपये कर देंगे। हाउस में लोग कहेंगे इसको तो सौ रुपये हम मंजूर कर लेंगे। तो यह संशोधन आया और मंजूर हुआ। खैर यह तो हुआ कि ७५ की जगह सौ कैसे मंजूर किया। एक बात इस सिलसिले में और विचार करने की है। जब हम मुआविजा कम रखते हैं। मान लीजिये ७५ रु० था उस वक्त, तो उस वक्त जो सोशलिज्म का ठेका लिये हुए हैं वह कहते हैं कम है। ज्यादा होना चाहिये। दो सौ होना चाहिये या एक हजार होना चाहिये। हमने जब ७५ फीसदी का सौ कर लिया तो बजाय यह कहने कि आपने अच्छा किया हम तो २०० कह रहे थे आपने सौ ही माने। १०० भी कम है आपकी राय में। आप तो २०० की हिमायत कर रहे हैं। तब नीयत पर हमला।

श्रीमन् अब बुद्धि और दिल में किसके खराबी हैं या नहीं है इसके पीछे मैं जाना नहीं चाहता लेकिन केवल इतना ही कहना चाहता हूं यह तरीका नहीं है तकरीर करने का और नुक्ताचीनी करने का। लेकिन अगर माननीय राजनारायण जी को इस पर कोई पश्चाताप, तकलीफ कोई उनको यह नहीं मालूम होता है कि उन्होंने गलती की है, उनको मुबारक है। लेकिन अगर इस प्रकार तकरीर हो और इस प्रकार नियत पर हमले हों तो फिर यह टाकिंग प्लेस नहीं रहेगी।

पार्लियामेंट के मानी टाकिंग प्लेस के हैं ? बहस वहीं हो सकती है जब हम और आप एक दूसरे को ईमानदार मानें। लेकिन अगर आप मुझे ईमानदार मानने को तैयार नहीं, ओपेनली अलेज करते हैं, जब मैं उस बात को डिस्प्यूट करता हूं तो अपनी बात पर इनसिस्ट करते हैं, तो श्रीमन्, यह टाकिंग प्लेस नहीं रहेगी, फार्यटिंग प्लेस हो जायगी। डेमोक्रेसी के लिये वह दिन मुजिर होगा। श्रीमन्, पार्लियामेंटरी लाइफ में जरूरी है अंडर स्टेटमेंट किया जाय। दूसरे को उतना ही ईमानदार माना जाय। अंग्रेजी में कहते हैं इट इज प्रोपोज्डसो ऐंड सो, इट सीम्स टु बी सो ऐंड सो। इसीलिये जहां अंग्रेज चले गये दूसरे मुल्कों में तभी डेमोक्रेसी कामियाब हुई है। लेकिन हमारे यहां जहां गुलामी में इतना समय बीता है तो हमें और एहतियात बरतना चाहिये। ताकि वातावरण विषाक्त न हो जाय। और जो लोग यहां बैठे हैं, मैं हूं, वह हैं, और मित्र हैं, हम पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। हम लोगों का यह सौभाग्य है कि मुल्क जैसे ही आजाद हुआ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गयी, उस प्रासेस से काम करने की हमारी बड़ी भारी जिम्मेदारी है। इसलिये हमें अपने लफ्ज तोल कर इस्तेमाल करने चाहिये। लेकिन वह बात नहीं है। मुझे इसकी तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई।

इन शब्दों के साथ मैंने जो प्रस्ताव रखा है, मैं आशा करता हूं कि सदन उस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मन्, एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान विधान की धारा १९९ (३) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके अनुसार आपको यह अधिकार है कि आप यह घोषित करें कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। मैं यह समझता हूं कि यह मनी बिल है। विधान की धारा १९९ (१) के अनुसार क्योंकि इसमें एक रकम निश्चित की गयी है जो कि राज्य के कंसालिडेटेड फंड से निकाली जायगी। मैं आपका ध्यान विधान की धारा १९९ (१) की उपधारा (बी) और (ई) की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे पास इस समय अंग्रेजी की प्रति है अगर आप इजाजत देंगे तो मैं अनुवाद कर दूंगा—

(b) the regulation of the borrowing of money or the giving of any guarantee by the state, or the amendement of the law with respect to any financial obligations undertaken or to be undertaken by the state;

स्टेट या तो कोई रुपया उधार लेने के बारे में या किसी कानून में संशोधन किये जाने के बारे में जो कि राज्य के द्वारा किसी आर्थिक व्यवस्था के सम्बन्ध में हो वहां पर यह (बी) लागू होती है।

दूसरे जो धारा १९९ (ई) है वह वहां पर लागू होती है कि जहां पर किसी भी खर्चे को कंसोलिडेशन फंड से चार्ज माना जाय। यहां बजट के अन्दर भी इसके लिये २ लाख रुपया रखा गया है। इस कारण मैं यह समझता हूं कि यह मनी बिल है। इसको कौंसिल में जाकर पास होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि इसको पारित करने से पहले नियमित रूप से आप यह घोषित करें कि यह एक मनी बिल है।

श्री अध्यक्ष—आपने कैसे और कहां से यह बतलाया कि यह मनी बिल है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, आप १९९ (३) की तरफ दृष्टिपात करने की कृपा करें उसमें यह दिया हुआ है कि—

" 199 (3) If any question arises whether a Bill introduced in the Legislature of a State which has a Legislative Council is a Money Bill or not, the decision of the Speaker of the Legislative Assembly of such State thereon shall be final. "

इसकी तरफ मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं जिसके अनुसार मुझे यह अधिकार है कि इस सम्बन्ध में मैं यहां पर यह प्रश्न उठा सकूं कि यह मनी बिल है या नहीं। चूंकि कौंसिल भी इस स्टेट में है। तो मैं इस बात का अधिकारी हूं कि आपसे इस बात का निर्णय ले सकूं कि यह मनी बिल है या नहीं। १९९ (बी और ई) के अनुसार हम यह इन्टरप्रिटेशन कर सकते हैं कि यह मनी बिल है और आपको भी ऐसा ही यह घोषित करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष ---आपने यह प्रश्न बहुत लेट स्टेज पर यहां उठाया है...

श्री चरण सिंह---श्रीमन्, यह १९९ के अन्दर नहीं आता है यह २०७ के अन्दर आता है। १९९ (१) में यह है कि :---

"A bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters."

यह जो हमारा बिल है जितने भी नये मैटर गिनाये गये हैं 'a' से लेकर 'g' तक जिस किस्म के हैं इनके अलावा और भी बहुत से प्राविजन हैं इनके अन्दर यह नहीं आता है। यह तो २०७ (१) के अन्दर आता है जिसमें यह दिया हुआ है और जिसके लिये गवर्नर की रजामन्दी की जरूरत थी जिसको हासिल कर लिया गया है :

" 207 (1) A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (*a*) to (*f*) of clause (1) of article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor, and a Bill making such provision shall not be introduced in a Legislative Council :

Provided that no recommendation shall be required under this clause for the moving of an amendment making provision for the reduction or abolition of any tax."

आर्टिकल १९९ के क्लाज (१) के (ए) से (जी) तक के अतिरिक्त और भी प्राविजन्स हैं जिनके अनुसार यह फाइनेंशियल बिल होता है। और उसमें खास तौर से "सिर्फ" शब्द लिखा हुआ है। यानी सिर्फ वही प्राविजन हों तभी वह मनी बिल हो सकता है। इसलिये यह फाइनेंशियल बिल है तथा इस पर गवर्नर महोदय की रिकमेंडेशन हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष---यह आक्षेप बहुत देर से उठाई गयी है, जब कि बिल केवल अंतिम चरणों में है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैं इस पर विचार कर चुका हूं और मेरा १८ फरवरी का फैसला फाइल में मौजूद है। मेरे सामने सचिवालय से यही प्रश्न आया था जब कि प्रश्न कौंसिल में भेजे जाने के लिये सार्टिफिकेट देने के बारे में मुझसे पूछा गया था। तो उस वक्त आर्टिकल १९९ के खंड (४) की दृष्टि से विचार किया गया था। मुझे उस वक्त यह ख्याल न था कि सदन में यकायक यह मसला उपस्थित हो जायगा लेकिन मैंने अपने निर्णय में यह लिखा है कि प्राग्दर्शन में यह धन विधेयक प्रतीत नहीं होता, यह फाइनेंशियल बिल है। और उसके कारण भी विचार में उस समय वही सब आये थे जो माननीय परिवहन मंत्री ने सामने रखे। संविधान की धारा में 'केवल' 'ओनली' शब्द पर जोर दिया गया है। वह इस प्रकार से है ---

199 (1) For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely—

इसलिये अगर केवल वही प्राविजेन्स हों जिनका संकेत धारा में है तभी वह 'मनी बिल' हो सकता है वरना यह 'फाइनेंशियल बिल' ही होगा। क्योंकि इस विधेयक में और भी प्राविजन्स हैं इसलिये 'यह मनी बिल' नहीं है। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इस विषय में स्पीकर का निर्णय अंतिम है और वह १८ फरवरी को हो चुका है। इसलिये अब इस बारे में कोई आपत्ति नहीं उठायी जा सकती।

श्री जोरावर वर्मा---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख है कि मैंने जो एक बात कही उससे माननीय मंत्री जी को दुःख हुआ। मैं नहीं समझता था कि यह ऐसा शब्द है जिससे माननीय मंत्री जी की नियत पर हमला होता है। माननीय मंत्री जी से जब मैंने यह कहा था कि वह मूड में नहीं हैं तो उन्होंने कहा था कि मूड में हूं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने

बोलने से पहले ही कह दिया कि उनके सिर में १ घंटे से दर्द है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, अगर मेरे शब्दों के कारण उनको दुःख हुआ है या वे उसको अपनी नीयत पर हमला समझते हैं तो मैं उन शब्दों को वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पथ-परिवहन सेवा (विकास) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह इस विधान सभा द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ७ बजकर ५० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१४ मार्च, १९५५।

पी० एस० यू० पो० ए० पो० ३३६ एल० ए०—१९५५—७९६।